

**(TO BE PUBLISHED IN THE DELHI GAZETTE EXTRA ORDINARY PARTIV)
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
(LABOUR DEPARTMENT)**

No.F.12(1)142/11/MW/Lab/ 2023

Dated : 26.07.2011

NOTIFICATION

No.F.12(1)142/11/MW/Lab/ In exercise of powers conferred by sub-section (2) of Section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (XI of 1948) read with the Government of India, Late Ministry of States Notification No.104-J dated 24th August, 1950 and Ministry of Home Affairs Notification No.S.O.530(F.2/9/66-UTL) dated 6th February, 1967 and all other powers enabling him in this behalf, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, after considering the recommendations of the Minimum Wages Advisory Committee constituted under Section 5(1) of the Minimum Wages Act, 1948 and also the advice of the Government is pleased to revise, as per Schedule below, the minimum rates of wages already fixed vide Notification No.F.12(1)/92/MW/124 dated 15th Feb., 1994 in the Scheduled employment in “Construction or Maintenance of roads or in building operation”, in the National Capital Territory of Delhi.

This notification shall come into force with effect from 1st April, 2011 from which date Notification No.F.12(1)/92/MW/124 dated 15th Feb., 1994 shall cease to have effect.

SCHEDULE

**‘EMPLOYMENT IN CONSTRUCTION OR MAINTENANCE OF ROADS OR IN
BUILDING OPERATION’**

CLASS OF EMPLOYEES

**MINIMUM RATES OF WAGES
PER MONTH PER DAY**

Unskilled

- | | | |
|--|------------|------------|
| 1. Mazdoor male | | |
| 2. Mazdoor female | Rs.6422.00 | Rs. 247.00 |
| 3. Helper to mason, fitter, carpenter | | |
| 4. Chowkidar | | |
| 5. Any other category doing unskilled work | | |

Semi skilled

- | | | |
|-------------|-------------|------------|
| 1. Bhisti | | |
| 2. Bandhani | Rs. 7098.00 | Rs. 273.00 |

Skilled

- | | | |
|-----------------------------|-------------|------------|
| 1. Glazor | | |
| 2. Carpenter Grade-II | Rs. 7826.00 | Rs. 301.00 |
| 3. Sanitary Fitter Grade-II | | |
| 4. Spraymen for Roads | | |
| 5. Mason Grade-II | | |
| 6. Blacksmith Grade-II | | |

Highly Skilled

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| 1. Carpenter Grade-I | More Than Skilled |
| 2. Sanitary Fitter Grade-I | |
| 3. Mistry or Supervisor | |
| 4. Painter | |
| 5. Mason Grade-I | |
| 6. Blacksmith Grade-I | |


Clerical and Non technical supervisory staff

- | | | |
|-----------------------------------|-------------|------------|
| 1. Non-Matriculates | Rs. 7098.00 | Rs. 273.00 |
| 2. Matriculates but not Graduates | Rs. 7826.00 | Rs. 301.00 |
| 3. Graduates and above | Rs. 8502.00 | Rs. 327.00 |

- Note: 1. The minimum rates of wages being fixed are linked with All India Consumer Price Index (Base 2001=100). The present wages have been fixed on the basis of index number 171.33 which is the average of the index number for the period July to December 2010. The rate of adjustment is Rs. 1.35 per point for Unskilled, Rs. 1.50 per point for Semi skilled, Rs. 1.65 per point for Skilled, Rs. 1.50 per point for Non matriculates, Rs. 1.65 per point for Matriculates but not Graduate and Rs. 1.80 per point for Graduate and above. Adjustment will be made six monthly, i.e., on 1st April and 1st October each year after taking into account the average index numbers for July to December of the previous year and January to June of the current year respectively.
2. The minimum rates of wages shall not be affected as a result of the linkage in as much as the wages shall not fall below those being fixed now.
3. The daily amount of Dearness Allowance would be rounded off to the next higher rupee.

4. The minimum rates of wages are inclusive of wages for weekly off day and no separate payment would be necessary on this account.

**By order and in the name of
the Lieutenant Governor of the
National Capital Territory of Delhi.**



**(PIYUSH SHARMA)
JOINT SECRETARY(LABOUR)
NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
Dated**

No.F.12(1)142/11/MW/Lab/

Copy forwarded to:-

1. Dy.Secretary, GAD, Government of Delhi(2 copies), for publication in Delhi Gazette Extraordinary Part-IV in today's date
2. Secretary to Government of India, Ministry of Labour, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi.
3. Secretary to the Lt.Governor, Government of NCT of Delhi.
4. Secretary to the Chief Minister, Government of NCT of Delhi.
5. Secretary to the Minister of Education, Transport, Gurdwara Election and Administration, Government of NCT of Delhi.
6. Secretary to the Minister of Health & Family Welfare, Employment Revenue, Irrigation & Flood Control, Government of NCT of Delhi
7. Secretary to the Minister of Power, Food & Civil Supplies, Development, Government of NCT of Delhi
8. Secretary to the Minister of Social Welfare, Women & Child Development, Languages, Government of NCT of Delhi
9. Secretary to Minister of PWD, SC/ST Welfare, Building & Urban Development, Government of NCT of Delhi
10. Secretary to Minister of Industries, Labour, Election, Govt of NCT of Delhi
11. Secretary to Delhi State Assembly, Government of NCT of Delhi for kind information of the Chairman and the Deputy Chairman.
12. OSD to Chief Secretary, Government of NCT of Delhi.
13. Principal Secretary(Labour), Government of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, Delhi.
14. Labour Commissioner, Government of NCT of Delhi, 5, Sham Nath Marg, Delhi.
15. Heads of all Departments, Government of NCT of Delhi.
16. Chief Labour Commissioner(Central). Govt.of India, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi.
17. Secretary (Labour) of Haryana, Punjab, Himachal Pradesh, Uttar Pradesh, Jammu & Kashmir, Rajasthan, and Union Territory, Chandigarh.

18. General Secretary of Delhi State BMS, INTUC, CITU, AITUC, HMS.
19. Secretary General of CII, FICCI, PHDCCI , ASSOCHAM with the request to circulate copies of this order to the local employers, organizations, with the directions that the revised minimum rates be paid to the workmen employed in their establishment. Copies of such circulars may be kindly endorsed to this office.
20. District DLCs. for distribution to local Trade Unions and Employers' Associations.
21. Dy.,Secretary(Finance), Government of NCT of Delhi. With the request to issue the necessary directions for workers employed in the offices of Govt. of Delhi.
22. Regional Labour Commissioner (Central), 4th floor, Jiwan Deep Building, Parliament Street, N.Delhi.
23. Dy.Director, Minimum Wages Cell, Ministry of Labour, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi.
24. Joint Director, Labour Bureau , SCO 28-31, Sec,17 A, Chandigarh-160017.
25. Librarian, Office of Labour Commissioner, Government of NCT of Delhi
26. Asstt.Director (Planning & Statistics), Labour Department , Government of NCT of Delhi for publication on the website of the Department, in the Labour Statistics and for laying on the table of the Vidhan Sabha.
27. Guard File.

JOINT SECRETARY(LABOUR)

**(TO BE PUBLISHED IN THE DELHI GAZETTE EXTRA ORDINARY PART IV)
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
(LABOUR DEPARTMENT)**

No. 12(9)/142/11/MW/Lab/ 2029

Dated 26.07.2011

NOTIFICATION

No. 12(9)/142/11/MW/Lab/ In exercise of powers conferred by sub-section (2) of Section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (XI of 1948) read with the Government of India, Late Ministry of States Notification No.104-J dated 24th August, 1950 and Ministry of Home Affairs Notification No.S.O.530(F.2/9/66-UTL) dated 6th February, 1967 and all other powers enabling him in this behalf, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, after considering the recommendations of the Minimum Wages Advisory Committee constituted under Section 5(1) of the Minimum Wages Act, 1948 and also the advice of the Government is pleased to revise, as per Schedule below. The minimum rates of wages already fixed vide Notification No.F.12(9)/92/130 MW/Lab dated 15th Feb., 1994 in the Scheduled Employment in “**Printing Presses**” in the National Capital Territory of Delhi.

This notification shall come into force with effect from 1st April, 2011 from which date the Notification No.F.12(9)/92/130 dated 15th Feb., 1994 shall cease to have effect.

S C H E D U L E

“EMPLOYMENT IN PRINTING PRESSES.”

<u>CLASS OF EMPLOYEES</u>	<u>MINIMUM RATES OF WAGES</u>	
<u>1.Unskilled</u>	<u>PER MONTH</u>	<u>PER DAY</u>
1. Kalkash, 2.Helper to Machineman, 3. Paper Lifter 4. Platercutter, 5. Machine Driver Hand, 6. Sweeper, 7. Peon, 8. Daftry, 9.Chowkidar, 10. Packer, 11 Mazdoor 12. any other unskilled worker.	Rs. 6422.00	Rs. 247.00
<u>2. Semi-skilled</u>		
1. Sngasaz, 2. Asstt. Machineman, 3. Asstt. Distributor, 4. Paper Man, 5. Kacha Binder, 6. Inkman, 7. Paper cutter, 8. Grindingman, 9. Grinder, 10. Copy holder, 11. Paper Feeder, 12. Any other semi-skilled worker.	Rs. 7098.00	Rs. 273.00
<u>Skilled</u>		
1.Machineman, 2. Head Machineman,		

3. Sangasaz Gr.I,	4. Pressman,	Rs. 7826.00	Rs. 301.00
5. Packa Binder,	6. Compositor,		
7. Foreman,	8. Die Stamper,		
9. Block Maker,	10. Designer,		
11. Proofman,	12. Block Printer (Exposer),		
13. Artist,	14. Checkar (Proof Reader)		
15. Carpenter,	16. Die Printer,		
17. Operator Line/Mono,	18. Etecher,		
19. Caster, Line/Mono,	20. Plate Printer,		
21. Proof Reader,	22. Store Keeper,		
23. Time Keeper,	24. Salesman,		
25. Electrician,	26. Toucher,		
24. Blacksmith,			

CLERICAL AND NON-TECHNICAL SUPERVISORY STAFF:- PER MONTH PER DAY

1. Non Matriculates	Rs. 7098.00	Rs. 273.00
2. Matriculates but not Graduates	Rs. 7826.00	Rs. 301.00
3. Graduates and above.	Rs. 8502.00	Rs. 327.00

- Note: 1. The minimum rates of wages being fixed are linked with All India Consumer Price Index (Base 2001=100). The present wages have been fixed on the basis of index number 171.33 which is the average of the index number for the period July to December 2010. The rate of adjustment is Rs. 1.35 per point for Unskilled, Rs. 1.50 per point for Semi skilled, Rs. 1.65 per point for Skilled, Rs. 1.50 per point for Non matriculates, Rs. 1.65 per point for Matriculates but not Graduate and Rs. 1.80 per point for Graduate and above. Adjustment will be made six monthly, i.e., on 1st April and 1st October each year after taking into account the average index numbers for July to December of the previous year and January to June of the current year respectively.
2. The minimum rates of wages shall not be affected as a result of the linkage in as much as the wages shall not fall below those being fixed now.
3. The daily amount of Dearness Allowance would be rounded off to the next higher rupee.
4. The minimum rates of wages are inclusive of wages for weekly off day and no separate payment would be necessary on this account.

By order and in the name of
the Lieutenant Governor of the
National Capital Territory of Delhi.



(PIYUSH SHARMA)
JOINT SECRETARY(LABOUR)

Copy forwarded to:-

1. Dy.Secretary, GAD, Government of Delhi(2 copies), for publication in Delhi Gazette Extraordinary Part-IV in today's date
2. Secretary to Government of India, Ministry of Labour, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi.
3. Secretary to the Lt.Governor, Government of NCT of Delhi.
4. Secretary to the Chief Minister, Government of NCT of Delhi.
5. Secretary to the Minister of Education, Transport, Gurdwara Election and Administration, Government of NCT of Delhi.
6. Secretary to the Minister of Health & Family Welfare, Employment Revenue, Irrigation & Flood Control, Government of NCT of Delhi
7. Secretary to the Minister of Power, Food & Civil Supplies, Development, Government of NCT of Delhi
8. Secretary to the Minister of Social Welfare, Women & Child Development, Languages, Government of NCT of Delhi
9. Secretary to Minister of PWD, SC/ST Welfare, Building & Urban Development, Government of NCT of Delhi
10. Secretary to Minister of Industries, Labour, Election, Govt of NCT of Delhi
11. Secretary to Delhi State Assembly, Government of NCT of Delhi for kind information of the Chairman and the Deputy Chairman.
12. OSD to Chief Secretary, Government of NCT of Delhi.
13. Principal Secretary(Labour), Government of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, Delhi.
14. Labour Commissioner, Government of NCT of Delhi, 5, Sham Nath Marg, Delhi.
15. Heads of all Departments, Government of NCT of Delhi.
16. Chief Labour Commissioner(Central). Govt.of India, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi.
17. Secretary (Labour) of Haryana, Punjab, Himachal Pradesh, Uttar Pradesh, Jammu & Kashmir, Rajasthan, and Union Territory, Chandigarh.
18. General Secretary of Delhi State BMS, INTUC, CITU, AITUC, HMS.
19. Secretary General of CII, FICCI, PHDCCI , ASSOCHAM with the request to circulate copies of this order to the local employers, organizations, with the directions that the revised minimum rates be paid to the workmen employed in their establishment. Copies of such circulars may be kindly endorsed to this office.
20. District DLCs. for distribution to local Trade Unions and Employers' Associations.
21. Dy.,Secretary(Finance), Government of NCT of Delhi. With the request to issue the necessary directions for workers employed in the offices of Govt. of Delhi.

22. Regional Labour Commissioner (Central), 4th floor, Jiwan Deep Building, Parliament Street, N.Delhi.
23. Dy.Director, Minimum Wages Cell, Ministry of Labour, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi.
24. Joint Director, Labour Bureau , SCO 28-31, Sec,17 A, Chandigarh-160017.
25. Librarian, Office of Labour Commissioner, Government of NCT of Delhi
26. Asstt.Director (Planning & Statistics), Labour Department , Government of NCT of Delhi for publication on the website of the Department, in the Labour Statistics and for laying on the table of the Vidhan Sabha.
27. Guard File.

JOINT SECRETARY(LABOUR)

**(TO BE PUBLISHED IN THE DELHI GAZETTE EXTRA ORDINARY PART IV)
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
(LABOUR DEPARTMENT)**

No.F.12(5)142/11/MW/Lab/ 2027

Dated : 26.07.2011

NOTIFICATION

No.F.12(5)142/11/MW/Lab/ In exercise of powers conferred by sub-section (2) of Section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (XI of 1948) read with the Government of India, Late Ministry of States Notification No.104-J dated 24th August, 1950 and Ministry of Home Affairs Notification No.S.O.530(F.2/9/66-UTL) dated 6th February, 1967 and all other powers enabling him in this behalf, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, after considering the recommendations of the Minimum Wages Advisory Committee constituted under Section 5(1) of the Minimum Wages Act, 1948 and also the advice of the Government is pleased to revise, as per Schedule below, the minimum rates of wages already fixed vide Notification No.F.12(5)/92/MW/128 dated 15th Feb., 1994 in the Scheduled employment in "Pottery Industry" in the National Capital Territory of Delhi.

This notification shall come into force with effect from 1st April, 2011 from which date the Notification No.F.12(5)/92/MW/128 dated 15th Feb., 1994 shall cease to have effect.

SCHEDULE

'EMPLOYMENT IN POTTERY INDUSTRY'

<u>CLASS OF EMPLOYEES</u>	<u>MINIMUM RATES OF WAGES</u>	
	<u>PER MONTHS</u>	<u>PER DAY</u>

Unskilled

- | | | |
|--|------------|------------|
| 1. Fireman (Ordinary furnace) | | |
| 2. Slip House worker including fitter, | Rs.6422.00 | Rs. 247.00 |
| 3. Pressing and Pugging | | |
| 4. Sagger maker on Machine | | |
| 5. Glazing by dipping, | | |
| 6. Loading and Unloading of
saggers, kilns and other materials, | | |
| 7. Chowkidar 7.Peons, 8. Sweepers, | | |
| 8. Helpers & Mazdoors, | | |
| 9. Jaileving & Die Pressing | | |
| 10. Finishing and Casting | | |
| 11. Handle joining, | | |
| 12. Sorting and packing | | |
| 13. Stamping and Lining etc. | | |
| 14. Other unskilled workers. | | |

Semi skilled

1. Potter (making pots upto 6 l.b.s. capacity)
2. Fireman (Tunnel furnace)
3. Head Firemen (ordinary furnace) Rs. 7098.00 Rs. 273.00
4. Colour sprayers (including Glazing by spray)
5. Asstt. Latherman
6. Sagger Maker (by hand)
7. Any other semi-skilled worker.

Skilled

1. Potter (making pots from 6 l.b.s. capacity to 15 l.b.s. capacity)
2. Die Fitter Rs. 7826.00 Rs. 301
3. Latherman or Turner

Highly Skilled

1. Potter (making pots above 15 l.b.s. capacity) More Than Skilled
2. Modeller
3. Die Maker,
4. Carpenter
5. Artist

Clerical and Non technical supervisory staff

- | | | |
|-----------------------------------|-------------|------------|
| 1. Non-Matriculates | Rs. 7098.00 | Rs. 273.00 |
| 2. Matriculates but not Graduates | Rs. 7826.00 | Rs. 301.00 |
| 3. Graduates and above | Rs. 8502.00 | Rs. 327.00 |

- Note:
1. The minimum rates of wages being fixed are linked with All India Consumer Price Index (Base 2001=100).The present wages have been fixed on the basis of index number 171.33 which is the average of the index number for the period July to December 2010. The rate of adjustment is Rs. 1.35 per point for Unskilled, Rs. 1.50 per point for Semi skilled, Rs. 1.65 per point for Skilled, Rs. 1.50 per point for Non matriculates, Rs. 1.65 per point for Matriculates but not Graduate and Rs. 1.80 per point for Graduate and above. Adjustment will be made six monthly, i.e., on 1st April and 1st October each year after taking into account the average index numbers for July to December of the previous year and January to June of the current year respectively.
 2. The minimum rates of wages shall not be affected as a result of the linkage in as much as the wages shall not fall below those being fixed now.
 3. The daily amount of Dearness Allowance would be rounded off to the next higher rupee.

4. The minimum rates of wages are inclusive of wages for weekly off day and no separate payment would be necessary on this account.
5. The term potter includes the manufacturing of
(a) Crockery (b) Sanitary Ware and White Glazed tiles (c) Porcelain Insulators and Porcelain electrical fittings (d) Glazed Jars used for storing pickles, oils acids and (e) Store ware pipes and salt glazed.

**By order and in the name of
the Lieutenant Governor of the
National Capital Territory of Delhi.**



**(PIYUSH SHARMA)
JOINT SECRETARY(LABOUR)
NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI**

No.F.12(5)142/11/MW/Lab/

Dated :

Copy forwarded to:

1. Dy.Secretary, GAD, Government of Delhi(2 copies), for publication in Delhi Gazette Extraordinary Part-IV in today's date
2. .Secretary to Government of India, Ministry of Labour, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi.
3. Secretary to the Lt.Governor, Government of NCT of Delhi.
4. Secretary to the Chief Minister, Government of NCT of Delhi.
5. Secretary to the Minister of Education, Transport, Gurdwara Election and Administration, Government of NCT of Delhi.
6. Secretary to the Minister of Health & Family Welfare, Employment Revenue, Irrigation & Flood Control, Government of NCT of Delhi
7. Secretary to the Minister of Power, Food & Civil Supplies, Development, Government of NCT of Delhi
8. Secretary to the Minister of Social Welfare, Women & Child Development, Languages, Government of NCT of Delhi
9. Secretary to Minister of PWD, SC/ST Welfare, Building & Urban Development, Government of NCT of Delhi
10. Secretary to Minister of Industries, Labour, Election, Govt of NCT of Delhi
11. Secretary to Delhi State Assembly, Government of NCT of Delhi for kind information of the Chairman and the Deputy Chairman.
12. OSD to Chief Secretary, Government of NCT of Delhi.
13. Principal Secretary(Labour), Government of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, Delhi.
14. Labour Commissioner, Government of NCT of Delhi, 5, Sham Nath Marg, Delhi.
15. Heads of all Departments, Government of NCT of Delhi.

16. Chief Labour Commissioner(Central). Govt.of India, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi.
17. Secretary (Labour) of Haryana, Punjab, Himachal Pradesh, Uttar Pradesh, Jammu & Kashmir, Rajasthan, and Union Territory, Chandigarh.
18. General Secretary of Delhi State BMS, INTUC, CITU, AITUC, HMS.
19. Secretary General of CII, FICCI, PHDCCI , ASSOCHAM with the request to circulate copies of this order to the local employers, organizations, with the directions that the revised minimum rates be paid to the workmen employed in their establishment. Copies of such circulars may be kindly endorsed to this office.
20. District DLCs. for distribution to local Trade Unions and Employers' Associations.
21. Dy,.Secretary(Finance), Government of NCT of Delhi. With the request to issue the necessary directions for workers employed in the offices of Govt. of Delhi.
22. Regional Labour Commissioner (Central), 4th floor, Jiwan Deep Building, Parliament Street, N.Delhi.
23. Dy.Director, Minimum Wages Cell, Ministry of Labour, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi.
24. Joint Director, Labour Bureau , SCO 28-31, Sec,17 A, Chandigarh-160017.
25. Librarian, Office of Labour Commissioner, Government of NCT of Delhi
26. Asstt.Director (Planning & Statistics), Labour Department , Government of NCT of Delhi for publication on the website of the Department, in the Labour Statistics and for laying on the table of the Vidhan Sabha.
27. Guard File.

JOINT SECRETARY(LABOUR)

**(TO BE PUBLISHED IN THE DELHI GAZETTE EXTRA ORDINARY PART IV)
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
(LABOUR DEPARTMENT)**

No.F.12(6-7-8)/11/MW/Lab/2028

Dated 26.07.2011

NOTIFICATION

No.F.12(6-7-8)/11/MW/Lab In exercise of powers conferred by sub-section (2) of Section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (XI of 1948) read with the Government of India, Late Ministry of States Notification No.104-J dated 24th August, 1950 and Ministry of Home Affairs Notification No.S.O.530(F.2/9/66-UTL) dated 6th February, 1967 and all other powers enabling him in this behalf, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, after considering the recommendations of the Minimum Wages Advisory Committee constituted under Section 5(1) of the Minimum Wages Act, 1948 and also the advice of the Government is pleased to revise, as per Schedule below, the minimum rates of wages already fixed vide Notification No.F.12(6-7-8)/92/MW/129 dated 15th Feb., 1994 in the Scheduled employment in “Metal Working Establishments other than Foundries and Automobile Engineering Workshop” in the National Capital Territory of Delhi.

This notification shall come into force with effect from 1st April, 2011 from which date the Notification No. F.12(6-7-8)/92/MW/129 dated 15th Feb., 1994 shall cease to have effect.

S C H E D U L E

**‘EMPLOYMENT IN METAL WORKING ESTABLISHMENTS OTHER THAN FOUNDRIES
AND AUTOMOBILE ENGINEERING WORKSHOP’**

1.CLASS OF EMPLOYEES

Unskilled

- | | |
|--------------------|---------------------------------|
| 1. Mazdoor, | 2. Chowkidar, |
| 3. Sweeper | 4. Peon, |
| 5.Pressman, (Hand) | |
| 6.Packer, | 7.Helper, |
| 8.Cleaner, | 9.Hammerman, |
| 10. Slotterman, | 11.Greaseman, |
| 12.Rollman, | 13.Any other unskilled workers. |

MINIMUM RATES OF WAGES

PER MONTH PER DAY

Rs. 6422.00 Rs. 247.00

Semi-Skilled

1. Wire Drawer,
2. Hammerman (Electrical Machine)
3. Press Man(Power Press),

Rs. 7098.00 Rs. 273.00

4. Fire Man,
5. Assistant Mistry,
6. Punch Man,
7. Grinder Man,
8. Clipeer,
9. Solder Man,
10. Tin Cutter,
11. Drum Maker,
12. Asstt. Artist,
13. Seamer,
14. Amrealers,
15. Patchman,
16. Tin Feader,
17. Asstt. Blacksmith or blacksmith Grade -II
18. Asstt. Turner or Turner Gr.II
19. Asstt. Fitter or Gr.II Fitter
20. Asstt. Painter or Painter Gr.II
21. Asstt. Electrician or Electrician Gr.II
22. Asstt. Shaperman or Shoperman Gr.II
23. Asstt. Mouldder or Mounder Gr.II, 24. Any other semi-skilled worker.

SKILLED

, Rs.7826.00

Rs.301.00

1. Tin Smith
2. Polishman,
3. Die Fitter,
4. Mistry,
5. Shapermen,
6. Carpenter,
7. Driver,
8. Pattern Maker,
9. Drillman,
10. Plannerman,
11. Artist
12. Electroplator,
13. Melter,
14. Safemaker,
15. Lockmaker,
16. Truckmaker
17. Engraver,
18. Fitermamer,
19. Rivetor,
20. Spinner man,
21. Lamp & Toymaker,
22. Blacksmith Gr. I,
23. Welder Gr.I

24. Turner Gr.I,
25. Fitter Gr.I,
26. Painter Gr.I,
27. Moulder Gr. I,
28. Electrician Gr.I,
29. Any other skilled worker.

HIGHLY SKILLED:-

1. Foreman
2. Engineer,
3. Asstt. Engineer,

MORE THAN SKILLED

(In addition of these, skilled workers requiring a high degree of skilled may be classified as highly skilled)

2.EMPLOYMENT IN FOUNDRIES WITH OR WITHOUT ATTACHED MACHINE SHOPS.

UNSKILLED:-

1. Mazdoor,
2. Beldar,
3. Chowkidar,
4. Peon,
5. Helper,
6. Waterman,
7. Sweeper,
8. Cleaner,
9. Pressman
10. Slotterman,
11. Grainman,
12. Stickman,
13. Finishing man,
14. Packer
15. Hammerman,
16. Oilman,
17. Tube Supplier
17. Sandbag or Sandan.
18. Any other unskilled category.

Rs. 6422.00 Rs. 247.00

SEMI-SKILLED:-

1. Grinder,
2. Chipper,
3. Machineman,
4. Solderman
5. Polishman
6. Asstt. Fitter or Fitter Gr.II,
7. Asstt. Machanic or Machanic Gr.II,

Rs. 7098.00 Rs. 273.00

8. Asstt. Painter or Painter Gr.II
9. Asstt. Turner or Turner or Turner Grade - II
10. Asstt. Electrician or Electrician Gr.II
11. Asstt. Latherman or Latherman Gr.II,
12. Moulder Gr.II,
13. Blacksmith Gr.II,
14. Wleder Smith Gr.II,
15. Shaperman Gr.II,
16. Planerman Gr.II,
17. Pattern Maker Gr.II,
18. Pattern matter Gr.II
19. Fireman,
20. Tin Cutter,
21. Drum Maker,
22. Tin Smith,
23. Furnaceman,
24. Coupleman,
25. Asstt. Mistry Gr.II,
26. Cobber,
27. Punchman,
28. Any other semi-skilled worker

SKILLED:-

- | | | |
|---------------------------|------------|-----------|
| 1. Turner Gr.I, | Rs.7826.00 | Rs.301.00 |
| 2. Mounder Gr.I | | |
| 3. Fitter Grade - I | | |
| 4. Electrician Gr.I | | |
| 5. Welder , Gr.I | | |
| 6. Blacksmith Gr.I | | |
| 7. Latheman, | | |
| 8. Painter Grade I | | |
| 9. Monotpye Mechanic | | |
| 10. Engine Machanic Gr. I | | |
| 11. Carpenter | | |
| 12. Driver | | |
| 13. Plannerman | | |
| 14. Shoperman | | |
| 15. Patternmen | | |
| 16. Driller | | |
| 17. Milling Man | | |
| 18. Mistry | | |
| 19. Engineer, | | |
| 20. Asstt. Engineer, | | |
| 21. Artist | | |
| 22. Winder | | |
| 23. Die maker | | |

24. Foreman
25. Any other skilled worker

3.EMPLOYMENT IN AUTOMOBILE ENGINEERING INCLUDING SERVICING AND REPAIR WORK OR AUTOMOBILES.

UNSKILLED

MINIMUM RATES OF WAGES
PER MONTH PER DAY

1. Hammerman,		
2. Batteryman,		
3. Cleaner,		
4. Mazdoor,	Rs. 6422.00	Rs. 247.00
5. Peon,		
6. Chowkidar,		
7. Sweeper		
8. Polisher		
9. Any other unskilled worker.		

SEMI-SKILLED:

1. Asstt. Machanic or Machanic Gr.II,		
2. Asstt. Turner or Turner Gr.II,	Rs. 7098.00	Rs. 273.00
3. Asstt. Fitter or Fitter Gr.II,		
4. Asstt. Electrician Gr.II,		
5. Asstt. Electrician Gr.II, (6)		
6. Asstt. Blacksmith or Blacksmith Gr II		
7. Asstt. Machineman or Machinman Gr.II,		
8. Asstt. Welder or Helder, Gr.II,		
9. Asstt. Painter or Painter Gr.II,		
10. Asstt.Tin or Tin Smith Gr.II,		
11. Asstt. Tyre Repair or Tyre Repairer, Gr.II,		
12. Service man,		
13. Petrol Pump Attendant,		
14. Any other semi-skilled worker		

SKILLED:

1. Machanic Gr.I,		
2. Turner Gr.I,		
3. Fitter Gr.I,	Rs.7826.00	Rs.301.00
4. Electrician , Gr.I,		
5. Blacksmith, Gr.I,		
6. Machineman, Gr.I,		
7. Welder Gr.I,		
8. Painter Gr.I		
9. Tin Smith		
10. Carpenter		
11. Driver,		

12. Tailor,
13. Body Fitter,
14. Tyre Repairer or Vulcaniser Gr.I,
15. Any other skilled workers.

Clerical and supervisory staff in respect of employment noted above.

1. Non-Matriculates	Rs. 7098.00	Rs. 273.00
2. Matriculates but not Graduates	Rs. 7826.00	Rs. 301.00
3. Graduates and above	Rs. 8502.00	Rs. 327.00

- Note: 1. The minimum rates of wages being fixed are linked with All India Consumer Price Index (Base 2001=100).The present wages have been fixed on the basis of index number 171.33 which is the average of the index number for the period July to December 2010. The rate of adjustment is Rs. 1.35 per point for Unskilled, Rs. 1.50 per point for Semi skilled, Rs. 1.65 per point for Skilled, Rs. 1.50 per point for Non matriculates, Rs. 1.65 per point for Matriculates but not Graduate and Rs. 1.80 per point for Graduate and above. Adjustment will be made six monthly, i.e., on 1st April and 1st October each year after taking into account the average index numbers for July to December of the previous year and January to June of the current year respectively.
2. The minimum rates of wages shall not be affected as a result of the linkage in as much as the wages shall not fall below those being fixed now.
 3. The daily amount of Dearness Allowance would be rounded off to the next higher rupee.
 4. The minimum rates of wages are inclusive of wages for weekly off day and no separate payment would be necessary on this account.

By order and in the name of
the Lieutenant Governor of the
National Capital Territory of Delhi.



(PIYUSH SHARMA)
JOINT SECRETARY(LABOUR)
NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

Copy forwarded to:-

1. Dy.Secretary, GAD, Government of Delhi(2 copies), for publication in Delhi Gazette Extraordinary Part-IV in today's date
2. Secretary to Government of India, Ministry of Labour, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi.
3. Secretary to the Lt.Governor, Government of NCT of Delhi.
4. Secretary to the Chief Minister, Government of NCT of Delhi.
5. Secretary to the Minister of Education, Transport, Gurdwara Election and Administration, Government of NCT of Delhi.
6. Secretary to the Minister of Health & Family Welfare, Employment Revenue, Irrigation & Flood Control, Government of NCT of Delhi
7. Secretary to the Minister of Power, Food & Civil Supplies, Development, Government of NCT of Delhi
8. Secretary to the Minister of Social Welfare, Women & Child Development, Languages, Government of NCT of Delhi
9. Secretary to Minister of PWD, SC/ST Welfare, Building & Urban Development, Government of NCT of Delhi
10. Secretary to Minister of Industries, Labour, Election, Govt of NCT of Delhi
11. Secretary to Delhi State Assembly, Government of NCT of Delhi for kind information of the Chairman and the Deputy Chairman.
12. OSD to Chief Secretary, Government of NCT of Delhi.
13. Principal Secretary(Labour), Government of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, Delhi.
14. Labour Commissioner, Government of NCT of Delhi, 5, Sham Nath Marg, Delhi.
15. Heads of all Departments, Government of NCT of Delhi.
16. Chief Labour Commissioner(Central). Govt.of India, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi.
17. Secretary (Labour) of Haryana, Punjab, Himachal Pradesh, Uttar Pradesh, Jammu & Kashmir, Rajasthan, and Union Territory, Chandigarh.
18. General Secretary of Delhi State BMS, INTUC, CITU, AITUC, HMS.
19. Secretary General of CII, FICCI, PHDCCI , ASSOCHAM with the request to circulate copies of this order to the local employers, organizations, with the directions that the revised minimum rates be paid to the workmen employed in their establishment. Copies of such circulars may be kindly endorsed to this office.
20. District DLCs. for distribution to local Trade Unions and Employers' Associations.
21. Dy.,.Secretary(Finance), Government of NCT of Delhi. With the request to issue the necessary directions for workers employed in the offices of Govt. of Delhi.
22. Regional Labour Commissioner (Central), 4th floor, Jiwan Deep Building, Parliament Street, N.Delhi.

23. Dy. Director, Minimum Wages Cell, Ministry of Labour, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi.
24. Joint Director, Labour Bureau , SCO 28-31, Sec,17 A, Chandigarh-160017.
25. Librarian, Office of Labour Commissioner, Government of NCT of Delhi
26. Asstt. Director (Planning & Statistics), Labour Department , Government of NCT of Delhi for publication on the website of the Department, in the Labour Statistics and for laying on the table of the Vidhan Sabha.
27. Guard File.

JOINT SECRETARY(LABOUR)

(TO BE PUBLISHED IN THE DELHI GAZETTE EXTRA ORDINARY PART IV)
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
(LABOUR DEPARTMENT)

No. 12(13)142/11/MW/Lab 2031

Dated 26.07.2011

NOTIFICATION

No. 12(13)142/11/MW/Lab . In exercise of powers conferred by sub-section (2) of Section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (XI of 1948) read with the Government of India, Late Ministry of States Notification No.104-J dated 24th August, 1950 and Ministry of Home Affairs Notification No.S.O.530(F.2/9/66-UTL) dated 6th February, 1967 and all other powers enabling him in this behalf, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, after considering the recommendations of the Minimum Wages Advisory Committee constituted under Section 5(1) of the Minimum Wages Act, 1948 and also the advice of the Government is pleased to revise, as per Schedule below, the minimum rates of wages already fixed vide the Notification No. 12(13)/92-MW/Lab/134 dated 15th Feb., 1994 in the Scheduled employment in Textile Industry Including (A) Hosiery (B) Niwar, (C) Handloom, (D) Lace, (E) Threading MNFG.(F) Name Label, (G) Dyeing and Printing in Textile in the National Capital Territory of Delhi.

This notification shall come into force with effect from 1st April, 2011 from which date the Notification No. 12(13)/92-MW/Lab/134 dated 15th Feb., 1994 shall cease to have effect.

SCHEDULE

‘EMPLOYMENT IN TEXTILE INDUSTRY INCLUDING (A) HOSIERY (B) NIWAR, (C) HANDLOOM, (D) LACE, (E) THREADING MNFG.(F) NAME LABEL, (G) DYEING AND PRINTING IN TEXTILE.’

CLASS OF EMPLOYEES

MINIMUM RATES OF WAGES
PER MONTH OR PER DAY

Unskilled

1. Packer,	2. Thread Cutter,	Rs. 6422.00	Rs. 247.00
3. Sweeper,	4. Helper,		
5. Peon,	6. Chowkidar,		
7. Neck Cutter.	8. Mending Man,		
9. Beldar,	10. Yarn Winder,		
11. Label Man,	12. Charkhiwali/Charkhiwala		
13. Tanewala,	14. Gittiman,		
15. Katiawala,	16. Coal Man,		
17. Any other Unskilled Worker			

Semi-skilled

Rs. 7098.00 Rs. 273.00

1. Knitter,
2. Pressman,
3. Cutter,
4. Overlook, Chainlock and Flatlock Operator,
5. Weavers,
6. Warpman (on power Machine)
7. Chain Maker,
8. Punchman,
9. Switcher,
10. Folder,
11. Fireman,
12. Jerymen,
13. Asstt. Dyers,
14. Bleacher,
15. Asstt. Machineman/Asstt. Operator/ Asstt. Spooler,
16. Any other semi-skilled worker.

Skilled

Rs. 7826.00 Rs. 301.00

1. Master
2. Head Mechanic
3. Mechanic
4. Supervisor
5. Dye Master
6. Fitter
7. Mechineman/ Operator/ Spooler
8. Mistry
9. Dyers
10. Driver
11. Boiler Operator
12. Printer
13. Washerman
14. Screen designer
15. Any other skilled worker

CLERICAL AND NON-TECHNICAL SUPERVISORY STAFF

- | | | |
|-----------------------------------|-------------|------------|
| 1. Non Matriculates | Rs. 7098.00 | Rs. 273.00 |
| 2. Matriculates but not Graduates | Rs. 7826.00 | Rs. 301.00 |
| 3. Graduates and above | Rs. 8502.00 | Rs. 327.00 |

Note: 1. The minimum rates of wages being fixed are linked with All India Consumer Price Index (Base 2001=100).The present wages have been fixed on the basis

of index number 171.33 which is the average of the index number for the period July to December 2010. The rate of adjustment is Rs. 135 per point for Unskilled, Rs. 1.50 per point for Semi skilled, Rs.1.65 per point for Skilled, Rs. 1.50 per point for Non matriculates, Rs.1.65 per point for Matriculates but not Graduate and Rs. 1.80 per point for Graduate and above. Adjustment will be made six monthly, i.e., on 1st April and 1st October each year after taking into account the average index numbers for July to December of the previous year and January to June of the current year respectively.

2. The minimum rates of wages shall not be affected as a result of the linkage in as much as the wages shall not fall below those being fixed now.
3. The daily amount of Dearness Allowance would be rounded off to the next higher rupee.
4. The minimum rates of wages are inclusive of wages for weekly off day and no separate payment would be necessary on this account.

**By order and in the name of
the Lieutenant Governor of the
National Capital Territory of Delhi.**



(PIYUSH SHARMA)
JOINT SECRETARY(LABOUR)
NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

No. 12(13)142/11/MW/Lab

Dated :

Copy forwarded to:-

1. Dy.Secretary, GAD, Government of Delhi(2 copies), for publication in Delhi Gazette Extraordinary Part-IV in today's date
2. Secretary to Government of India, Ministry of Labour, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi.
3. Secretary to the Lt.Governor, Government of NCT of Delhi.
4. Secretary to the Chief Minister, Government of NCT of Delhi.
5. Secretary to the Minister of Education, Transport, Gurdwara Election and Administration, Government of NCT of Delhi.
6. Secretary to the Minister of Health & Family Welfare, Employment Revenue, Irrigation & Flood Control, Government of NCT of Delhi
7. Secretary to the Minister of Power, Food & Civil Supplies, Development, Government of NCT of Delhi
8. Secretary to the Minister of Social Welfare, Women & Child Development, Languages, Government of NCT of Delhi

9. Secretary to Minister of PWD, SC/ST Welfare, Building & Urban Development, Government of NCT of Delhi
10. Secretary to Minister of Industries, Labour, Election, Govt of NCT of Delhi
11. Secretary to Delhi State Assembly, Government of NCT of Delhi for kind information of the Chairman and the Deputy Chairman.
12. OSD to Chief Secretary, Government of NCT of Delhi.
13. Principal Secretary(Labour), Government of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, Delhi.
14. Labour Commissioner, Government of NCT of Delhi, 5, Sham Nath Marg, Delhi.
15. Heads of all Departments, Government of NCT of Delhi.
16. Chief Labour Commissioner(Central). Govt.of India, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi.
17. Secretary (Labour) of Haryana, Punjab, Himachal Pradesh, Uttar Pradesh, Jammu & Kashmir, Rajasthan, and Union Territory, Chandigarh.
18. General Secretary of Delhi State BMS, INTUC, CITU, AITUC, HMS.
19. Secretary General of CII, FICCI, PHDCCI , ASSOCHAM with the request to circulate copies of this order to the local employers, organizations, with the directions that the revised minimum rates be paid to the workmen employed in their establishment. Copies of such circulars may be kindly endorsed to this office.
20. District DLCs. for distribution to local Trade Unions and Employers' Associations.
21. Dy.,Secretary(Finance), Government of NCT of Delhi. With the request to issue the necessary directions for workers employed in the offices of Govt. of Delhi.
22. Regional Labour Commissioner (Central), 4th floor, Jiwan Deep Building, Parliament Street, N.Delhi.
23. Dy.Director, Minimum Wages Cell, Ministry of Labour, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi.
24. Joint Director, Labour Bureau , SCO 28-31, Sec,17 A, Chandigarh-160017.
25. Librarian, Office of Labour Commissioner, Government of NCT of Delhi
26. Asstt.Director (Planning & Statistics), Labour Department , Government of NCT of Delhi for publication on the website of the Department, in the Labour Statistics and for laying on the table of the Vidhan Sabha.
27. Guard File.

JOINT SECRETARY(LABOUR

(TO BE PUBLISHED IN THE DELHI GAZETTE EXTRA ORDINARY PART IV)
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

(LABOUR DEPARTMENT)

No. 12(14)/142/11/MW/Lab/2032

Dated 26.07.2011

NOTIFICATION

No. 12(14)/142/11/MW/Lab/ In exercise of powers conferred by sub-section (2) of Section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (XI of 1948) read with the Government of India, Late Ministry of States Notification No.104-J dated 24th August, 1950 and Ministry of Home Affairs Notification No.S.O.530(F.2/9/66-UTL) dated 6th February, 1967 and all other powers enabling him in this behalf, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, after considering the recommendations of the Minimum Wages Advisory Committee constituted under Section 5(1) of the Minimum Wages Act, 1948 and also the advice of the Government is pleased to revise, as per Schedule below, the minimum rates of wages already fixed vide the Notification No.F.12(14)/92/MW/Lab135 dated 15th Feb., 1994 in the Scheduled employment in 'Chemicals' in the National Capital Territory of Delhi.

This notification shall come into force with effect from 1st April, 2011 from which date the Notification No.F.12(14)/92/MW/Lab135 dated 15th Feb., 1994 shall cease to have effect.

SCHEDULE

'EMPLOYMENT IN CHEMICALS'

CLASS OF EMPLOYEES

MINIMUM RATES OF WAGES
PER MONTH OR PER DAY

UN-SKILLED

1. Peon ,
2. Chowkidar,
3. Sweeper,
4. Labourer
5. Packer,
6. Sealer,
7. Mali,
8. Any other unskilled worker

Rs. 6422.00 Rs. 247.00

SEMI-SKILLED

1. Asstt. Fitter,
2. Fireman,
3. Helper Dawasaz,
4. Laboratory Assistant,
5. Electrician,
6. Boiler Asstt.,
7. Asstt. Foreman,
8. Any other Semi-Skilled category.

Rs. 7098.00 Rs. 273.00

SKILLED

1. Fitter,
2. Foreman,

Rs. 7826.00 Rs. 301.00

3. Welder,
4. Mechanic Sr.,
5. Sprayer,
6. Shift Incharge,
7. Chemist,
8. Any other skilled worker

CLERICAL & NON- TECHNICAL SUPERVISORY STAFF

1. Non-Matriculates	Rs. 7098.00	Rs. 273.00
2. Matriculates but not Graduates	Rs. 7826.00	Rs. 301.00
3. Graduates and above	Rs. 8502.00	Rs. 327.00

- Note: 1. The minimum rates of wages being fixed are linked with All India Consumer Price Index (Base 2001=100). The present wages have been fixed on the basis of index number 171.33 which is the average of the index number for the period July to December 2010. The rate of adjustment is Rs. 135 per point for Unskilled, Rs. 1.50 per point for Semi skilled, Rs.1.65 per point for Skilled, Rs. 1.50 per point for Non matriculates, Rs.1.65 per point for Matriculates but not Graduate and Rs. 1.80 per point for Graduate and above. Adjustment will be made six monthly, i.e., on 1st April and 1st October each year after taking into account the average index numbers for July to December of the previous year and January to June of the current year respectively.
2. The minimum rates of wages shall not be affected as a result of the linkage in as much as the wages shall not fall below those being fixed now.
 3. The daily amount of Dearness Allowance would be rounded off to the next higher rupee.
 4. The minimum rates of wages are inclusive of wages for weekly off day and no separate payment would be necessary on this account.

**By order and in the name of
the Lieutenant Governor of the
National Capital Territory of Delhi.**



**(PIYUSH SHARMA)
JOINT SECRETARY(LABOUR)
NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI**

No. 12(14)/142/11/MW/Lab/

Dated

Copy forwarded to:-

1. Dy.Secretary, GAD, Government of Delhi(2 copies), for publication in Delhi Gazette Extraordinary Part-IV in today's date
2. Secretary to Government of India, Ministry of Labour, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi.
3. Secretary to the Lt.Governor, Government of NCT of Delhi.
4. Secretary to the Chief Minister, Government of NCT of Delhi.
5. Secretary to the Minister of Education, Transport, Gurdwara Election and Administration, Government of NCT of Delhi.
6. Secretary to the Minister of Health & Family Welfare, Employment Revenue, Irrigation & Flood Control, Government of NCT of Delhi
7. Secretary to the Minister of Power, Food & Civil Supplies, Development, Government of NCT of Delhi
8. Secretary to the Minister of Social Welfare, Women & Child Development, Languages, Government of NCT of Delhi
9. Secretary to Minister of PWD, SC/ST Welfare, Building & Urban Development, Government of NCT of Delhi
10. Secretary to Minister of Industries, Labour, Election, Govt of NCT of Delhi
11. Secretary to Delhi State Assembly, Government of NCT of Delhi for kind information of the Chairman and the Deputy Chairman.
12. OSD to Chief Secretary, Government of NCT of Delhi.
13. Principal Secretary(Labour), Government of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, Delhi.
14. Labour Commissioner, Government of NCT of Delhi, 5, Sham Nath Marg, Delhi.
15. Heads of all Departments, Government of NCT of Delhi.
16. Chief Labour Commissioner(Central). Govt.of India, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi.
17. Secretary (Labour) of Haryana, Punjab, Himachal Pradesh, Uttar Pradesh, Jammu & Kashmir, Rajasthan, and Union Territory, Chandigarh.
18. General Secretary of Delhi State BMS, INTUC, CITU, AITUC, HMS.
19. Secretary General of CII, FICCI, PHDCCI , ASSOCHAM with the request to circulate copies of this order to the local employers, organizations, with the directions that the revised minimum rates be paid to the workmen employed in their establishment. Copies of such circulars may be kindly endorsed to this office.
20. District DLCs. for distribution to local Trade Unions and Employers' Associations.
21. Dy.,Secretary(Finance), Government of NCT of Delhi. With the request to issue the necessary directions for workers employed in the offices of Govt. of Delhi.
22. Regional Labour Commissioner (Central), 4th floor, Jiwan Deep Building, Parliament Street, N.Delhi.
23. Dy.Director, Minimum Wages Cell, Ministry of Labour, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi.
24. Joint Director, Labour Bureau , SCO 28-31, Sec,17 A, Chandigarh-160017.

25. Librarian, Office of Labour Commissioner, Government of NCT of Delhi
26. Asstt. Director (Planning & Statistics), Labour Department , Government of NCT of Delhi for publication on the website of the Department, in the Labour Statistics and for laying on the table of the Vidhan Sabha.
27. Guard File.

JOINT SECRETARY(LABOUR)

**(TO BE PUBLISHED IN THE DELHI GAZETTE EXTRA ORDINARY PART IV)
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
(LABOUR DEPARTMENT)**

NOTIFICATION

No. 12(15)/142/11/MW/Lab/ In exercise of powers conferred by sub-section (2) of Section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (XI of 1948) read with the Government of India, Late Ministry of States Notification No.104-J dated 24th August, 1950 and Ministry of Home Affairs Notification No.S.O.530(F.2/9/66-UTL) dated 6th February, 1967 and all other powers enabling him in this behalf, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, after considering the recommendations of the Minimum Wages Advisory Committee constituted under Section 5(1) of the Minimum Wages Act, 1948 and also the advice of the Government is pleased to revise, as per Schedule below, the minimum rates of wages already fixed vide the Notification No.F.12(15)/92/MW/Lab/136 dated 15th Feb., 1994 in the Scheduled employment in “clubs” in the National Capital Territory of Delhi.

This notification shall come into force with effect from 1st April, 2011 from which date the Notification No.F.12(15)/92/MW/Lab/136 dated 15th Feb., 1994 shall cease to have effect.

S C H E D U L E**‘EMPLOYMENTS IN CLUBS’****CLASS OF EMPLOYEES****MINIMUM RATES OF WAGES****1. UNSKILLED**

	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
1. Peon,				
2. Chowkidar,	Rs. 6422.00	Rs. 6297.00	Rs. 5628.00	Rs. 5521.00
3. Sweeper,	Rs. 247.00	Rs. 242.00	Rs. 216.00	Rs. 212.00
4. Mali,				
5. Masalchi				
6. Darban,				
7. Mazdoor,				
8. Any other semi-skilled worker				

2. SEMI-SKILLED

	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
1. Asstt. Electrician				
2. Weightman,				
3. Stockboy	Rs. 7098.00	Rs. 6973.00	Rs. 6304.00	Rs. 6197.00
4. Bill Collector	Rs. 273.00	Rs. 268.00	Rs. 242.00	Rs. 238.00
5. Waiter or bearers.				
6. Asstt. Halwai				
7. Asstt. Cook				
8. Mali with Technical Qualification				

3. SKILLED

1. Electrician,				
2. Cook,	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
3. Halwai,	Rs. 7826.00	Rs. 7701.00	Rs. 7032.00	Rs. 6925.00
4. Tandoori Cook,	Rs. 301.00	Rs. 296.00	Rs. 270.00	Rs. 266.00
5. Machanic,				
6. Washerman,				
7. Iron Man,				
8. Plumber,				
9. Head Waiter				
10. Stewart				
11. Any other skilled category.				


- i) Where neither meals nor lodging is provided.
ii) Where only lodging is provided.
iii) Where only meals twice a day are provided.
(iv) Where both meals twice a day and lodging are provided.

CLERICAL AND NON-TECHNICAL SUPERVISORY STAFF

	<u>MINIMUM RATES OF WAGES</u>	
	<u>PER MONTH</u>	<u>OR PER DAY</u>
1. Non Matriculates	Rs. 7098.00	Rs. 273.00
2. Matriculates but not Graduates.	Rs. 7826.00	Rs. 301.00.
3. Graduates and above	Rs. 8502.00	Rs. 327.00

- Note: 1. The minimum rates of wages being fixed are linked with All India Consumer Price Index (Base 2001=100). The present wages have been fixed on the basis of index number 171.33 which is the average of the index number for the period July to December 2010. The rate of adjustment is Rs. 1.35 per point for Unskilled, Rs. 1.50 per point for Semi skilled, Rs. 1.65 per point for Skilled, Rs. 1.50 per point for Non matriculates, Rs. 1.65 per point for Matriculates but not Graduate and Rs. 1.80 per point for Graduate and above. Adjustment will be made six monthly, i.e., on 1st April and 1st October each year after taking into account the average index numbers for July to December of the previous year and January to June of the current year respectively.
2. The minimum rates of wages shall not be affected as a result of the linkage in as much as the wages shall not fall below those being fixed now.
3. The daily amount of Dearness Allowance would be rounded off to the next higher rupee.
4. The minimum rates of wages are inclusive of wages for weekly off day and no separate payment would be necessary on this account.

**By order and in the name of
the Lieutenant Governor of the
National Capital Territory of Delhi.**



**(PIYUSH SHARMA)
JOINT SECRETARY(LABOUR)
NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI**

12(15)/142/11/MW/Lab/

Dated :

Copy forwarded to:-

1. Dy.Secretary, GAD, Government of Delhi(2 copies), for publication in Delhi Gazette Extraordinary Part-IV in today's date
2. Secretary to Government of India, Ministry of Labour, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi.
3. Secretary to the Lt.Governor, Government of NCT of Delhi.
4. Secretary to the Chief Minister, Government of NCT of Delhi.
5. Secretary to the Minister of Education, Transport, Gurdwara Election and Administration, Government of NCT of Delhi.
6. Secretary to the Minister of Health & Family Welfare, Employment Revenue, Irrigation & Flood Control, Government of NCT of Delhi
7. Secretary to the Minister of Power, Food & Civil Supplies, Development, Government of NCT of Delhi
8. Secretary to the Minister of Social Welfare, Women & Child Development, Languages, Government of NCT of Delhi
9. Secretary to Minister of PWD, SC/ST Welfare, Building & Urban Development, Government of NCT of Delhi
10. Secretary to Minister of Industries, Labour, Election, Govt of NCT of Delhi
11. Secretary to Delhi State Assembly, Government of NCT of Delhi for kind information of the Chairman and the Deputy Chairman.
12. OSD to Chief Secretary, Government of NCT of Delhi.
13. Principal Secretary(Labour), Government of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, Delhi.
14. Labour Commissioner, Government of NCT of Delhi, 5, Sham Nath Marg, Delhi.
15. Heads of all Departments, Government of NCT of Delhi.
16. Chief Labour Commissioner(Central). Govt.of India, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi.
17. Secretary (Labour) of Haryana, Punjab, Himachal Pradesh, Uttar Pradesh, Jammu & Kashmir, Rajasthan, and Union Territory, Chandigarh.
18. General Secretary of Delhi State BMS, INTUC, CITU, AITUC, HMS.

19. Secretary General of CII, FICCI, PHDCCI , ASSOCHAM with the request to circulate copies of this order to the local employers, organizations, with the directions that the revised minimum rates be paid to the workmen employed in their establishment. Copies of such circulars may be kindly endorsed to this office.
20. District DLCs. for distribution to local Trade Unions and Employers' Associations.
21. Dy.,Secretary(Finance), Government of NCT of Delhi. With the request to issue the necessary directions for workers employed in the offices of Govt. of Delhi.
22. Regional Labour Commissioner (Central), 4th floor, Jiwan Deep Building, Parliament Street, N.Delhi.
23. Dy.Director, Minimum Wages Cell, Ministry of Labour, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi.
24. Joint Director, Labour Bureau , SCO 28-31, Sec,17 A, Chandigarh-160017.
25. Librarian, Office of Labour Commissioner, Government of NCT of Delhi
26. Asstt.Director (Planning & Statistics), Labour Department , Government of NCT of Delhi for publication on the website of the Department, in the Labour Statistics and for laying on the table of the Vidhan Sabha.
27. Guard File.

JOINT SECRETARY(LABOUR)

(TO BE PUBLISHED IN THE DELHI GAZETTE EXTRA ORDINARY PART IV)
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
(LABOUR DEPARTMENT)

No. 12(23)/142/11/MW/Lab/ 2041

Dated 26.07.2011

NOTIFICATION

No. 12(23)/142/11/MW/Lab/ In exercise of powers conferred by sub-section (2) of Section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (XI of 1948) read with the Government of India, Late Ministry of States Notification No.104-J dated 24th August, 1950 and Ministry of Home Affairs Notification No.S.O.530(F.2/9/66-UTL) dated 6th February, 1967 and all other powers enabling him in this behalf, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, after considering the recommendations of the Minimum Wages Advisory Committee constituted under Section 5(1) of the Minimum Wages Act, 1948 and also the advice of the Government is pleased to revise, as per Schedule below, the minimum rates of wages already fixed vide the Notification No.F.12(23)/92/MW/Lab/144 dated 15th Feb., 1994 in the Scheduled employment in Laundries, Laundry Services and Cleaning & Dyeing Plants i.e. Factories / Shops in the National Capital Territory of Delhi.

This notification shall come into force with effect from 1st April, 2011 from which date the Notification No.F.12(23)/92/MW/Lab/144 dated 15th Feb., 1994 shall cease to have effect.

S C H E D U L E

‘EMPLOYMENT IN LAUNDRIES, LAUNDRY SERVICES AND CLEANING & DYEING PLANTS i.e. FACTORIES / SHOPS.’

<u>CLASS OF EMPLOYEES</u>	<u>MINIMUM RATES OF WAGES</u>	
	<u>PER MONTHS</u>	<u>OR PER DAY</u>
1. UNSKILLED		
1. Helper, 2. Peon,	Rs. 6422.00	Rs. 247.00
3. Chowkidar, 4. Cycleman,		
5. Sweeper, 6. Packer		
7. Loader, 8. Dyeing-man		
9. Gate Keeper, .10. Stritcher		
11. Sorter 12 Any other Unskilled worker		
2. SEMI-SKILLED	Rs. 7098.00	Rs. 273.00
1. Asstt. Washerman		
2. Pressman (Cotton)		
3. Asstt. Foreman		
4. Any other semi-skilled workers		
3. Skilled	Rs. 7826.00	Rs. 301.00
1. Dyer, 2. Driver, 3. Boiler Attendent		
4. Supervisor, 5. Dying Master 6. Electrician, 7. Checker / Spotter,		
8. Washerman 9. Tailor Gr.I, 10. Pressman including steam Pressman,		
11. Dry Cleaner cum Spotter, 12. Mechanic,		

13. Darner,


14. Any other skilled workers

Clerical and Non-Technical Supervisory Staff

1. Non-Matriculates	Rs. 7098.00	Rs. 273.00
2. Matriculates but not Graduates	Rs. 7826.00	Rs. 301.00.
3. Graduates and above.	Rs. 8502.00	Rs. 327.00

- Note: 1. The minimum rates of wages being fixed are linked with All India Consumer Price Index (Base 2001=100).The present wages have been fixed on the basis of index number 171.33 which is the average of the index number for the period July to December 2010. The rate of adjustment is Rs. 1.35 per point for Unskilled, Rs. 1.50 per point for Semi skilled, Rs. 1.65 per point for Skilled, Rs. 1.50 per point for Non matriculates, Rs. 1.65 per point for Matriculates but not Graduate and Rs. 1.80 per point for Graduate and above. Adjustment will be made six monthly, i.e., on 1st April and 1st October each year after taking into account the average index numbers for July to December of the previous year and January to June of the current year respectively.
2. The minimum rates of wages shall not be affected as a result of the linkage in as much as the wages shall not fall below those being fixed now.
3. The daily amount of Dearness Allowance would be rounded off to the next higher rupee.
4. The minimum rates of wages are inclusive of wages for weekly off day and no separate payment would be necessary on this account.

**By order and in the name of
the Lieutenant Governor of the
National Capital Territory of Delhi.**



**(PIYUSH SHARMA)
JOINT SECRETARY(LABOUR)
NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI**

No. 12(23)/142/11/MW/Lab/

Dated :

Copy forwarded to:-

1. Dy.Secretary, GAD, Government of Delhi(2 copies), for publication in Delhi Gazette Extraordinary Part-IV in today's date

2. Secretary to Government of India, Ministry of Labour, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi.
3. Secretary to the Lt.Governor, Government of NCT of Delhi.
4. Secretary to the Chief Minister, Government of NCT of Delhi.
5. Secretary to the Minister of Education, Transport, Gurdwara Election and Administration, Government of NCT of Delhi.
6. Secretary to the Minister of Health & Family Welfare, Employment Revenue, Irrigation & Flood Control, Government of NCT of Delhi
7. Secretary to the Minister of Power, Food & Civil Supplies, Development, Government of NCT of Delhi
8. Secretary to the Minister of Social Welfare, Women & Child Development, Languages, Government of NCT of Delhi
9. Secretary to Minister of PWD, SC/ST Welfare, Building & Urban Development, Government of NCT of Delhi
10. Secretary to Minister of Industries, Labour, Election, Govt of NCT of Delhi
11. Secretary to Delhi State Assembly, Government of NCT of Delhi for kind information of the Chairman and the Deputy Chairman.
12. OSD to Chief Secretary, Government of NCT of Delhi.
13. Principal Secretary(Labour), Government of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, Delhi.
14. Labour Commissioner, Government of NCT of Delhi, 5, Sham Nath Marg, Delhi.
15. Heads of all Departments, Government of NCT of Delhi.
16. Chief Labour Commissioner(Central). Govt.of India, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi.
17. Secretary (Labour) of Haryana, Punjab, Himachal Pradesh, Uttar Pradesh, Jammu & Kashmir, Rajasthan, and Union Territory, Chandigarh.
18. General Secretary of Delhi State BMS, INTUC, CITU, AITUC, HMS.
19. Secretary General of CII, FICCI, PHDCCI , ASSOCHAM with the request to circulate copies of this order to the local employers, organizations, with the directions that the revised minimum rates be paid to the workmen employed in their establishment. Copies of such circulars may be kindly endorsed to this office.
20. District DLCs. for distribution to local Trade Unions and Employers' Associations.
21. Dy.,Secretary(Finance), Government of NCT of Delhi. With the request to issue the necessary directions for workers employed in the offices of Govt. of Delhi.
22. Regional Labour Commissioner (Central), 4th floor, Jiwan Deep Building, Parliament Street, N.Delhi.
23. Dy.Director, Minimum Wages Cell, Ministry of Labour, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi.
24. Joint Director, Labour Bureau , SCO 28-31, Sec,17 A, Chandigarh-160017.
25. Librarian, Office of Labour Commissioner, Government of NCT of Delhi
26. Asstt.Director (Planning & Statistics), Labour Department , Government of NCT of Delhi for publication on the website of the Department, in the Labour Statistics and for laying on the table of the Vidhan Sabha.
27. Guard File.

JOINT SECRETARY(LABOUR)

**(TO BE PUBLISHED IN THE DELHI GAZETTE EXTRA ORDINARY PART IV)
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
(LABOUR DEPARTMENT)**

No. 12(24)/142/11/MW/Lab/ 2042

Dated 26.07.2011

NOTIFICATION

No. 12(24)/142/11/MW/Lab/ In exercise of powers conferred by sub-section (2) of Section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (XI of 1948) read with the Government of India, Late Ministry of States Notification No.104-J dated 24th August, 1950 and Ministry of Home Affairs Notification No.S.O.530(F.2/9/66-UTL) dated 6th February, 1967 and all other powers enabling him in this behalf, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, after considering the recommendations of the Minimum Wages Advisory Committee constituted under Section 5(1) of the Minimum Wages Act, 1948 and also the advice of the Government is pleased to revise, as per Schedule below, the minimum rates of wages already fixed vide the Notification No.F.12(24)/92/MW/Lab/145 dated 15th Feb., 1994 in the Scheduled Employment in Agriculture in the National Capital Territory of Delhi.

This notification shall come into force with effect from 1st April, 2011 from which date the Notification No.F.12(24)/92/MW/Lab/145 dated 15th Feb., 1994 shall cease to have effect.

S C H E D U L E
'EMPLOYMENT IN AGRICULTURE'

<u>CLASS OF EMPLOYEES</u>	<u>MINIMUM RATES OF WAGES</u>	
<u>WAGES IN CASH</u>	<u>PER MONTH OR PER DAY</u>	
1. <u>UNSKILLED</u> Workers engaged in thrashing winnowing, transplanting, sewing & miscellaneous work.	Rs. 6422.00	Rs. 247.00
2. <u>SEMI-SKILLED</u> Workers engaged in Ploughing	Rs. 7098.00	Rs. 273.00
3. <u>SKILLED</u> Tractor Driver or Pump Driver	Rs. 7826.00	Rs. 301.00
4. As it has been the custom in the National Capital Territory of Delhi to pay wages generally partly or wholly in kind in certain cases.		

- (a) Part payment in kind in the form of meals is authorized by deduction to the extent of Rs. 10 per day or Rs. 300- per month from the minimum rates of wages payable to each worker irrespective to the category.
- (b) The meals will be deemed to include the customary diet sufficient for full day.

- Note:
1. The minimum rates of wages being fixed are linked with All India Consumer Price Index (Base 2001=100).The present wages have been fixed on the basis of index number 171.33 which is the average of the index number for the period July to December 2010. The rate of adjustment is Rs. 1.35 per point for Unskilled, Rs. 1.50 per point for Semi skilled, Rs. 1.65 per point for Skilled, Rs. 1.50 per point for Non matriculates, Rs. 1.65 per point for Matriculates but not Graduate and Rs. 1.80 per point for Graduate and above. Adjustment will be made six monthly, i.e., on 1st April and 1st October each year after taking into account the average index numbers for July to December of the previous year and January to June of the current year respectively.
 2. The minimum rates of wages shall not be affected as a result of the linkage in as much as the wages shall not fall below those being fixed now.
 3. The daily amount of Dearness Allowance would be rounded off to the next higher rupee.
 4. The minimum rates of wages are inclusive of wages for weekly off day and no separate payment would be necessary on this account.

**By order and in the name of
the Lieutenant Governor of the
National Capital Territory of Delhi.**



(PIYUSH SHARMA)
JOINT SECRETARY(LABOUR)
NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

No. 12(24)/142/11/MW/Lab/

Dated :

Copy forwarded to:-

1. Dy.Secretary, GAD, Government of Delhi(2 copies), for publication in Delhi Gazette Extraordinary Part-IV in today's date
2. Secretary to Government of India, Ministry of Labour, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi.
3. Secretary to the Lt.Governor, Government of NCT of Delhi.
4. Secretary to the Chief Minister, Government of NCT of Delhi.

5. Secretary to the Minister of Education, Transport, Gurdwara Election and Administration, Government of NCT of Delhi.
6. Secretary to the Minister of Health & Family Welfare, Employment Revenue, Irrigation & Flood Control, Government of NCT of Delhi
7. Secretary to the Minister of Power, Food & Civil Supplies, Development, Government of NCT of Delhi
8. Secretary to the Minister of Social Welfare, Women & Child Development, Languages, Government of NCT of Delhi
9. Secretary to Minister of PWD, SC/ST Welfare, Building & Urban Development, Government of NCT of Delhi
10. Secretary to Minister of Industries, Labour, Election, Govt of NCT of Delhi
11. Secretary to Delhi State Assembly, Government of NCT of Delhi for kind information of the Chairman and the Deputy Chairman.
12. OSD to Chief Secretary, Government of NCT of Delhi.
13. Principal Secretary(Labour), Government of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, Delhi.
14. Labour Commissioner, Government of NCT of Delhi, 5, Sham Nath Marg, Delhi.
15. Heads of all Departments, Government of NCT of Delhi.
16. Chief Labour Commissioner(Central). Govt.of India, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi.
17. Secretary (Labour) of Haryana, Punjab, Himachal Pradesh, Uttar Pradesh, Jammu & Kashmir, Rajasthan, and Union Territory, Chandigarh.
18. General Secretary of Delhi State BMS, INTUC, CITU, AITUC, HMS.
19. Secretary General of CII, FICCI, PHDCCI , ASSOCHAM with the request to circulate copies of this order to the local employers, organizations, with the directions that the revised minimum rates be paid to the workmen employed in their establishment. Copies of such circulars may be kindly endorsed to this office.
20. District DLCs. for distribution to local Trade Unions and Employers' Associations.
21. Dy.,Secretary(Finance), Government of NCT of Delhi. With the request to issue the necessary directions for workers employed in the offices of Govt. of Delhi.
22. Regional Labour Commissioner (Central), 4th floor, Jiwan Deep Building, Parliament Street, N.Delhi.
23. Dy.Director, Minimum Wages Cell, Ministry of Labour, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi.
24. Joint Director, Labour Bureau , SCO 28-31, Sec,17 A, Chandigarh-160017.
25. Librarian, Office of Labour Commissioner, Government of NCT of Delhi
26. Asstt.Director (Planning & Statistics), Labour Department , Government of NCT of Delhi for publication on the website of the Department, in the Labour Statistics and for laying on the table of the Vidhan Sabha.
27. Guard File.

JOINT SECRETARY(LABOUR)

**(TO BE PUBLISHED IN THE DELHI GAZETTE EXTRA ORDINARY PART IV)
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
(LABOUR DEPARTMENT)**

No. 12(25)/142/11/MW/Lab/ 2043

Dated 26.07.2011

NOTIFICATION

No. 12(25)/142/11/MW/Lab/ In exercise of powers conferred by sub-section (2) of Section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (XI of 1948) read with the Government of India, Late Ministry of States Notification No.104-J dated 24th August, 1950 and Ministry of Home Affairs Notification No.S.O.530(F.2/9/66-UTL) dated 6th February, 1967 and all other powers enabling him in this behalf, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, after considering the recommendations of the Minimum Wages Advisory Committee constituted under Section 5(1) of the Minimum Wages Act, 1948 and also the advice of the Government is pleased to revise, as per Schedule below, the minimum rates of wages already fixed vide the Notification No.F.12(25)/92/MW/Lab/146 dated 15th Feb., 1994 in the Scheduled Employment in (a) Bakery, Confectionary & Dairy Products, (b) Fruit Preservation like Processing & Canning of Meat, Fruit & Vegetables (C) Natural and Synthetic Aerated Syrups (d) Fruit Juices (e) Manufacturing of Aerated Drinks in the National Capital Territory of Delhi.

This notification shall come into force with effect from 1st April, 2011 from which date the Notification No.F.12(25)/92/MW/Lab/146 dated 15th Feb., 1994 shall cease to have effect.

‘Employment in (a) Bakery, Confectionary & Dairy Products, (b) Fruit Preservation like Processing & Canning of Meat, Fruit & Vegetables (C) Natural and Synthetic Aerated Syrups (d) Fruit Juices (e) Manufacturing of Aerated Drinks.’

CLASS OF EMPLOYEES

**MINIMUM RATES OF WAGES
PER MONTH OR PER DAY**

1. UNSKILLED

1. Helper,	2. Loader ,	Rs. 6422.00	Rs. 247.00
3. Peon ,	4. Watchman/Chowkidar,		
5. Sweeper,	6. Bottle Washer,		
7. Packer,	8. Any other unskilled workers.		

2. SEMI-SKILLED

1. Light Inspector,	2. Asstt. Auto Mechanic ,	Rs. 7098.00	Rs. 273.00
3. Asstt. Carpenter,	4. Asstt. Painter,		
5. Assstt. Welder,	6. Asstt. Fitter,		
7. Tyreman ,	8. Boiler Attendent,		

9. Water Treatment Operator,
10. Syrup Room Operator ,
11. Lubricator, 12. Bhattiman,
13. Machineman Gr.II, 14. Any other semi-skilled workers.

3. SKILLED

- | | | | |
|----------------------------|--------------------------------|-------------|------------|
| 1. Auto Mechanic, | 2. Mechanic | Rs. 7826.00 | Rs. 301.00 |
| 3. Carpenter, | 4. Welder, | | |
| 5. Fitter, | 6. Electrician, | | |
| 7. Auto Electrician, | 8. Operator, | | |
| 9. Bottle Washer Operator, | 10. Case Packer Operator, | | |
| 11. Folk Operator, | 12. Driver, | | |
| 13. Checker, | 14. Mistry, | | |
| 15. Boiler Operator, | 16. Treo Matric Operator, | | |
| 17. Denter /Turner, | 18. Foreman, | | |
| 19. Supervisor, | 20.Painter, | | |
| 21. Chemist, | 22. Mechanical Electrician, | | |
| 23. Machaniceman, | 24. Any other skilled workers. | | |


Clerical & Non-Technical Supervisory Staff

- | | | |
|------------------------------------|-------------|-------------|
| 1. Non Matriculates | Rs. 7098.00 | Rs. 273.00 |
| 2. Matriculates but not Graduates. | Rs. 7826.00 | Rs. 301.00. |
| 3. Graduates and above | Rs. 8502.00 | Rs. 327.00 |

- Note: 1. The minimum rates of wages being fixed are linked with All India Consumer Price Index (Base 2001=100).The present wages have been fixed on the basis of index number 171.33 which is the average of the index number for the period July to December 2010. The rate of adjustment is Rs. 1.35 per point for Unskilled, Rs. 1.50 per point for Semi skilled, Rs. 1.65 per point for Skilled, Rs. 1.50 per point for Non matriculates, Rs. 1.65 per point for Matriculates but not Graduate and Rs. 1.80 per point for Graduate and above. Adjustment will be made six monthly, i.e., on 1st April and 1st October each year after taking into account the average index numbers for July to December of the previous year and January to June of the current year respectively.
2. The minimum rates of wages shall not be affected as a result of the linkage in as much as the wages shall not fall below those being fixed now.
3. The daily amount of Dearness Allowance would be rounded off to the next higher rupee.

4. The minimum rates of wages are inclusive of wages for weekly off day and no separate payment would be necessary on this account.

**By order and in the name of
the Lieutenant Governor of the
National Capital Territory of Delhi.**



**(PIYUSH SHARMA)
JOINT SECRETARY(LABOUR)
NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI**

No. 12(25)/142/11/MW/Lab/

Dated :

Copy forwarded to:-

1. Dy.Secretary, GAD, Government of Delhi(2 copies), for publication in Delhi Gazette Extraordinary Part-IV in today's date
2. Secretary to Government of India, Ministry of Labour, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi.
3. Secretary to the Lt.Governor, Government of NCT of Delhi.
4. Secretary to the Chief Minister, Government of NCT of Delhi.
5. Secretary to the Minister of Education, Transport, Gurdwara Election and Administration, Government of NCT of Delhi.
6. Secretary to the Minister of Health & Family Welfare, Employment Revenue, Irrigation & Flood Control, Government of NCT of Delhi
7. Secretary to the Minister of Power, Food & Civil Supplies, Development, Government of NCT of Delhi
8. Secretary to the Minister of Social Welfare, Women & Child Development, Languages, Government of NCT of Delhi
9. Secretary to Minister of PWD, SC/ST Welfare, Building & Urban Development, Government of NCT of Delhi
10. Secretary to Minister of Industries, Labour, Election, Govt of NCT of Delhi
11. Secretary to Delhi State Assembly, Government of NCT of Delhi for kind information of the Chairman and the Deputy Chairman.
12. OSD to Chief Secretary, Government of NCT of Delhi.
13. Principal Secretary(Labour), Government of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, Delhi.
14. Labour Commissioner, Government of NCT of Delhi, 5, Sham Nath Marg, Delhi.
15. Heads of all Departments, Government of NCT of Delhi.
16. Chief Labour Commissioner(Central). Govt.of India, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi.
17. Secretary (Labour) of Haryana, Punjab, Himachal Pradesh, Uttar Pradesh, Jammu & Kashmir, Rajasthan, and Union Territory, Chandigarh.

18. General Secretary of Delhi State BMS, INTUC, CITU, AITUC, HMS.
19. Secretary General of CII, FICCI, PHDCCI , ASSOCHAM with the request to circulate copies of this order to the local employers, organizations, with the directions that the revised minimum rates be paid to the workmen employed in their establishment. Copies of such circulars may be kindly endorsed to this office.
20. District DLCs. for distribution to local Trade Unions and Employers' Associations.
21. Dy.,Secretary(Finance), Government of NCT of Delhi. With the request to issue the necessary directions for workers employed in the offices of Govt. of Delhi.
22. Regional Labour Commissioner (Central), 4th floor, Jiwan Deep Building, Parliament Street, N.Delhi.
23. Dy.Director, Minimum Wages Cell, Ministry of Labour, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi.
24. Joint Director, Labour Bureau , SCO 28-31, Sec,17 A, Chandigarh-160017.
25. Librarian, Office of Labour Commissioner, Government of NCT of Delhi
26. Asstt.Director (Planning & Statistics), Labour Department , Government of NCT of Delhi for publication on the website of the Department, in the Labour Statistics and for laying on the table of the Vidhan Sabha.
27. Guard File.

JOINT SECRETARY(LABOUR)

**(TO BE PUBLISHED IN THE DELHI GAZETTE EXTRA ORDINARY PART IV)
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
(LABOUR DEPARTMENT)**

No. 12(26)/142/11/MW/Lab/2044

Dated : **26.07.2011**

NOTIFICATION

No. 12(26)/142/11/MW/Lab/ In exercise of powers conferred by sub-section (2) of Section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (XI of 1948) read with the Government of India, Late Ministry of States Notification No.104-J dated 24th August, 1950 and Ministry of Home Affairs Notification No.S.O.530(F.2/9/66-UTL) dated 6th February, 1967 and all other powers enabling him in this behalf, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, after considering the recommendations of the Minimum Wages Advisory Committee constituted under Section 5(1) of the Minimum Wages Act, 1948 and also the advice of the Government is pleased to revise, as per Schedule below, the minimum rates of wages already fixed vide the Notification No.F.12(26)/92/MW/Lab/147 dated 15th Feb., 1994 in the Scheduled employment in (A) Manufacturing And Assembling Of Radios & Television Transmitting And Receiving Sets Including Transistor Radios Sets, Sound Producing And Recording Equipment Including Tape Recorders (B) Manufacturing And Assembling Of Electric Apparatus, Appliance And Their Accessories Such As Lamps, Bulbs, Tubes, Sockets, Heaters, Shavers, Switches, Fans, Insulators Except Porcelain Conductors, Irons, Cleaners (C) Manufacturing And Assembling Of Electronic Components And Accessories Not Elsewhere Classified in the National Capital Territory of Delhi.

This notification shall come into force with effect from 1st April, 2011 from which date the Notification No.F.12(26)/92/MW/Lab/147 dated 15th Feb., 1994 shall cease to have effect.

S C H E D U L E

‘EMPLOYMENT IN (a) MANUFACTURING AND ASSEMBLING OF RADIOS & TELEVISION TRANSMITTING AND RECEIVING SETS INCLUDING TRANSISTOR RADIOS SETS, SOUND PRODUCING AND RECORDING EQUIPMENT INCLUDING TAPE RECORDERS (b) MANUFACTURING AND ASSEMBLING OF ELECTRIC APPARATUS, APPLIANCE AND THEIR ACCESSORIES SUCH AS LAMPS, BULBS, TUBES, SOCKETS, HEATERS, SHAVERS, SWITCHES, FANS, INSULATORS EXCEPT PORCELAIN CONDUCTORS, IRONS, CLEANERS (c) MANUFACTURING AND ASSEMBLING OF ELECTRONIC COMPONENTS AND ACCESSORIES NOT ELSEWHERE CLASSIFIED’

CATEGORY OF EMPLOYEES**MINIMUM RATES OF WAGES
PER MONTH OR PER DAY****1. UNSKILLED**

Helper, Peon, Chowkidar,
Sweeper, Waterman, Packer,
Mali, Floor Asstt., Cleaner,
Curling, Any other unskilled workers.

Rs. 6422.00 Rs. 247.00

2. SEMI-SKILLED

Wireman, Chassis fitter,
Asstt. Die Fitter, Asstt. Fitter,
Asstt. Turner, Asstt. Designer,
Coil Winder, Asstt. Cabinet Fitter,
Transformer Winder, Decorator,
File man, Moulder Gr.II,
Drill man, Paper Cutting (Hand Operator),
Solder man, Stamping (Hand Operator),
Control Panel, Can Fitter,
Asstt. Technician, Storekeeper,
Asstt. Painter, Asstt. Carpenter,
Any other semi-skilled worker.

Rs. 7098.00 Rs. 273.00

3. SKILLED

Head Wireman, Turner,
Printer, Engineer, Die Fitter,
Fitter, Designer, Cabinet Fitter,
Baffer, Moulder, Machineman,
Supervisor, Foreman, Driver,
Tester, Telephone Operator,
Mechanic, Electrician, Winder,
Impregnation Plant Operator ,
Epoxy Plant Operator, Assembler,
Coilman, Technician, Carpenter,
Painter, Shaperman,
Any other skilled workers.

Rs. 7826.00 Rs. 301.00

Clerical & Non-Technical Supervisory Staff


1. Non Matriculates	Rs. 7098.00	Rs. 273.00
2. Matriculates but not Graduates.	Rs. 7826.00	Rs. 301.00.
3. Graduates and above	Rs. 8502.00	Rs. 327.00

Note: 1. The minimum rates of wages being fixed are linked with All India Consumer Price Index (Base 2001=100).The present wages have been fixed on the basis of index number 171.33 which is the average of the index number for the period July to December 2010. The rate of adjustment is Rs. 1.35 per point

for Unskilled, Rs. 1.50 per point for Semi skilled, Rs. 1.65 per point for Skilled, Rs. 1.50 per point for Non matriculates, Rs. 1.65 per point for Matriculates but not Graduate and Rs. 1.80 per point for Graduate and above. Adjustment will be made six monthly, i.e., on 1st April and 1st October each year after taking into account the average index numbers for July to December of the previous year and January to June of the current year respectively.

2. The minimum rates of wages shall not be affected as a result of the linkage in as much as the wages shall not fall below those being fixed now.
3. The daily amount of Dearness Allowance would be rounded off to the next higher rupee.
4. The minimum rates of wages are inclusive of wages for weekly off day and no separate payment would be necessary on this account.

**By order and in the name of
the Lieutenant Governor of the
National Capital Territory of Delhi.**



**(PIYUSH SHARMA)
JOINT SECRETARY(LABOUR)
NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI**

12(26)/142/11/MW/Lab/

Dated

Copy forwarded to:-

1. Dy.Secretary, GAD, Government of Delhi(2 copies), for publication in Delhi Gazette Extraordinary Part-IV in today's date
2. Secretary to Government of India, Ministry of Labour, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi.
3. Secretary to the Lt.Governor, Government of NCT of Delhi.
4. Secretary to the Chief Minister, Government of NCT of Delhi.
5. Secretary to the Minister of Education, Transport, Gurdwara Election and Administration, Government of NCT of Delhi.
6. Secretary to the Minister of Health & Family Welfare, Employment Revenue, Irrigation & Flood Control, Government of NCT of Delhi
7. Secretary to the Minister of Power, Food & Civil Supplies, Development, Government of NCT of Delhi
8. Secretary to the Minister of Social Welfare, Women & Child Development, Languages, Government of NCT of Delhi
9. Secretary to Minister of PWD, SC/ST Welfare, Building & Urban Development, Government of NCT of Delhi
10. Secretary to Minister of Industries, Labour, Election, Govt of NCT of Delhi

11. Secretary to Delhi State Assembly, Government of NCT of Delhi for kind information of the Chairman and the Deputy Chairman.
12. OSD to Chief Secretary, Government of NCT of Delhi.
13. Principal Secretary(Labour), Government of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, Delhi.
14. Labour Commissioner, Government of NCT of Delhi, 5, Sham Nath Marg, Delhi.
15. Heads of all Departments, Government of NCT of Delhi.
16. Chief Labour Commissioner(Central). Govt.of India, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi.
17. Secretary (Labour) of Haryana, Punjab, Himachal Pradesh, Uttar Pradesh, Jammu & Kashmir, Rajasthan, and Union Territory, Chandigarh.
18. General Secretary of Delhi State BMS, INTUC, CITU, AITUC, HMS.
19. Secretary General of CII, FICCI, PHDCCI , ASSOCHAM with the request to circulate copies of this order to the local employers, organizations, with the directions that the revised minimum rates be paid to the workmen employed in their establishment. Copies of such circulars may be kindly endorsed to this office.
20. District DLCs. for distribution to local Trade Unions and Employers' Associations.
21. Dy.,Secretary(Finance), Government of NCT of Delhi. With the request to issue the necessary directions for workers employed in the offices of Govt. of Delhi.
22. Regional Labour Commissioner (Central), 4th floor, Jiwan Deep Building, Parliament Street, N.Delhi.
23. Dy.Director, Minimum Wages Cell, Ministry of Labour, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi.
24. Joint Director, Labour Bureau , SCO 28-31, Sec,17 A, Chandigarh-160017.
25. Librarian, Office of Labour Commissioner, Government of NCT of Delhi
26. Asstt.Director (Planning & Statistics), Labour Department , Government of NCT of Delhi for publication on the website of the Department, in the Labour Statistics and for laying on the table of the Vidhan Sabha.
27. Guard File.

JOINT SECRETARY(LABOUR)

**(TO BE PUBLISHED IN THE DELHI GAZETTE EXTRA ORDINARY PART IV)
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
(LABOUR DEPARTMENT)**

No. 12(27)/142/11MW/Lab/2045

Dated 26.07.2011

NOTIFICATION

No. 12(27)/142/11MW/Lab/ In exercise of powers conferred by sub-section (2) of Section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (XI of 1948) read with the Government of India, Late Ministry of States Notification No.104-J dated 24th August, 1950 and Ministry of Home Affairs Notification No.S.O.530(F.2/9/66-UTL) dated 6th February, 1967 and all other powers enabling him in this behalf, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, after considering the recommendations of the Minimum Wages Advisory Committee constituted under Section 5(1) of the Minimum Wages Act, 1948 and also the advice of the Government is pleased to revise, as per Schedule below, the minimum rates of wages already fixed vide the Notification No.F.12(27)/92/MW/Lab/148 dated 15th Feb., 1994 in the Scheduled employment in Employment in all Factories not Covered by other scheduled Employment in the National Capital Territory of Delhi.

This notification shall come into force with effect from 1st April, 2011 from which date the Notification No.F.12(27)/92/MW/Lab/148 dated 15th Feb., 1994 shall cease to have effect.

S C H E D U L E

**EMPLOYMENT IN ALL FACTORIES NOT COVERED BY ANY OTHER
SCHEDULED EMPLOYMENT**

CATEGORY OF EMPLOYEES

**MINIMUM RATES OF WAGES
PER MONTH OR PER DAY**

1. UNSKILLED

Labour, Skin Cleaner, Skin Salter,
Peon, Fireman, Helper, Packer,
Watchman, Chowkidar, Dress Maker,
Gardners, Harding Tunnel, Sweeper,
Stamping, Marketing, Punching,
Folding, Slapping, Bending,
cleaning, Chementry, Stretcher,
Nailingman, Bobbing Gill Box,
Charka Helper,
Any other unskilled worker by
whatever name may be called.

Rs. 6422.00 Rs. 247.00

2. SEMI-SKILLED

Kinariwala and Gittu, Machineman, Rs. 7098.00 Rs. 273.00
Gr.II, Asstt. Mistry,
Asstt. Machineman,
PVC Welder, Supporting Fitter,
Jr. Operator/Asstt. Operator,
Asstt. Body Builders,
Asstt.Moulder,
Boiler Attendent/Boilerman,
Pastorisation Attendent,
Fitters (Shoe Making),
Asstt. Mechanic,
Asstt. Machine Operator,
Beem Setter, Weaver,
Dreamer, Laboratory Chemist,
Netting, Cutting, Skyingman,
Brasher, Washer, Shaver,
Buffer, Any other Semi-slilled
worker by whatever name may
be called.

3. SKILLED

Rs. 7826.00 Rs. 301.00

Glass Blower, Grindingman, Mistry, Mason, Machineman Gr.I, Electroplater,
Turner, Policeman, Buffing Machine, Cutter, Tailor, Operator, Driver, Moulder,
Blowingman, Gratuationman, Body Builder, Artist, Dye- Maker, Chief Chemist,
Latherman, Shaperman, Candy Plant Attendent, Freezer operator, Buffer,
Refrigeration Mechanics, Bleachers, Lusters, Finishers & Stitchers, Shoe Maker,
Engineer, Technician, Foreman , Electrician Gr.I, Mechanic, Wireman,
Candleman, Supervisor, Design Cutting, Upper Sewing, Spinning Maker,
Machine Operator, Any other skilled workers.

Clerical & Non-Technical Supervisory Staff

- | | | |
|------------------------------------|-------------|-------------|
| 1. Non Matriculates | Rs. 7098.00 | Rs. 273.00 |
| 2. Matriculates but not Graduates. | Rs. 7826.00 | Rs. 301.00. |
| 3. Graduates and above | Rs. 8502.00 | Rs. 327.00 |

Note: 1. The minimum rates of wages being fixed are linked with All India Consumer Price Index (Base 2001=100).The present wages have been fixed on the basis of index number 171.33 which is the average of the index number for the period July to December 2010. The rate of adjustment is Rs. 1.35 per point for Unskilled, Rs. 1.50 per point for Semi skilled, Rs. 1.65 per point for Skilled, Rs. 1.50 per point for Non matriculates, Rs. 1.65 per point for Matriculates but not Graduate and Rs. 1.80 per point for Graduate and above. Adjustment will be made six monthly, i.e., on 1st April and 1st October each

year after taking into account the average index numbers for July to December of the previous year and January to June of the current year respectively.

2. The minimum rates of wages shall not be affected as a result of the linkage in as much as the wages shall not fall below those being fixed now.
3. The daily amount of Dearness Allowance would be rounded off to the next higher rupee.
4. The minimum rates of wages are inclusive of wages for weekly off day and no separate payment would be necessary on this account.

**By order and in the name of
the Lieutenant Governor of the
National Capital Territory of Delhi.**



**(PIYUSH SHARMA)
JOINT SECRETARY(LABOUR)
NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
Dated**

12(27)/142/11MW/Lab

Copy forwarded to:-

1. Dy.Secretary, GAD, Government of Delhi(2 copies), for publication in Delhi Gazette Extraordinary Part-IV in today's date
2. Secretary to Government of India, Ministry of Labour, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi.
3. Secretary to the Lt.Governor, Government of NCT of Delhi.
4. Secretary to the Chief Minister, Government of NCT of Delhi.
5. Secretary to the Minister of Education, Transport, Gurdwara Election and Administration, Government of NCT of Delhi.
6. Secretary to the Minister of Health & Family Welfare, Employment Revenue, Irrigation & Flood Control, Government of NCT of Delhi
7. Secretary to the Minister of Power, Food & Civil Supplies, Development, Government of NCT of Delhi
8. Secretary to the Minister of Social Welfare, Women & Child Development, Languages, Government of NCT of Delhi
9. Secretary to Minister of PWD, SC/ST Welfare, Building & Urban Development, Government of NCT of Delhi
10. Secretary to Minister of Industries, Labour, Election, Govt of NCT of Delhi
11. Secretary to Delhi State Assembly, Government of NCT of Delhi for kind information of the Chairman and the Deputy Chairman.

12. OSD to Chief Secretary, Government of NCT of Delhi.
13. Principal Secretary(Labour), Government of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, Delhi.
14. Labour Commissioner, Government of NCT of Delhi, 5, Sham Nath Marg, Delhi.
15. Heads of all Departments, Government of NCT of Delhi.
16. Chief Labour Commissioner(Central). Govt.of India, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi.
17. Secretary (Labour) of Haryana, Punjab, Himachal Pradesh, Uttar Pradesh, Jammu & Kashmir, Rajasthan, and Union Territory, Chandigarh.
18. General Secretary of Delhi State BMS, INTUC, CITU, AITUC, HMS.
19. Secretary General of CII, FICCI, PHDCCI , ASSOCHAM with the request to circulate copies of this order to the local employers, organizations, with the directions that the revised minimum rates be paid to the workmen employed in their establishment. Copies of such circulars may be kindly endorsed to this office.
20. District DLCs. for distribution to local Trade Unions and Employers' Associations.
21. Dy.,Secretary(Finance), Government of NCT of Delhi. With the request to issue the necessary directions for workers employed in the offices of Govt. of Delhi.
22. Regional Labour Commissioner (Central), 4th floor, Jiwan Deep Building, Parliament Street, N.Delhi.
23. Dy.Director, Minimum Wages Cell, Ministry of Labour, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi.
24. Joint Director, Labour Bureau , SCO 28-31, Sec,17 A, Chandigarh-160017.
25. Librarian, Office of Labour Commissioner, Government of NCT of Delhi
26. Asstt.Director (Planning & Statistics), Labour Department , Government of NCT of Delhi for publication on the website of the Department, in the Labour Statistics and for laying on the table of the Vidhan Sabha.
27. Guard File.

JOINT SECRETARY(LABOUR)

**(TO BE PUBLISHED IN THE DELHI GAZETTE EXTRA ORDINARY PART IV)
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
(LABOUR DEPARTMENT)**

No. 12(28)/142/11/MW/Lab 2046

Dated 26.07.2011

NOTIFICATION

No. 12(28)/142/11/MW/Lab/ In exercise of powers conferred by sub-section (2) of Section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (XI of 1948) read with the Government of India, Late Ministry of States Notification No.104-J dated 24th August, 1950 and Ministry of Home Affairs Notification No.S.O.530(F.2/9/66-UTL) dated 6th February, 1967 and all other powers enabling him in this behalf, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, after considering the recommendations of the Minimum Wages Advisory Committee constituted under Section 5(1) of the Minimum Wages Act, 1948 and also the advice of the Government is pleased to revise, as per Schedule below, the minimum rates of wages already fixed vide the Notification No.F.12(28)/92/MW/Lab/149 dated 15th Feb., 1994 in the Scheduled employment in Hospitals and Nursing Homes Not Carried on by Government or a Local Authority' in the National Capital Territory of Delhi.

This notification shall come into force with effect from 1st April, 2011 from which date the Notification No.F.12(28)/92/MW/Lab/149 dated 15th Feb., 1994 shall cease to have effect.

**'EMPLOYMENT IN HOSPITALS & NURSING HOMES NOT CARRIED ON BY
GOVERNMENT OR A LOCAL AUTHORITY'**

CATEGORY OF EMPLOYEES

**MINIMUM RATES OF WAGES
PER MONTH OR PER DAY**

1. UNSKILLED

Peon, Bearers, Mates, Khidmatgar,
Masalchi, Strecher Bearer,
Chowkidar, Sweeper,
Nursing Orderlies, Farash,
Sanitary guide,
Strecher cum cleaner,
Cleaners,
Any other unskilled worker.

Rs. 6422.00 Rs. 247.00

2. SEMI-SKILLED

Dressers, Lab. Attendants,
CSSD Attendants,

Rs. 7098.00 Rs. 273.00

Dark Room Attendants,
Animal Attendants,
Sr. Ward Orderlies,
Attendants,
Any other Semi-skilled Workers.

3. **SKILLED** Rs. 7826.00 Rs. 301.00
Home Sisters, Theatre Sisters, Nursing Sister, Public Health Sister, Ward Sister,
Theatre Sister, Public Health Nurse, Asstt. Home Sisters, staff Nurse, Health
Visitors, Medical Social Worker, Dietician, Senior Physiotherapist, Sr.
Occupational Therapist, Contactence Technician,
4. **SKILLED** Rs. 7826.00 Rs. 301.00
Sr. Technical Asstt. Sr. Technical, Asstt. (Resp.), Sr. Technical Asstt. (Nuclear),
Sr. Scientific Asstt. (Dial), Sr. Scientific Asstt. (Endos), Sr. Scientific Astt.
(Endocrine), Biomicroscopic Technician, Tutor Radiology, Theatre Supervisor,
Technical Supervisor (Labo), Sr. Photographer, Technical Supervisor, (Radio),
Physiotherapist, Occupational Therapist, Asstt. Chief Hospital Pharmacist,
Technical Asstt. (Radiology, CSSD, Biochemistry, Dialysis, Contactence, Blood
Bank, Anaesthesia, Allergyclinic, Life Saving), Statistical Asstt., Asstt. Dietician,
Electrician, Workshop Supervisor, Sr. Radiographer, Theatre Technician, Sr.
Pharmacist. Technician, ECG Technician, Selection Grade Pharmacist, Lab.
Technician, Dental Hygenist, Dental Mechanic, Sanitary Inspector, CCU
Assistant, Urban Leprosy Asstt., Telephone Monitor, Artist, Head Cooks, Cooks,
Tailor, Any other skilled worker.

Clerical & Non-Technical Supervisory Staff

- | | | |
|-----------------------------------|-------------|------------|
| 1. Non-Matriculates | Rs. 7098.00 | Rs. 273.00 |
| 2. Matriculates but not Graduates | Rs. 7826.00 | Rs. 301.00 |
| 3. Graduates and above | Rs. 8502.00 | Rs. 327.00 |

- Note: 1. The minimum rates of wages being fixed are linked with All India Consumer Price Index (Base 2001=100). The present wages have been fixed on the basis of index number 171.33 which is the average of the index number for the period July to December 2010. The rate of adjustment is Rs. 1.35 per point for Unskilled, Rs. 1.50 per point for Semi skilled, Rs. 1.65 per point for Skilled, Rs. 1.50 per point for Non matriculates, Rs. 1.65 per point for Matriculates but not Graduate and Rs. 1.80 per point for Graduate and above. Adjustment will be made six monthly, i.e., on 1st April and 1st October each year after taking into account the average index numbers for July to December of the previous year and January to June of the current year respectively.
2. The minimum rates of wages shall not be affected as a result of the linkage in as much as the wages shall not fall below those being fixed now.

3. The daily amount of Dearness Allowance would be rounded off to the next higher rupee.
4. The minimum rates of wages are inclusive of wages for weekly off day and no separate payment would be necessary on this account.

**By order and in the name of
the Lieutenant Governor of the
National Capital Territory of Delhi.**



**(PIYUSH SHARMA)
JOINT SECRETARY(LABOUR)
NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
Dated**

12(28)/142/11/MW/Lab

Copy forwarded to:-

1. Dy.Secretary, GAD, Government of Delhi(2 copies), for publication in Delhi Gazette Extraordinary Part-IV in today's date
2. Secretary to Government of India, Ministry of Labour, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi.
3. Secretary to the Lt.Governor, Government of NCT of Delhi.
4. Secretary to the Chief Minister, Government of NCT of Delhi.
5. Secretary to the Minister of Education, Transport, Gurdwara Election and Administration, Government of NCT of Delhi.
6. Secretary to the Minister of Health & Family Welfare, Employment Revenue, Irrigation & Flood Control, Government of NCT of Delhi
7. Secretary to the Minister of Power, Food & Civil Supplies, Development, Government of NCT of Delhi
8. Secretary to the Minister of Social Welfare, Women & Child Development, Languages, Government of NCT of Delhi
9. Secretary to Minister of PWD, SC/ST Welfare, Building & Urban Development, Government of NCT of Delhi
10. Secretary to Minister of Industries, Labour, Election, Govt of NCT of Delhi
11. Secretary to Delhi State Assembly, Government of NCT of Delhi for kind information of the Chairman and the Deputy Chairman.
12. OSD to Chief Secretary, Government of NCT of Delhi.
13. Principal Secretary(Labour), Government of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, Delhi.
14. Labour Commissioner, Government of NCT of Delhi, 5, Sham Nath Marg, Delhi.
15. Heads of all Departments, Government of NCT of Delhi.

16. Chief Labour Commissioner(Central). Govt.of India, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi.
17. Secretary (Labour) of Haryana, Punjab, Himachal Pradesh, Uttar Pradesh, Jammu & Kashmir, Rajasthan, and Union Territory, Chandigarh.
18. General Secretary of Delhi State BMS, INTUC, CITU, AITUC, HMS.
19. Secretary General of CII, FICCI, PHDCCI , ASSOCHAM with the request to circulate copies of this order to the local employers, organizations, with the directions that the revised minimum rates be paid to the workmen employed in their establishment. Copies of such circulars may be kindly endorsed to this office.
20. District DLCs. for distribution to local Trade Unions and Employers' Associations.
21. Dy,.Secretary(Finance), Government of NCT of Delhi. With the request to issue the necessary directions for workers employed in the offices of Govt. of Delhi.
22. Regional Labour Commissioner (Central), 4th floor, Jiwan Deep Building, Parliament Street, N.Delhi.
23. Dy.Director, Minimum Wages Cell, Ministry of Labour, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi.
24. Joint Director, Labour Bureau , SCO 28-31, Sec,17 A, Chandigarh-160017.
25. Librarian, Office of Labour Commissioner, Government of NCT of Delhi
26. Asstt.Director (Planning & Statistics), Labour Department , Government of NCT of Delhi for publication on the website of the Department, in the Labour Statistics and for laying on the table of the Vidhan Sabha.
27. Guard File.

JOINT SECRETARY(LABOUR)

**(TO BE PUBLISHED IN THE DELHI GAZETTE EXTRA ORDINARY PART IV)
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
(LABOUR DEPARTMENT)**

No. 12(29)/142/11/MW/Lab 2047

Dated 26.07.2011

NOTIFICATION

No. 12(29)/142/11/MW/Lab/ In exercise of powers conferred by sub-section (2) of Section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (XI of 1948) read with the Government of India, Late Ministry of States Notification No.104-J dated 24th August, 1950 and Ministry of Home Affairs Notification No.S.O.530(F.2/9/66-UTL) dated 6th February, 1967 and all other powers enabling him in this behalf, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, after considering the recommendations of the Minimum Wages Advisory Committee constituted under Section 5(1) of the Minimum Wages Act, 1948 and also the advice of the Government is pleased to revise, as per Schedule below, the minimum rates of wages already fixed vide the Notification No.F.12(29)/92/MW/Lab/150 dated 15th Feb., 1994 in the Scheduled employment in Private Unrecognized Teaching Institutions' in the National Capital Territory of Delhi.

This notification shall come into force with effect from 1st April, 2011 from which date the Notification No.F.12(29)/92/MW/Lab/150 dated 15th Feb., 1994 shall cease to have effect.

SCHEDULE

'EMPLOYMENT IN PRIVATE UNRECOGNISED TEACHING INSTITUTIONS'

CATEGORY OF EMPLOYEES

**MINIMUM RATES OF WAGES
PER MONTH OR PER DAY**


- | | |
|--|---------------------------|
| 1. <u>UNSKILLED</u>
Peon, Chowkidar, Sweeper, Waterman, Cleaner, Farash, Aayas, Any other unskilled worker. | Rs. 6422.00 Rs. 247.00 |
| 2. <u>SEMI-SKILLED</u>
Bus Conductor, Asstt. Electrician, Asstt. Plumber, Asstt. Mistry/Carpenter, any other semi-skilled worker. | Rs. 7098.00 Rs. 247.00 |
| 3. <u>SKILLED</u>
Librarian, Laboratory Assistant, Carpenter, Drivers, Physical Instructor, Electrician, Plumber, Any other skilled worker | Rs. 7826.00 Rs. 301.00 |

CLERICAL STAFF

1.Non Matriculates	Rs.7098	Rs.273
2.Matriculates but not Graduates	Rs. 7826.00	Rs. 301.00
3.Graduates and above	Rs. 8502.00	Rs. 327.00

- Note: 1. The minimum rates of wages being fixed are linked with All India Consumer Price Index (Base 2001=100).The present wages have been fixed on the basis of index number 171.33 which is the average of the index number for the period July to December 2010. The rate of adjustment is Rs. 1.35 per point for Unskilled, Rs. 1.50 per point for Semi skilled, Rs. 1.65 per point for Skilled, Rs. 1.50 per point for Non matriculates, Rs. 1.65 per point for Matriculates but not Graduate and Rs. 1.80 per point for Graduate and above. Adjustment will be made six monthly, i.e., on 1st April and 1st October each year after taking into account the average index numbers for July to December of the previous year and January to June of the current year respectively.
2. The minimum rates of wages shall not be affected as a result of the linkage in as much as the wages shall not fall below those being fixed now.
3. The daily amount of Dearness Allowance would be rounded off to the next higher rupee.
4. The minimum rates of wages are inclusive of wages for weekly off day and no separate payment would be necessary on this account.

**By order and in the name of
the Lieutenant Governor of the
National Capital Territory of Delhi.**



**(PIYUSH SHARMA)
JOINT SECRETARY(LABOUR)
NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI**

No. 12(29)/142/11/MW/Lab.

Dated :

Copy forwarded to:-

1. Dy.Secretary, GAD, Government of Delhi(2 copies), for publication in Delhi Gazette Extraordinary Part-IV in today's date
2. Secretary to Government of India, Ministry of Labour, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi.
3. Secretary to the Lt.Governor, Government of NCT of Delhi.
4. Secretary to the Chief Minister, Government of NCT of Delhi.

5. Secretary to the Minister of Education, Transport, Gurdwara Election and Administration, Government of NCT of Delhi.
6. Secretary to the Minister of Health & Family Welfare, Employment Revenue, Irrigation & Flood Control, Government of NCT of Delhi
7. Secretary to the Minister of Power, Food & Civil Supplies, Development, Government of NCT of Delhi
8. Secretary to the Minister of Social Welfare, Women & Child Development, Languages, Government of NCT of Delhi
9. Secretary to Minister of PWD, SC/ST Welfare, Building & Urban Development, Government of NCT of Delhi
10. Secretary to Minister of Industries, Labour, Election, Govt of NCT of Delhi
11. Secretary to Delhi State Assembly, Government of NCT of Delhi for kind information of the Chairman and the Deputy Chairman.
12. OSD to Chief Secretary, Government of NCT of Delhi.
13. Principal Secretary(Labour), Government of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, Delhi.
14. Labour Commissioner, Government of NCT of Delhi, 5, Sham Nath Marg, Delhi.
15. Heads of all Departments, Government of NCT of Delhi.
16. Chief Labour Commissioner(Central). Govt.of India, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi.
17. Secretary (Labour) of Haryana, Punjab, Himachal Pradesh, Uttar Pradesh, Jammu & Kashmir, Rajasthan, and Union Territory, Chandigarh.
18. General Secretary of Delhi State BMS, INTUC, CITU, AITUC, HMS.
19. Secretary General of CII, FICCI, PHDCCI , ASSOCHAM with the request to circulate copies of this order to the local employers, organizations, with the directions that the revised minimum rates be paid to the workmen employed in their establishment. Copies of such circulars may be kindly endorsed to this office.
20. District DLCs. for distribution to local Trade Unions and Employers' Associations.
21. Dy.,Secretary(Finance), Government of NCT of Delhi. With the request to issue the necessary directions for workers employed in the offices of Govt. of Delhi.
22. Regional Labour Commissioner (Central), 4th floor, Jiwan Deep Building, Parliament Street, N.Delhi.
23. Dy.Director, Minimum Wages Cell, Ministry of Labour, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi.
24. Joint Director, Labour Bureau , SCO 28-31, Sec,17 A, Chandigarh-160017.
25. Librarian, Office of Labour Commissioner, Government of NCT of Delhi
26. Asstt.Director (Planning & Statistics), Labour Department , Government of NCT of Delhi for publication on the website of the Department, in the Labour Statistics and for laying on the table of the Vidhan Sabha.
27. Guard File.

JOINT SECRETARY(LABOUR)

**(TO BE PUBLISHED IN THE DELHI GAZETTE EXTRA ORDINARY PARTIV)
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
(LABOUR DEPARTMENT)**

No.F.12(2)142/11/MW/Lab/2024

Dated : 26.07.2011

NOTIFICATION

No.F.12(2)142/11/MW/Lab/ In exercise of powers conferred by sub-section (2) of Section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (XI of 1948) read with the Government of India, Late Ministry of States Notification No.104-J dated 24th August, 1950 and Ministry of Home Affairs Notification No.S.O.530(F.2/9/66-UTL) dated 6th February, 1967 and all other powers enabling him in this behalf, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, after considering the recommendations of the Minimum Wages Advisory Committee constituted under Section 5(1) of the Minimum Wages Act, 1948 and also the advice of the Government is pleased to revise, as per Schedule below, the minimum rates of wages already fixed vide Notification No.F.12(2)/92/MW/128 dated 15th Feb., 1994 in the Scheduled employment in “Dal and Flour Mills”, in the National Capital Territory of Delhi.

This notification shall come into force with effect from 1st April, 2011 from which date Notification No.F.12(2)/92/MW/128 dated 15th Feb., 1994 shall cease to have effect.

SCHEDULE

‘EMPLOYMENT IN DAL AND FLOUR MILLS

<u>CLASS OF EMPLOYEES</u>	<u>MINIMUM RATES OF WAGES</u>	
	<u>PER MONTH</u>	<u>PER DAY</u>

Unskilled

- | | | |
|--|------------|-------|
| 1. Assistant to Fitter | | |
| 2. Assistant to Blacksmith | Rs.6422.00 | Rs247 |
| 3. Assistant to Carpenter and other unskilled Palledar | | |

Semi skilled

- | | | |
|--|-------------|------------|
| 1. Washerman | | |
| 2. Rollman, Silkman | | |
| 3. Cobbler 4. Fireman 5. Assistant Fitter | | |
| 6. Assistant Mason 7. Assistant Blacksmith | | |
| 8. Assistant to Carpenter | Rs. 7098.00 | Rs. 273.00 |
| 9. Assistant Turner | | |
| 10. Any other semiskilled worker | | |

Skilled


- | | | |
|-------------|-------------------------|--------------------|
| 1. Mistry | 2.Fitter | |
| 3.Turner. | 4.Blacksmith | |
| 5.Carpenter | 6.Electrician Grade -II | Rs. 7826.00 Rs. 30 |
| 7. Mason | 8.Motor or Lorry Driver | |
| 9.Groover | 10.Other Skilled Worker | |

Clerical and Non technical supervisory staff

- | | | |
|-----------------------------------|-------------|------------|
| 1. Non-Matriculates | Rs. 7098.00 | Rs. 273.00 |
| 2. Matriculates but not Graduates | Rs. 7826.00 | Rs. 301.00 |
| 3. Graduates and above | Rs. 8502.00 | Rs. 327.00 |

- Note: 1. The minimum rates of wages being fixed are linked with All India Consumer Price Index (Base 2001=100).The present wages have been fixed on the basis of index number 171.33 which is the average of the index number for the period July to December 2010. The rate of adjustment is Rs. 1.35 per point for Unskilled, Rs. 1.50 per point for Semi skilled, Rs. 1.65 per point for Skilled, Rs. 1.50 per point for Non matriculates, Rs. 1.65 per point for Matriculates but not Graduate and Rs. 1.80 per point for Graduate and above. Adjustment will be made six monthly, i.e., on 1st April and 1st October each year after taking into account the average index numbers for July to December of the previous year and January to June of the current year respectively.
2. The minimum rates of wages shall not be affected as a result of the linkage in as much as the wages shall not fall below those being fixed now.
3. The daily amount of Dearness Allowance would be rounded off to the next higher rupee.
4. The minimum rates of wages are inclusive of wages for weekly off day and no separate payment would be necessary on this account.

By order and in the name of
the Lieutenant Governor of the
National Capital Territory of Delhi.



(PIYUSH SHARMA)
JOINT SECRETARY(LABOUR)
NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

No.F.12(2)142/11/MW/Lab/

Dated :

Copy forwarded to:-

1. Dy.Secretary, GAD, Government of Delhi(2 copies), for publication in Delhi Gazette Extraordinary Part-IV in today's date
2. Secretary to Government of India, Ministry of Labour, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi.
3. Secretary to the Lt.Governor, Government of NCT of Delhi.
4. Secretary to the Chief Minister, Government of NCT of Delhi.
5. Secretary to the Minister of Education, Transport, Gurdwara Election and Administration, Government of NCT of Delhi.
6. Secretary to the Minister of Health & Family Welfare, Employment Revenue, Irrigation & Flood Control, Government of NCT of Delhi
7. Secretary to the Minister of Power, Food & Civil Supplies, Development, Government of NCT of Delhi
8. Secretary to the Minister of Social Welfare, Women & Child Development, Languages, Government of NCT of Delhi
9. Secretary to Minister of PWD, SC/ST Welfare, Building & Urban Development, Government of NCT of Delhi
10. Secretary to Minister of Industries, Labour, Election, Govt of NCT of Delhi
11. Secretary to Delhi State Assembly, Government of NCT of Delhi for kind information of the Chairman and the Deputy Chairman.
12. OSD to Chief Secretary, Government of NCT of Delhi.
13. Principal Secretary(Labour), Government of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, Delhi.
14. Labour Commissioner, Government of NCT of Delhi, 5, Sham Nath Marg, Delhi.
15. Heads of all Departments, Government of NCT of Delhi.
16. Chief Labour Commissioner(Central). Govt.of India, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi.
17. Secretary (Labour) of Haryana, Punjab, Himachal Pradesh, Uttar Pradesh, Jammu & Kashmir, Rajasthan, and Union Territory, Chandigarh.
18. General Secretary of Delhi State BMS, INTUC, CITU, AITUC, HMS.
19. Secretary General of CII, FICCI, PHDCCI , ASSOCHAM with the request to circulate copies of this order to the local employers, organizations, with the directions that the revised minimum rates be paid to the workmen employed in their establishment. Copies of such circulars may be kindly endorsed to this office.
20. District DLCs. for distribution to local Trade Unions and Employers' Associations.
21. Dy,.Secretary(Finance), Government of NCT of Delhi. With the request to issue the necessary directions for workers employed in the offices of Govt. of Delhi.
22. Regional Labour Commissioner (Central), 4th floor, Jiwan Deep Building, Parliament Street, N.Delhi.
23. Dy.Director, Minimum Wages Cell, Ministry of Labour, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi.

24. Joint Director, Labour Bureau , SCO 28-31, Sec,17 A, Chandigarh-160017.
25. Librarian, Office of Labour Commissioner, Government of NCT of Delhi
26. Asstt. Director (Planning & Statistics), Labour Department , Government of NCT of Delhi for publication on the website of the Department, in the Labour Statistics and for laying on the table of the Vidhan Sabha.
27. Guard File.

JOINT SECRETARY(LABOUR)

**(TO BE PUBLISHED IN THE DELHI GAZETTE EXTRA ORDINARY PART IV)
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
(LABOUR DEPARTMENT)**

No. 12(3)/142/11/MW/Lab/2025

Dated : **26.07.2011**

NOTIFICATION

No. 12(3)/142/11/MW/Lab/ In exercise of powers conferred by sub-section (2) of Section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (XI of 1948) read with the Government of India, Late Ministry of States Notification No.104-J dated 24th August, 1950 and Ministry of Home Affairs Notification No.S.O.530(F.2/9/66-UTL) dated 6th February, 1967 and all other powers enabling him in this behalf, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, after considering the recommendations of the Minimum Wages Advisory Committee constituted under Section 5(1) of the Minimum Wages Act, 1948 and also the advice of the Government is pleased to revise, as per Schedule below, the minimum rates of wages already fixed vide the Notification No.F.12(142)/11/MW/Lab dated 15th Feb., 1994 in the Scheduled employment in Stone Breaking/Stone in the National Capital Territory of Delhi.

This notification shall come into force with effect from 1st April, 2011 from which date the Notification No No. 12(3)/142/11/MW/Lab/ dated 15th Feb., 1994 shall cease to have effect.

SCHEDULE

EMPLOYMENT OF STONE BREAKING/STONE CRUSHING

Class of Employees

Minimum rates of wages

Unskilled.

PER MONTH OR PER DAY

1) Helper,	Rs. 6422.00	Rs. 247.00
2) Peon,		
3) Chowkidar,		
4) Any other category doing unskilled work.		

Semi-skilled.

1) Oil Man,		
2) Asstt. Fitter	Rs. 7098.00	Rs. 273.00
3) Asstt. Blacksmith,		
4) Asstt. Mechanic,		
5) Stone Breaker,		
6) Stone Rock Breaker,		
7) Stone Carrier,		
8) Any other category doing semi-skilled work.		

Skilled

1. Fitter,	Rs. 7826.00	Rs. 301.00
------------	-------------	------------

2. Mechanic,
3. Engine Driver,
4. Blacksmith
5. Other skilled workers,

4. **Highly skilled.**

1. Mistry ,


MORE THAN SKILLED

Clerical & Non-Technical Supervisory Staff.

Non-Matriculates	Rs. 7098.00	Rs. 273.00
Matriculates but not Graduates	Rs. 7826.00	Rs. 301.00
Graduates and above	Rs. 8502.00	Rs. 327.00

- Note:
1. The minimum rates of wages being fixed are linked with All India Consumer Price Index (Base 2001=100). The present wages have been fixed on the basis of index number 171.33 which is the average of the index number for the period July to December 2010. The rate of adjustment is Rs. 1.35 per point for Unskilled, Rs. 1.50 per point for Semi skilled, Rs. 1.65 per point for Skilled, Rs. 1.50 per point for Non matriculates, Rs. 1.65 per point for Matriculates but not Graduate and Rs. 1.80 per point for Graduate and above. Adjustment will be made six monthly, i.e., on 1st April and 1st October each year after taking into account the average index numbers for July to December of the previous year and January to June of the current year respectively.
 2. The minimum rates of wages shall not be affected as a result of the linkage in as much as the wages shall not fall below those being fixed now.
 3. The daily amount of Dearness Allowance would be rounded off to the next higher rupee.
 4. The minimum rates of wages are inclusive of wages for weekly off day and no separate payment would be necessary on this account.

**By order and in the name of
the Lieutenant Governor of the
National Capital Territory of Delhi.**



(PIYUSH SHARMA)
JOINT SECRETARY(LABOUR)
NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

No. 12(3)/142/11/MW/Lab/

Dated :

Copy forwarded to:-

1. Dy.Secretary, GAD, Government of Delhi(2 copies), for publication in Delhi Gazette Extraordinary Part-IV in today's date
2. Secretary to Government of India, Ministry of Labour, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi.
3. Secretary to the Lt.Governor, Government of NCT of Delhi.
4. Secretary to the Chief Minister, Government of NCT of Delhi.
5. Secretary to the Minister of Education, Transport, Gurdwara Election and Administration, Government of NCT of Delhi.
6. Secretary to the Minister of Health & Family Welfare, Employment Revenue, Irrigation & Flood Control, Government of NCT of Delhi
7. Secretary to the Minister of Power, Food & Civil Supplies, Development, Government of NCT of Delhi
8. Secretary to the Minister of Social Welfare, Women & Child Development, Languages, Government of NCT of Delhi
9. Secretary to Minister of PWD, SC/ST Welfare, Building & Urban Development, Government of NCT of Delhi
10. Secretary to Minister of Industries, Labour, Election, Govt of NCT of Delhi
11. Secretary to Delhi State Assembly, Government of NCT of Delhi for kind information of the Chairman and the Deputy Chairman.
12. OSD to Chief Secretary, Government of NCT of Delhi.
13. Principal Secretary(Labour), Government of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, Delhi.
14. Labour Commissioner, Government of NCT of Delhi, 5, Sham Nath Marg, Delhi.
15. Heads of all Departments, Government of NCT of Delhi.
16. Chief Labour Commissioner(Central). Govt.of India, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi.
17. Secretary (Labour) of Haryana, Punjab, Himachal Pradesh, Uttar Pradesh, Jammu & Kashmir, Rajasthan, and Union Territory, Chandigarh.
18. General Secretary of Delhi State BMS, INTUC, CITU, AITUC, HMS.
19. Secretary General of CII, FICCI, PHDCCI , ASSOCHAM with the request to circulate copies of this order to the local employers, organizations, with the directions that the revised minimum rates be paid to the workmen employed in their establishment. Copies of such circulars may be kindly endorsed to this office.

20. District DLCs. for distribution to local Trade Unions and Employers' Associations.
21. Dy.,Secretary(Finance), Government of NCT of Delhi. With the request to issue the necessary directions for workers employed in the offices of Govt. of Delhi.
22. Regional Labour Commissioner (Central), 4th floor, Jiwan Deep Building, Parliament Street, N.Delhi.
23. Dy.Director, Minimum Wages Cell, Ministry of Labour, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi.
24. Joint Director, Labour Bureau , SCO 28-31, Sec,17 A, Chandigarh-160017.
25. Librarian, Office of Labour Commissioner, Government of NCT of Delhi
26. Asstt.Director (Planning & Statistics), Labour Department , Government of NCT of Delhi for publication on the website of the Department, in the Labour Statistics and for laying on the table of the Vidhan Sabha.
27. Guard File.

JOINT SECRETARY(LABOUR)

(TO BE PUBLISHED IN THE DELHI GAZETTE EXTRA ORDINARY PART IV)
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
(LABOUR DEPARTMENT)

No12(4)/142/11/MW/Lab 2026

Dated 26.07.2011

NOTIFICATION

No12(4)/142/11/MW/Lab/ In exercise of powers conferred by sub-section (2) of Section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (XI of 1948) read with the Government of India, Late Ministry of States Notification No.104-J dated 24th August, 1950 and Ministry of Home Affairs Notification No.S.O.530(F.2/9/66-UTL) dated 6th February, 1967 and all other powers enabling him in this behalf, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, after considering the recommendations of the Minimum Wages Advisory Committee constituted under Section 5(1) of the Minimum Wages Act, 1948 and also the advice of the Government is pleased to revise, as per Schedule below, the minimum rates of wages already fixed vide the Notification No.F.12(4)/92/MW/Lab/127 dated 15th Feb., 1994 in the Scheduled employment in "Public Motor Transport" in the National Capital Territory of Delhi.

This notification shall come into force with effect from 1st April, 2011 from which date the Notification No.F.12 (4)/92/MW/Lab/127 dated 15th Feb., 1994 shall cease to have effect.

SCHEDULE

EMPLOYMENT IN PUBLIC MOTOR TRANSPORT

Name of the Category

Minimum rates of wages

Unskilled.

PERMONTH OR PER DAY

1. Helper to Fitter,
2. Helper to Carpenter
3. Helper to Blacksmith,
4. Helper to Painter,
5. Other unskilled workers.

Rs. 6422.00 Rs. 247.00

Semi-skilled.

1. Conductor Assistant
2. Fitter or Fitter Gr.II
3. Machanic Gr.II,
4. Blacksmith Gr.II,
5. Carpenter Gr.II,
6. Tin -Smith Gr.II
7. Solderman Gr.II

Rs. 7098.00 Rs. 273.00

8. Boring Man, Gr.II,
9. Welder Gr.II
10. Turner Gr.II
11. Any other Semi-Skilled workers.

Skilled

1. Driver,	2. Checker Repair and Maintenance,	
3. Fitter Gr.I,	4. Mistry	Rs. 7826.00 Rs. 301.00
5. Head Mistry,	6. Carpenter Gr.I	
7. Blacksmith Gr.I	8. Electrician,	
9. Turner Gr.I	10. Mechanic Gr.I	
11. Welder Gr.I	12. Cusion Maker	
13. Tinsmith Gr.I	14. Solderman Gr.I	
15. Boring-man Gr,I	16. Body Fitter,	
17. Batteryman	18. Painter,	


Clerical & Non-Technical Supervisory Staff.

Non-Matriculates	Rs. 7098.00	Rs. 273.00
Matriculates but not Graduates	Rs. 7826.00	Rs. 301.00
Graduates and above	Rs. 8502.00	Rs. 327.00

- Note: 1. The minimum rates of wages being fixed are linked with All India Consumer Price Index (Base 2001=100).The present wages have been fixed on the basis of index number 171.33 which is the average of the index number for the period July to December 2010. The rate of adjustment is Rs. 1.35 per point for Unskilled, Rs. 1.50 per point for Semi skilled, Rs. 1.65 per point for Skilled, Rs. 1.50 per point for Non matriculates, Rs. 1.65 per point for Matriculates but not Graduate and Rs. 1.80 per point for Graduate and above. Adjustment will be made six monthly, i.e., on 1st April and 1st October each year after taking into account the average index numbers for July to December of the previous year and January to June of the current year respectively.
2. The minimum rates of wages shall not be affected as a result of the linkage in as much as the wages shall not fall below those being fixed now.
- 3 The daily amount of Dearness Allowance would be rounded off to the next higher rupee.

4. The minimum rates of wages are inclusive of wages for weekly off day and no separate payment would be necessary on this account.

**By order and in the name of
the Lieutenant Governor of the
National Capital Territory of Delhi.**



**(PIYUSH SHARMA)
JOINT SECRETARY(LABOUR)**

No12(4)/142/11/MW/Lab

Dated

Copy forwarded to:-

28. Dy.Secretary, GAD, Government of Delhi(2 copies), for publication in Delhi Gazette Extraordinary Part-IV in today's date
29. Secretary to Government of India, Ministry of Labour, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi.
30. Secretary to the Lt.Governor, Government of NCT of Delhi.
31. Secretary to the Chief Minister, Government of NCT of Delhi.
32. Secretary to the Minister of Education, Transport, Gurdwara Election and Administration, Government of NCT of Delhi.
33. Secretary to the Minister of Health & Family Welfare, Employment Revenue, Irrigation & Flood Control, Government of NCT of Delhi
34. Secretary to the Minister of Power, Food & Civil Supplies, Development, Government of NCT of Delhi
35. Secretary to the Minister of Social Welfare, Women & Child Development, Languages, Government of NCT of Delhi
36. Secretary to Minister of PWD, SC/ST Welfare, Building & Urban Development, Government of NCT of Delhi
37. Secretary to Minister of Industries, Labour, Election, Govt of NCT of Delhi

38. Secretary to Delhi State Assembly, Government of NCT of Delhi for kind information of the Chairman and the Deputy Chairman.
39. OSD to Chief Secretary, Government of NCT of Delhi.
40. Principal Secretary(Labour), Government of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, Delhi.
41. Labour Commissioner, Government of NCT of Delhi, 5, Sham Nath Marg, Delhi.
42. Heads of all Departments, Government of NCT of Delhi.
43. Chief Labour Commissioner(Central). Govt.of India, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi.
44. Secretary (Labour) of Haryana, Punjab, Himachal Pradesh, Uttar Pradesh, Jammu & Kashmir, Rajasthan, and Union Territory, Chandigarh.
45. General Secretary of Delhi State BMS, INTUC, CITU, AITUC, HMS.
46. Secretary General of CII, FICCI, PHDCCI , ASSOCHAM with the request to circulate copies of this order to the local employers, organizations, with the directions that the revised minimum rates be paid to the workmen employed in their establishment. Copies of such circulars may be kindly endorsed to this office.
47. District DLCs. for distribution to local Trade Unions and Employers' Associations.
48. Dy.,Secretary(Finance), Government of NCT of Delhi. With the request to issue the necessary directions for workers employed in the offices of Govt. of Delhi.
49. Regional Labour Commissioner (Central), 4th floor, Jiwan Deep Building, Parliament Street, N.Delhi.
50. Dy.Director, Minimum Wages Cell, Ministry of Labour, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi.
51. Joint Director, Labour Bureau , SCO 28-31, Sec,17 A, Chandigarh-160017.
52. Librarian, Office of Labour Commissioner, Government of NCT of Delhi
53. Asstt.Director (Planning & Statistics), Labour Department , Government of NCT of Delhi for publication on the website of the Department, in the Labour Statistics and for laying on the table of the Vidhan Sabha.
54. Guard File.

JOINT SECRETARY(LABOUR)

**(TO BE PUBLISHED IN THE DELHI GAZETTE EXTRA ORDINARY PART IV)
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
(LABOUR DEPARTMENT)**

No12(9)/142/11/MW/Lab/2029

Dated : 26.07.2011

NOTIFICATION

No12(9)/142/11/MW/Lab/ In exercise of powers conferred by sub-section (2) of Section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (XI of 1948) read with the Government of India, Late Ministry of States Notification No.104-J dated 24th August, 1950 and Ministry of Home Affairs Notification No.S.O.530(F.2/9/66-UTL) dated 6th February, 1967 and all other powers enabling him in this behalf, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, after considering the recommendations of the Minimum Wages Advisory Committee constituted under Section 5(1) of the Minimum Wages Act, 1948 and also the advice of the Government is pleased to revise, as per Schedule below, the minimum rates of wages already fixed vide the Notification No.F.12(142)/11/MW/Lab130 dated 15th Feb., 1994 in the Scheduled employment in Printing Press” in the National Capital Territory of Delhi.

This notification shall come into force with effect from 1st April, 2011 from which date the Notification No12(9)/142/11/MW/Lab/ 130 dated 15th Feb., 1994 shall cease to have effect.

SCHEDULE

“EMPLOYMENT IN PRINTING PRESS”

CLASS OF EMPLOYEES

MINIMUM RATES OF WAGES

Unskilled.

PER.MONTH OR PER DAY

- | | | | |
|---|--------------------------|-------------|------------|
| 1. Kalhashi | 2. Helper to machineman, | | |
| 3.. Paper lifter, | 4. Platercutter, | Rs. 6422.00 | Rs. 247.00 |
| 5. Machine Driver | 6. Sweeper, | | |
| 7. Peon | 8. Daftry | | |
| 9. Chowkidar, | 10. Packer | | |
| 11. Mazdoor or any other unskilled employees. | | | |

Semi-skilled.

- | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------|------------|
| 1. Sangasaz | 2. Asstt. Machineman, | Rs. 7098.00 | Rs. 273.00 |
| 3. Asstt. Distributor, | 4. Paper Man, | | |
| 5. Kacha Binder, | 6. Inkman, | | |
| 7. Paper-cutter, | | | |
| 8. Gringingman, | 9. Grinder, | | |
| 10. Copy Holder, | 11. Paper Feder | | |

11. Any other Semi-Skilled workers.

3. Skilled

1. Machineman,	2. Head Machineman,	Rs. 7826.00	Rs. 301.00
3. Sangasaz Gr.I	4. Pressman,		
5. Package Binder	6. Compositor,		
7. Foreman,	8. Die Stamper,		
9. Designer	10. Block Maker		
11. Proofman,	12. Block Printer		
13. Artist	14. Checker (proof Reader)		
15. Carpenter,	16. Die Printer,		
17. Operator Line/Mono			
18. Caster, Line/Mono			
19. Plate Printer	20. Etecher		
21. Store Keeper,	22. Time Keeper,		
23. Salesman,	24. Toucher,		
25. Electrician	26. Blacksmith,		
27. Proof Reader,			


Clerical & Non-Technical Supervisory Staff:

4. Non-Matriculates	Rs. 7098.00	Rs. 273.00
5. Matriculates but not Graduates	Rs. 7826.00	Rs. 301.00
6. Graduates and above	Rs. 8502.00	Rs. 327.00

Note:

1. The minimum rates of wages being fixed are linked with All India Consumer Price Index (Base 2001=100).The present wages have been fixed on the basis of index number 171.33 which is the average of the index number for the period July to December 2010. The rate of adjustment is Rs. 1.35 per point for Unskilled, Rs. 1.50 per point for Semi skilled, Rs. 1.65 per point for Skilled, Rs. 1.50 per point for Non matriculates, Rs. 1.65 per point for Matriculates but not Graduate and Rs. 1.80 per point for Graduate and above. Adjustment will be made six monthly, i.e., on 1st April and 1st October each year after taking into account the average index numbers for July to December of the previous year and January to June of the current year respectively
2. The minimum rates of wages shall not be affected as a result of the linkage in as much as the wages shall not fall below those being fixed now.
3. The daily amount of Dearness Allowance would be rounded off to the next higher rupee.
4. The minimum rates of wages are inclusive of wages for weekly off day and no separate payment would be necessary on this account.

By order and in the name of
the Lieutenant Governor of the
National Capital Territory of Delhi.



(PIYUSH SHARMA)
JOINT SECRETARY(LABOUR)
NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

No12(9)/142/11/MW/Lab/

Dated :

Copy forwarded to:-

1. Dy.Secretary, GAD, Government of Delhi(2 copies), for publication in Delhi Gazette Extraordinary Part-IV in today's date
2. Secretary to Government of India, Ministry of Labour, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi.
3. Secretary to the Lt.Governor, Government of NCT of Delhi.
4. Secretary to the Chief Minister, Government of NCT of Delhi.
5. Secretary to the Minister of Education, Transport, Gurdwara Election and Administration, Government of NCT of Delhi.
6. Secretary to the Minister of Health & Family Welfare, Employment Revenue, Irrigation & Flood Control, Government of NCT of Delhi
7. Secretary to the Minister of Power, Food & Civil Supplies, Development, Government of NCT of Delhi
8. Secretary to the Minister of Social Welfare, Women & Child Development, Languages, Government of NCT of Delhi
9. Secretary to Minister of PWD, SC/ST Welfare, Building & Urban Development, Government of NCT of Delhi
10. Secretary to Minister of Industries, Labour, Election, Govt of NCT of Delhi
11. Secretary to Delhi State Assembly, Government of NCT of Delhi for kind information of the Chairman and the Deputy Chairman.
12. OSD to Chief Secretary, Government of NCT of Delhi.
13. Principal Secretary(Labour), Government of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, Delhi.
14. Labour Commissioner, Government of NCT of Delhi, 5, Sham Nath Marg, Delhi.
15. Heads of all Departments, Government of NCT of Delhi.
16. Chief Labour Commissioner(Central). Govt.of India, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi.
17. Secretary (Labour) of Haryana, Punjab, Himachal Pradesh, Uttar Pradesh, Jammu & Kashmir, Rajasthan, and Union Territory, Chandigarh.
18. General Secretary of Delhi State BMS, INTUC, CITU, AITUC, HMS.
19. Secretary General of CII, FICCI, PHDCCI , ASSOCHAM with the request to circulate copies of this order to the local employers, organizations, with the directions that the revised minimum rates be paid to the workmen employed in their establishment. Copies of such circulars may be kindly endorsed to this office.

20. District DLCs. for distribution to local Trade Unions and Employers' Associations.
21. Dy.,Secretary(Finance), Government of NCT of Delhi. With the request to issue the necessary directions for workers employed in the offices of Govt. of Delhi.
22. Regional Labour Commissioner (Central), 4th floor, Jiwan Deep Building, Parliament Street, N.Delhi.
23. Dy.Director, Minimum Wages Cell, Ministry of Labour, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi.
24. Joint Director, Labour Bureau , SCO 28-31, Sec,17 A, Chandigarh-160017.
25. Librarian, Office of Labour Commissioner, Government of NCT of Delhi
26. Asstt.Director (Planning & Statistics), Labour Department , Government of NCT of Delhi for publication on the website of the Department, in the Labour Statistics and for laying on the table of the Vidhan Sabha.
27. Guard File.

JOINT SECRETARY(LABOUR)

(TO BE PUBLISHED IN THE DELHI GAZETTE EXTRA ORDINARY PART IV)
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
(LABOUR DEPARTMENT)

No12(11)/142/11/MW/Lab/ 2030

Dated : 26.07.2011

NOTIFICATION

No12(11)/142/11/MW/Lab/ In exercise of powers conferred by sub-section (2) of Section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (XI of 1948) read with the Government of India, Late Ministry of States Notification No.104-J dated 24th August, 1950 and Ministry of Home Affairs Notification No.S.O.530(F.2/9/66-UTL) dated 6th February, 1967 and all other powers enabling him in this behalf, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, after considering the recommendations of the Minimum Wages Advisory Committee constituted under Section 5(1) of the Minimum Wages Act, 1948 and also the advice of the Government is pleased to revise, as per Schedule below, the minimum rates of wages already fixed vide the Notification No.F.12(11)/92/MW/Lab/132 dated 15th Feb., 1994 in the Scheduled employment in Employment in "Delhi Transport Corporation" in the National Capital Territory of Delhi.

This notification shall come into force with effect from 1st April, 2011 from which date the Notification No.F.12(11)/92/MW/Lab/132 dated 15th Feb., 1994 shall cease to have effect.

SCHEDULE

"EMPLOYMENT IN DELHI TRANSPORT CORPORATION"

<u>CLASS OF EMPLOYEES</u>	<u>MINIMUM RATES OF WAGES</u> <u>PER MONTH OR PER.DAY</u>	
Unskilled	Rs. 6422	Rs. 247
1. Peon 2. Chowkidar 3. Water Server,4. Mazdor, 5. Helper 6. Mali and Cleaner, 7. Sweeper 8. Beldar 9. Sweeper cum Cleaner 10. Packer 11. Mate		
Semiskilled	Rs. 7098	Rs.273
1. Asstt. Fitter, 6.. Asstt. Electrician 2. Asstt. Blacksmith, 7.. Asstt. Painter,		

3. Asstt. Body Fitter,
4. Asstt. Plumber,
5. Pump Driver
8. Tyreman,
9. Asstt. Carpenter,

Skilled

Rs.7826


Rs. 301

- 1.Asstt. Fitter (CED)
2. Mason 3. Carpenter
4. Fitter 5. Blacksmith
6. Truck Driver, 7. Painter,
8. Other Drivers 9. Sanitary Fitter,
10. Wireman 11 Conductors
12. Asstt. Machine Operator,
13. Binder

Note:

- a. The minimum rates of wages being fixed are linked with All India Consumer Price Index (Base 2001=100).The present wages have been fixed on the basis of index number 171.33 which is the average of the index number for the period July to December 2010. The rate of adjustment is Rs. 1.35 per point for Unskilled, Rs. 1.50 per point for Semi skilled, Rs. 1.65 per point for Skilled, Rs. 1.50 per point for Non matriculates, Rs. 1.65 per point for Matriculates but not Graduate and Rs. 1.80 per point for Graduate and above. Adjustment will be made six monthly, i.e., on 1st April and 1st October each year after taking into account the average index numbers for July to December of the previous year and January to June of the current year respectively
- b. The minimum rates of wages shall not be affected as a result of the linkage in as much as the wages shall not fall below those being fixed now.
- c. The daily amount of Dearness Allowance would be rounded off to the next higher rupee.
- d. The minimum rates of wages are inclusive of wages for weekly off day and no separate payment would be necessary on this account.

**By order and in the name of
the Lieutenant Governor of the
National Capital Territory of Delhi.**



**(PIYUSH SHARMA)
JOINT SECRETARY(LABOUR)
NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI**

No12(11)/142/11/MW/Lab/

Dated :

Copy forwarded to:-

1. Dy.Secretary, GAD, Government of Delhi(2 copies), for publication in Delhi Gazette Extraordinary Part-IV in today's date
2. Secretary to Government of India, Ministry of Labour, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi.
3. Secretary to the Lt.Governor, Government of NCT of Delhi.
4. Secretary to the Chief Minister, Government of NCT of Delhi.
5. Secretary to the Minister of Education, Transport, Gurdwara Election and Administration, Government of NCT of Delhi.
6. Secretary to the Minister of Health & Family Welfare, Employment Revenue, Irrigation & Flood Control, Government of NCT of Delhi
7. Secretary to the Minister of Power, Food & Civil Supplies, Development, Government of NCT of Delhi
8. Secretary to the Minister of Social Welfare, Women & Child Development, Languages, Government of NCT of Delhi
9. Secretary to Minister of PWD, SC/ST Welfare, Building & Urban Development, Government of NCT of Delhi
10. Secretary to Minister of Industries, Labour, Election, Govt of NCT of Delhi
11. Secretary to Delhi State Assembly, Government of NCT of Delhi for kind information of the Chairman and the Deputy Chairman.
12. OSD to Chief Secretary, Government of NCT of Delhi.
13. Principal Secretary(Labour), Government of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, Delhi.
14. Labour Commissioner, Government of NCT of Delhi, 5, Sham Nath Marg, Delhi.
15. Heads of all Departments, Government of NCT of Delhi.
16. Chief Labour Commissioner(Central). Govt.of India, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi.
17. Secretary (Labour) of Haryana, Punjab, Himachal Pradesh, Uttar Pradesh, Jammu & Kashmir, Rajasthan, and Union Territory, Chandigarh.
18. General Secretary of Delhi State BMS, INTUC, CITU, AITUC, HMS.
19. Secretary General of CII, FICCI, PHDCCI , ASSOCHAM with the request to circulate copies of this order to the local employers, organizations, with the directions that the revised minimum rates be paid to the workmen employed in their establishment. Copies of such circulars may be kindly endorsed to this office.
20. District DLCs. for distribution to local Trade Unions and Employers' Associations.
21. Dy,.Secretary(Finance), Government of NCT of Delhi. With the request to issue the necessary directions for workers employed in the offices of Govt. of Delhi.
22. Regional Labour Commissioner (Central), 4th floor, Jiwan Deep Building, Parliament Street, N.Delhi.

23. Dy. Director, Minimum Wages Cell, Ministry of Labour, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi.
24. Joint Director, Labour Bureau , SCO 28-31, Sec,17 A, Chandigarh-160017.
25. Librarian, Office of Labour Commissioner, Government of NCT of Delhi
26. Asstt. Director (Planning & Statistics), Labour Department , Government of NCT of Delhi for publication on the website of the Department, in the Labour Statistics and for laying on the table of the Vidhan Sabha.
27. Guard File.

JOINT SECRETARY(LABOUR)

(TO BE PUBLISHED IN THE DELHI GAZETTE EXTRA ORDINARY PART IV)
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
(LABOUR DEPARTMENT)

No12(16)/142/11/MW/Lab/2034

Dated : 26.07.2011

NOTIFICATION

No12(16)/142/11/MW/Lab/ In exercise of powers conferred by sub-section (2) of Section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (XI of 1948) read with the Government of India, Late Ministry of States Notification No.104-J dated 24th August, 1950 and Ministry of Home Affairs Notification No.S.O.530(F.2/9/66-UTL) dated 6th February, 1967 and all other powers enabling him in this behalf, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, after considering the recommendations of the Minimum Wages Advisory Committee constituted under Section 5(1) of the Minimum Wages Act, 1948 and also the advice of the Government is pleased to revise, as per Schedule below, the minimum rates of wages already fixed vide the Notification No.F.12(16)/92/MW/Lab/137 dated 15th Feb., 1994 in the Scheduled employment in Oil Mills in the National Capital Territory of Delhi.

This notification shall come into force with effect from 1st April, 2011 from which the Notification No.F.12(16)/92/MW/Lab/137 dated 15th Feb., 1994 shall cease to have effect.

SCHEDULE

“EMPLOYMENT IN OIL MILLS”

<u>CLASS OF EMPLOYEES</u>	<u>MINIMUM RATES OF WAGES</u>
	<u>PERMONTH OR PER.DAY</u>
1. <u>Unskilled</u>	
1. Mazdoor	
2. Waterman	Rs. 6422.00
3. Chowkidar	Rs. 247.00
4. Peon	
5. Sweeper	
6. Coolie	
7. Cleaner	
8. Khamwala	
9. Oilman	
10. Filterman	
11. Seed Cleaner	
12. Oil Cleaner	
13. Packer	
14. Hammerman	
15. Any other unskilled worker.	
2. <u>Semi-skilled</u>	
1. Asstt. Turner	Rs. 7098.00
2. Asstt. Kohlu Mistry	Rs. 273.00
3. Asstt. Chemist,	
4. Asstt. Mistry,	
5. Asstt. Expelman,	
6. Asstt. Electrician,	
7. Asstt. Builder Attendant,	

8. Fireman,
9. Blacksmith,
10. Jhalyan
11. Lineman/Linedar
12. Any other semi-skilled workers.

3. Skilled

- | | | |
|-------------------------------|-------------|------------|
| 1. Turner | Rs. 7826.00 | Rs. 301.00 |
| 2. Kohlu Mistry | | |
| 3. Electrician | | |
| 4. Chemist | | |
| 5. Mistry | | |
| 6. Expelman | | |
| 7. Boil or Attendent | | |
| 8. Driver, | | |
| 9. Any other skilled workers. | | |

Clerical and non-Technical Supervisory Staff


- | | | |
|-----------------------------------|-------------|------------|
| 1. Non-Matriculates | Rs. 7098.00 | Rs. 273.00 |
| 2. Matriculates but not Graduates | Rs. 7826.00 | Rs. 301.00 |
| 3. Graduates and above | Rs. 8502.00 | Rs. 327.00 |

Note:

1. The minimum rates of wages being fixed are linked with All India Consumer Price Index (Base 2001=100).The present wages have been fixed on the basis of index number 171.33 which is the average of the index number for the period July to December 2010. The rate of adjustment is Rs. 1.35 per point for Unskilled, Rs. 1.50 per point for Semi skilled, Rs. 1.65 per point for Skilled, Rs. 1.50 per point for Non matriculates, Rs. 1.65 per point for Matriculates but not Graduate and Rs. 1.80 per point for Graduate and above. Adjustment will be made six monthly, i.e., on 1st April and 1st October each year after taking into account the average index numbers for July to December of the previous year and January to June of the current year respectively
2. The minimum rates of wages shall not be affected as a result of the linkage in as much as the wages shall not fall below those being fixed now.
3. The daily amount of Dearness Allowance would be rounded off to the next higher rupee.
4. The minimum rates of wages are inclusive of wages for weekly off day and no separate payment would be necessary on this account.

**By order and in the name of
the Lieutenant Governor of the**

National Capital Territory of Delhi.



(PIYUSH SHARMA)

JOINT SECRETARY(LABOUR)

NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

No12(16)/142/11/MW/Lab/

Dated :

Copy forwarded to:-

1. Dy.Secretary, GAD, Government of Delhi(2 copies), for publication in Delhi Gazette Extraordinary Part-IV in today's date
2. Secretary to Government of India, Ministry of Labour, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi.
3. Secretary to the Lt.Governor, Government of NCT of Delhi.
4. Secretary to the Chief Minister, Government of NCT of Delhi.
5. Secretary to the Minister of Education, Transport, Gurdwara Election and Administration, Government of NCT of Delhi.
6. Secretary to the Minister of Health & Family Welfare, Employment Revenue, Irrigation & Flood Control, Government of NCT of Delhi
7. Secretary to the Minister of Power, Food & Civil Supplies, Development, Government of NCT of Delhi
8. Secretary to the Minister of Social Welfare, Women & Child Development, Languages, Government of NCT of Delhi
9. Secretary to Minister of PWD, SC/ST Welfare, Building & Urban Development, Government of NCT of Delhi
10. Secretary to Minister of Industries, Labour, Election, Govt of NCT of Delhi
11. Secretary to Delhi State Assembly, Government of NCT of Delhi for kind information of the Chairman and the Deputy Chairman.
12. OSD to Chief Secretary, Government of NCT of Delhi.
13. Principal Secretary(Labour), Government of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, Delhi.
14. Labour Commissioner, Government of NCT of Delhi, 5, Sham Nath Marg, Delhi.
15. Heads of all Departments, Government of NCT of Delhi.
16. Chief Labour Commissioner(Central). Govt.of India, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi.
17. Secretary (Labour) of Haryana, Punjab, Himachal Pradesh, Uttar Pradesh, Jammu & Kashmir, Rajasthan, and Union Territory, Chandigarh.
18. General Secretary of Delhi State BMS, INTUC, CITU, AITUC, HMS.
19. Secretary General of CII, FICCI, PHDCCI , ASSOCHAM with the request to circulate copies of this order to the local employers, organizations, with the directions that the revised minimum rates be paid

to the workmen employed in their establishment. Copies of such circulars may be kindly endorsed to this office.

20. District DLCs. for distribution to local Trade Unions and Employers' Associations.
21. Dy.,Secretary(Finance), Government of NCT of Delhi. With the request to issue the necessary directions for workers employed in the offices of Govt. of Delhi.
22. Regional Labour Commissioner (Central), 4th floor, Jiwan Deep Building, Parliament Street, N.Delhi.
23. Dy.Director, Minimum Wages Cell, Ministry of Labour, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi.
24. Joint Director, Labour Bureau , SCO 28-31, Sec,17 A, Chandigarh-160017.
25. Librarian, Office of Labour Commissioner, Government of NCT of Delhi
26. Asstt.Director (Planning & Statistics), Labour Department , Government of NCT of Delhi for publication on the website of the Department, in the Labour Statistics and for laying on the table of the Vidhan Sabha.
27. Guard File.

JOINT SECRETARY(LABOUR)

**(TO BE PUBLISHED IN THE DELHI GAZETTE EXTRA ORDINARY PART IV)
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
(LABOUR DEPARTMENT)**

No12(17)/142/11/MW/Lab/ 2035

Dated : 26.07.2011

NOTIFICATION

No12(17)/142/11/MW/Lab/ In exercise of powers conferred by sub-section (2) of Section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (XI of 1948) read with the Government of India, Late Ministry of States Notification No.104-J dated 24th August, 1950 and Ministry of Home Affairs Notification No.S.O.530(F.2/9/66-UTL) dated 6th February, 1967 and all other powers enabling him in this behalf, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, after considering the recommendations of the Minimum Wages Advisory Committee constituted under Section 5(1) of the Minimum Wages Act, 1948 and also the advice of the Government is pleased to revise, as per Schedule below, the minimum rates of wages already fixed the Notification No.F.12(17)/92/MW/Lab/138 dated 15th Feb., 1994 in the Scheduled employment in Plastic Rubber Including Cable Industry” in the National Capital Territory of Delhi.

This notification shall come into force with effect from 1st April, 2011 from which date the Notification No.F.12(17)/92/MW/Lab/138 dated 15th Feb., 1994 shall cease to have effect.

S C H E D U L E

“EMPLOYMENT IN PLASTIC RUBBER & PVC INCLUDING CABLE INDUSTRY”

Rubber Industry
Unskilled

MINIMUM RATES OF WAGES
PERMONTH OR PERDAY

- | | | | |
|---|----------------------|-------------|------------|
| 1. Peon | 2. Chowkidar | Rs. 6422.00 | Rs. 247.00 |
| 3. Waterman | 4. Sweeper | | |
| 5. Mazdoor | 6. Pressman (Manual) | | |
| 7. Packer | 8. Helper | | |
| 9. Any other category by whatever name called doing unskilled work. | | | |

Semi-skilled

- | | | |
|-----------------------|-------------|------------|
| 1. Asstt. Wireman | Rs. 7098.00 | Rs. 273.00 |
| 2. Asstt. Fitter | | |
| 3. Asstt. Turner | | |
| 4. Asstt. Boilerman | | |
| 5. Asstt. Electrician | | |

6. Asstt. Vacanizer
7. Asstt. Mixing Man
8. Asstt. Hydraulic Pressman
9. Asstt. Designer
10. Asstt. Operator

Skilled

- | | | |
|--------------------------|-------------|------------|
| 1. Wireman | Rs. 7826.00 | Rs. 301.00 |
| 2. Fitter | | |
| 3 Asstt. Turner | | |
| 4.Electrician | | |
| 5.Block Designer | | |
| 6.Mixing Man | | |
| 7. Head Hydraulic Setter | | |
| 8.Mistry | | |
| 9.Tube Mechanic Operator | | |
| 10.Designer | | |
| 11.Operator | | |
| 12.Driver | | |
| 13.Machineman | | |
| 14.Boilerman | | |
| 15.Vulcanizer | | |

Clerical and non-Technical Supervisory Staff

- | | | |
|-----------------------------------|-------------|------------|
| 1. Non-Matriculates | Rs. 7098.00 | Rs. 273.00 |
| 2. Matriculates but not Graduates | Rs. 7826.00 | Rs. 301.00 |
| 3. Graduates and above | Rs. 8502.00 | Rs. 327.00 |

PLASTIC PVC INCLUDING CABLE INDUSTRY

Unskilled

- | | | | |
|---|--------------|-------------|------------|
| 1.Peon | 2. Chowkidar | Rs. 6422.00 | Rs. 247.00 |
| 3. Waterserver | 4. Sweeper | | |
| 5. Mazdoor | | | |
| 6. Packer | 7. Helper | | |
| 8. Any other category by whatever name called doing unskilled work. | | | |

Semi-skilled

1.	Asstt. Plasticman	Rs. 7826.00	Rs. 301.00
2.	Asstt. Van Driver		
3.	Bradlingman		
4.	Collman		
5.	Asstt. Boilerman		
6.	Asstt. Machineman		
7.	Asstt. Die-Fitter		
8.	Asstt. Die-Maker		
9.	Moulder		
10.	Solderman		
11.	Moulder.		
12.	Any other semi-skilled category worker		

Skilled

1.	Wireman
2.	Turner
3.	Fitter
4.	Electrician
5.	Block Designer
6.	Mixing man
7.	Head Hydraulic Setter
8.	Mistry
9.	Tube Machine Operator
10.	Designer
11.	Operator
12.	Driver
13.	Machineman
14.	Boilerman
15.	Vulcanizer
16.	Plastic-Man
17.	Head Solder
18.	Die Fitter/Die Maker
19.	Any other skilled worker.

Clerical and Non-Technical Supervisory Staff


		PER MONTH PER DAY	
1.	Non-Matriculates	Rs. 7098.00	Rs. 273.00
2.	Matriculates but not Graduates	Rs. 7826.00	Rs. 301.00
3.	Graduates and above	Rs. 8502.00	Rs. 327.00

Note: 1.The minimum rates of wages being fixed are linked with All India Consumer Price Index (Base 2001=100).The present wages have been fixed on

the basis of index number 171.33 which is the average of the index number for the period July to December 2010. The rate of adjustment is Rs. 1.35 per point for Unskilled, Rs. 1.50 per point for Semi skilled, Rs. 1.65 per point for Skilled, Rs. 1.50 per point for Non matriculates, Rs. 1.65 per point for Matriculates but not Graduate and Rs. 1.80 per point for Graduate and above. Adjustment will be made six monthly, i.e., on 1st April and 1st October each year after taking into account the average index numbers for July to December of the previous year and January to June of the current year respectively

2. The minimum rates of wages shall not be affected as a result of the linkage in as much as the wages shall not fall below those being fixed now.
3. The daily amount of Dearness Allowance would be rounded off to the next higher rupee.
4. The minimum rates of wages are inclusive of wages for weekly off day and no separate payment would be necessary on this account.

**By order and in the name of
the Lieutenant Governor of the
National Capital Territory of Delhi.**



(PIYUSH SHARMA)
JOINT SECRETARY (LABOUR)
NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

No12(17)/142/11/MW/Lab/

Dated :

Copy forwarded to:-

1. Dy.Secretary, GAD, Government of Delhi(2 copies), for publication in Delhi Gazette Extraordinary Part-IV in today's date
2. Secretary to Government of India, Ministry of Labour, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi.
3. Secretary to the Lt.Governor, Government of NCT of Delhi.
4. Secretary to the Chief Minister, Government of NCT of Delhi.
5. Secretary to the Minister of Education, Transport, Gurdwara Election and Administration, Government of NCT of Delhi.
6. Secretary to the Minister of Health & Family Welfare, Employment Revenue, Irrigation & Flood Control, Government of NCT of Delhi
7. Secretary to the Minister of Power, Food & Civil Supplies, Development, Government of NCT of Delhi
8. Secretary to the Minister of Social Welfare, Women & Child Development, Languages, Government of NCT of Delhi

9. Secretary to Minister of PWD, SC/ST Welfare, Building & Urban Development, Government of NCT of Delhi
10. Secretary to Minister of Industries, Labour, Election, Govt of NCT of Delhi
11. Secretary to Delhi State Assembly, Government of NCT of Delhi for kind information of the Chairman and the Deputy Chairman.
12. OSD to Chief Secretary, Government of NCT of Delhi.
13. Principal Secretary(Labour), Government of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, Delhi.
14. Labour Commissioner, Government of NCT of Delhi, 5, Sham Nath Marg, Delhi.
15. Heads of all Departments, Government of NCT of Delhi.
16. Chief Labour Commissioner(Central). Govt.of India, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi.
17. Secretary (Labour) of Haryana, Punjab, Himachal Pradesh, Uttar Pradesh, Jammu & Kashmir, Rajasthan, and Union Territory, Chandigarh.
18. General Secretary of Delhi State BMS, INTUC, CITU, AITUC, HMS.
19. Secretary General of CII, FICCI, PHDCCI , ASSOCHAM with the request to circulate copies of this order to the local employers, organizations, with the directions that the revised minimum rates be paid to the workmen employed in their establishment. Copies of such circulars may be kindly endorsed to this office.
20. District DLCs. for distribution to local Trade Unions and Employers' Associations.
21. Dy.,Secretary(Finance), Government of NCT of Delhi. With the request to issue the necessary directions for workers employed in the offices of Govt. of Delhi.
22. Regional Labour Commissioner (Central), 4th floor, Jiwan Deep Building, Parliament Street, N.Delhi.
23. Dy.Director, Minimum Wages Cell, Ministry of Labour, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi.
24. Joint Director, Labour Bureau , SCO 28-31, Sec,17 A, Chandigarh-160017.
25. Librarian, Office of Labour Commissioner, Government of NCT of Delhi
26. Asstt.Director (Planning & Statistics), Labour Department , Government of NCT of Delhi for publication on the website of the Department, in the Labour Statistics and for laying on the table of the Vidhan Sabha.
27. Guard File.

JOINT SECRETARY(LABOUR)

**(TO BE PUBLISHED IN THE DELHI GAZETTE EXTRA ORDINARY PART IV)
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
(LABOUR DEPARTMENT)**

No12(18)/142/11/MW/Lab/ 2036

Dated : 26.07.2011

NOTIFICATION

No12(18)/142/11/MW/Lab/ In exercise of powers conferred by sub-section (2) of Section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (XI of 1948) read with the Government of India, Late Ministry of States Notification No.104-J dated 24th August, 1950 and Ministry of Home Affairs Notification No.S.O.530(F.2/9/66-UTL) dated 6th February, 1967 and all other powers enabling him in this behalf, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, after considering the recommendations of the Minimum Wages Advisory Committee constituted under Section 5(1) of the Minimum Wages Act, 1948 and also the advice of the Government is pleased to revise, as per Schedule below, the minimum rates of wages already fixed vide the Notification No.F.12(18)/92/MW/Lab/139 dated 15th Feb., 1994 in the Scheduled employment in Ready Made Garments in the National Capital Territory of Delhi.

This notification shall come into force with effect from 1st April, 2011 from which date the Notification No.F.12(18)/92/MW/Lab/139 dated 15th Feb., 1994 shall cease to have effect.

S C H E D U L E

“EMPLOYMENT IN READY MADE GARMENTS”

<u>Class of Employees</u>	<u>MINIMUM RATES OF WAGES</u>
<u>Unskilled</u>	<u>PERMONTH OR PERDAY</u>
1. Peon	Rs. 6422.00
2. Helper	Rs. 247.00
3. Chowkidar	
4. Thread Cutter	
5. Sweeper	
6. Layer	
7. Any other unskilled worker.	

Semi-skilled

- | | | | |
|---------------------|-----------------------------------|-------------|------------|
| 1. Button Hollers | 2. Kaj Operator | Rs. 7098.00 | Rs. 273.00 |
| 3. Button Stitcher, | 4. Over Lockers | | |
| 5. Pattern Tracers, | 6. Ironing | | |
| 7. Packer | 8. Any other semi-skilled worker. | | |

Skilled

- | | | | |
|------------------------------|---------------|-------------|------------|
| 1. Tailors | 2. Checkers, | Rs. 7826.00 | Rs. 301.00 |
| 3. Driver | 4. Washerman, | | |
| 5. Any other skilled worker. | | | |

Highly skilled

- | | | | |
|--------------------------------------|-------------------|--|--|
| 1. Cutter or Master Tailor, | | | |
| 2. Designer, | MORE THAN SKILLED | | |
| 3. Any other highly skilled workers. | | | |

-2-

Clerical and Non-Technical Supervisory Staff


- | | | |
|-----------------------------------|-------------|------------|
| 1. Non-Matriculates | Rs. 7098.00 | Rs. 273.00 |
| 2. Matriculates but not Graduates | Rs. 7826.00 | Rs. 301.00 |
| 3. Graduates and above | Rs. 8502.00 | Rs. 327.00 |

Note:

1. The minimum rates of wages being fixed are linked with All India Consumer Price Index (Base 2001=100). The present wages have been fixed on the basis of index number 171.33 which is the average of the index number for the period July to December 2010. The rate of adjustment is Rs. 1.35 per point for Unskilled, Rs. 1.50 per point for Semi skilled, Rs. 1.65 per point for Skilled, Rs. 1.50 per point for Non matriculates, Rs. 1.65 per point for Matriculates but not Graduate and Rs. 1.80 per point for Graduate and above. Adjustment will be made six monthly, i.e., on 1st April and 1st October each year after taking into account the average index numbers for July to December of the previous year and January to June of the current year respectively
2. The minimum rates of wages shall not be affected as a result of the linkage in as much as the wages shall not fall below those being fixed now.
3. The daily amount of Dearness Allowance would be rounded off to the next higher rupee.
4. The minimum rates of wages are inclusive of wages for weekly off day and no separate payment would be necessary on this account.

5. Tailor includes all employees engaged in stitching garments of any part thereof irrespective of any other designation assigned to him.

**By order and in the name of
the Lieutenant Governor of the
National Capital Territory of Delhi.**



**(PIYUSH SHARMA)
JOINT SECRETARY(LABOUR)
NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI**

No12(18)/142/11/MW/Lab/

Dated :

**(TO BE PUBLISHED IN THE DELHI GAZETTE EXTRA ORDINARY PART IV)
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
(LABOUR DEPARTMENT)**

No12(19)/142/11/MW/Lab/2037

Dated :26.07.2011

NOTIFICATION

No12(19)/142/11/MW/Lab/ In exercise of powers conferred by sub-section (2) of Section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (XI of 1948) read with the Government of India, Late Ministry of States Notification No.104-J dated 24th August, 1950 and Ministry of Home Affairs Notification No.S.O.530(F.2/9/66-UTL) dated 6th February, 1967 and all other powers enabling him in this behalf, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, after considering the recommendations of the Minimum Wages Advisory Committee constituted under Section 5(1) of the Minimum Wages Act, 1948 and also the advice of the Government is pleased to revise, as per Schedule below, the minimum rates of wages already fixed vide the Notification No.F.12(19)/92/MW/Lab/140 dated 15th Feb., 1994 in the Scheduled employment in Ice Factories & Cold Storages in the National Capital Territory of Delhi.

This notification shall come into force with effect from 1st April, 2011 from which date the Notification No.F.12(19)/92/MW/Lab/140 dated 15th Feb., 1994 shall cease to have effect.

S C H E D U L E

“EMPLOYMENT IN ICE FACTORIES & COLD STORAGES”

<u>Class of Employees</u>	<u>MINIMUM RATES OF WAGES</u>
<u>Unskilled</u>	<u>PERMONTH PER.DAY</u>
1. Peon 2. Chowkidar	Rs. 6422.00 Rs. 247.00
3. Sweeper 4. Helper	
5. Tank Kuli 6. Any other unskilled worker.	
<u>Semi-skilled</u>	
1. Asstt. Carpenter	Rs. 7098.00 Rs. 273.00
2. Asstt. Operator	
3. Asstt. Fitter	
4. Asstt. Machine Driver	
5. Asstt. Mistry	
6. Asstt. Compressor Attendent	
7. Asstt. Mason	
8. Asstt. Electrician	
9. Asstt. Engineer	
10. Any other semi-skilled worker Category	

Skilled


1. Operator	2. Carpenter	Rs. 7826.00	Rs. 301.00
3. Fitter	4. Machine Driver		
5. Compressor Attendant			
6. Mistry	7. Driver		
8. Mason	9. Electrician		
10. Any other skilled worker.			

Clerical and Non Technical Supervisory Staff

4. Non-Matriculates	Rs. 7098.00	Rs. 273.00
5. Matriculates but not Graduates	Rs. 7826.00	Rs. 301.00
6. Graduates and above	Rs. 8502.00	Rs. 327.00

- Note: 1. The minimum rates of wages being fixed are linked with All India Consumer Price Index (Base 2001=100). The present wages have been fixed on the basis of index number 171.33 which is the average of the index number for the period July to December 2010. The rate of adjustment is Rs. 1.35 per point for Unskilled, Rs. 1.50 per point for Semi skilled, Rs. 1.65 per point for Skilled, Rs. 1.50 per point for Non matriculates, Rs. 1.65 per point for Matriculates but not Graduate and Rs. 1.80 per point for Graduate and above. Adjustment will be made six monthly, i.e., on 1st April and 1st October each year after taking into account the average index numbers for July to December of the previous year and January to June of the current year respectively.
2. The minimum rates of wages shall not be affected as a result of the linkage in as much as the wages shall not fall below those being fixed now.
3. The daily amount of Dearness Allowance would be rounded off to the next higher rupee.
4. The minimum rates of wages are inclusive of wages for weekly off day and no separate payment would be necessary on this account.

**By order and in the name of
the Lieutenant Governor of the
National Capital Territory of Delhi.**



(PIYUSH SHARMA)
JOINT SECRETARY(LABOUR)
NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

Dated :

No12(19)/142/11/MW/Lab

**(TO BE PUBLISHED IN THE DELHI GAZETTE EXTRA ORDINARY PART IV)
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
(LABOUR DEPARTMENT)**

No12(20)/142/11/MW/Lab 2038

Dated : 26.07.2011

NOTIFICATION

No12(20)/142/11/MW/Lab/ In exercise of powers conferred by sub-section (2) of Section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (XI of 1948) read with the Government of India, Late Ministry of States Notification No.104-J dated 24th August, 1950 and Ministry of Home Affairs Notification No.S.O.530(F.2/9/66-UTL) dated 6th February, 1967 and all other powers enabling him in this behalf, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, after considering the recommendations of the Minimum Wages Advisory Committee constituted under Section 5(1) of the Minimum Wages Act, 1948 and also the advice of the Government is pleased to revise, as per Schedule below, the minimum rates of wages already fixed the Notification No.F.12(20)/92/MW/Lab/141 dated 15th Feb., 1994 in the Scheduled employment in Wood Working Establishment Including Saw Mills in the National Capital Territory of Delhi.

This notification shall come into force with effect from 1st April, 2011 from which date the Notification No.F.12(20)/92/MW/Lab/141 dated 15th Feb., 1994 shall cease to have effect.

SCHEDULE

EMPLOYMENT WOOD WORKING ESTABLISHMENT INCLUDING SAW MILLS

Class of Employees

Unskilled

1. Helper
2. Peon
3. Chowkidar
4. Sweeper
5. Mazdoor
6. Mali
7. Cartman
8. Any other unskilled category worker.

MINIMUM RATES OF WAGES

PERMONTH

PERDAY

Rs. 6422.00 Rs. 247.00

Semi-skilled

1. Khanawala
2. Foilder Fireman
3. Asstt. Mistry
4. Trolleyman
5. Asstt. Cutterman
6. Asstt. Polishman
7. Asstt. Fitter
8. Gittiman

Rs. 7098.00 Rs. 273.00

9. Any other Semi-skilled worker.

Skilled

- | | | | |
|-------------------------------|---------------------|-------------|------------|
| 1. Polishman | 2. Carpenter | Rs. 7826.00 | Rs. 301.00 |
| 3. Mistry | 4. Cutter | | |
| 5. Wood Turner | 6. Planner | | |
| 7. Machineman | 8. Blacksmith | | |
| 9. Fitter | 10. Band Saw Mistry | | |
| 11. Boilder Driver | 12. Tailor | | |
| 13. Up-Hostry Mistry | | | |
| 14. Cage Fitter | 15. Driver | | |
| 16. Wood Wool Mistry | | | |
| 17. Block Turner | | | |
| 18. Any other Skilled Worker. | | | |


Clerical and Non Technical Supervisory Staff

- | | | |
|-----------------------------------|-------------|------------|
| 1. Non-Matriculates | Rs. 7098.00 | Rs. 273.00 |
| 2. Matriculates but not Graduates | Rs. 7826.00 | Rs. 301.00 |
| 3. Graduates and above | Rs. 8502.00 | Rs. 327.00 |

- Note:
1. The minimum rates of wages being fixed are linked with All India Consumer Price Index (Base 2001=100).The present wages have been fixed on the basis of index number 171.33 which is the average of the index number for the period July to December 2010. The rate of adjustment is Rs. 1.35 per point for Unskilled, Rs. 1.50 per point for Semi skilled, Rs. 1.65 per point for Skilled, Rs. 1.50 per point for Non matriculates, Rs. 1.65 per point for Matriculates but not Graduate and Rs. 1.80 per point for Graduate and above. Adjustment will be made six monthly, i.e., on 1st April and 1st October each year after taking into account the average index numbers for July to December of the previous year and January to June of the current year respectively.
 2. The minimum rates of wages shall not be affected as a result of the linkage in as much as the wages shall not fall below those being fixed now.
 3. The daily amount of Dearness Allowance would be rounded off to the next higher rupee.
 4. The minimum rates of wages are inclusive of wages for weekly off day and no separate payment would be necessary on this account.

**By order and in the name of
the Lieutenant Governor of the**

National Capital Territory of Delhi.



(PIYUSH SHARMA)

JOINT SECRETARY(LABOUR)

Dated :

No12(20)/142/11/MW/Lab

**(TO BE PUBLISHED IN THE DELHI GAZETTE EXTRA ORDINARY PART IV)
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
(LABOUR DEPARTMENT)**

NOTIFICATION

No12(21)/142/11/MW/Lab/ In exercise of powers conferred by sub-section (2) of Section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (XI of 1948) read with the Government of India, Late Ministry of States Notification No.104-J dated 24th August, 1950 and Ministry of Home Affairs Notification No.S.O.530(F.2/9/66-UTL) dated 6th February, 1967 and all other powers enabling him in this behalf, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, after considering the recommendations of the Minimum Wages Advisory Committee constituted under Section 5(1) of the Minimum Wages Act, 1948 and also the advice of the Government is pleased to revise, as per Schedule below, the minimum rates of wages already fixed vide the Notification No.F.12(21)/92/MW/Lab/142 dated 15th Feb., 1994 in the Scheduled employment in Cement Working Establishment in the National Capital Territory of Delhi.

This notification shall come into force with effect from 1st April, 2011 from which date the Notification No.F.12(21)/92/MW/Lab/142 dated 15th Feb., 1994 shall cease to have effect.

SCHEDULE**'EMPLOYMENT IN CEMENT WORKING ESTABLISHMENT'**

<u>Class of Employees</u>	<u>MINIMUM RATES OF WAGES</u>	
<u>Unskilled</u>	<u>PERMONTH</u>	<u>OR PERDAY</u>
1. Mazdoor 2. Peon	Rs. 6422.00	Rs. 247.00
3. Chowkidar 4. Sweeper		
5. Any other unskilled worker.		
2. <u>Semi-skilled</u>		
1. Mixerman 2. Mason Gr.II	Rs. 7098.00	Rs. 273.00
3. Moulder 4. Assembler		
5. Electrician Gr.II		
6. Fitter Gr.II 7. Coater		
8. Tresting Head 9. Wire Drawing		
10. Wireman 11. Gardener		
12. Tank 13. Winders		
14. Any other Semi-Skilled worker.		
3. <u>Skilled</u>		
1. Walder and Fitter	Rs. 7826.00	Rs. 301.00
2. Supervisor, 3. Mason Gr.I		
4. Electrician Gr.I		

5. Fitter Gr.I,
6. Wireman Gr.I,
7. Mistry, 8. Latheman,
9. Any other skilled worker.

Clerical and Non-technical Supervisory Staff.

4. Non Matriculates	Rs. 7098.00	Rs. 273.00
5. Matriculates but not Graduates	Rs. 7826.00	Rs. 301.00
6. Graduates and above	Rs. 8502.00	Rs. 327.00

- Note: 1. The minimum rates of wages being fixed are linked with All India Consumer Price Index (Base 2001=100).The present wages have been fixed on the basis of index number 171.33 which is the average of the index number for the period July to December 2010. The rate of adjustment is Rs. 1.35 per point for Unskilled, Rs. 1.50 per point for Semi skilled, Rs. 1.65 per point for Skilled, Rs. 1.50 per point for Non matriculates, Rs. 1.65 per point for Matriculates but not Graduate and Rs. 1.80 per point for Graduate and above. Adjustment will be made six monthly, i.e., on 1st April and 1st October each year after taking into account the average index numbers for July to December of the previous year and January to June of the current year respectively.
2. The minimum rates of wages shall not be affected as a result of the linkage in as much as the wages shall not fall below those being fixed now.
 3. The daily amount of Dearness Allowance would be rounded off to the next higher rupee.
 4. The minimum rates of wages are inclusive of wages for weekly off day and no separate payment would be necessary on this account.

**By order and in the name of
the Lieutenant Governor of the
National Capital Territory of Delhi.**



**(PIYUSH SHARMA)
JOINT SECRETARY(LABOUR)
NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI**

No12(21)/142/11/MW/Lab/

Dated :

**(TO BE PUBLISHED IN THE DELHI GAZETTE EXTRA ORDINARY PART IV)
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
(LABOUR DEPARTMENT)**

NOTIFICATION

No12(22)/142/11/MW/Lab/ In exercise of powers conferred by sub-section (2) of Section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (XI of 1948) read with the Government of India, Late Ministry of States Notification No.104-J dated 24th August, 1950 and Ministry of Home Affairs Notification No.S.O.530(F.2/9/66-UTL) dated 6th February, 1967 and all other powers enabling him in this behalf, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, after considering the recommendations of the Minimum Wages Advisory Committee constituted under Section 5(1) of the Minimum Wages Act, 1948 and also the advice of the Government is pleased to revise, as per Schedule below, the minimum rates of wages already fixed vide the Notification No.F.12(22)/92/MW/Lab dated 15th Feb., 1994 in the Scheduled employment in "Employment in all Shops and other Establishments Covered by the Delhi Shops & Establishment Act-1954" the National Capital Territory of Delhi and not covered by any other scheduled employment .

This notification shall come into force with effect from 1st April, 2011 from which date the Notification No12(22)/92/11/MW/Lab/ dated 15th Feb., 1994 shall cease to have effect.

SCHEDULE

**'EMPLOYMENT IN ALL SHOPS AND OTHER ESTABLISHMENTS
COVERED BY THE DELHI SHOPS & ESTABLISHMENT ACT -1954 AND NOT
COVERED BY ANY OTHER SCHEDULED EMPLOYMENT .**

Class of Employees**MINIMUM RATES OF WAGES
PER MONTH OR PER DAY****Unskilled**

1. Peon				
2. Chowkidar				
3. Durban				
4. Packer	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
5. Watchman	Rs. 6422.00	Rs. 6297.00	Rs. 5628.00	Rs. 5521.00
6. Cleaner	Rs. 247.00	Rs. 242.00	Rs. 216.00	Rs. 212.00
7. Sweeper				
8. Kahar				
9. Massalachi				
10. Kneeder				
11. Mazdoor				
12. Loader				
13. Unloader				
14. Palledar				
15. Messenger				
16. Helper				
17. Mali (Mazdoor)				
18. Any other un-skilled worker.				

Semi-skilled

1. Gate keeper (Cinema)				
2. Lineman				
3. Asstt. Operator	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
4. Winder	Rs. 7098.00	Rs. 6973.00	Rs. 6304.00	Rs. 6197.00
5. Asstt. Electrician	Rs. 273.00	Rs. 268.00	Rs. 242.00	Rs. 238.00
(Cinema)				
6. Weightman				
7. Stock boy				
8. Bill Collector				
9. Canvasser				
10. Assistants				
11. Asstt. Cook				
12. Waitor or Bearer working in Western style (Hotels& Restaurants)				
13. Asstt. Halwai				
14. Book Binder (Ordinary)				
15. Book stitching (Ordinary)				
16. Ruling 17. Cutting				
18. Auctioner 19. Asstt. Kharidar				
20. Mali with technical experience				
21. Junior Hotel Guide				
22. Pantryman				
23. Room Bearer				
24. Night Bearer-cum-Chowkidar				
25. Asstt. Tandoori				
26. Asstt. Bakery Mistry				
27. Any other employee who do work generally of a well defined skilled and dexterity but of proper discharge of duties assigned to him for a relatively narrow job and where important decisions are made by others.				

Skilled

1. Cinema Operator	2. Electrician				
3. Mechanic	4. Tailors	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
5. Cooks (Hotel & Rstts.)		Rs. 7826.00	Rs. 7701.00	Rs. 7032.00	Rs. 6925.00
6. Dry Cleaners (Machine)		Rs. 301.00	Rs. 296.00	Rs. 270.00	Rs. 266.00
Operator)					
7. Washerman					
8. Ironman and Dyer (Both in Dry cleaning)					
9. Steward	10. Head Waiter				

11. Head Bearer
12. Carpenter
13. Polisher Gr.I
14. Fitter Gr.I
15. Film Repairer (Film Distributors)
16. Plumber
17. Hotel Guide
18. Tandoori Cook
19. Espressoman
20. Any other skilled not specifically mentioned.

- (i) Where neither meals nor lodging provided.
- (ii) Where only lodging is provided.
- (iii) Where only meals (Twice a day) are provided.
- (iv) Where both meals (Twice a day) and lodging are provided

Clerical & Supervisory Staff

	<u>Matriculates but not Graduates</u>	<u>Graduates & above</u>
1. Book Clerk	Rs. 7826.00	Rs. 301.00
2. Supervisor	Rs. 8502.00	Rs. 327.00
3. Typists		
4. Clerks		
5. Receptionist		
6. Telephone Operator		
7. Salesman		
8. Travelling Salesman		
9. Asstt. Accountant		
10. Godown Keeper		
11. Munim		
12. Store Keeper		
13. Kharidar		
14. Cashier		

Skilled A


1. Head Clerk
2. Accountant
3. Head Cashier
4. Head Operator
5. Asstt. Manager
6. Head Munim
7. Head Salesman
8. Stenographer
9. Cutter (Tailoring)
10. Head Booking Clerk
11. Film Representatives
12. Head Dispenser

THE WAGES OF THIS CATEGORY
WILL BE MORE THAN THE WAGES
FIXED FOR CLERICAL AND
SUPERVISORY STAFF NOTED ABOVE

13. Beauticians
14. Any other skilled employee who is capable of working effectively of exercising considerable independent judgement of discharging his duties with responsibility. He must possess although and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

- Note:
1. The minimum rates of wages being fixed are linked with All India Consumer Price Index (Base 2001=100). The present wages have been fixed on the basis of index number 171.33 which is the average of the index number for the period July to December 2010. The rate of adjustment is Rs. 1.35 per point for Unskilled, Rs. 1.50 per point for Semi skilled, Rs. 1.65 per point for Skilled, Rs. 1.50 per point for Non matriculates, Rs. 1.65 per point for Matriculates but not Graduate and Rs. 1.80 per point for Graduate and above. Adjustment will be made six monthly, i.e., on 1st April and 1st October each year after taking into account the average index numbers for July to December of the previous year and January to June of the current year respectively.
 2. The minimum rates of wages shall not be affected as a result of the linkage in as much as the wages shall not fall below those being fixed now.
 3. The daily amount of Dearness Allowance would be rounded off to the next higher rupee.
 4. The minimum rates of wages are inclusive of wages for weekly off day and no separate payment would be necessary on this account.
 5. These rates will not be operative in respect of these scheduled employments where minimum rates of wages have already been fixed by separate Notification.

**By order and in the name of
the Lieutenant Governor of the
National Capital Territory of Delhi.**



**(PIYUSH SHARMA)
JOINT SECRETARY(LABOUR)
NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI**

Dated :

No12(22)/142/11/MW/Lab

**दिल्ली राजपत्र के असाधारण भाग-4 में प्रकाशनार्थ
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
(श्रम विभाग)
'अधिसूचना'**

संख्या एफ. 12(1) (142)/11/न्यू0 वे0/श्रम /2023

दिनांक:- 26/07/2011

संख्या एफ. 12(1) (142)/11/न्यू0 वे0/श्रम/ भारत सरकार के भूतपूर्व प्रदेश मंत्रालय (मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटस) की अधिसूचना सं० 104-जे, दिनांक 24 अगस्त 1950 व गृहमंत्रालय की अधिसूचना सं० एस0ओ0 530 (एफ 2/9/66-यू0टी0एल0) दिनांक 6 फरवरी 1967 के साथ पठित न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 5 की उपधारा (2) के द्वारा और उन्हें इस संबंध में समर्थ बनाने वाली अन्य समस्त शक्तियों एवं प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के उपराज्यपाल उपरोक्त अधिनियम की धारा 5(1) के अन्तर्गत गठित समिति व सरकार की सिफारिशों पर विचार करने के उपरांत **सड़क एवं भवन निर्माण व रख रखाव** के अनुसूचित व्यवसाय में अधिसूचना संख्या. एफ 12 (1)/92/न्यू0 वे0/श्रम/125 दिनांक 15 फरवरी 1994 द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन की दरों को निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार सहर्ष पुनरीक्षित करते हैं।

यह अधिसूचना दिनांक 01 अप्रैल 2011 से लागू होगी और इस तिथि से अधिसूचना संख्या. एफ 12 (1)/92/न्यू0 वे0/श्रम/125 दिनांक 15 फरवरी 1994 रद्द मानी जायेगी

**अनुसूची
सड़क एवं भवन निर्माण व रख रखाव**

कर्मचारियों की श्रेणी	न्यूनतम वेतन की दरें	
	प्रतिमाह (रू०)	प्रतिदिन (रू०)
अकुशल पुरुष मजदूर महिला मजदूर मिस्त्री, फिटर, बढई का सहायक चौकीदार अन्य अकुशल कार्य करने वाला	6422.00	247.00
अर्धकुशल भिष्टी बंधनी	7098.00	273.00
कुशल 1. ग्लेजर 2. बढई ग्रेड-2 3. सैनेट्री फिटर ग्रेड-2	7826.00	301.00

4. स्प्रेमैन सड़क के लिए 5. मिस्त्री ग्रेड-2 6. ब्लैकस्मिथ ग्रेड-2		
अतिकुशल बढई ग्रेड-1 सैनेट्री फिटर ग्रेड-1 मिस्त्री या पर्यवेक्षक पेंटर मिस्त्री ग्रेड-1 ब्लैकस्मिथ ग्रेड-1	कुशल से अधिक	
क्लैरिकल एण्ड नॉन टैक्नीकल सुपरवाइजरी स्टॉफ		
1. नॉन मैट्रिकुलेट्स	7098.00	273.00
2. मैट्रिकुलेट्स तथा नॉन ग्रेजुएट्स	7826.00	301.00
3. ग्रेजुएट्स तथा इससे उपर	8502.00	327.00

टिप्पणी नं०-1

मजदूरी की न्यूनतम दरें जो निर्धारित की जा रही हैं वे अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबद्ध है। मजदूरी की वर्तमान दरें जो सूचकांक 171.33 के आधार पर निश्चित की गई हैं वे जुलाई से दिसम्बर-2010 की अवधि के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत पर आधारित (आधार वर्ष 2001 = 100) हैं। समायोजन की दर अकुशल के लिए रुपया 1.35 प्रति अंक, अर्धकुशल के लिए रुपया 1.50 प्रति अंक, कुशल के लिए रुपया 1.65 प्रति अंक, नान मैट्रिकुलेट्स के लिए रुपया 1.50 प्रति अंक, मैट्रिकुलेट्स किन्तु गैर स्नातक के लिए रुपया 1.65 प्रति अंक और स्नातक और उसके उपर के लिए रुपया 1.80 प्रति अंक होगा। प्रत्येक वर्ष समायोजन छःमाही आधार पर किया जायेगा जो प्रत्येक वर्ष प्रथम अप्रैल एवं प्रथम अक्टूबर में होगा जो कि पिछले वर्ष के जुलाई से दिसम्बर एवं इस वर्ष जनवरी से जून क्रमशः के औसत सूचकांक को ध्यान में रखकर किया जायेगा।

टिप्पणी नं०-2

अब नियत की जा रही मजदूरी की न्यूनतम दरें सहलग्नता के परिणामस्वरूप इन दरों से कम नहीं होंगी।


टिप्पणी नं०-3

दैनिक मंहगाई भत्ते की गणना करते समय निकटतम उच्च रूपये में पूर्णांक में बदला जायेगा।

टिप्पणी नं०-4

दैनिक न्यूनतम वेतन की दरों में साप्ताहिक अवकाश का वेतन भी सम्मिलित है, जिसके लिए अलग से वेतन देने की आवश्यकता नहीं है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के
उपराज्यपाल के आदेशानुसार तथा उनके नाम पर



(पीयूष शर्मा)

संयुक्त सचिव (श्रम),
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

संख्या एफ. 12(1) (142)/11/न्यू0 वे0/श्रम /

दिनांक.....

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित:-

1. उप-सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, दिल्ली को आज के असाधारण राजपत्र भाग-4 में प्रकाशनार्थ । (दो प्रतियां)
2. सचिव, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली ।
3. प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल, रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार
4. प्रधान सचिव, माननीया मुख्यमंत्री, रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार
5. सचिव, माननीय मंत्री(शिक्षा, परिवहन, गुरुद्वारा चुनाव व प्रशासन), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
6. सचिव, माननीय मंत्री (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, रोजगार, राजस्व, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
7. सचिव, माननीय मंत्री (विद्युत, खाद्य एवं संभरण, विकास), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
8. सचिव, माननीय मंत्री (समाज कल्याण, महिला एवं बाल विभाग, भाशा), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
9. सचिव, माननीय मंत्री (लोक निर्माण विभाग, अनु.जा./जन जा. कल्याण विभाग, शहरी विकास, भूमि एवं भवन), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
10. सचिव, माननीय मंत्री (उद्योग, श्रम, चुनाव), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
11. सचिव, दिल्ली विधान सभा, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार, माननीय अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के सूचनार्थ
12. मुख्य सचिव के विशेष कार्य अधिकारी, रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार, प्लेयर्स बिल्डिंग, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली
13. प्रधान सचिव (श्रम), द्वितीय तल, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली
14. श्रम आयुक्त, 5 शाम नाथ मार्ग, दिल्ली
15. दिल्ली सरकार के सभी विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ ।
16. मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय), भारत सरकार, श्रम शाक्ति भवन, रफी मार्ग, दिल्ली ।
17. सचिव श्रम - हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान और यू0टी0, चंडीगढ़ ।
18. महासचिव, भा0म0संघ0 ईटक, सीटू, एटक, एच0एम0एस0 ।

19. महासचिव, सी0आई0आई0,फिक्की, पी0एच0डी0सी0सी0आई0, एसोचैम, इस अनुरोध के साथ कि इस आदेश की प्रति स्थानीय नियोजकों के संगठनों को इस निर्देश के साथ प्रेषित करें कि सभी संस्थान अपने यहाँ कार्यरत श्रमिकों को संशोधित दरों के आधार पर भुगतान करें । परिपत्रों की एक प्रति इस कार्यालय को भी प्रेषित करने का कष्ट करें ।
20. सभी जिला संयुक्त एवं उप-श्रमायुक्तों को दस अतिरिक्त प्रतियाँ, ट्रेड यूनियन और नियोक्ता संघों में वितरण के लिए ।
21. उप-सचिव (वित्त) रा0रा0 क्षेत्र, दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि वे रा0रा0 क्षेत्र दिल्ली सरकार के कार्यालयों में नियोजित कामगारों को दी जाने वाली मजदूरी से संबंधित निर्देश जारी करें ।
22. क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय), श्रम मंत्रालय, बी-ब्लॉक, कर्जन रोड बैरेक, के0जी0मार्ग, नई दिल्ली ।
23. उप-निदेशक, न्यूनतम मजदूरी, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली
24. संयुक्त निदेशक, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, श्रम ब्यूरो, एस0सी0ओ0, 28-31, सैक्टर-17(ए), चंडीगढ़-160017
25. सहायक निदेशक (योजना), श्रम विभाग, दिल्ली को सांख्यिकी व वेबसाईट में शामिल करने के लिए तथा विधानसभा के पटल पर रखने के लिए ।
26. पुस्तकालयाध्यक्ष, श्रमायुक्त कार्यालय, 5-शामनाथ मार्ग, दिल्ली-110054
27. गार्ड फाईल ।

संयुक्त सचिव (श्रम)

दिल्ली राजपत्र के असाधारण भाग-4 में प्रकाशनार्थ
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
(श्रम विभाग)
'अधिसूचना

संख्या एफ. 12 (2) (142)/11/न्यू0 वे0/श्रम/2024

दिनांक:- 26/07/2011

संख्या एफ. 12(2) (142)/11/न्यू0 वे0/श्रम/ भारत सरकार के भूतपूर्व प्रदेश मंत्रालय (मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटस) की अधिसूचना सं० 104-जे, दिनांक 24 अगस्त 1950 व गृहमंत्रालय की अधिसूचना सं० एस0ओ0 530 (एफ 2/9/66-यू0टी0एल0) दिनांक 6 फरवरी 1967 के साथ पठित न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 5 की उपधारा (2) के द्वारा और उन्हें इस संबंध में समर्थ बनाने वाली अन्य समस्त शक्तियों एवं प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के उपराज्यपाल उपरोक्त अधिनियम की धारा 5(1) के अन्तर्गत गठित समिति व सरकार की सिफारिशों पर विचार करने के उपरांत **दाल तथा आटा मिल** के अनुसूचित व्यवसाय में अधिसूचना संख्या. एफ 12 (2)/92/न्यू0 वे0/श्रम/125 दिनांक 15 फरवरी 1994 द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन की दरों को निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार सहर्ष पुनरीक्षित करते हैं।

यह अधिसूचना दिनांक 01 अप्रैल 2011 से लागू होगी और इस तिथि से अधिसूचना संख्या. एफ 12 (2)/92/न्यू0 वे0/श्रम/125 दिनांक 15 फरवरी 1994 रद्द मानी जायेगी

अनुसूची
दाल तथा आटा मिल व्यवसाय

कर्मचारियों की श्रेणी	न्यूनतम वेतन की दरें	
	प्रतिमाह (रू०)	प्रतिदिन (रू०)
अकुशल फिटर का सहायक ब्लैक स्मिथ का सहायक बढई का सहायक तथा अन्य अदक्ष कर्मचारी पल्लेदार	6422.00	247.00
अर्धकुशल वाशरमैन, रोलमैन, सिल्कमैन मोची, फायरमैन, सहायक फिटर सहायक मैशन, सहायक ब्लैकस्मिथ सहायक कारपेंटर, सहायक टर्नर अन्य अर्धदक्ष कार्य करता हो	7098.00	273.00
कुशल 1. मिस्ट्री, 2. फिटर, 3. टर्नर, 4. ब्लैकस्मिथ, 5. कारपेंटर, 6.इलैक्ट्रिशियन ग्रेड-2, 7. मैशन, 8. मोटर या लारी ड्राईवर, 9. ग्रवर, 10. अन्य दक्ष कार्य करता हो	7826.00	301.00

अतिकुशल फोरमैन या हैड मिस्त्री इलैक्ट्रिशियन ग्रेड-1 सहायक फिल्लर	कुशल से अधिक	
क्लैरिकल एण्ड नॉन टैक्नीकल सुपरवाइजरी स्टॉफ		
1. नॉन मैट्रिकुलेट्स	7098.00	273.00
2. मैट्रीकुलेट्स तथा नॉन ग्रेजुएट्स	7826.00	301.00
3. ग्रेजुएट्स तथा इससे उपर	8502.00	327.00

टिप्पणी नं०-1

मजदूरी की न्यूनतम दरें जो निर्धारित की जा रही हैं वे अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबद्ध है। मजदूरी की वर्तमान दरें जो सूचकांक 171.33 के आधार पर निश्चित की गई हैं वे जुलाई से दिसम्बर-2010 की अवधि के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत पर आधारित (आधार वर्ष 2001 = 100) हैं। समायोजन की दर अकुशल के लिए रुपया 1.35 प्रति अंक, अर्धकुशल के लिए रुपया 1.50 प्रति अंक, कुशल के लिए रुपया 1.65 प्रति अंक, नान मैट्रीकुलैट्स के लिए रुपया 1.50 प्रति अंक, मैट्रीकुलैट्स किन्तु गैर स्नातक के लिए रुपया 1.65 प्रति अंक और स्नातक और उसके उपर के लिए रुपया 1.80 प्रति अंक होगा। प्रत्येक वर्ष समायोजन छःमाही आधार पर किया जायेगा जो प्रत्येक वर्ष प्रथम अप्रैल एवं प्रथम अक्टूबर में होगा जो कि पिछले वर्ष के जुलाई से दिसम्बर एवं इस वर्ष जनवरी से जून कमषः के औसत सूचकांक को ध्यान में रखकर किया जायेगा।

टिप्पणी नं०-2

अब नियत की जा रही मजदूरी की न्यूनतम दरें सहलग्नता के परिणामस्वरूप इन दरों से कम नहीं होंगी।


टिप्पणी नं०-3

दैनिक मंहगाई भत्ते की गणना करते समय निकटतम उच्च रूपये में पूर्णांक में बदला जायेगा।

टिप्पणी नं०-4

दैनिक न्यूनतम वेतन की दरों में साप्ताहिक अवकाश का वेतन भी सम्मिलित है, जिसके लिए अलग से वेतन देने की आवश्यकता नहीं है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के
उपराज्यपाल के आदेशानुसार तथा उनके नाम पर



(पीयूष शर्मा)

संयुक्त सचिव (श्रम),
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित:-

1. उप-सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, दिल्ली को आज के असाधारण राजपत्र भाग-4 में प्रकाशनार्थ । (दो प्रतियां)
2. सचिव, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली ।
3. प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल, रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार
4. प्रधान सचिव, माननीया मुख्यमंत्री, रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार
5. सचिव, माननीय मंत्री(शिक्षा, परिवहन, गुरुद्वारा चुनाव व प्रशासन), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
6. सचिव, माननीय मंत्री (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, रोजगार, राजस्व, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
7. सचिव, माननीय मंत्री (विद्युत, खाद्य एवं संभरण, विकास), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
8. सचिव, माननीय मंत्री (समाज कल्याण, महिला एवं बाल विभाग, भाशा), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
9. सचिव, माननीय मंत्री (लोक निर्माण विभाग, अनु.जा./जन जा. कल्याण विभाग, शहरी विकास, भूमि एवं भवन), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
10. सचिव, माननीय मंत्री (उद्योग, श्रम, चुनाव), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
11. सचिव, दिल्ली विधान सभा, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार, माननीय अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के सूचनार्थ
12. मुख्य सचिव के विशेष कार्य अधिकारी, रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार, प्लेयर्स बिल्डिंग, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली
13. प्रधान सचिव (श्रम), द्वितीय तल, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली
14. श्रम आयुक्त, 5 शाम नाथ मार्ग, दिल्ली
15. दिल्ली सरकार के सभी विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ ।
16. मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय), भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, दिल्ली ।
17. सचिव श्रम - हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान और यू0टी0, चंडीगढ़ ।
18. महासचिव, भा0म0संघ0 ईटक, सीटू, एटक, एच0एम0एस0 ।
19. महासचिव, सी0आई0आई0,फिक्की, पी0एच0डी0सी0सी0आई0, एसोचैम, इस अनुरोध के साथ कि इस आदेश की प्रति स्थानीय नियोजकों के संगठनों को इस निर्देश के साथ प्रेषित करें कि सभी संस्थान अपने यहाँ कार्यरत श्रमिकों को संशोधित दरों के आधार पर भुगतान करें । परिपत्रों की एक प्रति इस कार्यालय को भी प्रेषित करने का कष्ट करें ।
20. सभी जिला संयुक्त एवं उप-श्रमायुक्तों को दस अतिरिक्त प्रतियाँ, ट्रेड यूनियन और नियोक्ता संघों में वितरण के लिए ।

21. उप-सचिव (वित्त) रा0रा0 क्षेत्र, दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि वे रा0रा0 क्षेत्र दिल्ली सरकार के कार्यालयों में नियोजित कामगारों को दी जाने वाली मजदूरी से संबंधित निर्देश जारी करें ।
22. क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय), श्रम मंत्रालय, बी-ब्लॉक, कर्जन रोड बैरेक, के0जी0मार्ग, नई दिल्ली ।
23. उप-निदेशक, न्यूनतम मजदूरी, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, श्रम षक्ति भवन, नई दिल्ली
24. संयुक्त निदेशक, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, श्रम ब्यूरो, एस0सी0ओ0, 28-31, सैक्टर-17(ए), चंडीगढ़-160017
25. सहायक निदेशक (योजना), श्रम विभाग, दिल्ली को सांख्यिकी व वेबसाईट में शामिल करने के लिए तथा विधानसभा के पटल पर रखने के लिए ।
26. पुस्तकालयाध्यक्ष, श्रमायुक्त कार्यालय, 5-शामनाथ मार्ग, दिल्ली-110054
27. गार्ड फाईल ।

संयुक्त सचिव (श्रम)

दिल्ली राजपत्र के असाधारण भाग-4 में प्रकाशनार्थ
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
(श्रम विभाग)
'अधिसूचना'

संख्या एफ. 12 (3)(142)/11/न्यू वे0/श्रम/2025

दिनांक:- 26/07/2011

संख्या एफ. 12 (3)/142/न्यू वे0/श्रम/ भारत सरकार के भूतपूर्व प्रदेश मंत्रालय (मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स) की अधिसूचना सं0 104-जे, दिनांक 24 अगस्त 1950 व गृहमंत्रालय की अधिसूचना सं.0 एस0ओ0 530 (एफ 2/9/66-यू0टी0एल0) दिनांक 6 फरवरी 1967 के साथ पठित न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 5 की उपधारा (2) के द्वारा और उन्हें इस संबंध में समर्थ बनाने वाली अन्य समस्त शक्तियों एवं प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के उपराज्यपाल उपरोक्त अधिनियम की धारा 5(1) के अन्तर्गत गठित समिति व सरकार की सिफारिशों पर विचार करने के उपरांत **स्टोन ब्रेकिंग /स्टोन कशिंग का व्यवसाय** के अनुसूचित व्यवसाय में अधिसूचना संख्या एफ 12 (3)/92/न्यू वे0/श्रम/126 दिनांक 15 फरवरी 1994 द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन की दरों को निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार सहर्ष पुनरीक्षित करते हैं।

यह अधिसूचना दिनांक 01 अप्रैल 2011 से लागू होगी और इस तिथि से अधिसूचना संख्या एफ 12 (3)/92/न्यू वे0/श्रम/126 दिनांक 15 फरवरी 1994 रद्द मानी जायेगी

अनुसूची
स्टोन ब्रेकिंग /स्टोन कशिंग का व्यवसाय

कर्मचारी की श्रेणी	न्यूनतम वेतन की दरें	
	प्रतिमाह (रू0)	प्रतिदिन (रू0)
अकुशल सहायक चपरासी चौकीदार दूसरी श्रेणी जो कि अदक्ष प्रकार की हो	6422.00	247.00
अर्धकुशल आयलमैन सहायक बिकेटरस्मिथ सहायक ब्लैकस्मिथ सहायक मैकेनिक स्टोन ब्रेकर स्टोन राक ब्रेकर स्टोन कैरियर अन्य अर्धदक्ष कार्य करता हो	7098.00	273.00
कुशल झाईवर मेकर एण्ड रिपेर एंड मैन्टेनेंस फिटर ग्रेड-1	7826.00	301.00

मिस्त्री हैड मिस्त्री कारपेंटर ब्लैकस्मिथ ग्रेड.1 इलैक्ट्रिशियन टर्नर ग्रेड-1 मैकेनिक ग्रेड-1 वैल्डर ग्रेड-1 कुशन मेकर टिनस्मिथ ग्रेड-1 मोल्डर मैन ग्रेड-1 बोरिंग मैन ग्रेड-1 बाडी फिटर बैटरीमैन पेंटर अन्य स्किल्ड कार्य करता हो		
क्लैरिकल एण्ड नॉन टैक्नीकल सुपरवाइजरी स्टॉफ		
1. नॉन मैट्रीकुलेट्स	7098.00	273.00
2. मैट्रीकुलेट्स तथा नॉन ग्रेजुएट्स	7826.00	301.00
3. ग्रेजुएट्स तथा इससे उपर	8502.00	327.00

टिप्पणी नं०-1

मजदूरी की न्यूनतम दरें जो निर्धारित की जा रही हैं वे अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबद्ध है। मजदूरी की वर्तमान दरें जो सूचकांक 171.33 के आधार पर निश्चित की गई हैं वे जुलाई से दिसम्बर-2010 की अवधि के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत पर आधारित (आधार वर्ष 2001 = 100) हैं। समायोजन की दर अकुशल के लिए रुपया 1.35 प्रति अंक, अर्धकुशल के लिए रुपया 1.50 प्रति अंक, कुशल के लिए रुपया 1.65 प्रति अंक, नान मैट्रीकुलैट्स के लिए रुपया 1.50 प्रति अंक, मैट्रीकुलैट्स किन्तु गैर स्नातक के लिए रुपया 1.65 प्रति अंक और स्नातक और उसके उपर के लिए रुपया 1.80 प्रति अंक होगा। प्रत्येक वर्ष समायोजन छःमाही आधार पर किया जायेगा जो प्रत्येक वर्ष प्रथम अप्रैल एवं प्रथम अक्टूबर में होगा जो कि पिछले वर्ष के जुलाई से दिसम्बर एवं इस वर्ष जनवरी से जून कमषः के औसत सूचकांक को ध्यान में रखकर किया जायेगा।

टिप्पणी नं०-2

अब नियत की जा रही मजदूरी की न्यूनतम दरें सहलग्नता के परिणामस्वरूप इन दरों से कम नहीं होंगी।


टिप्पणी नं०-3

दैनिक मंहगाई भत्ते की गणना करते समय निकटतम उच्च रूपये में पूर्णांक में बदला जायेगा।

टिप्पणी नं०-4

दैनिक न्यूनतम वेतन की दरों में साप्ताहिक अवकाश का वेतन भी सम्मिलित है, जिसके लिए अलग से वेतन देने की आवश्यकता नहीं है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के
उपराज्यपाल के आदेशानुसार तथा उनके नाम पर



(पीयूष शर्मा)

संयुक्त सचिव (श्रम),
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

संख्या एफ. 12 (3)(142)/11/न्यू0 वे0/श्रम/

दिनांक.....

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित:-

1. उप-सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, दिल्ली को आज के असाधारण राजपत्र भाग-4 में प्रकाशनार्थ (दो प्रतियां)
2. सचिव, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली ।
3. प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल, रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार
4. प्रधान सचिव, माननीया मुख्यमंत्री, रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार
5. सचिव, माननीय मंत्री(शिक्षा, परिवहन, गुरुद्वारा चुनाव व प्रशासन), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
6. सचिव, माननी मंत्री (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, रोजगार, राजस्व, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
7. सचिव, माननीय मंत्री (विद्युत, खाद्य एवं संभरण, विकास), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
8. सचिव, माननीय मंत्री (समाज कल्याण, महिला एवं बाल विभाग, भाशा), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
9. सचिव, माननीय मंत्री (लोक निर्माण विभाग, अनु.जा./जन जा. कल्याण विभाग, शहरी विकास, भूमि एवं भवन), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
10. सचिव, माननीय मंत्री (उद्योग, श्रम, चुनाव), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
11. सचिव, दिल्ली विधान सभा, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार, माननीय अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के सूचनार्थ
12. मुख्य सचिव के विशेष कार्य अधिकारी, रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार, प्लेयर्स बिल्डिंग, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली
13. प्रधान सचिव (श्रम), द्वितीय तल, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली
14. श्रम आयुक्त, 5 शाम नाथ मार्ग, दिल्ली

15. दिल्ली सरकार के सभी विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ ।
16. मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय), भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, दिल्ली ।
17. सचिव श्रम – हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान और यू0टी0, चंडीगढ़ ।
18. महासचिव, भा0म0संघ0 ईटक, सीटू, एटक, एच0एम0एस0 ।
19. महासचिव, सी0आई0आई0,फिक्की, पी0एच0डी0सी0सी0आई0, एसोचैम, इस अनुरोध के साथ कि इस आदेश की प्रति स्थानीय नियोजकों के संगठनों को इस निर्देश के साथ प्रेषित करें कि सभी संस्थान अपने यहाँ कार्यरत श्रमिकों को संशोधित दरों के आधार पर भुगतान करें । परिपत्रों की एक प्रति इस कार्यालय को भी प्रेषित करने का कष्ट करें ।
20. सभी जिला संयुक्त एवं उप-श्रमायुक्तों को दस अतिरिक्त प्रतियाँ, ट्रेड यूनियन और नियोक्ता संघों में वितरण के लिए ।
21. उप-सचिव (वित्त) रा0रा0 क्षेत्र, दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि वे रा0रा0 क्षेत्र दिल्ली सरकार के कार्यालयों में नियोजित कामगारों को दी जाने वाली मजदूरी से संबंधित निर्देश जारी करें ।
22. क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय), श्रम मंत्रालय, बी-ब्लॉक, कर्जन रोड बैरेक, के0जी0मार्ग, नई दिल्ली ।
23. उप-निदेशक, न्यूनतम मजदूरी, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली
24. संयुक्त निदेशक, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, श्रम ब्यूरो, एस0सी0ओ0, 28-31, सैक्टर-17(ए), चंडीगढ़-160017
25. सहायक निदेशक (योजना), श्रम विभाग, दिल्ली को सांख्यिकी व वेबसाइट में शामिल करने के लिए तथा विधानसभा के पटल पर रखने के लिए ।
26. पुस्तकालयाध्यक्ष, श्रमायुक्त कार्यालय, 5-षामनाथ मार्ग, दिल्ली-110054
27. गार्ड फाईल ।

संयुक्त सचिव (श्रम)

**दिल्ली राजपत्र के असाधारण भाग-4 में प्रकाशनार्थ
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
(श्रम विभाग)
'अधिसूचना'**

संख्या एफ. 12 (4)(142)/11/न्यू वे0/श्रम/2026

दिनांक:- 26/07/2011

संख्या एफ. 12 (4)/142/न्यू वे0/श्रम/ भारत सरकार के भूतपूर्व प्रदेश मंत्रालय (मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटस) की अधिसूचना सं0 104-जे, दिनांक 24 अगस्त 1950 व गृहमंत्रालय की अधिसूचना सं.0 एस0ओ0 530 (एफ 2/9/66-यू0टी0एल0) दिनांक 6 फरवरी 1967 के साथ पठित न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 5 की उपधारा (2) के द्वारा और उन्हें इस संबंध में समर्थ बनाने वाली अन्य समस्त शक्तियों एवं प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के उपराज्यपाल उपरोक्त अधिनियम की धारा 5(1) के अन्तर्गत गठित समिति व सरकार की सिफारिशों पर विचार करने के उपरांत 'पब्लिक मोटर ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय' के अनुसूचित व्यवसाय में अधिसूचना संख्या एफ 12 (4)/92/न्यू वे0/श्रम/127 दिनांक 15 फरवरी 1994 द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन की दरों को निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार सहर्ष पुनरीक्षित करते हैं।

यह अधिसूचना दिनांक 01 अप्रैल 2011 से लागू होगी और इस तिथि से अधिसूचना संख्या एफ 12 (4)/92/न्यू वे0/श्रम/127 दिनांक 15 फरवरी 1994 रद्द मानी जायेगी

**अनुसूची
पब्लिक मोटर ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय**

कर्मचारी की श्रेणी	न्यूनतम वेतन की दरें	
	प्रतिमाह (रू0)	प्रतिदिन (रू0)
अकुशल	6422.00	247.00
1. हैल्पर टू फिटर 2. हैल्पर टू ब्लैकस्मिथ 3. हैल्पर टू कारपेंटर 4. हैल्पर टू पेंटर 5. अन्य अनस्किल्ड कार्य करता हो		
अर्धकुशल	7098.00	273.00
1. कंडक्टर 2. सहायक फिटर और फिटर ग्रेड-2 3. मैकेनिक ग्रेड-2 4. ब्लैकस्मिथ ग्रेड-2 5. कारपेंटर ग्रेड-2 6. टोनस्मिथ ग्रेड-2 7. सोल्डरमैन ग्रेड-2 8. बेरिंग मैन ग्रेड-2 9. वैल्डर ग्रेड-2 10. टनर ग्रेड-2		

11. अन्य सैमी स्किल्ड कार्य करता हो		
कुशल	7826.00	301.00
1. ड्राईवर		
2. चैकर		
3. फिटर, ग्रेड-1		
4. मिस्त्री		
5. हैड मिस्त्री		
6. कारपेंटर ग्रेड-1		
7. ब्लैकस्मिथ ग्रेड-1		
8. इलैक्ट्रीषियन		
9. टर्नर ग्रेड-1		
10. मैकेनिक ग्रेड-1		
11. वैल्डर ग्रेड-1		
12. क्यूजन मेकर		
13. टिन स्मिथ ग्रेड-1		
14. सोल्जरमैन ग्रेड-1		
15. बोरिंगमैन ग्रेड-1		
16. बॉडी फिटर		
17. बैट्रीमैन		
18. पेंटर		
लिपिक वर्गीय तथा अतकनीकी स्टॉफ		
1. नॉन मैट्रीकुलेट्स	7098.00	273.00
2. मैट्रीकुलेट्स तथा नॉन ग्रेजुएट्स	7826.00	301.00
3. ग्रेजुएट्स तथा इससे उपर	8502.00	327.00

टिप्पणी नं0-1

मजदूरी की न्यूनतम दरें जो निर्धारित की जा रही हैं वे अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबद्ध है। मजदूरी की वर्तमान दरें जो सूचकांक 171.33 के आधार पर निश्चित की गई हैं वे जुलाई से दिसम्बर-2010 की अवधि के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत पर आधारित (आधार वर्ष 2001 = 100) हैं। समायोजन की दर अकुषल के लिए रुपया 1.35 प्रति अंक, अर्धकुशल के लिए रुपया 1.50 प्रति अंक, कुशल के लिए रुपया 1.65 प्रति अंक, नान मैट्रीकुलैट्स के लिए रुपया 1.50 प्रति अंक, मैट्रीकुलैट्स किन्तु गैर स्नातक के लिए रुपया 1.65 प्रति अंक और स्नातक और उसके उपर के लिए रुपया 1.80 प्रति अंक होगा। प्रत्येक वर्ष समायोजन छःमाही आधार पर किया जायेगा जो प्रत्येक वर्ष प्रथम अप्रैल एवं प्रथम अक्टूबर में होगा जो कि पिछले वर्ष के जुलाई से दिसम्बर एवं इस वर्ष जनवरी से जून क्रमशः के औसत सूचकांक को ध्यान में रखकर किया जायेगा।

टिप्पणी नं0-2

अब नियत की जा रही मजदूरी की न्यूनतम दरें सहलग्नता के परिणामस्वरूप इन दरों से कम नहीं होंगी।


टिप्पणी नं0-3

दैनिक मंहगाई भत्ते की गणना करते समय निकटतम उच्च रूपये में पूर्णांक में बदला जायेगा।

टिप्पणी नं०-4

दैनिक न्यूनतम वेतन की दरों में साप्ताहिक अवकाश का वेतन भी सम्मिलित है, जिसके लिए अलग से वेतन देने की आवश्यकता नहीं है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के
उपराज्यपाल के आदेशानुसार तथा उनके नाम पर



(पीयूष शर्मा)

संयुक्त सचिव (श्रम),
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
दिनांक.....

संख्या एफ. 12 (4)(142)/11/न्यू0 वे0/श्रम/

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित:-

1. उप-सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, दिल्ली को आज के असाधारण राजपत्र भाग-4 में प्रकाशनार्थ (दो प्रतियां)
2. सचिव, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली।
3. प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल, रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार
4. प्रधान सचिव, माननीया मुख्यमंत्री, रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार
5. सचिव, माननीय मंत्री(शिक्षा, परिवहन, गुरुद्वारा चुनाव व प्रशासन), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
6. सचिव, माननीय मंत्री (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, रोजगार, राजस्व, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
7. सचिव, माननीय मंत्री (विद्युत, खाद्य एवं संभरण, विकास), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
8. सचिव, माननीय मंत्री (समाज कल्याण, महिला एवं बाल विभाग, भाशा), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
9. सचिव, माननीय मंत्री (लोक निर्माण विभाग, अनु.जा./जन जा. कल्याण विभाग, शहरी विकास, भूमि एवं भवन), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
10. सचिव, माननीय मंत्री (उद्योग, श्रम, चुनाव), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
11. सचिव, दिल्ली विधान सभा, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार, माननीय अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के सूचनार्थ
12. मुख्य सचिव के विशेष कार्य अधिकारी, रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार, प्लेयर्स बिल्डिंग, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली
13. प्रधान सचिव (श्रम), द्वितीय तल, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली

14. श्रम आयुक्त, 5 शाम नाथ मार्ग, दिल्ली
15. दिल्ली सरकार के सभी विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ ।
16. मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय), भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, दिल्ली ।
17. सचिव श्रम – हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान और यू0टी0, चंडीगढ ।
18. महासचिव, भा0म0संघ0 ईंटक, सीटू, एटक, एच0एम0एस0 ।
19. महासचिव, सी0आई0आई0,फिक्की, पी0एच0डी0सी0सी0आई0, एसोचैम, इस अनुरोध के साथ कि इस आदेश की प्रति स्थानीय नियोजकों के संगठनों को इस निर्देश के साथ प्रेषित करें कि सभी संस्थान अपने यहाँ कार्यरत श्रमिकों को संशोधित दरों के आधार पर भुगतान करें । परिपत्रों की एक प्रति इस कार्यालय को भी प्रेषित करने का कष्ट करें ।
20. सभी जिला संयुक्त एवं उप-श्रमायुक्तों को दस अतिरिक्त प्रतियाँ, ट्रेड यूनियन और नियोक्ता संघों में वितरण के लिए ।
21. उप-सचिव (वित्त) रा0रा0 क्षेत्र, दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि वे रा0रा0 क्षेत्र दिल्ली सरकार के कार्यालयों में नियोजित कामगारों को दी जाने वाली मजदूरी से संबंधित निर्देश जारी करें ।
22. क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय), श्रम मंत्रालय, बी-ब्लॉक, कर्जन रोड बैरेक, के0जी0मार्ग, नई दिल्ली ।
23. उप-निदेशक, न्यूनतम मजदूरी, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली
24. संयुक्त निदेशक, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, श्रम ब्यूरो, एस0सी0ओ0, 28-31, सैक्टर-17(ए), चंडीगढ-160017
25. सहायक निदेशक (योजना), श्रम विभाग, दिल्ली को सांख्यिकी व वेबसाईट में शामिल करने के लिए तथा विधानसभा के पटल पर रखने के लिए ।
26. पुस्तकालयाध्यक्ष, श्रमायुक्त कार्यालय, 5-शामनाथ मार्ग, दिल्ली-110054
27. गार्ड फाईल ।

संयुक्त सचिव (श्रम)

दिल्ली राजपत्र के असाधारण भाग-4 में प्रकाशनार्थ
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
(श्रम विभाग)
'अधिसूचना'

संख्या एफ. 12 (5)(142)/11/न्यू वे 0/श्रम/2027

दिनांक:- 26/07/2011

संख्या एफ. 12 (5)/142/न्यू वे 0/श्रम/ भारत सरकार के भूतपूर्व प्रदेश मंत्रालय (मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटस) की अधिसूचना सं० 104-जे, दिनांक 24 अगस्त 1950 व गृहमंत्रालय की अधिसूचना सं० एस०ओ० 530 (एफ 2/9/66-यू०टी०एल०) दिनांक 6 फरवरी 1967 के साथ पठित न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 5 की उपधारा (2) के द्वारा और उन्हें इस संबंध में समर्थ बनाने वाली अन्य समस्त शक्तियों एवं प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के उपराज्यपाल उपरोक्त अधिनियम की धारा 5(1) के अन्तर्गत गठित समिति व सरकार की सिफारिशों पर विचार करने के उपरांत '**पॉट्री उद्योग का व्यवसाय**' के अनुसूचित व्यवसाय में अधिसूचना संख्या एफ 12 (5)/92/न्यू वे 0/श्रम/128 दिनांक 15 फरवरी 1994 द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन की दरों को निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार सहर्ष पुनरीक्षित करते हैं।

यह अधिसूचना दिनांक 01 अप्रैल 2011 से लागू होगी और इस तिथि से अधिसूचना संख्या एफ 12 (5)/92/न्यू वे 0/श्रम/128 दिनांक 15 फरवरी 1994 रद्द मानी जायेगी

अनुसूची

पॉट्री उद्योग का व्यवसाय

कर्मचारी की श्रेणी	न्यूनतम वेतन की दरें	
	प्रतिमाह (रू०)	प्रतिदिन (रू०)
अकुशल	6422.00	247.00
<ol style="list-style-type: none"> 1. आगवाला (साधारण फैंक्ट्री) 2. पॉट्री ग्रह कर्मचारी फिटर प्रेसिंग तथा पैकिंग समेत 3. सागर बनाने वाला (मशीन पर) 4. लेजिंग वाइपिंग 5. सागर ढलैया तथा उत्तरैया भट्टियां 6. चौकीदार 7. चपरासी 8. सफाई कर्मचारी 9. सहायक या मजदूर 10. जोलिंग या राई प्रेसिंग 11. फिनिशिंग या कास्टिंग 12. हैण्डल जोनिंग 13. सीटिंग एंड पैकिंग 14. स्टेपिंग तथा लाइटिंग आदि 15. अन्य अदक्ष कार्य करता हो 		
अर्धकुशल	7098.00	273.00
<ol style="list-style-type: none"> 1. बर्तन बनाने वाला (6 पौण्ड की क्षमता तक बनाना) 		

2. आग वाला (सरंग भट्टी) 3. मुख्य आग वाला (साधारण भट्टी) 4. कलर स्प्रेयर्स (इंकलडिंग ग्लेडिंग स्प्रे) 5. सहायक लैथान 6. हाथ से सागर बनाने वाला 7. अन्य अर्धदक्ष कार्य करता हो		
कुशल 1. बर्तन बनाने वाला (6 पौण्ड से 15 पौण्ड तक) 2. डाई फिटर 3. अन्य दक्ष कार्य करता हो	7826.00	301.00
अति कुशल 1. बर्तन बनाने वाला (15 पौण्ड की क्षमता से उपर) 2. माडलर, 3. डाई बनाने वाला, 4. कलाकार (आर्टिस्ट), 5. बढई	कुशल से अधिक	
सुपरवाइजरी तथा कलैरिकल स्टॉफ		
1. दसवीं कक्षा अनुतीर्ण	7098.00	273.00
2. दसवीं कक्षा उत्तीर्ण तथा स्नातक	7826.00	301.00
3. स्नातक तथा इससे उपर	8502.00	327.00

टिप्पणी नं०-1

मजदूरी की न्यूनतम दरें जो निर्धारित की जा रही हैं वे अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबद्ध है। मजदूरी की वर्तमान दरें जो सूचकांक 171.33 के आधार पर निश्चित की गई हैं वे जुलाई से दिसम्बर-2010 की अवधि के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत पर आधारित (आधार वर्ष 2001 = 100) हैं। समायोजन की दर अकुशल के लिए रुपया 1.35 प्रति अंक, अर्धकुशल के लिए रुपया 1.50 प्रति अंक, कुशल के लिए रुपया 1.65 प्रति अंक, नान मैट्रीकुलैट्स के लिए रुपया 1.50 प्रति अंक, मैट्रीकुलैट्स किन्तु गैर स्नातक के लिए रुपया 1.65 प्रति अंक और स्नातक और उसके उपर के लिए रुपया 1.80 प्रति अंक होगा। प्रत्येक वर्ष समायोजन छःमाही आधार पर किया जायेगा जो प्रत्येक वर्ष प्रथम अप्रैल एवं प्रथम अक्टूबर में होगा जो कि पिछले वर्ष के जुलाई से दिसम्बर एवं इस वर्ष जनवरी से जून क्रमशः के औसत सूचकांक को ध्यान में रखकर किया जायेगा।

टिप्पणी नं०-2

अब नियत की जा रही मजदूरी की न्यूनतम दरें सहलग्नता के परिणामस्वरूप इन दरों से कम नहीं होंगी।

टिप्पणी नं०-3

दैनिक मंहगाई भत्ते की गणना करते समय निकटतम उच्च रूपये में पूर्णांक में बदला जायेगा।

टिप्पणी नं०-4

दैनिक न्यूनतम वेतन की दरों में साप्ताहिक अवकाश का वेतन भी सम्मिलित है, जिसके लिए अलग से वेतन देने की आवश्यकता नहीं है।

टिप्पणी नं०-5

बर्तन बनाने वाले में कोकरी, सैनेट्री वेयर तथा सफेद ग्लेज्ड टाईल्स, प्रोसलेन इन्सूलेटर्स तथा प्रोसलेन इलैक्ट्रिकल फिटिंग्स, अचार, तेल एवं एसिड रखने के लिए ग्लेज्ड जार, स्टोरवेयर पाईप्स एवं साल्ट ग्लेज्ड शामिल होंगे।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के
उपराज्यपाल के आदेशानुसार तथा उनके नाम पर

(पीयूष शर्मा)

संयुक्त सचिव (श्रम),
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

संख्या एफ. 12 (5)(142)/11/न्यू0 वे0/श्रम/

दिनांक.....

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित:-

1. उप-सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, दिल्ली को आज के असाधारण राजपत्र भाग-4 में प्रकाशनार्थ (दो प्रतियां)
2. सचिव, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली ।
3. प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल, रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार
4. प्रधान सचिव, माननीया मुख्यमंत्री, रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार
5. सचिव, माननीय मंत्री(शिक्षा, परिवहन, गुरुद्वारा चुनाव व प्रशासन), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
6. सचिव, माननी मंत्री (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, रोजगार, राजस्व, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
7. सचिव, माननीय मंत्री (विद्युत, खाद्य एवं संभरण, विकास), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
8. सचिव, माननीय मंत्री (समाज कल्याण, महिला एवं बाल विभाग, भाशा), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
9. सचिव, माननीय मंत्री (लोक निर्माण विभाग, अनु.जा./जन जा. कल्याण विभाग, शहरी विकास, भूमि एवं भवन), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
10. सचिव, माननीय मंत्री (उद्योग, श्रम, चुनाव), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
11. सचिव, दिल्ली विधान सभा, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार, माननीय अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के सूचनार्थ
12. मुख्य सचिव के विशेष कार्य अधिकारी, रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार, प्लेयर्स बिल्डिंग, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली
13. प्रधान सचिव (श्रम), द्वितीय तल, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली

14. श्रम आयुक्त, 5 शाम नाथ मार्ग, दिल्ली
15. दिल्ली सरकार के सभी विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ ।
16. मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय), भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, दिल्ली ।
17. सचिव श्रम – हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान और यूटी, चंडीगढ़ ।
18. महासचिव, भाससंघ ईटक, सीटू, एटक, एचएमएस ।
19. महासचिव, सीआई, फिक्की, पीएचडीसीआई, एसोचैम, इस अनुरोध के साथ कि इस आदेश की प्रति स्थानीय नियोजकों के संगठनों को इस निर्देश के साथ प्रेषित करें कि सभी संस्थान अपने यहाँ कार्यरत श्रमिकों को संशोधित दरों के आधार पर भुगतान करें । परिपत्रों की एक प्रति इस कार्यालय को भी प्रेषित करने का कष्ट करें ।
20. सभी जिला संयुक्त एवं उप-श्रमायुक्तों को दस अतिरिक्त प्रतियाँ, ट्रेड यूनियन और नियोक्ता संघों में वितरण के लिए ।
21. उप-सचिव (वित्त) रास क्षेत्र, दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि वे रास क्षेत्र दिल्ली सरकार के कार्यालयों में नियोजित कामगारों को दी जाने वाली मजदूरी से संबंधित निर्देश जारी करें ।
22. क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय), श्रम मंत्रालय, बी-ब्लॉक, कर्जन रोड बैरेक, केजीमार्ग, नई दिल्ली ।
23. उप-निदेशक, न्यूनतम मजदूरी, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली
24. संयुक्त निदेशक, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, श्रम ब्यूरो, एससीओ, 28-31, सैक्टर-17(ए), चंडीगढ़-160017
25. सहायक निदेशक (योजना), श्रम विभाग, दिल्ली को सांख्यिकी व वेबसाइट में शामिल करने के लिए तथा विधानसभा के पटल पर रखने के लिए ।
26. पुस्तकालयाध्यक्ष, श्रमायुक्त कार्यालय, 5-शामनाथ मार्ग, दिल्ली-110054
27. गार्ड फाईल ।

संयुक्त सचिव (श्रम)

दिल्ली राजपत्र के असाधारण भाग-4 में प्रकाशनार्थ
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
(श्रम विभाग)
'अधिसूचना'

संख्या. एफ. 12 (6-7-8)(142)/11/न्यू वे 0/श्रम/2028

दिनांक:- 26/07/2011

संख्य एफ 12 (6-7-8)/142/11/न्यू वे 0/श्रम/ भारत सरकार के भूतपूर्व प्रदेश मंत्रालय (मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटस) की अधिसूचना सं० 104-जे, दिनांक 24 अगस्त 1950 व गृहमंत्रालय की अधिसूचना सं० एस०ओ० 530 (एफ 2/9/66-यू०टी०एल०) दिनांक 6 फरवरी 1967 के साथ पठित न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 5 की उपधारा (2) के द्वारा और उन्हें इस संबंध में समर्थ बनाने वाली अन्य समस्त शक्तियों एवं प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के उपराज्यपाल उपरोक्त अधिनियम की धारा 5(1) के अन्तर्गत गठित समिति व सरकार की सिफारिशों पर विचार करने के उपरांत **मैटल वर्किंग संस्थापन फाउंड्रीज व आटोमोबाइल्स इंजीनियरिंग वर्कशाप के अलावा** अनुसूचित व्यवसाय में अधिसूचना संख्या एफ 12 (6-7-8)/92/न्यू वे 0/श्रम/129 दिनांक 15 फरवरी 1994 द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन की दरों को निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार सहर्ष पुनरीक्षित करते हैं।

यह अधिसूचना दिनांक 01 अप्रैल 2011 से लागू होगी और इस तिथि से अधिसूचना संख्या एफ 12 (6-7-8)/92/न्यू वे 0/श्रम/129 दिनांक 15 फरवरी 1994 रद्द मानी जायेगी

अनुसूची

मैटल वर्किंग संस्थापन फाउंड्रीज व आटोमोबाइल्स इंजीनियरिंग वर्कशाप के अलावा

कर्मचारी की श्रेणी	न्यूनतम वेतन की दरें	
	प्रतिमाह (रू०)	प्रतिदिन (रू०)
अकुशल 1. मजदूर, 2. चौकीदार, 3. स्वीपर, 4. प्रैसमैन 5. प्रैसमैन (हैंड), 6. मेकर, 7. हैल्पर, 8. क्लीनर, 9. हैयरमैन, 10. स्टोरमैन, 11. प्रैसमैन, 12. रोलमैन	6422.00	247.00
अर्धकुशल 1. वॉयर हायर, 2. हैमरमैन (इलैक्ट्रीकल मशीन), 3. प्रैसमैन (पावर), 4. फायरमैन, 5. सहायक मिस्ट्री, 6. पंचमैन, 7. ग्राइंडरमैन, 8. विलपर, 9. सोल्डरमैन, 10. टिनकटर, 11. ड्रक मेकर, 12. सहायक आर्टिस्ट, 13. सीमर, 14. अमरीलर्स, 15. पंचमैन, 16. टिनफिटर, 17. सहायक ब्लैकस्मिथ और ब्लैकस्मिथ ग्रेड-2, 18. सहायक टर्नर या टर्नर ग्रेड-2, 19. सहायक फिटर या फिटर ग्रेड-2, 20. सहायक पेंटर या पेंटर ग्रेड-2, 21. सहायक इलैक्ट्रीशियन या इलैक्ट्रीशियन ग्रेड-2, 22. सहायक शेपरमैन या शेपरमैन ग्रेड-2 23. सहायक मोल्डर या मोल्डर ग्रेड-2	7098.00	273.00
कुशल 1. टिनस्मिथ, 2. पोलिशमैन, 3. डाईफिटर, 4. मिस्ट्री, 5. शेपरमैन, 6. कारपेंटर, 7. ड्राईवर,	7826.00	301.00

<p>8. पैट्रनमेकर, 9. ड्रिलमैन, 10. प्लेसरमैन, 11. आर्टिस्ट 12. इलैक्ट्रोप्लेटर, 13. मैल्टर, 14. सेफमेकर, 15. लॉकमेकर, 16. ड्रमेकर, 17. एनग्रेवर, 18. फिटरमैन, 19. रिवेटर, 20. स्पइनरमैन 21. लैम्प एंड डाईमेकर, 22. ब्लैकस्मिथ ग्रेड-1, 23. वैल्डर ग्रेड-1, 24. टर्नर ग्रेड-1, 25. फिटर ग्रेड-1, 26. पेंटर ग्रेड-1, 27. मोल्डर ग्रेड-1, 28. इलैक्ट्रीशियन ग्रेड-1 29. अन्य दक्ष कार्य करता हो</p>		
<p>अति दक्ष 1. फोरमैन, 2. इंजीनियर, 3. सहायक इंजीनियर (इन एडीशन टू दोज स्किल्ड वर्कर्स दि वायरिंग ए हाइली डिग्री ऑफ स्किल्ड में बी क्लासीफाईड एज हाइली स्किल्ड)</p>	छक्ष से अधिक	
एम्पलायमेंट इन फाउंड्रीज विद और विदआउट अटैच मशीनशिप		
<p>अनस्किल्ड 1. मजदूर, 2. बेलदार, 3. चौकीदार, 4. चपरासी, 5. हैल्पर, 6. वाटरमैन, 7. स्वीपर, 8. क्लीपर, 9. स्लीटरमैन, 10. वैल्डरमैन, 11. स्टीकमैन, 12. फिनिषिंग, 13. पैकर, 14. हैमरमैन, 15. ड्रिलमैन 16. ट्यूब स्पलायर्स, 17. सैंडबैग या सैंडमैन 18. प्रैसमैन, 19. एनी अदर उनस्किल्ड कैटेगिरी</p>	6422.00	247.00
<p>सैमीस्किल्ड 1. ग्राइंडर, 2. चीपमैन, 3. मशीनमैन, 4. सोल्जरमैन 5. पालिशमैन, 6. सहायक फिटर या फिटर ग्रेड-2 7. सहायक मैकेनिक या मैकेनिक ग्रेड-2 8. सहायक पेंटर या पेंटर ग्रेड-2 9. सहायक टर्नर या टर्नर ग्रेड-2 10. सहायक इलैक्ट्रीशियन या इलैक्ट्रीशियन ग्रेड-2 11. सहायक लैथमैन या लैथमैन ग्रेड-2 12. मोल्डर ग्रेड-2, 13. ब्लैकस्मिथ ग्रेड-2 14. वैल्डर स्मिथ, 15. शेपरमैन ग्रेड-2 16. प्लेनरमैन ग्रेड-2, 17. पैट्रनमेकर 18. फायरमैन 19. टिनकटर, 20. ड्रिलर मेकर ग्रेड-2, 21. ड्रिलर 22. ड्रम मेकर, 23. टिनस्मिथ, 24. फरनीशमैन, 25. कपलमैन, 26. सहायक मिस्ट्री ग्रेड-2, 27. कौबलर 28. पंचमैन</p>	7098.00	273.00
<p>स्किल्ड 1. टर्नर ग्रेड-1, 2. मोल्डर ग्रेड-1, 3. फिटर ग्रेड-1 4. इलैक्ट्रीशियन ग्रेड-1, 5. वैल्डर ग्रेड-1, 6. ब्लैकस्मिथ ग्रेड-1, 7. लैथमैन, 8. टींगसमैन 9. फायरमैन, 10. कुडीमैन, 11. पल्टीमैन, 12. पेंटर ग्रेड-1, 13. मोनोटार्प मैकेनिक,</p>	7826.00	301.00

14. इंजिन मैकेनिक ग्रेड-1, 15. कारपेंटर 16. ड्राईवर, 17. प्लेनरमैन, 18. शेपरमैन, 19. पैटर्नमैन 20. ड्रिलर, 21. मिलिंगमैन, 22. मिस्त्री, 23. इंजिनियर 24. सहायक इंजीनियर, 25. आर्टिस्ट, 26. वाइंडर 27. डाईमेकर, 28. फोरमैन		
एम्पलायमेंट इन आटोमोबाईल इंजीनियरिंग इन्क्लुडिंग सर्विसिंग एंड रिपेयर वर्क ऑफ आटोमोबाईल्स		
अनस्किल्ड 1. हैमरमैन, 2. बैटरीमैन, 3. क्लीनर, 4. मजदूर, 5. पीयन, 6. चौकीदार, 7. स्वीपर, 8. पॉलीशर 9. एनी अदर अनस्किल्ड वर्कर	6422.00	247.00
सैमीस्किल्ड 1. सहायक मैकेनिक या मैकेनिक ग्रेड-2 2. सहायक टर्नर या टर्नर ग्रेड-2 3. सहायक फिटर या फिटर ग्रेड-2 4. सहायक इलैक्ट्रीशियन या इलैक्ट्रीशियन ग्रेड-2 5. सहायक मशीनमैन या मशीनमैन ग्रेड-2 6. सहायक ब्लैकस्मिथ या ब्लैकस्मिथ ग्रेड-2 7. सहायक वैल्डर या वैल्डर ग्रेड-2 8. सहायक टिनस्मिथ या टिनस्मिथ ग्रेड-2 9. सहायक पेंटर या पेंटर ग्रेड-2 10. सहायक टायर रिपेयरर या टायर रिपेयरर ग्रेड-2 11. सर्विसमैन, 12. पेट्रोल पम्प अटेंडेंट 13. अन्य अर्धदक्ष करता हो	7098.00	273.00
स्किल्ड 1. मैकेनिक ग्रेड-1, 2. टर्नर ग्रेड-1, 3. फिटर ग्रेड-1 4. इलैक्ट्रीशियन ग्रेड-1, 5. ब्लैकस्मिथ ग्रेड-1 6. मशीनमैन ग्रेड-1, 7. वैल्डर ग्रेड-1, 8. पेंटर ग्रेड-1 9. टिन स्मिथ, 10. कारपेंटर, 11. ड्राईवर, 12. टेलर 13. बाडीफिटर, 14. टायर रिपेयरर या वैलकेनिकस ग्रेड-1	7826.00	301.00
क्लैरिकल एंड सुपरवाइजरी स्टाॅफ इन रिस्पेक्ट आफ एम्पलायमेंट नोटिड अबव		
1. नॉन मैट्रीकुलेट्स	7098.00	273.00
2. मैट्रीकुलेट्स तथा नॉन ग्रेजुएट्स	7826.00	301.00
3. ग्रेजुएट्स तथा इससे उपर	8502.00	327.00

टिप्पणी नं०-1

मजदूरी की न्यूनतम दरें जो निर्धारित की जा रही हैं वे अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबद्ध है। मजदूरी की वर्तमान दरें जो सूचकांक 171.33 के आधार पर निश्चित की गई हैं वे

जुलाई से दिसम्बर-2010 की अवधि के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत पर आधारित (आधार वर्ष 2001 = 100) हैं। समायोजन की दर अकुशल के लिए रुपया 1.35 प्रति अंक, अर्धकुशल के लिए रुपया 1.50 प्रति अंक, कुशल के लिए रुपया 1.65 प्रति अंक, नान मैट्रीकुलैट्स के लिए रुपया 1.50 प्रति अंक, मैट्रीकुलैट्स किन्तु गैर स्नातक के लिए रुपया 1.65 प्रति अंक और स्नातक और उसके उपर के लिए रुपया 1.80 प्रति अंक होगा। प्रत्येक वर्ष समायोजन छःमाही आधार पर किया जायेगा जो प्रत्येक वर्ष प्रथम अप्रैल एवं प्रथम अक्टूबर में होगा जो कि पिछले वर्ष के जुलाई से दिसम्बर एवं इस वर्ष जनवरी से जून कमशः के औसत सूचकांक को ध्यान में रखकर किया जायेगा।

टिप्पणी नं०-2

अब नियत की जा रही मजदूरी की न्यूनतम दरें सहलग्नता के परिणामस्वरूप इन दरों से कम नहीं होंगी।


टिप्पणी नं०-3

दैनिक मंहगाई भत्ते की गणना करते समय निकटतम उच्च रूपये में पूर्णांक में बदला जायेगा।

टिप्पणी नं०-4

दैनिक न्यूनतम वेतन की दरों में साप्ताहिक अवकाश का वेतन भी सम्मिलित है, जिसके लिए अलग से वेतन देने की आवश्यकता नहीं है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के
उपराज्यपाल के आदेशानुसार तथा उनके नाम पर



(पीयूष शर्मा)

संयुक्त सचिव (श्रम),
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
दिनांक.....

संख्या. एफ. 12 (6-7-8)(142)/11/न्यू0 वे0/श्रम/

.....

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित:-

1. उप-सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, दिल्ली को आज के असाधारण राजपत्र भाग-4 में प्रकाशनार्थ (दो प्रतियां)
2. सचिव, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली।
3. प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल, रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार
4. प्रधान सचिव, माननीया मुख्यमंत्री, रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार
5. सचिव, माननीय मंत्री(शिक्षा, परिवहन, गुरुद्वारा चुनाव व प्रशासन), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
6. सचिव, माननी मंत्री (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, रोजगार, राजस्व, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
7. सचिव, माननीय मंत्री (विद्युत, खाद्य एवं संभरण, विकास), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
8. सचिव, माननीय मंत्री (समाज कल्याण, महिला एवं बाल विभाग, भाशा), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार

9. सचिव, माननीय मंत्री (लोक निर्माण विभाग, अनु.जा./जन जा. कल्याण विभाग, शहरी विकास, भूमि एवं भवन), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
10. सचिव, माननीय मंत्री (उद्योग, श्रम, चुनाव), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
11. सचिव, दिल्ली विधान सभा, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार, माननीय अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के सूचनार्थ
12. मुख्य सचिव के विशेष कार्य अधिकारी, रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार, प्लेयर्स बिल्डिंग, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली
13. प्रधान सचिव (श्रम), द्वितीय तल, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली
14. श्रम आयुक्त, 5 शाम नाथ मार्ग, दिल्ली
15. दिल्ली सरकार के सभी विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ ।
16. मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय), भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, दिल्ली ।
17. सचिव श्रम – हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान और यू0टी0, चंडीगढ़ ।
18. महासचिव, भा0म0संघ0 ईटक, सीटू, एटक, एच0एम0एस0 ।
19. महासचिव, सी0आई0आई0,फिक्की, पी0एच0डी0सी0सी0आई0, एसोचैम, इस अनुरोध के साथ कि इस आदेश की प्रति स्थानीय नियोजकों के संगठनों को इस निर्देश के साथ प्रेषित करें कि सभी संस्थान अपने यहाँ कार्यरत श्रमिकों को संशोधित दरों के आधार पर भुगतान करें । परिपत्रों की एक प्रति इस कार्यालय को भी प्रेषित करने का कष्ट करें ।
20. सभी जिला संयुक्त एवं उप-श्रमायुक्तों को दस अतिरिक्त प्रतियाँ, ट्रेड यूनियन और नियोक्ता संघों में वितरण के लिए ।
21. उप-सचिव (वित्त) रा0रा0 क्षेत्र, दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि वे रा0रा0 क्षेत्र दिल्ली सरकार के कार्यालयों में नियोजित कामगारों को दी जाने वाली मजदूरी से संबंधित निर्देश जारी करें ।
22. क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय), श्रम मंत्रालय, बी-ब्लॉक, कर्जन रोड बैरेक, के0जी0मार्ग, नई दिल्ली ।
23. उप-निदेशक, न्यूनतम मजदूरी, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली
24. संयुक्त निदेशक, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, श्रम ब्यूरो, एस0सी0ओ0, 28-31, सैक्टर-17(ए), चंडीगढ़-160017
25. सहायक निदेशक (योजना), श्रम विभाग, दिल्ली को सांख्यिकी व वेबसाईट में शामिल करने के लिए तथा विधानसभा के पटल पर रखने के लिए ।
26. पुस्तकालयाध्यक्ष, श्रमायुक्त कार्यालय, 5-शामनाथ मार्ग, दिल्ली-110054
27. गार्ड फाईल ।

संयुक्त सचिव (श्रम)

**दिल्ली राजपत्र के असाधारण भाग-4 में प्रकाशनार्थ
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
(श्रम विभाग)
'अधिसूचना'**

संख्या एफ. 12 (9)(142)/11/न्यू वे 0/श्रम/2029

दिनांक:- 26/07/2011

संख्या एफ.12 (9)/142/11/न्यू वे 0/श्रम/ भारत सरकार के भूतपूर्व प्रदेश मंत्रालय (मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स) की अधिसूचना सं० 104-जे, दिनांक 24 अगस्त 1950 व गृहमंत्रालय की अधिसूचना सं० एस०ओ० 530 (एफ 2/9/66-यू०टी०एल०) दिनांक 6 फरवरी 1967 के साथ पठित न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 5 की उपधारा (2) के द्वारा और उन्हें इस संबंध में समर्थ बनाने वाली अन्य समस्त शक्तियों एवं प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के उपराज्यपाल उपरोक्त अधिनियम की धारा 5(1) के अन्तर्गत गठित समिति व सरकार की सिफारिशों पर विचार करने के उपरांत **प्रिंटिंग प्रैसेज का व्यवसाय** के अनुसूचित व्यवसाय में अधिसूचना संख्या एफ 12 (9)92/न्यू वे 0/श्रम/130 दिनांक 15 फरवरी 1994 द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन की दरों को निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार सहर्ष पुनरीक्षित करते हैं।

यह अधिसूचना दिनांक 01 अप्रैल 2011 से लागू होगी और इस तिथि से अधिसूचना संख्या एफ 12 (9)92/न्यू वे 0/श्रम/130 दिनांक 15 फरवरी 1994 रद्द मानी जायेगी

**अनुसूची
प्रिंटिंग प्रैसेज का व्यवसाय**

कर्मचारियों की श्रेणी	न्यूनतम वेतन की दरें	
	प्रतिमाह (रु०)	प्रतिदिन (रु०)
अकुशल 1. कलकश, 2. मशीनमैन कम सहायक, 3. पेपर फिटर, 4. प्लेट कटर, 5. मशीन ड्राईवर (हाथ) 6. स्वीपर, 7. पीयर, 8. दफतरी, 9. चौकीदार 10. पैकर, 11. मजदूर, 12. अन्य अदक्ष कर्मचारी	6422.00	247.00
अर्धकुशल 1. सहायक मशीनमैन, 2. सनगतन 3. सहायक डिस्ट्रीब्यूटर, 4. पेपरमैन, 5. कच्चा बाईटर, 6. इंकमैन, 7. ग्राइंडिंगमैन, 8. कापी होल्डर 9. पेपर कटर 10. ग्राइंडर, 11. पेपर फीडर 12. अन्य अर्धदक्ष कर्मचारी	7098.00	273.00
कुशल 1. मशीनमैन, 2. हैडमशीनमैन, 3. सनगसज ग्रेड-1 4. प्रैसमैन, 5. पक्का बाईंडर, 6. कंपोजीटर 7. फोरमैन, 8. डाईस्टेम्पर, 9. ब्लॉक मेकर 10. डिजाईनर, 11. प्रूफमैन, 12. ब्लाक प्रिंटर (एक्सपैरार) 13. आर्टिस्ट 14. चैकर (प्रूफ रीडर), 15. कारपेंटर	7826.00	301.00

16. डाईप्रिंटर, 17. आपरेटर लाईनमैन 18 ईचर 19. कास्टर लाईन (मोनी), 20. प्लेट प्रिंटर 21. प्रूफ रीडर, 22. स्टोरकीपर, 23. टाईमकीपर 24. सेल्समैन, 25. इलैक्ट्रीशियन 26. टचर 27. ब्लैक्स्मिथ		
लिपिक वर्गीय लघु तथ अतकनीकी स्टॉफ		
1. नॉन मैट्रीकुलेट्स	7098.00	273.00
2. मैट्रीकुलेट्स तथा नॉन ग्रेजुएट्स	7826.00	301.00
3. ग्रेजुएट्स तथा इससे उपर	8502.00	327.00

टिप्पणी नं०-1

मजदूरी की न्यूनतम दरें जो निर्धारित की जा रही हैं वे अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबद्ध है। मजदूरी की वर्तमान दरें जो सूचकांक 171.33 के आधार पर निश्चित की गई हैं वे जुलाई से दिसम्बर-2010 की अवधि के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत पर आधारित (आधार वर्ष 2001 = 100) हैं। समायोजन की दर अकुषल के लिए रुपया 1.35 प्रति अंक, अर्धकुशल के लिए रुपया 1.50 प्रति अंक, कुशल के लिए रुपया 1.65 प्रति अंक, नान मैट्रीकुलैट्स के लिए रुपया 1.50 प्रति अंक, मैट्रीकुलैट्स किन्तु गैर स्नातक के लिए रुपया 1.65 प्रति अंक और स्नातक और उसके उपर के लिए रुपया 1.80 प्रति अंक होगा। प्रत्येक वर्ष समायोजन छःमाही आधार पर किया जायेगा जो प्रत्येक वर्ष प्रथम अप्रैल एवं प्रथम अक्टूबर में होगा जो कि पिछले वर्ष के जुलाई से दिसम्बर एवं इस वर्ष जनवरी से जून क्रमशः के औसत सूचकांक को ध्यान में रखकर किया जायेगा। जुलाई से दिसम्बर एवं जनवरी से जून क्रमशः के औसत सूचकांक को ध्यान में रखकर किया जायेगा।

टिप्पणी नं०-2

अब नियत की जा रही मजदूरी की न्यूनतम दरें सहलग्नता के परिणामस्वरूप इन दरों से कम नहीं होंगी।


टिप्पणी नं०-3

दैनिक मंहगाई भत्ते की गणना करते समय निकटतम उच्च रूपये में पूर्णांक में बदला जायेगा।

टिप्पणी नं०-4

दैनिक न्यूनतम वेतन की दरों में साप्ताहिक अवकाश का वेतन भी सम्मिलित है, जिसके लिए अलग से वेतन देने की आवश्यकता नहीं है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के
उपराज्यपाल के आदेशानुसार तथा उनके नाम पर


(पीयूष शर्मा)

संख्या एफ. 12 (9)(142)/11/न्यू वे 0 /श्रम/

दिनांक.....

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित:-

1. उप-सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, दिल्ली को आज के असाधारण राजपत्र भाग-4 में प्रकाशनार्थ (दो प्रतियां)
2. सचिव, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली ।
3. प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल, रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार
4. प्रधान सचिव, माननीया मुख्यमंत्री, रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार
5. सचिव, माननीय मंत्री(शिक्षा, परिवहन, गुरुद्वारा चुनाव व प्रशासन), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
6. सचिव, माननी मंत्री (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, रोजगार, राजस्व, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
7. सचिव, माननीय मंत्री (विद्युत, खाद्य एवं संभरण, विकास), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
8. सचिव, माननीय मंत्री (समाज कल्याण, महिला एवं बाल विभाग, भाशा), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
9. सचिव, माननीय मंत्री (लोक निर्माण विभाग, अनु.जा./जन जा. कल्याण विभाग, शहरी विकास, भूमि एवं भवन), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
10. सचिव, माननीय मंत्री (उद्योग, श्रम, चुनाव), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
11. सचिव, दिल्ली विधान सभा, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार, माननीय अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के सूचनार्थ
12. मुख्य सचिव के विशेष कार्य अधिकारी, रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार, प्लेयर्स बिल्डिंग, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली
13. प्रधान सचिव (श्रम), द्वितीय तल, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली
14. श्रम आयुक्त, 5 शाम नाथ मार्ग, दिल्ली
15. दिल्ली सरकार के सभी विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ ।
16. मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय), भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, दिल्ली ।
17. सचिव श्रम - हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान और यूटी, चंडीगढ़ ।
18. महासचिव, भा0म0संघ0 ईटक, सीटू, एटक, एच0एम0एस0 ।
19. महासचिव, सी0आई0आई0,फिक्की, पी0एच0डी0सी0आई0, एसोचैम, इस अनुरोध के साथ कि इस आदेश की प्रति स्थानीय नियोजकों के संगठनों को इस निर्देश के साथ

- प्रेषित करें कि सभी संस्थान अपने यहाँ कार्यरत श्रमिकों को संशोधित दरों के आधार पर भुगतान करें । परिपत्रों की एक प्रति इस कार्यालय को भी प्रेषित करने का कष्ट करें ।
20. सभी जिला संयुक्त एवं उप-श्रमायुक्तों को दस अतिरिक्त प्रतियाँ, ट्रेड यूनियन और नियोक्ता संघों में वितरण के लिए ।
 21. उप-सचिव (वित्त) रा0रा0 क्षेत्र, दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि वे रा0रा0 क्षेत्र दिल्ली सरकार के कार्यालयों में नियोजित कामगारों को दी जाने वाली मजदूरी से संबंधित निर्देश जारी करें ।
 22. क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय), श्रम मंत्रालय, बी-ब्लॉक, कर्जन रोड बैरेक, के0जी0मार्ग, नई दिल्ली ।
 23. उप-निदेशक, न्यूनतम मजदूरी, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली
 24. संयुक्त निदेशक, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, श्रम ब्यूरो, एस0सी0ओ0, 28-31, सैक्टर-17(ए), चंडीगढ़-160017
 25. सहायक निदेशक (योजना), श्रम विभाग, दिल्ली को सांख्यिकी व वेबसाईट में शामिल करने के लिए तथा विधानसभा के पटल पर रखने के लिए ।
 26. पुस्तकालयाध्यक्ष, श्रमायुक्त कार्यालय, 5-शामनाथ मार्ग, दिल्ली-110054
 27. गार्ड फाईल ।

संयुक्त सचिव (श्रम)

दिल्ली राजपत्र के असाधारण भाग-4 में प्रकाशनार्थ
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
(श्रम विभाग)
'अधिसूचना'

संख्या एफ. 12 (11)(142)/11/न्यू वे 0/श्रम/2030

दिनांक:- 26/07/2011

संख्या एफ.12(11) (142)/11/न्यू वे 0/श्रम/ भारत सरकार के भूतपूर्व प्रदेश मंत्रालय (मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स) की अधिसूचना सं० 104-जे, दिनांक 24 अगस्त 1950 व गृहमंत्रालय की अधिसूचना सं० एस०ओ० 530 (एफ 2/9/66-यू०टी०एल०) दिनांक 6 फरवरी 1967 के साथ पठित न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 5 की उपधारा (2) के द्वारा और उन्हें इस संबंध में समर्थ बनाने वाली अन्य समस्त शक्तियों एवं प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के उपराज्यपाल उपरोक्त अधिनियम की धारा 5(1) के अन्तर्गत गठित समिति व सरकार की सिफारिशों पर विचार करने के उपरांत **दिल्ली परिवहन निगम का व्यवसाय** के अनुसूचित व्यवसाय में अधिसूचना संख्या 12 (11)/92/न्यू वे 0/श्रम/150 दिनांक 15 फरवरी 1994 द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन की दरों को निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार सहर्ष पुनरीक्षित करते हैं।

यह अधिसूचना दिनांक 01 अप्रैल 2011 से लागू होगी और इस तिथि से अधिसूचना संख्या एफ..12.(11)/92/न्यू वे 0/श्रम/150 .दिनांक 15 फरवरी 1994 रद्द मानी जायेगी

अनुसूची

दिल्ली परिवहन निगम का व्यवसाय

कर्मचारियों की श्रेणी	न्यूनतम वेतन की दरें	
	प्रतिमाह (रु०)	प्रतिदिन (रु०)
अकुशल	6422.00	247.00
1. चपरासी		
2. चौकीदार		
3. पानी वाला		
4. मजदूर		
5. सहायक		
6. माली तथा क्लीनर		
7. सफाई कर्मचारी		
8. बेलदार		
9. स्वीपर क्लीनर		
10. पैकर		
11. मैट		
अर्धकुशल	7098.00	273.00
12.सहायक फिटर		

13.सहायक इलैक्ट्रीशियन 14.सहायक ब्लैकस्मिथ 15. सहायक पेंटर 16. सहायक बॉडी फिटर 17. टायरमैन 18. सहायक पलम्बर 19. सहायक बढई 20. पम्प ड्राईवर		
कुशल 21.सहायक फिटर (सी.आई.डी.) 22.मैसन (राज) 23. कारपेंटर 24. फिटर 25. ब्लैकस्मिथ 26. ट्रक ड्राईवर 27. पेंटर 28. अन्य ड्राईवर 29. सेनेटर फिटर 30. वायरमैन 31. कंडक्टर 32. सहायक मशीन आपरेटर 33. बाईंडर	7826.00	301.00

टिप्पणी नं0-1

मजदूरी की न्यूनतम दरें जो निर्धारित की जा रही हैं वे अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबद्ध है। मजदूरी की वर्तमान दरें जो सूचकांक 171.33 के आधार पर निश्चित की गई हैं वे जुलाई से दिसम्बर-2010 की अवधि के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत पर आधारित (आधार वर्ष 2001 = 100) हैं। समायोजन की दर अकुशल के लिए रुपया 1.35 प्रति अंक, अर्धकशल के लिए रुपया 1.50 प्रति अंक, कुशल के लिए रुपया 1.65 प्रति अंक, नान मैट्रीकुलैट्स के लिए रुपया 1.50 प्रति अंक, मैट्रीकुलैट्स किन्तु गैर स्नातक के लिए रुपया 1.65 प्रति अंक और स्नातक और उसके उपर के लिए रुपया 1.80 प्रति अंक होगा। प्रत्येक वर्ष समायोजन छःमाही आधार पर किया जायेगा जो प्रत्येक वर्ष प्रथम अप्रैल एवं प्रथम अक्टूबर में होगा जो कि पिछले वर्ष के जुलाई से दिसम्बर एवं इस वर्ष जनवरी से जून क्रमशः के औसत सूचकांक को ध्यान में रखकर किया जायेगा।

टिप्पणी नं0-2

अब नियत की जा रही मजदूरी की न्यूनतम दरें सहलग्नता के परिणामस्वरूप इन दरों से कम नहीं होंगी।


टिप्पणी नं0-3

दैनिक मंहगाई भत्ते की गणना करते समय निकटतम उच्च रूपये में पूर्णांक में बदला जायेगा।

टिप्पणी नं0-4

दैनिक न्यूनतम वेतन की दरों में साप्ताहिक अवकाश का वेतन भी सम्मिलित है, जिसके लिए अलग से वेतन देने की आवश्यकता नहीं है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के
उपराज्यपाल के आदेशानुसार तथा उनके नाम पर



(पीयूष शर्मा)

संयुक्त सचिव (श्रम),
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित:-

1. उप-सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, दिल्ली को आज के असाधारण राजपत्र भाग-4 में प्रकाशनार्थ (दो प्रतियां)
2. सचिव, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली ।
3. प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल, रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार
4. प्रधान सचिव, माननीया मुख्यमंत्री, रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार
5. सचिव, माननीय मंत्री(शिक्षा, परिवहन, गुरुद्वारा चुनाव व प्रशासन), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
6. सचिव, माननी मंत्री (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, रोजगार, राजस्व, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
7. सचिव, माननीय मंत्री (विद्युत, खाद्य एवं संभरण, विकास), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
8. सचिव, माननीय मंत्री (समाज कल्याण, महिला एवं बाल विभाग, भाशा), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
9. सचिव, माननीय मंत्री (लोक निर्माण विभाग, अनु.जा./जन जा. कल्याण विभाग, शहरी विकास, भूमि एवं भवन), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
10. सचिव, माननीय मंत्री (उद्योग, श्रम, चुनाव), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
11. सचिव, दिल्ली विधान सभा, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार, माननीय अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के सूचनार्थ
12. मुख्य सचिव के विशेष कार्य अधिकारी, रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार, प्लेयर्स बिल्डिंग, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली
13. प्रधान सचिव (श्रम), द्वितीय तल, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली
14. श्रम आयुक्त, 5 शाम नाथ मार्ग, दिल्ली
15. दिल्ली सरकार के सभी विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ ।
16. मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय), भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, दिल्ली ।
17. सचिव श्रम - हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान और यू0टी0, चंडीगढ़ ।
18. महासचिव, भा0म0संघ0 ईंटक, सीटू, एटक, एच0एम0एस0 ।
19. महासचिव, सी0आई0आई0,फिक्की, पी0एच0डी0सी0सी0आई0, एसोचैम, इस अनुरोध के साथ कि इस आदेश की प्रति स्थानीय नियोजकों के संगठनों को इस निर्देश के साथ प्रेषित करें कि सभी संस्थान अपने यहाँ कार्यरत श्रमिकों को संघोधित दरों के आधार पर भुगतान करें । परिपत्रों की एक प्रति इस कार्यालय को भी प्रेषित करने का कष्ट करें ।

20. सभी जिला संयुक्त एवं उप-श्रमायुक्तों को दस अतिरिक्त प्रतियों, ट्रेड यूनियन और नियोक्ता संघों में वितरण के लिए ।
21. उप-सचिव (वित्त) रा0रा0 क्षेत्र, दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि वे रा0रा0 क्षेत्र दिल्ली सरकार के कार्यालयों में नियोजित कामगारों को दी जाने वाली मजदूरी से संबंधित निर्देश जारी करें ।
22. क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय), श्रम मंत्रालय, बी-ब्लॉक, कर्जन रोड बैरेक, के0जी0मार्ग, नई दिल्ली ।
23. उप-निदेशक, न्यूनतम मजदूरी, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली
24. संयुक्त निदेशक, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, श्रम ब्यूरो, एस0सी0ओ0, 28-31, सैक्टर-17(ए), चंडीगढ़-160017
25. सहायक निदेशक (योजना), श्रम विभाग, दिल्ली को सांख्यिकी व वेबसाईट में शामिल करने के लिए तथा विधानसभा के पटल पर रखने के लिए ।
26. पुस्तकालयाध्यक्ष, श्रमायुक्त कार्यालय, 5-शामनाथ मार्ग, दिल्ली-110054
27. गार्ड फाईल ।

संयुक्त सचिव (श्रम)

**दिल्ली राजपत्र के असाधारण भाग-4 में प्रकाशनार्थ
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
(श्रम विभाग)
'अधिसूचना'**

संख्या एफ. 12 (13)(142)/11/न्यू वे0/श्रम/2031

दिनांक:- 26/07/2011

संख्या एफ. 12 (13)/142/11/न्यू वे0/श्रम/ भारत सरकार के भूतपूर्व प्रदेश मंत्रालय (मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटस) की अधिसूचना सं0 104-जे, दिनांक 24 अगस्त 1950 व गृहमंत्रालय की अधिसूचना सं0 एस0ओ0 530 (एफ 2/9/66-यू0टी0एल0) दिनांक 6 फरवरी 1967 के साथ पठित न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 5 की उपधारा (2) के द्वारा और उन्हें इस संबंध में समर्थ बनाने वाली अन्य समस्त शक्तियों एवं प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के उपराज्यपाल उपरोक्त अधिनियम की धारा 5(1) के अन्तर्गत गठित समिति व सरकार की सिफारिशों पर विचार करने के उपरांत **टैक्सटाईल इंडस्ट्रीज इंकलूडिंग - ए-हौजरी, बी-निवार, सी-हैंडलूम, डी-लेस, ई-थ्रेडवाल मैन्यूफैक्चरिंग, एफ-नेमलेबल एण्ड जी- डाईंग एंड प्रिंटिंग आफ टैक्सटाईल** के अनुसूचित व्यवसाय में अधिसूचना संख्या एफ 12 (13)/92/न्यू वे0/श्रम/134 दिनांक 15 फरवरी 1994 द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन की दरों को निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार सहर्ष पुनरीक्षित करते हैं।

यह अधिसूचना दिनांक 01 अप्रैल 2011 से लागू होगी और इस तिथि से अधिसूचना संख्या एफ 12 (13)/92/न्यू वे0/श्रम/134 दिनांक 15 फरवरी 1994 रद्द मानी जायेगी

अनुसूची

टैक्सटाईल इंडस्ट्रीज इंकलूडिंग - ए-हौजरी, बी-निवार, सी-हैंडलूम, डी-लेस, ई-थ्रेडवाल मैन्यूफैक्चरिंग, एफ-नेमलेबल एण्ड जी- डाईंग एंड प्रिंटिंग आफ टैक्सटाईल

कर्मचारियों की श्रेणी	न्यूनतम वेतन की दरें	
	प्रतिमाह (रू0)	प्रतिदिन (रू0)
अनस्किल्ड 1. पैकर, 2. थ्रेडकटर, 3. स्वीपर, 4. हैल्पर 5. चपरासी, 6. चौकीदार, 7. नैक कटर, 8. मैडिंग मैन, 9. बेलदार, 10. यार्न वाइन्डर 11. लेबलमैन, 12. चर्खेवाला/चर्खेवाली 13. तानेवाला 14. गिट्टीमैन, 15. कटाईवाला, 16. कोलमैन 17. अन्य अदक्ष कर्मचारी	6422.00	247.00
सैमी स्किल्ड 1. नीटर, प्रैसमैन, 3. कटर, 4. ओवरलॉक चैनलॉक एंड फ्लैटलॉक आपरेटर, 5. वीवर्स, 6. वाचमैन (आन पॉवर मशीन), 7. चैन मेकर, 8. पंचमैन, 9. स्टीचर 10. फोल्डर, 11. फायरमैन, 12. निटरमैन 13. सहायक डायर्स, 14. ब्लीचर, 15. सहायक मशीन मैन/सहायक ऑपरेटर/सहायक स्पूलर, 16. अन्य अर्द्धदक्ष कर्मचारी	7098.00	273.00
स्किल्ड	7826.00	301.00

1. मेटर, 2. हैड मैकेनिक, 3. मैकेनिक 4. सुपरवाइजर, 5. डाई मास्टर, 6. फिटर 7. मशीनमैन/आपरेटर/स्पेलर, 8. मिस्ट्री, 9. डायर्स 10. ड्राईवर, 11. बायलर आपरेटर, 12. प्रिंटर 13. वायरमैन, 14. सरीन डिजाइनर 15. अन्य दक्ष कर्मचारी		
क्लैरिकल एण्ड नॉन टैक्नीकल सुपरवाइजरी स्टॉफ		
1. नॉन मैट्रीकुलेटसर	7098.00	273.00
2. मैट्रीकुलेटस एण्ड नॉन ग्रेजुएटस	7826.00	301.00
3. ग्रेजुएटस तथा इससे उपर	8502.00	327.00

टिप्पणी नं०-1

मजदूरी की न्यूनतम दरें जो निर्धारित की जा रही हैं वे अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबद्ध है। मजदूरी की वर्तमान दरें जो सूचकांक 171.33 के आधार पर निश्चित की गई हैं वे जुलाई से दिसम्बर-2010 की अवधि के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत पर आधारित (आधार वर्ष 2001 = 100) हैं। समायोजन की दर अकुशल के लिए रुपया 1.35 प्रति अंक, अर्धकुशल के लिए रुपया 1.50 प्रति अंक, कुशल के लिए रुपया 1.65 प्रति अंक, नान मैट्रीकुलैट्स के लिए रुपया 1.50 प्रति अंक, मैट्रीकुलैट्स किन्तु गैर स्नातक के लिए रुपया 1.65 प्रति अंक और स्नातक और उसके उपर के लिए रुपया 1.80 प्रति अंक होगा। प्रत्येक वर्ष समायोजन छःमाही आधार पर किया जायेगा जो प्रत्येक वर्ष प्रथम अप्रैल एवं प्रथम अक्टूबर में होगा जो कि पिछले वर्ष के जुलाई से दिसम्बर एवं इस वर्ष जनवरी से जून क्रमशः के औसत सूचकांक को ध्यान में रखकर किया जायेगा।

टिप्पणी नं०-2

अब नियत की जा रही मजदूरी की न्यूनतम दरें सहलग्नता के परिणामस्वरूप इन दरों से कम नहीं होंगी।


टिप्पणी नं०-3

दैनिक मंहगाई भत्ते की गणना करते समय निकटतम उच्च रूपये में पूर्णांक में बदला जायेगा।

टिप्पणी नं०-4

दैनिक न्यूनतम वेतन की दरों में साप्ताहिक अवकाश का वेतन भी सम्मिलित है, जिसके लिए अलग से वेतन देने की आवश्यकता नहीं है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के
उपराज्यपाल के आदेशानुसार तथा उनके नाम पर



(पीयूष शर्मा)

संयुक्त सचिव (श्रम),

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित:-

1. उप-सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, दिल्ली को आज के असाधारण राजपत्र भाग-4 में प्रकाशनार्थ (दो प्रतियां)
2. सचिव, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली ।
3. प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल, रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार
4. प्रधान सचिव, माननीया मुख्यमंत्री, रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार
5. सचिव, माननीय मंत्री(शिक्षा, परिवहन, गुरुद्वारा चुनाव व प्रशासन), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
6. सचिव, माननी मंत्री (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, रोजगार, राजस्व, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
7. सचिव, माननीय मंत्री (विद्युत, खाद्य एवं संभरण, विकास), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
8. सचिव, माननीय मंत्री (समाज कल्याण, महिला एवं बाल विभाग, भाशा), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
9. सचिव, माननीय मंत्री (लोक निर्माण विभाग, अनु.जा./जन जा. कल्याण विभाग, शहरी विकास, भूमि एवं भवन), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
10. सचिव, माननीय मंत्री (उद्योग, श्रम, चुनाव), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
11. सचिव, दिल्ली विधान सभा, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार, माननीय अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के सूचनार्थ
12. मुख्य सचिव के विशेष कार्य अधिकारी, रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार, प्लेयर्स बिल्डिंग, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली
13. प्रधान सचिव (श्रम), द्वितीय तल, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली
14. श्रम आयुक्त, 5 शाम नाथ मार्ग, दिल्ली
15. दिल्ली सरकार के सभी विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ ।
16. मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय), भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, दिल्ली ।
17. सचिव श्रम - हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान और यू0टी0, चंडीगढ़ ।
18. महासचिव, भा0म0संघ0 ईटक, सीटू, एटक, एच0एम0एस0 ।
19. महासचिव, सी0आई0आई0,फिक्की, पी0एच0डी0सी0सी0आई0, एसोचैम, इस अनुरोध के साथ कि इस आदेश की प्रति स्थानीय नियोजकों के संगठनों को इस निर्देश के साथ प्रेषित करें कि सभी संस्थान अपने यहाँ कार्यरत श्रमिकों को संशोधित दरों के

आधार पर भुगतान करें । परिपत्रों की एक प्रति इस कार्यालय को भी प्रेषित करने का कष्ट करें ।

20. सभी जिला संयुक्त एवं उप-श्रमायुक्तों को दस अतिरिक्त प्रतियाँ, ट्रेड यूनियन और नियोक्ता संघों में वितरण के लिए ।
21. उप-सचिव (वित्त) रा0रा0 क्षेत्र, दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि वे रा0रा0 क्षेत्र दिल्ली सरकार के कार्यालयों में नियोजित कामगारों को दी जाने वाली मजदूरी से संबंधित निर्देश जारी करें ।
22. क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय), श्रम मंत्रालय, बी-ब्लॉक, कर्जन रोड बैरेक, के0जी0मार्ग, नई दिल्ली ।
23. उप-निदेशक, न्यूनतम मजदूरी, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली
24. संयुक्त निदेशक, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, श्रम ब्यूरो, एस0सी0ओ0, 28-31, सैक्टर-17(ए), चंडीगढ़-160017
25. सहायक निदेशक (योजना), श्रम विभाग, दिल्ली को सांख्यिकी व वेबसाईट में शामिल करने के लिए तथा विधानसभा के पटल पर रखने के लिए ।
26. पुस्तकालयाध्यक्ष, श्रमायुक्त कार्यालय, 5-शामनाथ मार्ग, दिल्ली-110054
27. गार्ड फाईल ।

संयुक्त सचिव (श्रम)

दिल्ली राजपत्र के असाधारण भाग-4 में प्रकाशनार्थ
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
(श्रम विभाग)
'अधिसूचना'

संख्या एफ. 12 (14)(142)/11/न्यू वे 0/श्रम/2032

दिनांक:- 26/07/2011

संख्या एफ. 12 (14)/142/11/न्यू वे 0/श्रम/ भारत सरकार के भूतपूर्व प्रदेश मंत्रालय (मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटस) की अधिसूचना सं० 104-जे, दिनांक 24 अगस्त 1950 व गृहमंत्रालय की अधिसूचना सं० एस०ओ० 530 (एफ 2/9/66-यू०टी०एल०) दिनांक 6 फरवरी 1967 के साथ पठित न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 5 की उपधारा (2) के द्वारा और उन्हें इस संबंध में समर्थ बनाने वाली अन्य समस्त शक्तियों एवं प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के उपराज्यपाल उपरोक्त अधिनियम की धारा 5(1) के अन्तर्गत गठित समिति व सरकार की सिफारिशों पर विचार करने के उपरांत **रासायनिक उद्योग का व्यवसाय** के अनुसूचित व्यवसाय में अधिसूचना संख्या एफ 12 (14)/92/न्यू वे 0/श्रम/135 दिनांक 15 फरवरी 1994 द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन की दरों को निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार सहर्ष पुनरीक्षित करते हैं।

यह अधिसूचना दिनांक 01 अप्रैल 2011 से लागू होगी और इस तिथि से अधिसूचना संख्या एफ 12 (14)/92/न्यू वे 0/श्रम/135 दिनांक 15 फरवरी 1994 रद्द मानी जायेगी

अनुसूची
रासायनिक उद्योग का व्यवसाय

कर्मचारियों की श्रेणी	न्यूनतम वेतन की दरें	
	प्रतिमाह (रु०)	प्रतिदिन (रु०)
अकुशल 1. चपरासी, 2. चौकीदार, 3. सफाई कर्मचारी 4. मजदूर, 5. पैकर, 6. सीलर(सील बंद करने वाला) 7. माली, 8. अन्य अदक्ष कर्मचारी	6422.00	247.00
अर्द्धकुशल 1. सहायक फिटर, 2. हैल्पर दवासाज, 3. फायरमैन, 4. लैबोरेट्री सहायक, 5. बयलर अटेंडेंट 6. इलैक्ट्रीशियन, 7. सहायक फोरमैन, 8. अन्य अर्द्धदक्ष कर्मचारी	7098.00	273.00
कुशल 1. फिटर, 2. फोरमैन, 3. वैल्डर, 4. सीनियर मैकेनिक 5. स्प्रेयर, 6. शिफ्ट इन्चार्ज, 7. कैमिस्ट 8. अन्य दक्ष कर्मचारी	7826.00	301.00
सर्वेक्षक तथा लिपिक वर्गीय स्टाफ		
1. दसवीं कक्षा फेल	7098.00	273.00
2. दसवीं कक्षा पास तथा अस्नातक	7826.00	301.00

3. स्नातक तथा इससे उपर	8502.00	327.00
------------------------	---------	--------

टिप्पणी नं०-1

मजदूरी की न्यूनतम दरें जो निर्धारित की जा रही हैं वे अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबद्ध है। मजदूरी की वर्तमान दरें जो सूचकांक 171.33 के आधार पर निश्चित की गई हैं वे जुलाई से दिसम्बर-2010 की अवधि के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत पर आधारित (आधार वर्ष 2001 = 100) हैं। समायोजन की दर अकुशल के लिए रुपया 1.35 प्रति अंक, अर्धकुशल के लिए रुपया 1.50 प्रति अंक, कुशल के लिए रुपया 1.65 प्रति अंक, नान मैट्रीकुलैट्स के लिए रुपया 1.50 प्रति अंक, मैट्रीकुलैट्स किन्तु गैर स्नातक के लिए रुपया 1.65 प्रति अंक और स्नातक और उसके उपर के लिए रुपया 1.80 प्रति अंक होगा। प्रत्येक वर्ष समायोजन छःमाही आधार पर किया जायेगा जो प्रत्येक वर्ष प्रथम अप्रैल एवं प्रथम अक्टूबर में होगा जो कि पिछले वर्ष के जुलाई से दिसम्बर एवं इस वर्ष जनवरी से जून क्रमशः के औसत सूचकांक को ध्यान में रखकर किया जायेगा।

टिप्पणी नं०-2

अब नियत की जा रही मजदूरी की न्यूनतम दरें सहलग्नता के परिणामस्वरूप इन दरों से कम नहीं होंगी।


टिप्पणी नं०-3

दैनिक मंहगाई भत्ते की गणना करते समय निकटतम उच्च रूपये में पूर्णांक में बदला जायेगा।

टिप्पणी नं०-4

दैनिक न्यूनतम वेतन की दरों में साप्ताहिक अवकाश का वेतन भी सम्मिलित है, जिसके लिए अलग से वेतन देने की आवश्यकता नहीं है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के
उपराज्यपाल के आदेशानुसार तथा उनके नाम पर



(पीयूष शर्मा)

संयुक्त सचिव (श्रम),
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

संख्या एफ. 12 (14)(142)/11/न्यू0 वे0/श्रम/

दिनांक.....

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित:-

1. उप-सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, दिल्ली को आज के असाधारण राजपत्रत भाग-4 में प्रकाशनार्थ (दो प्रतियां)
2. सचिव, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली।
3. प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल, रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार

4. प्रधान सचिव, माननीया मुख्यमंत्री, रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार
5. सचिव, माननीय मंत्री(शिक्षा, परिवहन, गुरुद्वारा चुनाव व प्रशासन), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
6. सचिव, माननीय मंत्री (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, रोजगार, राजस्व, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
7. सचिव, माननीय मंत्री (विद्युत, खाद्य एवं संभरण, विकास), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
8. सचिव, माननीय मंत्री (समाज कल्याण, महिला एवं बाल विभाग, भाशा), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
9. सचिव, माननीय मंत्री (लोक निर्माण विभाग, अनु.जा./जन जा. कल्याण विभाग, शहरी विकास, भूमि एवं भवन), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
10. सचिव, माननीय मंत्री (उद्योग, श्रम, चुनाव), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
11. सचिव, दिल्ली विधान सभा, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार, माननीय अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के सूचनार्थ
12. मुख्य सचिव के विशेष कार्य अधिकारी, रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार, प्लेयर्स बिल्डिंग, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली
13. प्रधान सचिव (श्रम), द्वितीय तल, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली
14. श्रम आयुक्त, 5 शाम नाथ मार्ग, दिल्ली
15. दिल्ली सरकार के सभी विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ ।
16. मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय), भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, दिल्ली ।
17. सचिव श्रम – हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान और यू0टी0, चंडीगढ़ ।
18. महासचिव, भा0म0संघ0 ईटक, सीटू, एटक, एच0एम0एस0 ।
19. महासचिव, सी0आई0आई0,फिक्की, पी0एच0डी0सी0सी0आई0, एसोचैम, इस अनुरोध के साथ कि इस आदेश की प्रति स्थानीय नियोजकों के संगठनों को इस निर्देश के साथ प्रेषित करें कि सभी संस्थान अपने यहाँ कार्यरत श्रमिकों को संशोधित दरों के आधार पर भुगतान करें । परिपत्रों की एक प्रति इस कार्यालय को भी प्रेषित करने का कष्ट करें ।
20. सभी जिला संयुक्त एवं उप-श्रमायुक्तों को दस अतिरिक्त प्रतियाँ, ट्रेड यूनियन और नियोक्ता संघों में वितरण के लिए ।
21. उप-सचिव (वित्त) रा0रा0 क्षेत्र, दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि वे रा0रा0 क्षेत्र दिल्ली सरकार के कार्यालयों में नियोजित कामगारों को दी जाने वाली मजदूरी से संबंधित निर्देश जारी करें ।
22. क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय), श्रम मंत्रालय, बी-ब्लॉक, कर्जन रोड बैरेक, के0जी0मार्ग, नई दिल्ली ।

23. उप-निदेशक, न्यूनतम मजदूरी, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली
24. संयुक्त निदेशक, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, श्रम ब्यूरो, एस0सी0ओ0, 28-31, सैक्टर-17(ए), चंडीगढ़-160017
25. सहायक निदेशक (योजना), श्रम विभाग, दिल्ली को सांख्यिकी व वेबसाईट में शामिल करने के लिए तथा विधानसभा के पटल पर रखने के लिए ।
26. पुस्तकालयाध्यक्ष, श्रमायुक्त कार्यालय, 5-शामनाथ मार्ग, दिल्ली-110054
27. गार्ड फाईल ।

संयुक्त सचिव (श्रम)

**दिल्ली राजपत्र के असाधारण भाग-4 में प्रकाशनार्थ
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
(श्रम विभाग)
'अधिसूचना'**

संख्या एफ. 12 (15)(142)/11/न्यू वे0/श्रम/2033

दिनांक:- 26/07/2011

संख्या एफ. 12 (15)/142/11/न्यू वे0/श्रम/ भारत सरकार के भूतपूर्व प्रदेश मंत्रालय (मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटस) की अधिसूचना सं० 104-जे, दिनांक 24 अगस्त 1950 व गृहमंत्रालय की अधिसूचना सं० एस०ओ० 530 (एफ 2/9/66-यू०टी०एल०) दिनांक 6 फरवरी 1967 के साथ पठित न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 5 की उपधारा (2) के द्वारा और उन्हें इस संबंध में समर्थ बनाने वाली अन्य समस्त शक्तियों एवं प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के उपराज्यपाल उपरोक्त अधिनियम की धारा 5(1) के अन्तर्गत गठित समिति व सरकार की सिफारिशों पर विचार करने के उपरांत **क्लबों में नौकरी का व्यवसाय** के अनुसूचित व्यवसाय में अधिसूचना संख्या एफ.12 (15)/92/न्यू वे0/श्रम/136 दिनांक 15 फरवरी 1994 द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन की दरों को निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार सहर्ष पुनरीक्षित करते हैं।

यह अधिसूचना दिनांक 01 अप्रैल 2011 से लागू होगी और इस तिथि से अधिसूचना संख्या एफ 12 (15)/92/न्यू वे0/श्रम/136 दिनांक 15 फरवरी 1994 रद्द मानी जायेगी

**अनुसूची
क्लबों में नौकरी का व्यवसाय**

कर्मचारियों की श्रेणी		व्यस्क की न्यूनतम वेतन की दरें			
		1	2	3	4
अकुशल	प्रतिमाह	6422	6297	5628	5521
1. चपरासी	या				
2. चौकीदार,	प्रतिदिन	247	242	216	212
3. सफाई कर्मचारी					
4. माली,					
5. मसालची,					
6. दरबान,					
7. मजदूर					
8. अन्य अदक्ष कर्मचारी					
अर्द्धकुशल	प्रतिमाह	7098	6973	6305	6197
1. सहायक इलैक्ट्रीशियन	या				
2. खोलने वाला	प्रतिदिन	273	268	242	238
3. स्टाफ बॉय					
4. पर्चे चुकाने वाला					
5. बैरा या वेटर					
6. सहायक हलवाई					
7. सहायक रसोईया					
8. माली (तकनीकी अनुभवी)					

9. अन्य अर्धकुशल कर्मचारी					
कुशल	प्रतिमाह	7826	7701	7032	6295
1. इलैक्ट्रीशियन	या				
2. रसोइया	प्रतिदिन	301	296	270	266
3. हलवाई					
4. तंदुरी रसोइया					
5. मैकेनिक					
6. वाशरमैन					
7. आयरनमैन					
8. स्टुअर्ड					
9. हैड वेटर					
10. पलम्बर					
11. अन्य दक्ष कर्मचारी					
1	जहां न तो खाना और न ही ठहरने की व्यवस्था हो				
2	जहां केवल ठहरने की व्यवस्था हो				
3	जहां दोनों समय का खाना दिया जाता हो				
4	जहां दोनों समय का खाना और ठहरने की व्यवस्था हो				
लिपिक वर्गीय अतकनीकी स्टाफ			(प्रतिमाह / प्रतिदिन)		
1. दसवीं कक्षा फेल	7098 / 273				
2. दसवीं कक्षा पास तथा अस्नातक	7826 / 301				
3. स्नातक तथा इससे उपर	8502 / 327				

टिप्पणी नं0-1

मजदूरी की न्यूनतम दरें जो निर्धारित की जा रही हैं वे अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबद्ध हैं। मजदूरी की वर्तमान दरें जो सूचकांक 171.33 के आधार पर निश्चित की गई हैं वे जुलाई से दिसम्बर-2010 की अवधि के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत पर आधारित (आधार वर्ष 2001 = 100) हैं। समायोजन की दर अकुशल के लिए रुपया 1.35 प्रति अंक, अर्धकुशल के लिए रुपया 1.50 प्रति अंक, कुशल के लिए रुपया 1.65 प्रति अंक, नान मैट्रीकुलैट्स के लिए रुपया 1.50 प्रति अंक, मैट्रीकुलैट्स किन्तु गैर स्नातक के लिए रुपया 1.65 प्रति अंक और स्नातक और उसके उपर के लिए रुपया 1.80 प्रति अंक होगा। प्रत्येक वर्ष समायोजन छःमाही आधार पर किया जायेगा जो प्रत्येक वर्ष प्रथम अप्रैल एवं प्रथम अक्टूबर में होगा जो कि पिछले वर्ष के जुलाई से दिसम्बर एवं इस वर्ष जनवरी से जून क्रमशः के औसत सूचकांक को ध्यान में रखकर किया जायेगा।

टिप्पणी नं0-2

अब नियत की जा रही मजदूरी की न्यूनतम दरें सहलग्नता के परिणामस्वरूप इन दरों से कम नहीं होंगी।


टिप्पणी नं0-3

दैनिक मंहगाई भत्ते की गणना करते समय निकटतम उच्च रूपये में पूर्णांक में बदला जायेगा।

टिप्पणी नं0-4

दैनिक न्यूनतम वेतन की दरों में साप्ताहिक अवकाश का वेतन भी सम्मिलित है, जिसके लिए अलग से वेतन देने की आवश्यकता नहीं है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के
उपराज्यपाल के आदेशानुसार तथा उनके नाम पर



(पीयूष शर्मा)

संयुक्त सचिव (श्रम),
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित:-

1. उप-सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, दिल्ली को आज के असाधारण राजपत्र भाग-4 में प्रकाशनार्थ (दो प्रतियां)
2. सचिव, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली ।
3. प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल, रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार
4. प्रधान सचिव, माननीया मुख्यमंत्री, रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार
5. सचिव, माननीय मंत्री(शिक्षा, परिवहन, गुरुद्वारा चुनाव व प्रशासन), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
6. सचिव, माननीय मंत्री (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, रोजगार, राजस्व, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
7. सचिव, माननीय मंत्री (विद्युत, खाद्य एवं संभरण, विकास), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
8. सचिव, माननीय मंत्री (समाज कल्याण, महिला एवं बाल विभाग, भाशा), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
9. सचिव, माननीय मंत्री (लोक निर्माण विभाग, अनु.जा./जन जा. कल्याण विभाग, शहरी विकास, भूमि एवं भवन), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
10. सचिव, माननीय मंत्री (उद्योग, श्रम, चुनाव), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
11. सचिव, दिल्ली विधान सभा, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार, माननीय अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के सूचनार्थ
12. मुख्य सचिव के विशेष कार्य अधिकारी, रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार, प्लेयर्स बिल्डिंग, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली
13. प्रधान सचिव (श्रम), द्वितीय तल, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली
14. श्रम आयुक्त, 5 शाम नाथ मार्ग, दिल्ली
15. दिल्ली सरकार के सभी विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ ।
16. मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय), भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, दिल्ली ।
17. सचिव श्रम - हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान और यू0टी0, चंडीगढ़ ।
18. महासचिव, भा0म0संघ0 ईंटक, सीटू, एटक, एच0एम0एस0 ।
19. महासचिव, सी0आई0आई0,फिक्की, पी0एच0डी0सी0सी0आई0, एसोचैम, इस अनुरोध के साथ कि इस आदेश की प्रति स्थानीय नियोजकों के संगठनों को इस निर्देश के साथ प्रेषित करें कि सभी संस्थान अपने यहाँ कार्यरत श्रमिकों को संशोधित दरों के आधार पर भुगतान करें । परिपत्रों की एक प्रति इस कार्यालय को भी प्रेषित करने का कष्ट करें ।

20. सभी जिला संयुक्त एवं उप-श्रमायुक्तों को दस अतिरिक्त प्रतियों, ट्रेड यूनियन और नियोक्ता संघों में वितरण के लिए ।
21. उप-सचिव (वित्त) रा0रा0 क्षेत्र, दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि वे रा0रा0 क्षेत्र दिल्ली सरकार के कार्यालयों में नियोजित कामगारों को दी जाने वाली मजदूरी से संबंधित निर्देश जारी करें ।
22. क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय), श्रम मंत्रालय, बी-ब्लॉक, कर्जन रोड बैरेक, के0जी0मार्ग, नई दिल्ली ।
23. उप-निदेशक, न्यूनतम मजदूरी, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली
24. संयुक्त निदेशक, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, श्रम ब्यूरो, एस0सी0ओ0, 28-31, सैक्टर-17(ए), चंडीगढ़-160017
25. सहायक निदेशक (योजना), श्रम विभाग, दिल्ली को सांख्यिकी व वेबसाईट में शामिल करने के लिए तथा विधानसभा के पटल पर रखने के लिए ।
26. पुस्तकालयाध्यक्ष, श्रमायुक्त कार्यालय, 5-शामनाथ मार्ग, दिल्ली-110054
27. गार्ड फाईल ।

संयुक्त सचिव (श्रम)

**दिल्ली राजपत्र के असाधारण भाग-4 में प्रकाशनार्थ
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
(श्रम विभाग)
'अधिसूचना'**

संख्या एफ. 12 (16)(142)/11/न्यू वे0/श्रम/2034

दिनांक:- 26/07/2011

संख्या एफ. 12 (16)/142/11/न्यू वे0/श्रम/ भारत सरकार के भूतपूर्व प्रदेश मंत्रालय (मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटस) की अधिसूचना सं० 104-जे, दिनांक 24 अगस्त 1950 व गृहमंत्रालय की अधिसूचना सं० एस०ओ० 530 (एफ 2/9/66-यू०टी०एल०) दिनांक 6 फरवरी 1967 के साथ पठित न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 5 की उपधारा (2) के द्वारा और उन्हें इस संबंध में समर्थ बनाने वाली अन्य समस्त शक्तियों एवं प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के उपराज्यपाल उपरोक्त अधिनियम की धारा 5(1) के अन्तर्गत गठित समिति व सरकार की सिफारिशों पर विचार करने के उपरांत **ऑयल मिल्स का व्यवसाय** के अनुसूचित व्यवसाय में अधिसूचना संख्या एफ 12 (16)/92/न्यू वे0/श्रम/137 दिनांक 15 फरवरी 1994 द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन की दरों को निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार सहर्ष पुनरीक्षित करते हैं।

यह अधिसूचना दिनांक 01 अप्रैल 2011 से लागू होगी और इस तिथि से अधिसूचना संख्या एफ 12 (16)/92/न्यू वे0/श्रम/137 दिनांक 15 फरवरी 1994 रद्द मानी जायेगी

**अनुसूची
ऑयल मिल्स का व्यवसाय**

कर्मचारियों की श्रेणी	न्यूनतम वेतन की दरें	
	प्रतिमाह (रु०)	प्रतिदिन (रु०)
अकुशल 1. मजदूर, 2. पानी वाला, 3. चौकीदार 4. पीयन, 5. स्वीपर 6. कुली, 7. क्लीनर 8. धामवाला, 9. ऑयलमैन, 10. फिल्टरमैन 11. सीड क्लीनर, 12. ऑयल क्लीनर, 13. पैकर 14. हैमरमैन, 15. अन्य अदक्ष कर्मचारी	6422.00	247.00
अर्द्धकुशल 1. सहायक टर्नर, 2. सहायक कोल्हू मिस्ट्री 3. सहायक कैमिस्ट, 4. सहायक मिस्ट्री 5. सहायक एक्सपैलेमैन, 6. सहायक बायलर 7. अटेंडेंट, 8. ब्लैकस्मिथ, 9. सहायक इलैक्ट्रीशियन 10. झल्वान, 11. लाईनमैन-लाईनदार, 12. अन्य अर्द्धदक्ष कर्मचारी	7098.00	273.00
कुशल 1. टर्नर, 2. कोल्हू मिस्ट्री, 3. इलैक्ट्रीशियन 4. कैमिस्ट, 5. एक्सपैलेमैन, 6. मिस्ट्री 7. बायलर अटेंडेंट, 8. ड्राइवर 9. अन्य दक्ष कर्मचारी	7826.00	301.00

लिपिक वर्गीय तथा अतकनीकी पर्यवेक्षक स्टाफ		
1. दसवीं कक्षा अनुत्तीर्ण	7098.00	273.00
2. दसवीं कक्षा उत्तीर्ण तथा अस्नातक	7826.00	301.00
3. स्नातक तथा इससे उपर	8502.00	327.00

टिप्पणी नं०-1

मजदूरी की न्यूनतम दरें जो निर्धारित की जा रही हैं वे अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबद्ध हैं। मजदूरी की वर्तमान दरें जो सूचकांक 171.33 के आधार पर निश्चित की गई हैं वे जुलाई से दिसम्बर-2010 की अवधि के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत पर आधारित (आधार वर्ष 2001 = 100) हैं। समायोजन की दर अकुशल के लिए रुपया 1.35 प्रति अंक, अर्धकुशल के लिए रुपया 1.50 प्रति अंक, कुशल के लिए रुपया 1.65 प्रति अंक, नान मैट्रीकुलैट्स के लिए रुपया 1.50 प्रति अंक, मैट्रीकुलैट्स किन्तु गैर स्नातक के लिए रुपया 1.65 प्रति अंक और स्नातक और उसके उपर के लिए रुपया 1.80 प्रति अंक होगा। प्रत्येक वर्ष समायोजन छःमाही आधार पर किया जायेगा जो प्रत्येक वर्ष प्रथम अप्रैल एवं प्रथम अक्टूबर में होगा जो कि पिछले वर्ष के जुलाई से दिसम्बर एवं इस वर्ष जनवरी से जून क्रमशः के औसत सूचकांक को ध्यान में रखकर किया जायेगा।

टिप्पणी नं०-2

अब नियत की जा रही मजदूरी की न्यूनतम दरें सहलग्नता के परिणामस्वरूप इन दरों से कम नहीं होंगी।


टिप्पणी नं०-3

दैनिक मंहगाई भत्ते की गणना करते समय निकटतम उच्च रूपये में पूर्णांक में बदला जायेगा।

टिप्पणी नं०-4

दैनिक न्यूनतम वेतन की दरों में साप्ताहिक अवकाश का वेतन भी सम्मिलित है, जिसके लिए अलग से वेतन देने की आवश्यकता नहीं है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के
उपराज्यपाल के आदेशानुसार तथा उनके नाम पर



(पीयूष शर्मा)

संयुक्त सचिव (श्रम),
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित:-

1. उप-सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, दिल्ली को आज के असाधारण राजपत्र भाग-4 में प्रकाशनार्थ (दो प्रतियां)
2. सचिव, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली ।
3. प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल, रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार
4. प्रधान सचिव, माननीया मुख्यमंत्री, रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार
5. सचिव, माननीय मंत्री(शिक्षा, परिवहन, गुरुद्वारा चुनाव व प्रशासन), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
6. सचिव, माननीय मंत्री (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, रोजगार, राजस्व, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
7. सचिव, माननीय मंत्री (विद्युत, खाद्य एवं संभरण, विकास), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
8. सचिव, माननीय मंत्री (समाज कल्याण, महिला एवं बाल विभाग, भाशा), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
9. सचिव, माननीय मंत्री (लोक निर्माण विभाग, अनु.जा./जन जा. कल्याण विभाग, शहरी विकास, भूमि एवं भवन), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
10. सचिव, माननीय मंत्री (उद्योग, श्रम, चुनाव), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
11. सचिव, दिल्ली विधान सभा, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार, माननीय अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के सूचनार्थ
12. मुख्य सचिव के विशेष कार्य अधिकारी, रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार, प्लेयर्स बिल्डिंग, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली
13. प्रधान सचिव (श्रम), द्वितीय तल, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली
14. श्रम आयुक्त, 5 शाम नाथ मार्ग, दिल्ली
15. दिल्ली सरकार के सभी विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ ।
16. मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय), भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, दिल्ली ।
17. सचिव श्रम - हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान और यूटी0, चंडीगढ़ ।
18. महासचिव, भा0म0संघ0 ईटक, सीटू, एटक, एच0एम0एस0 ।
19. महासचिव, सी0आई0आई0,फिक्की, पी0एच0डी0सी0सी0आई0, एसोचैम, इस अनुरोध के साथ कि इस आदेश की प्रति स्थानीय नियोजकों के संगठनों को इस निर्देश के साथ प्रेषित करें कि सभी संस्थान अपने यहाँ कार्यरत श्रमिकों को संशोधित दरों के आधार पर भुगतान करें । परिपत्रों की एक प्रति इस कार्यालय को भी प्रेषित करने का कष्ट करें ।
20. सभी जिला संयुक्त एवं उप-श्रमायुक्तों को दस अतिरिक्त प्रतियाँ, ट्रेड यूनियन और नियोक्ता संघों में वितरण के लिए ।

21. उप-सचिव (वित्त) रा0रा0 क्षेत्र, दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि वे रा0रा0 क्षेत्र दिल्ली सरकार के कार्यालयों में नियोजित कामगारों को दी जाने वाली मजदूरी से संबंधित निर्देश जारी करें ।
22. क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय), श्रम मंत्रालय, बी-ब्लॉक, कर्जन रोड बैरेक, के0जी0मार्ग, नई दिल्ली ।
23. उप-निदेशक, न्यूनतम मजदूरी, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, श्रम षक्ति भवन, नई दिल्ली
24. संयुक्त निदेशक, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, श्रम ब्यूरो, एस0सी0ओ0, 28-31, सैक्टर-17(ए), चंडीगढ़-160017
25. सहायक निदेशक (योजना), श्रम विभाग, दिल्ली को सांख्यिकी व वेबसाईट में शामिल करने के लिए तथा विधानसभा के पटल पर रखने के लिए ।
26. पुस्तकालयाध्यक्ष, श्रमायुक्त कार्यालय, 5-शामनाथ मार्ग, दिल्ली-110054
27. गार्ड फाईल ।

संयुक्त सचिव (श्रम)

**दिल्ली राजपत्र के असाधारण भाग-4 में प्रकाशनार्थ
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
(श्रम विभाग)
'अधिसूचना'**

संख्या एफ. 12 (17)(142)/11/न्यू वे0/श्रम/2035

दिनांक:- 26/07/2011

संख्या: एफ. 12 (17)/142/11/न्यू वे0/श्रम/ भारत सरकार के भूतपूर्व प्रदेश मंत्रालय (मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटस) की अधिसूचना सं० 104-जे, दिनांक 24 अगस्त 1950 व गृहमंत्रालय की अधिसूचना सं० एस०ओ० 530 (एफ 2/9/66-यू०टी०एल०) दिनांक 6 फरवरी 1967 के साथ पठित न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 5 की उपधारा (2) के द्वारा और उन्हें इस संबंध में समर्थ बनाने वाली अन्य समस्त शक्तियों एवं प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के उपराज्यपाल उपरोक्त अधिनियम की धारा 5(1) के अन्तर्गत गठित समिति व सरकार की सिफारिशों पर विचार करने के उपरांत **प्लास्टिक, रबड़, पी.वी.सी. इन्वल्डिंग केबल इंडस्ट्रीज का व्यवसाय** के अनुसूचित व्यवसाय में अधिसूचना संख्या एफ 12 (17)/92/न्यू वे0/श्रम/138 दिनांक 15 फरवरी 1994 द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन की दरों को निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार सहर्ष पुनरीक्षित करते हैं।

यह अधिसूचना दिनांक 01 अप्रैल 2011 से लागू होगी और इस तिथि से अधिसूचना संख्या. एफ 12 (17)/92/न्यू वे0/श्रम/138 दिनांक 15 फरवरी 1994 रद्द मानी जायेगी

**अनुसूची
प्लास्टिक, रबड़, पी.वी.सी. इन्वल्डिंग केबल इंडस्ट्रीज का व्यवसाय**

कर्मचारियों की श्रेणी	न्यूनतम वेतन की दरें	
	प्रतिमाह (रु०)	प्रतिदिन (रु०)
अकुशल 1. चपरासी, 2. चौकीदार, 3. वाटरमैन, 4. स्वीपर, 5. मजदूर, 6. प्रैसमैन (मैनुवल), 7. चैकर 8. हैल्पर, 9. अन्य अदक्ष कर्मचारी	6422.00	247.00
अर्द्धकुशल 1. सहायक वायरमैन, 2. सहायक टर्नर 3. सहायक बायलरमैन, 4. सहायक इलैक्ट्रीशियन 5. सहायक फिटर, 6. सहायक हाईड्रोलिंग प्रैसमैन, 7. सहायक ब्लैकनाईजर, 8. सहायक डिजाईनर 9. सहायक मिक्सिंग मैन, 10. सहायक आपरेटर 11. सहायक प्लास्टिकमैन, 12. सहायक वेन ड्राईवर 13. ब्रेडलिंग मैन, 14. कोवलमैन, 15. सहायक बायलरमैन, 16. सहायक मशीनमैन 17. मोल्डरमैन, 18. सहायक डाईफिटर 19. सहायक डाईमेकर, 20. सोल्डरमैन 21. अन्य अर्द्धदक्ष कर्मचारी	7098.00	273.00
कुशल 1. वायरमैन, 2. टर्नर, 3. फिटर, 4. इलैक्ट्रीशियन	7826.00	301.00

5. पिसिंगमैन, 6. ब्लैक डिजाईनर 7. हैड हाईड्रोलिंग सेंटर, 8. मिस्त्री 9. डिजाईनर 10. ऑपरेटर, 11. ड्राईवर, 12. बॉयलरमैन 13. मशीनमैन, 14. ब्लैकनाईजर, 15. प्लास्टिकमैन 16. हैड सोल्डर, 17. डार्ड फिटर/डार्डमेकर 18. ट्यूब मशीन आपरेटर, 19. अन्य दक्ष कर्मचारी		
लिपिक वर्गीय तथा अतकनीकी स्टाफ		
1. दसवीं कक्षा अनुत्तीर्ण	7098.00	273.00
2. दसवीं कक्षा उत्तीर्ण तथा अस्नातक	7826.00	301.00
3. स्नातक तथा इससे उपर	8502.00	327.00

टिप्पणी नं०-1

मजदूरी की न्यूनतम दरें जो निर्धारित की जा रही हैं वे अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबद्ध है। मजदूरी की वर्तमान दरें जो सूचकांक 171.33 के आधार पर निश्चित की गई हैं वे जुलाई से दिसम्बर-2010 की अवधि के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत पर आधारित (आधार वर्ष 2001 = 100) हैं। समायोजन की दर अकुशल के लिए रुपया 1.35 प्रति अंक, अर्धकुशल के लिए रुपया 1.50 प्रति अंक, कुशल के लिए रुपया 1.65 प्रति अंक, नान मैट्रीकुलैट्स के लिए रुपया 1.50 प्रति अंक, मैट्रीकुलैट्स किन्तु गैर स्नातक के लिए रुपया 1.65 प्रति अंक और स्नातक और उसके उपर के लिए रुपया 1.80 प्रति अंक होगा। प्रत्येक वर्ष समायोजन छःमाही आधार पर किया जायेगा जो प्रत्येक वर्ष प्रथम अप्रैल एवं प्रथम अक्टूबर में होगा जो कि पिछले वर्ष के जुलाई से दिसम्बर एवं इस वर्ष जनवरी से जून क्रमशः के औसत सूचकांक को ध्यान में रखकर किया जायेगा।

टिप्पणी नं०-2

अब नियत की जा रही मजदूरी की न्यूनतम दरें सहलग्नता के परिणामस्वरूप इन दरों से कम नहीं होंगी।


टिप्पणी नं०-3

दैनिक मंहगाई भत्ते की गणना करते समय निकटतम उच्च रूपये में पूर्णांक में बदला जायेगा।

टिप्पणी नं०-4

दैनिक न्यूनतम वेतन की दरों में साप्ताहिक अवकाश का वेतन भी सम्मिलित है, जिसके लिए अलग से वेतन देने की आवश्यकता नहीं है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के
उपराज्यपाल के आदेशानुसार तथा उनके नाम पर



(पीयूष शर्मा)

संयुक्त सचिव (श्रम),

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित:-

1. उप-सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, दिल्ली को आज के असाधारण राजपत्र भाग-4 में प्रकाशनार्थ (दो प्रतियां)
2. सचिव, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली ।
3. प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल, रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार
4. प्रधान सचिव, माननीया मुख्यमंत्री, रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार
5. सचिव, माननीय मंत्री(शिक्षा, परिवहन, गुरुद्वारा चुनाव व प्रशासन), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
6. सचिव, माननीय मंत्री (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, रोजगार, राजस्व, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
7. सचिव, माननीय मंत्री (विद्युत, खाद्य एवं संभरण, विकास), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
8. सचिव, माननीय मंत्री (समाज कल्याण, महिला एवं बाल विभाग, भाशा), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
9. सचिव, माननीय मंत्री (लोक निर्माण विभाग, अनु.जा./जन जा. कल्याण विभाग, शहरी विकास, भूमि एवं भवन), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
10. सचिव, माननीय मंत्री (उद्योग, श्रम, चुनाव), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
11. सचिव, दिल्ली विधान सभा, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार, माननीय अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के सूचनार्थ
12. मुख्य सचिव के विशेष कार्य अधिकारी, रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार, प्लेयर्स बिल्डिंग, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली
13. प्रधान सचिव (श्रम), द्वितीय तल, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली
14. श्रम आयुक्त, 5 शाम नाथ मार्ग, दिल्ली
15. दिल्ली सरकार के सभी विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ ।
16. मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय), भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, दिल्ली ।
17. सचिव श्रम - हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान और यू0टी0, चंडीगढ़ ।
18. महासचिव, भा0म0संघ0 ईटक, सीटू, एटक, एच0एम0एस0 ।
19. महासचिव, सी0आई0आई0,फिक्की, पी0एच0डी0सी0सी0आई0, एसोचैम, इस अनुरोध के साथ कि इस आदेश की प्रति स्थानीय नियोजकों के संगठनों को इस निर्देश के साथ प्रेषित करें कि सभी संस्थान अपने यहाँ कार्यरत श्रमिकों को संशोधित दरों के

आधार पर भुगतान करें । परिपत्रों की एक प्रति इस कार्यालय को भी प्रेषित करने का कष्ट करें ।

20. सभी जिला संयुक्त एवं उप-श्रमायुक्तों को दस अतिरिक्त प्रतियाँ, ट्रेड यूनियन और नियोक्ता संघों में वितरण के लिए ।
21. उप-सचिव (वित्त) रा0रा0 क्षेत्र, दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि वे रा0रा0 क्षेत्र दिल्ली सरकार के कार्यालयों में नियोजित कामगारों को दी जाने वाली मजदूरी से संबंधित निर्देश जारी करें ।
22. क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय), श्रम मंत्रालय, बी-ब्लॉक, कर्जन रोड बैरेक, के0जी0मार्ग, नई दिल्ली ।
23. उप-निदेशक, न्यूनतम मजदूरी, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली
24. संयुक्त निदेशक, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, श्रम ब्यूरो, एस0सी0ओ0, 28-31, सैक्टर-17(ए), चंडीगढ़-160017
25. सहायक निदेशक (योजना), श्रम विभाग, दिल्ली को सांख्यिकी व वेबसाईट में शामिल करने के लिए तथा विधानसभा के पटल पर रखने के लिए ।
26. पुस्तकालयाध्यक्ष, श्रमायुक्त कार्यालय, 5-शामनाथ मार्ग, दिल्ली-110054
27. गार्ड फाईल ।

संयुक्त सचिव (श्रम)

**दिल्ली राजपत्र के असाधारण भाग-4 में प्रकाशनार्थ
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
(श्रम विभाग)
'अधिसूचना'**

संख्या एफ. 12 (18)(142)/11/न्यू वे0/श्रम/2036

दिनांक:- 26/07/2011

संख्या: एफ. 12 (18)/142/11/न्यू वे0/श्रम/ भारत सरकार के भूतपूर्व प्रदेश मंत्रालय (मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटस) की अधिसूचना सं० 104-जे, दिनांक 24 अगस्त 1950 व गृहमंत्रालय की अधिसूचना सं० एस०ओ० 530 (एफ 2/9/66-यू०टी०एल०) दिनांक 6 फरवरी 1967 के साथ पठित न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 5 की उपधारा (2) के द्वारा और उन्हें इस संबंध में समर्थ बनाने वाली अन्य समस्त शक्तियों एवं प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के उपराज्यपाल उपरोक्त अधिनियम की धारा 5(1) के अन्तर्गत गठित समिति व सरकार की सिफारिशों पर विचार करने के उपरांत **रेडीमेड गारमैट्स का व्यवसाय** के अनुसूचित व्यवसाय में अधिसूचना संख्या...एफ 12 (18)/92/न्यू वे0/श्रम/139 दिनांक 15 फरवरी 1994 द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन की दरों को निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार सहर्ष पुनरीक्षित करते हैं।

यह अधिसूचना दिनांक 01 अप्रैल 2011 से लागू होगी और इस तिथि से अधिसूचना संख्या एफ 12 (18)/92/न्यू वे0/श्रम/139 दिनांक 15 फरवरी 1994 रद्द मानी जायेगी

**अनुसूची
रेडीमेड गारमैट्स का व्यवसाय**

कर्मचारियों की श्रेणी	न्यूनतम वेतन की दरें	
	प्रतिमाह (रू०)	प्रतिदिन (रू०)
अकुशल 1. चपरासी, 2. सहायक, 3. चौकीदार, 4. स्वीपर, 5. थैंडकटर, 6. लेयर, 7. अन्य अदक्ष कर्मचारी	6422.00	247.00
अर्द्धकुशल 1. बटन होल्सर्स, 2. काज आपरेटर, 3. बटन स्टोकर 4. ओवर लॉकर्स, 5. पैटर्न टेलर्स, 6. आवररिंग 7. पैकर, 8. अन्य अर्द्धदक्ष कर्मचारी	7098.00	273.00
कुशल 1. टेलर्स, 2. पैकर्स, 3. ड्राईवर, 4. वाशरमैन 5. अन्य दक्ष कर्मचारी	7826.00	301.00
अति कुशल 1. कटर या मास्टर टेलर 2. डिजाईनर 3. अन्य अतिदक्ष कर्मचारी	दक्ष से अधिक	
लिपिक वर्गीय तथा अतकनीकी पर्यवेक्षक स्टाफ		
1. दसवीं कक्षा अनुत्तीर्ण	7098.00	273.00

2. दसवीं कक्षा उत्तीर्ण तथा अस्नातक	7826.00	301.00
3. स्नातक तथा इससे उपर	8502.00	327.00

टिप्पणी नं०-1

मजदूरी की न्यूनतम दरें जो निर्धारित की जा रही हैं वे अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबद्ध हैं। मजदूरी की वर्तमान दरें जो सूचकांक 171.33 के आधार पर निश्चित की गई हैं वे जुलाई से दिसम्बर-2010 की अवधि के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत पर आधारित (आधार वर्ष 2001 = 100) हैं। समायोजन की दर अकुशल के लिए रुपया 1.35 प्रति अंक, अर्धकुशल के लिए रुपया 1.50 प्रति अंक, कुशल के लिए रुपया 1.65 प्रति अंक, नान मैट्रीकुलैट्स के लिए रुपया 1.50 प्रति अंक, मैट्रीकुलैट्स किन्तु गैर स्नातक के लिए रुपया 1.65 प्रति अंक और स्नातक और उसके उपर के लिए रुपया 1.80 प्रति अंक होगा। प्रत्येक वर्ष समायोजन छःमाही आधार पर किया जायेगा जो प्रत्येक वर्ष प्रथम अप्रैल एवं प्रथम अक्टूबर में होगा जो कि पिछले वर्ष के जुलाई से दिसम्बर एवं इस वर्ष जनवरी से जून क्रमशः के औसत सूचकांक को ध्यान में रखकर किया जायेगा।

टिप्पणी नं०-2

अब नियत की जा रही मजदूरी की न्यूनतम दरें सहलग्नता के परिणामस्वरूप इन दरों से कम नहीं होंगी।


टिप्पणी नं०-3

दैनिक मंहगाई भत्ते की गणना करते समय निकटतम उच्च रूपये में पूर्णांक में बदला जायेगा।

टिप्पणी नं०-4

दैनिक न्यूनतम वेतन की दरों में साप्ताहिक अवकाश का वेतन भी सम्मिलित है, जिसके लिए अलग से वेतन देने की आवश्यकता नहीं है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के
उपराज्यपाल के आदेशानुसार तथा उनके नाम पर



(पीयूष शर्मा)

संयुक्त सचिव (श्रम),
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

संख्या एफ. 12 (18)(142)/11/न्यू0 वे0/श्रम/

दिनांक.....

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित:-

1. उप-सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, दिल्ली को आज के असाधारण राजपत्र भाग-4 में प्रकाशनार्थ (दो प्रतियां)
2. सचिव, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली ।
3. प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल, रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार
4. प्रधान सचिव, माननीया मुख्यमंत्री, रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार
5. सचिव, माननीय मंत्री(शिक्षा, परिवहन, गुरुद्वारा चुनाव व प्रशासन), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
6. सचिव, माननीय मंत्री (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, रोजगार, राजस्व, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
7. सचिव, माननीय मंत्री (विद्युत, खाद्य एवं संभरण, विकास), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
8. सचिव, माननीय मंत्री (समाज कल्याण, महिला एवं बाल विभाग, भाशा), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
9. सचिव, माननीय मंत्री (लोक निर्माण विभाग, अनु.जा./जन जा. कल्याण विभाग, शहरी विकास, भूमि एवं भवन), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
10. सचिव, माननीय मंत्री (उद्योग, श्रम, चुनाव), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
11. सचिव, दिल्ली विधान सभा, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार, माननीय अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के सूचनार्थ
12. मुख्य सचिव के विशेष कार्य अधिकारी, रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार, प्लेयर्स बिल्डिंग, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली
13. प्रधान सचिव (श्रम), द्वितीय तल, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली
14. श्रम आयुक्त, 5 शाम नाथ मार्ग, दिल्ली
15. दिल्ली सरकार के सभी विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ ।
16. मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय), भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, दिल्ली ।
17. सचिव श्रम – हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान और यू0टी0, चंडीगढ़ ।
18. महासचिव, भा0म0संघ0 ईटक, सीटू, एटक, एच0एम0एस0 ।
19. महासचिव, सी0आई0आई0,फिक्की, पी0एच0डी0सी0सी0आई0, एसोचैम, इस अनुरोध के साथ कि इस आदेश की प्रति स्थानीय नियोजकों के संगठनों को इस निर्देश के साथ प्रेषित करें कि सभी संस्थान अपने यहाँ कार्यरत श्रमिकों को संशोधित दरों के आधार पर भुगतान करें । परिपत्रों की एक प्रति इस कार्यालय को भी प्रेषित करने का कष्ट करें ।
20. सभी जिला संयुक्त एवं उप-श्रमायुक्तों को दस अतिरिक्त प्रतियाँ, ट्रेड यूनियन और नियोक्ता संघों में वितरण के लिए ।

21. उप-सचिव (वित्त) रा0रा0 क्षेत्र, दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि वे रा0रा0 क्षेत्र दिल्ली सरकार के कार्यालयों में नियोजित कामगारों को दी जाने वाली मजदूरी से संबंधित निर्देश जारी करें ।
22. क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय), श्रम मंत्रालय, बी-ब्लॉक, कर्जन रोड बैरेक, के0जी0मार्ग, नई दिल्ली ।
23. उप-निदेशक, न्यूनतम मजदूरी, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली
24. संयुक्त निदेशक, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, श्रम ब्यूरो, एस0सी0ओ0, 28-31, सैक्टर-17(ए), चंडीगढ़-160017
25. सहायक निदेशक (योजना), श्रम विभाग, दिल्ली को सांख्यिकी व वेबसाईट में शामिल करने के लिए तथा विधानसभा के पटल पर रखने के लिए ।
26. पुस्तकालयाध्यक्ष, श्रमायुक्त कार्यालय, 5-शामनाथ मार्ग, दिल्ली-110054
27. गार्ड फाईल ।

संयुक्त सचिव (श्रम)

दिल्ली राजपत्र के असाधारण भाग-4 में प्रकाशनार्थ
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
(श्रम विभाग)
'अधिसूचना'

संख्या एफ. 12 (19)(142)/11/न्यू वे0/श्रम/2037

दिनांक:- 26/07/2011

संख्या: एफ. 12 (19)/142/11/न्यू वे0/श्रम/ भारत सरकार के भूतपूर्व प्रदेश मंत्रालय (मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटस) की अधिसूचना सं० 104-जे, दिनांक 24 अगस्त 1950 व गृहमंत्रालय की अधिसूचना सं० एस0ओ0 530 (एफ 2/9/66-यू0टी0एल0) दिनांक 6 फरवरी 1967 के साथ पठित न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 5 की उपधारा (2) के द्वारा और उन्हें इस संबंध में समर्थ बनाने वाली अन्य समस्त शक्तियों एवं प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के उपराज्यपाल उपरोक्त अधिनियम की धारा 5(1) के अन्तर्गत गठित समिति व सरकार की सिफारिशों पर विचार करने के उपरांत **आईस फैक्ट्रीज एण्ड कोल्ड स्टोरेज का व्यवसाय** के अनुसूचित व्यवसाय में अधिसूचना संख्या एफ 12 (19)/92/न्यू वे0/श्रम/140 दिनांक 15 फरवरी 1994 द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन की दरों को निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार सहर्ष पुनरीक्षित करते हैं।

यह अधिसूचना दिनांक 01 अप्रैल 2011 से लागू होगी और इस तिथि से अधिसूचना संख्या एफ 12 (19)/92/न्यू वे0/श्रम/140 दिनांक 15 फरवरी 1994 रद्द मानी जायेगी

अनुसूची
आईस फैक्ट्रीज एण्ड कोल्ड स्टोरेज का व्यवसाय

कर्मचारियों की श्रेणी	न्यूनतम वेतन की दरें	
	प्रतिमाह (रु०)	प्रतिदिन (रु०)
अकुशल 1. चपरासी, 2. चौकीदार, 3. स्वीपर 4. सहायक, 5. टैंक कुली 6. अन्य अदक्ष कर्मचारी	6422.00	247.00
अर्द्धकुशल 1. सहायक आपरेटर, 2. सहायक कारपेंटर 3. सहायक मशीनमैन, 4. सहायक मिस्ट्री 5. सहायक मैसन, 6. सहायक इलैक्ट्रीशियन 7. सहायक फिटर, 8. सहायक कम्प्रेसर अटेंडेंट 9. सहायक इंजीनियर 10. अन्य अर्द्धदक्ष कर्मचारी	7098.00	273.00
कुशल 1. आपरेटर, 2. कारपेंटर, 3. फिटर 4. मशीन ड्राईवर, 5. कम्प्रेसर अटेंडेंट, 6. मिस्ट्री 7. ड्राईवर, 8. मैसन, 9. इलैक्ट्रीशियन 10. अन्य दक्ष कर्मचारी	7826.00	301.00
लिपिक वर्गीय तथा अतकनीकी सुपरवाइजरी स्टाफ		

1. दसवीं कक्षा अनुत्तीर्ण	7098.00	273.00
2. दसवीं कक्षा उत्तीर्ण तथा अस्नातक	7826.00	301.00
3. स्नातक तथा इससे उपर	8502.00	327.00

टिप्पणी नं0-1

मजदूरी की न्यूनतम दरें जो निर्धारित की जा रही हैं वे अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबद्ध हैं। मजदूरी की वर्तमान दरें जो सूचकांक 171.33 के आधार पर निश्चित की गई हैं वे जुलाई से दिसम्बर-2010 की अवधि के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत पर आधारित (आधार वर्ष 2001 = 100) हैं। समायोजन की दर अकुशल के लिए रुपया 1.35 प्रति अंक, अर्धकुशल के लिए रुपया 1.50 प्रति अंक, कुशल के लिए रुपया 1.65 प्रति अंक, नान मैट्रीकुलैट्स के लिए रुपया 1.50 प्रति अंक, मैट्रीकुलैट्स किन्तु गैर स्नातक के लिए रुपया 1.65 प्रति अंक और स्नातक और उसके उपर के लिए रुपया 1.80 प्रति अंक होगा। प्रत्येक वर्ष समायोजन छःमाही आधार पर किया जायेगा जो प्रत्येक वर्ष प्रथम अप्रैल एवं प्रथम अक्टूबर में होगा जो कि पिछले वर्ष के जुलाई से दिसम्बर एवं इस वर्ष जनवरी से जून कमशः के औसत सूचकांक को ध्यान में रखकर किया जायेगा।

टिप्पणी नं0-2

अब नियत की जा रही मजदूरी की न्यूनतम दरें सहलग्नता के परिणामस्वरूप इन दरों से कम नहीं होंगी।


टिप्पणी नं0-3

दैनिक मंहगाई भत्ते की गणना करते समय निकटतम उच्च रूपये में पूर्णांक में बदला जायेगा।

टिप्पणी नं0-4

दैनिक न्यूनतम वेतन की दरों में साप्ताहिक अवकाश का वेतन भी सम्मिलित है, जिसके लिए अलग से वेतन देने की आवश्यकता नहीं है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के
उपराज्यपाल के आदेशानुसार तथा उनके नाम पर



(पीयूष शर्मा)

संयुक्त सचिव (श्रम),
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

संख्या एफ. 12 (19)(142)/11/न्यू0 वे0/श्रम/

दिनांक.....

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित:-

1. उप-सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, दिल्ली को आज के असाधारण राजपत्र भाग-4 में प्रकाशनार्थ (दो प्रतियां)
2. सचिव, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली ।
3. प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल, रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार
4. प्रधान सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार
5. सचिव, माननीय मंत्री(शिक्षा, परिवहन, गुरुद्वारा चुनाव व प्रशासन), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
6. सचिव, माननीय मंत्री (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, रोजगार, राजस्व, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
7. सचिव, माननीय मंत्री (विद्युत, खाद्य एवं संभरण, विकास), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
8. सचिव, माननीय मंत्री (समाज कल्याण, महिला एवं बाल विभाग, भाषा), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
9. सचिव, माननीय मंत्री (लोक निर्माण विभाग, अनु.जा./जन जा. कल्याण विभाग, शहरी विकास, भूमि एवं भवन), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
10. सचिव, माननीय मंत्री (उद्योग, श्रम, चुनाव), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
11. सचिव, दिल्ली विधान सभा, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार, माननीय अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के सूचनार्थ
12. मुख्य सचिव के विशेष कार्य अधिकारी, रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार, प्लेयर्स बिल्डिंग, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली
13. प्रधान सचिव (श्रम), द्वितीय तल, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली
14. श्रम आयुक्त, 5 शाम नाथ मार्ग, दिल्ली
15. दिल्ली सरकार के सभी विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ ।
16. मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय), भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, दिल्ली ।
17. सचिव श्रम - हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान और यू0टी0, चंडीगढ़ ।
18. महासचिव, भा0म0संघ0 ईटक, सीटू, एटक, एच0एम0एस0 ।
19. महासचिव, सी0आई0आई0,फिक्की, पी0एच0डी0सी0सी0आई0, एसोचैम, इस अनुरोध के साथ कि इस आदेश की प्रति स्थानीय नियोजकों के संगठनों को इस निर्देश के साथ प्रेषित करें कि सभी संस्थान अपने यहाँ कार्यरत श्रमिकों को सशोधित दरों के आधार पर भुगतान करें । परिपत्रों की एक प्रति इस कार्यालय को भी प्रेषित करने का कष्ट करें ।
20. सभी जिला संयुक्त एवं उप-श्रमायुक्तों को दस अतिरिक्त प्रतियाँ, ट्रेड यूनियन और नियोक्ता संघों में वितरण के लिए ।

21. उप-सचिव (वित्त) रा0रा0 क्षेत्र, दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि वे रा0रा0 क्षेत्र दिल्ली सरकार के कार्यालयों में नियोजित कामगारों को दी जाने वाली मजदूरी से संबंधित निर्देश जारी करें ।
22. क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय), श्रम मंत्रालय, बी-ब्लॉक, कर्जन रोड बैरेक, के0जी0मार्ग, नई दिल्ली ।
23. उप-निदेशक, न्यूनतम मजदूरी, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली
24. संयुक्त निदेशक, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, श्रम ब्यूरो, एस0सी0ओ0, 28-31, सैक्टर-17(ए), चंडीगढ़-160017
25. सहायक निदेशक (योजना), श्रम विभाग, दिल्ली को सांख्यिकी व वेबसाईट में शामिल करने के लिए तथा विधानसभा के पटल पर रखने के लिए ।
26. पुस्तकालयाध्यक्ष, श्रमायुक्त कार्यालय, 5-शामनाथ मार्ग, दिल्ली-110054
27. गार्ड फाईल ।

संयुक्त सचिव (श्रम)

दिल्ली राजपत्र के असाधारण भाग-4 में प्रकाशनार्थ
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
(श्रम विभाग)
'अधिसूचना'

संख्या एफ. 12 (20)(142)/11/न्यू0 वे0/श्रम/2038

दिनांक:- 26/07/2011

संख्या: एफ. 12 (20)/142/11/न्यू0 वे0/श्रम/ भारत सरकार के भूतपूर्व प्रदेश मंत्रालय (मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटस) की अधिसूचना सं0 104-जे, दिनांक 24 अगस्त 1950 व गृहमंत्रालय की अधिसूचना सं0 एस0ओ0 530 (एफ 2/9/66-यू0टी0एल0) दिनांक 6 फरवरी 1967 के साथ पठित न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 5 की उपधारा (2) के द्वारा और उन्हें इस संबंध में समर्थ बनाने वाली अन्य समस्त शक्तियों एवं प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के उपराज्यपाल उपरोक्त अधिनियम की धारा 5(1) के अन्तर्गत गठित समिति व सरकार की सिफारिशों पर विचार करने के उपरांत **वुड वर्किंग एस्टैब्लिशमेंटस इन्क्लूडिंग सॉ मिल्स** के अनुसूचित व्यवसाय में अधिसूचना संख्या एफ 12 (20)/92/न्यू0 वे0/श्रम/141 दिनांक 15 फरवरी 1994 द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन की दरों को निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार सहर्ष पुनरीक्षित करते हैं।

यह अधिसूचना दिनांक 01 अप्रैल 2011 से लागू होगी और इस तिथि से अधिसूचना संख्या एफ 12 (20)/92/न्यू0 वे0/श्रम/141 दिनांक 15 फरवरी 1994 रद्द मानी जायेगी

अनुसूची
वुड वर्किंग एस्टैब्लिशमेंटस इन्क्लूडिंग सॉ मिल्स

कर्मचारियों की श्रेणी	न्यूनतम वेतन की दरें	
	प्रतिमाह (रू0)	प्रतिदिन (रू0)
अकुशल 1. हैल्पर, 2. पीयन, 3. चौकीदार, 4. सफाई कर्मचारी, 5. मजदूर, 6. माली 7. कार्टमैन, 8. अन्य अदक्ष कर्मचारी	6422.00	247.00
अर्द्धकुशल 1. खोमचे वाला, 2. बॉयलर फायरमैन 3. सहायक मिस्ट्री, 4. ट्रालीमैन, 5. सहायक पालिशमैन, 6. सहायक कटरमैन 7. मित्तीमैन, 8. सहायक फिटर 9. अन्य अर्द्धदक्ष कर्मचारी	7098.00	273.00
कुशल 1. पालिशमैन, 2. कारपेंटर, 3. मिस्ट्री, 4. कटर 5. वुड टर्नर, 6. प्लेसर, 7. मशीनमैन 8. ब्लैकस्मिथ, 9. फिटर, 10. बेंड सा मिस्ट्री 11. बॉयलर ड्रॉइवर, 12. ड्रॉइवर, 13. डेला 14. अप हास्ट्री मिस्ट्री, 15. कैन फिटर 16. वुड वुल मिस्ट्री, 17. ब्लॉक टर्नर 18. अन्य दक्ष कर्मचारी	7826.00	301.00

लिपिक वर्गीय तथा अतकनीकी पर्यवेक्षक स्टाफ		
1. दसवीं कक्षा अनुत्तीर्ण	7098.00	273.00
2. दसवीं कक्षा उत्तीर्ण तथा अस्नातक	7826.00	301.00
3. स्नातक तथा इससे उपर	8502.00	327.00

टिप्पणी नं०-1

मजदूरी की न्यूनतम दरें जो निर्धारित की जा रही हैं वे अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबद्ध है। मजदूरी की वर्तमान दरें जो सूचकांक 171.33 के आधार पर निश्चित की गई हैं वे जुलाई से दिसम्बर-2010 की अवधि के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत पर आधारित (आधार वर्ष 2001 = 100) हैं। समायोजन की दर अकुशल के लिए रुपया 1.35 प्रति अंक, अर्धकुशल के लिए रुपया 1.50 प्रति अंक, कुशल के लिए रुपया 1.65 प्रति अंक, नान मैट्रीकुलैट्स के लिए रुपया 1.50 प्रति अंक, मैट्रीकुलैट्स किन्तु गैर स्नातक के लिए रुपया 1.65 प्रति अंक और स्नातक और उसके उपर के लिए रुपया 1.80 प्रति अंक होगा। प्रत्येक वर्ष समायोजन छःमाही आधार पर किया जायेगा जो प्रत्येक वर्ष प्रथम अप्रैल एवं प्रथम अक्टूबर में होगा जो कि पिछले वर्ष के जुलाई से दिसम्बर एवं इस वर्ष जनवरी से जून क्रमशः के औसत सूचकांक को ध्यान में रखकर किया जायेगा।

टिप्पणी नं०-2

अब नियत की जा रही मजदूरी की न्यूनतम दरें सहलग्नता के परिणामस्वरूप इन दरों से कम नहीं होंगी।


टिप्पणी नं०-3

दैनिक मंहगाई भत्ते की गणना करते समय निकटतम उच्च रूपये में पूर्णांक में बदला जायेगा।

टिप्पणी नं०-4

दैनिक न्यूनतम वेतन की दरों में साप्ताहिक अवकाश का वेतन भी सम्मिलित है, जिसके लिए अलग से वेतन देने की आवश्यकता नहीं है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के
उपराज्यपाल के आदेशानुसार तथा उनके नाम पर



(पीयूष शर्मा)

संयुक्त सचिव (श्रम),
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

संख्या एफ. 12 (20)(142)/11/न्यू0 वे0/श्रम/

दिनांक.....

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित:-

1. उप-सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, दिल्ली को आज के असाधारण राजपत्र भाग-4 में प्रकाशनार्थ (दो प्रतियां)
2. सचिव, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली ।
3. प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल, रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार
4. प्रधान सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार
5. सचिव, माननीय मंत्री(शिक्षा, परिवहन, गुरुद्वारा चुनाव व प्रशासन), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
6. सचिव, माननीय मंत्री (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, रोजगार, राजस्व, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
7. सचिव, माननीय मंत्री (विद्युत, खाद्य एवं संभरण, विकास), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
8. सचिव, माननीय मंत्री (समाज कल्याण, महिला एवं बाल विभाग, भाषा), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
9. सचिव, माननीय मंत्री (लोक निर्माण विभाग, अनु.जा./जन जा. कल्याण विभाग, शहरी विकास, भूमि एवं भवन), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
10. सचिव, माननीय मंत्री (उद्योग, श्रम, चुनाव), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
11. सचिव, दिल्ली विधान सभा, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार, माननीय अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के सूचनार्थ
12. मुख्य सचिव के विशेष कार्य अधिकारी, रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार, प्लेयर्स बिल्डिंग, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली
13. प्रधान सचिव (श्रम), द्वितीय तल, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली
14. श्रम आयुक्त, 5 शाम नाथ मार्ग, दिल्ली
15. दिल्ली सरकार के सभी विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ ।
16. मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय), भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, दिल्ली ।
17. सचिव श्रम – हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान और यू0टी0, चंडीगढ़ ।
18. महासचिव, भा0म0संघ0 ईटक, सीटू, एटक, एच0एम0एस0 ।
19. महासचिव, सी0आई0आई0,फिक्की, पी0एच0डी0सी0सी0आई0, एसोचैम, इस अनुरोध के साथ कि इस आदेश की प्रति स्थानीय नियोजकों के संगठनों को इस निर्देश के साथ प्रेषित करें कि सभी संस्थान अपने यहाँ कार्यरत श्रमिकों को सशोधित दरों के आधार पर भुगतान करें । परिपत्रों की एक प्रति इस कार्यालय को भी प्रेषित करने का कष्ट करें ।
20. सभी जिला संयुक्त एवं उप-श्रमायुक्तों को दस अतिरिक्त प्रतियाँ, ट्रेड यूनियन और नियोक्ता संघों में वितरण के लिए ।

21. उप-सचिव (वित्त) रा0रा0 क्षेत्र, दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि वे रा0रा0 क्षेत्र दिल्ली सरकार के कार्यालयों में नियोजित कामगारों को दी जाने वाली मजदूरी से संबंधित निर्देश जारी करें ।
22. क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय), श्रम मंत्रालय, बी-ब्लॉक, कर्जन रोड बैरेक, के0जी0मार्ग, नई दिल्ली ।
23. उप-निदेशक, न्यूनतम मजदूरी, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली
24. संयुक्त निदेशक, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, श्रम ब्यूरो, एस0सी0ओ0, 28-31, सैक्टर-17(ए), चंडीगढ़-160017
25. सहायक निदेशक (योजना), श्रम विभाग, दिल्ली को सांख्यिकी व वेबसाईट में शामिल करने के लिए तथा विधानसभा के पटल पर रखने के लिए ।
26. पुस्तकालयाध्यक्ष, श्रमायुक्त कार्यालय, 5-शामनाथ मार्ग, दिल्ली-110054
27. गार्ड फाईल ।

संयुक्त सचिव (श्रम)

**दिल्ली राजपत्र के असाधारण भाग-4 में प्रकाशनार्थ
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
(श्रम विभाग)
'अधिसूचना'**

संख्या. एफ. 12 (21)(142)/11/न्यू0 वे0/श्रम/2039

दिनांक:- 26/07/2011

संख्या: एफ. 12 (21)/142/11/न्यू0 वे0/श्रम/ भारत सरकार के भूतपूर्व प्रदेश मंत्रालय (मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटस) की अधिसूचना सं0 104-जे, दिनांक 24 अगस्त 1950 व गृहमंत्रालय की अधिसूचना सं0 एस0ओ0 530 (एफ 2/9/66-यू0टी0एल0) दिनांक 6 फरवरी 1967 के साथ पठित न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 5 की उपधारा (2) के द्वारा और उन्हें इस संबंध में समर्थ बनाने वाली अन्य समस्त शक्तियों एवं प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के उपराज्यपाल उपरोक्त अधिनियम की धारा 5(1) के अन्तर्गत गठित समिति व सरकार की सिफारिशों पर विचार करने के उपरांत **सीमेंट वर्किंग एस्टेब्लिशमेंट का व्यवसाय** के अनुसूचित व्यवसाय में अधिसूचना संख्या एफ 12 (21)/92/न्यू0 वे0/श्रम/142 दिनांक 15 फरवरी 1994 द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन की दरों को निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार सहर्ष पुनरीक्षित करते हैं।

यह अधिसूचना दिनांक 01 अप्रैल 2011 से लागू होगी और इस तिथि से अधिसूचना संख्या एफ 12 (21)/92/न्यू0 वे0/श्रम/142 दिनांक 15 फरवरी 1994 रद्द मानी जायेगी

**अनुसूची
सीमेंट वर्किंग एस्टेब्लिशमेंट का व्यवसाय**

कर्मचारियों की श्रेणी	न्यूनतम वेतन की दरें	
	प्रतिमाह (रू0)	प्रतिदिन (रू0)
अकुशल 1. मजदूर, 2. स्वीपर, 3. पीयन 4. चौकीदार, 5. अन्य अदक्ष कर्मचारी	6422.00	247.00
अर्द्धकुशल 1. मिक्सरमैन, 2. मैसन ग्रेड, 3. फिटर, 4. असेम्बलर, 5. इलेक्ट्रीशियन, 6. मोल्डर 7. कोटर, 8. टेस्टिंग हैड, 9. वायरमैन 10. वायर डाईंग, 11. बैकहैड, 12. टर्नर 13. वाइन्डर 14. अन्य अर्द्धदक्ष कर्मचारी	7098.00	273.00
कुशल 1. वैल्डर और फिटर, 2. सुपरवाइजर 3. मैसन ग्रेड-1, 4. इलेक्ट्रीशियन ग्रेड-1, 5. फिटर ग्रेड-1, 6. वायरमैन ग्रेड-1 7. मिस्त्री, 8. जलमैन 9. अन्य दक्ष कर्मचारी	7826.00	301.00

लिपिक वर्गीय तथा अतकनीकी पर्यवेक्षक स्टाफ		
1. दसवीं कक्षा अनुत्तीर्ण	7098.00	273.00
2. दसवीं कक्षा उत्तीर्ण तथा अस्नातक	7826.00	301.00
3. स्नातक तथा इससे उपर	8502.00	327.00

टिप्पणी नं०-1

मजदूरी की न्यूनतम दरें जो निर्धारित की जा रही हैं वे अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबद्ध हैं। मजदूरी की वर्तमान दरें जो सूचकांक 171.33 के आधार पर निश्चित की गई हैं वे जुलाई से दिसम्बर-2010 की अवधि के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत पर आधारित (आधार वर्ष 2001 = 100) हैं। समायोजन की दर अकुशल के लिए रुपया 1.35 प्रति अंक, अर्धकुशल के लिए रुपया 1.50 प्रति अंक, कुशल के लिए रुपया 1.65 प्रति अंक, नान मैट्रीकुलैट्स के लिए रुपया 1.50 प्रति अंक, मैट्रीकुलैट्स किन्तु गैर स्नातक के लिए रुपया 1.65 प्रति अंक और स्नातक और उसके उपर के लिए रुपया 1.80 प्रति अंक होगा। प्रत्येक वर्ष समायोजन छःमाही आधार पर किया जायेगा जो प्रत्येक वर्ष प्रथम अप्रैल एवं प्रथम अक्टूबर में होगा जो कि पिछले वर्ष के जुलाई से दिसम्बर एवं इस वर्ष जनवरी से जून क्रमशः के औसत सूचकांक को ध्यान में रखकर किया जायेगा।

टिप्पणी नं०-2

अब नियत की जा रही मजदूरी की न्यूनतम दरें सहलग्नता के परिणामस्वरूप इन दरों से कम नहीं होंगी।


टिप्पणी नं०-3

दैनिक मंहगाई भत्ते की गणना करते समय निकटतम उच्च रूपये में पूर्णांक में बदला जायेगा।

टिप्पणी नं०-4

दैनिक न्यूनतम वेतन की दरों में साप्ताहिक अवकाश का वेतन भी सम्मिलित है, जिसके लिए अलग से वेतन देने की आवश्यकता नहीं है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के
उपराज्यपाल के आदेशानुसार तथा उनके नाम पर



(पीयूष शर्मा)

संयुक्त सचिव (श्रम),
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

संख्या. एफ. 12 (21)(142)/11 / न्यू0 वे0 / श्रम /

दिनांक.....

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित:-

1. उप-सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, दिल्ली को आज के असाधारण राजपत्र भाग-4 में प्रकाशनार्थ (दो प्रतियां)
2. सचिव, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली।
3. प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल, रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार
4. प्रधान सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार

5. सचिव, माननीय मंत्री(शिक्षा, परिवहन, गुरुद्वारा चुनाव व प्रशासन), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
6. सचिव, माननीय मंत्री (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, रोजगार, राजस्व, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
7. सचिव, माननीय मंत्री (विद्युत, खाद्य एवं संभरण, विकास), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
8. सचिव, माननीय मंत्री (समाज कल्याण, महिला एवं बाल विभाग, भाषा), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
9. सचिव, माननीय मंत्री (लोक निर्माण विभाग, अनु.जा./जन जा. कल्याण विभाग, शहरी विकास, भूमि एवं भवन), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
10. सचिव, माननीय मंत्री (उद्योग, श्रम, चुनाव), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
11. सचिव, दिल्ली विधान सभा, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार, माननीय अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के सूचनार्थ
12. मुख्य सचिव के विशेष कार्य अधिकारी, रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार, प्लेयर्स बिल्डिंग, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली
13. प्रधान सचिव (श्रम), द्वितीय तल, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली
14. श्रम आयुक्त, 5 शाम नाथ मार्ग, दिल्ली
15. दिल्ली सरकार के सभी विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ ।
16. मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय), भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, दिल्ली ।
17. सचिव श्रम – हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान और यू0टी0, चंडीगढ़ ।
18. महासचिव, भा0म0संघ0 ईंटक, सीटू, एटक, एच0एम0एस0 ।
19. महासचिव, सी0आई0आई0,फिक्की, पी0एच0डी0सी0सी0आई0, एसोचैम, इस अनुरोध के साथ कि इस आदेश की प्रति स्थानीय नियोजकों के संगठनों को इस निर्देश के साथ प्रेषित करें कि सभी संस्थान अपने यहाँ कार्यरत श्रमिकों को सशोधित दरों के आधार पर भुगतान करें । परिपत्रों की एक प्रति इस कार्यालय को भी प्रेषित करने का कष्ट करें ।
20. सभी जिला संयुक्त एवं उप-श्रमायुक्तों को दस अतिरिक्त प्रतियाँ, ट्रेड यूनियन और नियोक्ता संघों में वितरण के लिए ।
21. उप-सचिव (वित्त) रा0रा0 क्षेत्र, दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि वे रा0रा0 क्षेत्र दिल्ली सरकार के कार्यालयों में नियोजित कामगारों को दी जाने वाली मजदूरी से संबंधित निर्देश जारी करें ।
22. क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय), श्रम मंत्रालय, बी-ब्लॉक, कर्जन रोड बैरेक, के0जी0मार्ग, नई दिल्ली ।
23. उप-निदेशक, न्यूनतम मजदूरी, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली

24. संयुक्त निदेशक, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, श्रम ब्यूरो, एस0सी0ओ0, 28-31, सैक्टर-17(ए), चंडीगढ-160017
25. सहायक निदेशक (योजना), श्रम विभाग, दिल्ली को सांख्यिकी व वेबसाईट में शामिल करने के लिए तथा विधानसभा के पटल पर रखने के लिए ।
26. पुस्तकालयाध्यक्ष, श्रमायुक्त कार्यालय, 5-शामनाथ मार्ग, दिल्ली-110054
27. गार्ड फाईल ।

संयुक्त सचिव (श्रम)

**दिल्ली राजपत्र के असाधारण भाग-4 में प्रकाशनार्थ
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
(श्रम विभाग)
'अधिसूचना'**

संख्या एफ. 12 (22)(142)/11/न्यू0 वे0/श्रम/2040

दिनांक:- 26/07/2011

संख्या: एफ. 12 (22)/142/11/न्यू0 वे0/श्रम/ भारत सरकार के भूतपूर्व प्रदेश मंत्रालय (मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स) की अधिसूचना सं0 104-जे, दिनांक 24 अगस्त 1950 व गृहमंत्रालय की अधिसूचना सं.0 एस0ओ0 530 (एफ 2/9/66-यू0टी0एल0) दिनांक 6 फरवरी 1967 के साथ पठित न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 5 की उपधारा (2) के द्वारा और उन्हें इस संबंध में समर्थ बनाने वाली अन्य समस्त शक्तियों एवं प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के उपराज्यपाल उपरोक्त अधिनियम की धारा 5(1) के अन्तर्गत गठित समिति व सरकार की सिफारिशों पर विचार करने के उपरांत **सभी दुकान तथा व्यापारिक संस्थापन (जो दिल्ली दुकान तथा संस्थापन अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत आती हैं) व अन्य अनुसूची जिन पर लागू नहीं है,** के अनुसूचित व्यवसाय में अधिसूचना संख्या एफ. 12 (22)/92/न्यू0 वे0/श्रम/143 दिनांक 15 फरवरी 1994 द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन की दरों को निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार सहर्ष पुनरीक्षित करते हैं।

यह अधिसूचना दिनांक 01 अप्रैल 2011 से लागू होगी और इस तिथि से अधिसूचना संख्या एफ 12 (22)/92/न्यू0 वे0/श्रम/143 दिनांक 15 फरवरी 1994 रद्द मानी जायेगी

**अनुसूची
सभी दुकान तथा व्यापारिक संस्थापन
(जो दिल्ली दुकान तथा संस्थापन अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत आती हैं)
व अन्य अनुसूची जिन पर लागू नहीं है।**

कर्मचारियों की श्रेणी		व्यस्क की न्यूनतम वेतन की दरें (रु0 में)			
		1	2	3	4
अकुशल 1. चपरासी, 2. चौकीदार, 3. दरबान, 4. पानीवाला 5. सफाईकर्मी 6. क्लीनर, 7. कहार, 8. मसालची 9. मजदूर, 10. ढुलैया, 11. उत्तरैया, 12. पल्लेदार 13. संदेशवाहक, 14. सहायक, 15. माली (मजदूर) 16. क्लीनर, 17. पैकर, 18. अन्य अदक्ष कर्मचारी	प्रतिमाह	6422	6297	5628	5521
	या प्रतिदिन	247	242	216	212
अर्द्धकुशल 1. गेटकीपर (सिनेमा), 2. लाईटमैन 3. सहायक आपरेटर, 4. वाइन्डर 5. सहायक इलैक्ट्रीशियन (सिनेमा) 6. तोलने वाला	प्रतिमाह	7098	6973	6305	6197
	या प्रतिदिन	273	268	242	238

<p>7. माल दिखाने वाला, 8. पर्चे चुकाने वाला, 9. कन्वैटर, 10. सहायक, 11. सहायक रसोईया, 12. बैरा या वेटर, 13. पश्चिम पद्धति के होटल में काम करने वाला, 14. सहायक हलवाई, 15. जिल्दसाज, 16. रूलिंग 17. काटा, 18. नीलामकर्ता, 19. सहायक खरीदार, 20. माली (तकनीकी अनुभवी), 21. जूनियर होटल गार्ड, 22. पैलरमैन, 23. कम वेयर, 24. रात्रि बैरा चौकीदार, 25. सहायक तन्दूरी, 26. सहायक बेकरी मिस्त्री 27. अन्य कोई भी कर्मचारी जो सुपरिभाषित एक कुशल और दक्ष कार्य करता है लेकिन उसे जो कार्य सौंपा गया है वह छोटा कार्य है और जहां पर महत्वपूर्ण निर्णय दूसरों द्वारा लिए जाते हैं</p>					
<p>कुशल</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. लाईन आपरेटर 2. इलैक्ट्रीशियन 3. मैकेनिक 4. दर्जी 5. रसोईया (होटल, रेस्टोरेंट, फ़ैक्ट्री) 6. ड्राईक्लीनर्स (मशीन आपरेटर्स) 7. धोबी 8. प्रैस करने वाला (दोनों मशीन से ड्राईक्लीनिंग यूनिट से) 9. स्टुअर्ड, 10. हैड वेटर 11. हैर बेयरर 12. कारपेंटर 13. पोशिर ग्रेड-1 14. फिटर ग्रेड-1 15. पलम्बर 16. फिल्म रिपोयर (डिस्ट्रीब्यूटर) 17. होटल गार्ड 18. तन्दूरी 19. एलडेसीमैन 20. दूसरी दक्ष श्रेणी जो विशेष रूप से न हो 	<p>प्रतिमाह या प्रतिदिन</p>	<p>7826 301</p>	<p>7701 296</p>	<p>7032 270</p>	<p>6295 266</p>

1. जहां न तो खाना और न ही ठहरने की व्यवस्था हो
2. जहां केवल ठहरने की व्यवस्था हो
3. जहां दोनों समय का खाना दिया जाता हो
4. जहां दोनों समय का खाना और ठहरने की व्यवस्था हो

लिपिक वर्गीय तथा सर्वेक्षक स्टाफ

कर्मचारियों की श्रेणी		न्यूनतम वेतन की दरें (रु० में)	
		मैट्रीकुलेटस एवं अस्नातक	स्नातक और उससे उपर
1. बुकिंग क्लर्क, 2. सर्वेक्षक 3. टंकक, 4. स्वागताध्यक्ष 5. क्लर्क, 6. टेलीफोन ओपरेटर 7. सेल्समैन, 8. टैबलिंग सेल्समैन 9. सहायक लेखाकार, 10. मुनीम 11. स्टोरकीपर, 12. खरीददार 13. खजांची 14. गोदाम कीपर	प्रतिमाह या प्रतिदिन	7826.00 301.00	8502.00 327.00
कुशल (अ) 1. हैड क्लर्क 2. लेखकार 3. हैड कैशियर 4. हैड आपरेटर 5. सहायक मैनेजर 6. हैड सेल्समैन 7. कटर (टेलरिंग) 8. स्टेनाग्राफर 9. हैड बुकिंग क्लर्क 10. फिल्म प्रतिनिधि 11. हैड डिस्पेचर 12. ब्यूटीशियन 13. हैड मुनीम 14. अन्य दक्ष कर्मचारी जो कि कुशलतापूर्वक काम करने योग्य है, इसलिए राय ले सकता है और अपने कर्तव्यपालन का जिम्मेदार है इससे जिस उद्योग में कार्य करता है उसका पूर्ण ज्ञान होना चाहिए।	प्रतिमाह या प्रतिदिन	इस श्रेणी के कर्मचारियों को लिपिक वर्गीय तथा सर्वेक्षक स्टाफ के कर्मचारियों से अधिक वेतन मिलेगा।	

टिप्पणी नं०-1

मजदूरी की न्यूनतम दरें जो निर्धारित की जा रही हैं वे अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबद्ध है। मजदूरी की वर्तमान दरें जो सूचकांक 171.33 के आधार पर निश्चित की गई हैं वे जुलाई से दिसम्बर-2010 की अवधि के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत पर आधारित (आधार वर्ष 2001 = 100) हैं। समायोजन की दर अकुशल के लिए रुपया 1.35 प्रति अंक, अर्धकुशल के लिए रुपया 1.50 प्रति अंक, कुशल के लिए रुपया 1.65 प्रति अंक, नान मैट्रीकुलेट्स के लिए रुपया 1.50 प्रति अंक, मैट्रीकुलेट्स किन्तु गैर स्नातक के लिए रुपया 1.65 प्रति अंक और स्नातक और उसके उपर के लिए रुपया 1.80 प्रति अंक होगा। प्रत्येक वर्ष समायोजन छःमाही

आधार पर किया जायेगा जो प्रत्येक वर्ष प्रथम अप्रैल एवं प्रथम अक्टूबर में होगा जो कि पिछले वर्ष के जुलाई से दिसम्बर एवं इस वर्ष जनवरी से जून क्रमशः के औसत सूचकांक को ध्यान में रखकर किया जायेगा।

टिप्पणी नं०-2

अब नियत की जा रही मजदूरी की न्यूनतम दरें सहलग्नता के परिणामस्वरूप इन दरों से कम नहीं होंगी।


टिप्पणी नं०-3

दैनिक मंहगाई भत्ते की गणना करते समय निकटतम उच्च रूपये में पूर्णांक में बदला जायेगा।

टिप्पणी नं०-4

दैनिक न्यूनतम वेतन की दरों में साप्ताहिक अवकाश का वेतन भी सम्मिलित है, जिसके लिए अलग से वेतन देने की आवश्यकता नहीं है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के
उपराज्यपाल के आदेशानुसार तथा उनके नाम पर



(पीयूष शर्मा)

संयुक्त सचिव (श्रम),
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

संख्या एफ. 12 (22)(142)/11/न्यू0 वे0/श्रम/

दिनांक.....

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित:-

1. उप-सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, दिल्ली को आज के असाधारण राजपत्र भाग-4 में प्रकाशनार्थ (दो प्रतियां)
2. सचिव, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली ।
3. प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल, रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार
4. प्रधान सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार
5. सचिव, माननीय मंत्री(शिक्षा, परिवहन, गुरुद्वारा चुनाव व प्रशासन), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
6. सचिव, माननीय मंत्री (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, रोजगार, राजस्व, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
7. सचिव, माननीय मंत्री (विद्युत, खाद्य एवं संभरण, विकास), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार

8. सचिव, माननीय मंत्री (समाज कल्याण, महिला एवं बाल विभाग, भाषा), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
9. सचिव, माननीय मंत्री (लोक निर्माण विभाग, अनु.जा./जन जा. कल्याण विभाग, शहरी विकास, भूमि एवं भवन), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
10. सचिव, माननीय मंत्री (उद्योग, श्रम, चुनाव), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
11. सचिव, दिल्ली विधान सभा, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार, माननीय अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के सूचनार्थ
12. मुख्य सचिव के विशेष कार्य अधिकारी, रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार, प्लेयर्स बिल्डिंग, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली
13. प्रधान सचिव (श्रम), द्वितीय तल, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली
14. श्रम आयुक्त, 5 शाम नाथ मार्ग, दिल्ली
15. दिल्ली सरकार के सभी विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ ।
16. मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय), भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, दिल्ली ।
17. सचिव श्रम – हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान और यू0टी0, चंडीगढ़ ।
18. महासचिव, भा0म0संघ0 ईंटक, सीटू, एटक, एच0एम0एस0 ।
19. महासचिव, सी0आई0आई0,फिक्की, पी0एच0डी0सी0सी0आई0, एसोचैम, इस अनुरोध के साथ कि इस आदेश की प्रति स्थानीय नियोजकों के संगठनों को इस निर्देश के साथ प्रेषित करें कि सभी संस्थान अपने यहाँ कार्यरत श्रमिकों को सशोधित दरों के आधार पर भुगतान करें । परिपत्रों की एक प्रति इस कार्यालय को भी प्रेषित करने का कष्ट करें ।
20. सभी जिला संयुक्त एवं उप-श्रमायुक्तों को दस अतिरिक्त प्रतियाँ, ट्रेड यूनियन और नियोक्ता संघों में वितरण के लिए ।
21. उप-सचिव (वित्त) रा0रा0 क्षेत्र, दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि वे रा0रा0 क्षेत्र दिल्ली सरकार के कार्यालयों में नियोजित कामगारों को दी जाने वाली मजदूरी से संबंधित निर्देश जारी करें ।
22. क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय), श्रम मंत्रालय, बी-ब्लॉक, कर्जन रोड बैरेक, के0जी0मार्ग, नई दिल्ली ।
23. उप-निदेशक, न्यूनतम मजदूरी, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली
24. संयुक्त निदेशक, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, श्रम ब्यूरो, एस0सी0ओ0, 28-31, सैक्टर-17(ए), चंडीगढ़-160017
25. सहायक निदेशक (योजना), श्रम विभाग, दिल्ली को सांख्यिकी व वेबसाईट में शामिल करने के लिए तथा विधानसभा के पटल पर रखने के लिए ।
26. पुस्तकालयाध्यक्ष, श्रमायुक्त कार्यालय, 5-शामनाथ मार्ग, दिल्ली-110054
27. गार्ड फाईल ।

संयुक्त सचिव (श्रम)

**दिल्ली राजपत्र के असाधारण भाग-4 में प्रकाशनार्थ
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
(श्रम विभाग)
'अधिसूचना'**

संख्या एफ. 12 (23)(142)/11/न्यू वे0/श्रम/2041

दिनांक:- 26/07/2011

संख्या: एफ. 12 (23)/142/11/न्यू वे0/श्रम/ भारत सरकार के भूतपूर्व प्रदेश मंत्रालय (मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटस) की अधिसूचना सं0 104-जे, दिनांक 24 अगस्त 1950 व गृहमंत्रालय की अधिसूचना सं.0 एस0ओ0 530 (एफ 2/9/66-यू0टी0एल0) दिनांक 6 फरवरी 1967 के साथ पठित न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 5 की उपधारा (2) के द्वारा और उन्हें इस संबंध में समर्थ बनाने वाली अन्य समस्त शक्तियों एवं प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के उपराज्यपाल उपरोक्त अधिनियम की धारा 5(1) के अन्तर्गत गठित समिति व सरकार की सिफारिशों पर विचार करने के उपरांत **लांड्रीज, लांड्री सर्विसिज एण्ड किनिंग एण्ड डाईंग प्लान्ट्स अर्थात फैक्ट्री/शॉप्स का व्यवसाय** के अनुसूचित व्यवसाय में अधिसूचना संख्या एफ 12 (23)/92/न्यू वे0/श्रम/144 दिनांक फरवरी 1994 द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन की दरों को निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार सहर्ष पुनरीक्षित करते हैं।

यह अधिसूचना दिनांक 01 अप्रैल 2011 से लागू होगी और इस तिथि से अधिसूचना संख्या एफ 12 (23)/92/न्यू वे0/श्रम/144 दिनांक फरवरी 1994 रद्द मानी जायेगी

अनुसूची

लांड्रीज, लांड्री सर्विसिज एण्ड किनिंग एण्ड डाईंग प्लान्ट्स अर्थात फैक्ट्री/शॉप्स का व्यवसाय

कर्मचारियों की श्रेणी	न्यूनतम वेतन की दरें	
	प्रतिमाह (रू0)	प्रतिदिन (रू0)
अकुशल 1. हैल्पर, 2. पीयन, 3. चौकीदार, 4. स्वीपर, 5. साईकिल मैन, 6. पैकर, 7. लोडर 8. डाईगमैन, 9. गेटकीपर, 10. मास्टर 11. स्टीचर, 12. अन्य अदक्ष कर्मचारी	6422.00	247.00
अर्द्धकुशल 1. सहायक वाशरमैन, 2. प्रैसमैन (काटन) 3. सहायक फोरमैन, 4. अन्य अर्द्धदक्ष कर्मचारी	7098.00	273.00
कुशल 1. डायर, 2. झाईवर, 3. सुपरवाइजर 4. बायलर अटेंडेंट, 5. डाईग मास्टर 6. चैकर/स्पोटर, 7. इलैक्ट्रिशियन, 8. वाशरमैन 9. टेलकर ग्रेड-1, 10. प्रैसमैन इंकलूडिंग स्टीम प्रैसमेन 11. झाईक्लीनर कम स्पोटर 12. मैकेनिक, 13. टर्नर 14. अन्य दक्ष कर्मचारी	7826.00	301.00

लिपिक वर्गीय तथा अतकनीकी पर्यवेक्षक स्टाफ		
1. दसवीं कक्षा अनुत्तीर्ण	7098.00	273.00
2. दसवीं कक्षा उत्तीर्ण तथा अस्नातक	7826.00	301.00
3. स्नातक तथा इससे उपर	8502.00	327.00

टिप्पणी नं०-1

मजदूरी की न्यूनतम दरें जो निर्धारित की जा रही हैं वे अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबद्ध हैं। मजदूरी की वर्तमान दरें जो सूचकांक 171.33 के आधार पर निश्चित की गई हैं वे जुलाई से दिसम्बर-2010 की अवधि के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत पर आधारित (आधार वर्ष 2001 = 100) हैं। समायोजन की दर अकुशल के लिए रुपया 1.35 प्रति अंक, अर्धकुशल के लिए रुपया 1.50 प्रति अंक, कुशल के लिए रुपया 1.65 प्रति अंक, नान मैट्रीकुलैट्स के लिए रुपया 1.50 प्रति अंक, मैट्रीकुलैट्स किन्तु गैर स्नातक के लिए रुपया 1.65 प्रति अंक और स्नातक और उसके उपर के लिए रुपया 1.80 प्रति अंक होगा। प्रत्येक वर्ष समायोजन छःमाही आधार पर किया जायेगा जो प्रत्येक वर्ष प्रथम अप्रैल एवं प्रथम अक्टूबर में होगा जो कि पिछले वर्ष के जुलाई से दिसम्बर एवं इस वर्ष जनवरी से जून क्रमशः के औसत सूचकांक को ध्यान में रखकर किया जायेगा।

टिप्पणी नं०-2

अब नियत की जा रही मजदूरी की न्यूनतम दरें सहलग्नता के परिणामस्वरूप इन दरों से कम नहीं होंगी।


टिप्पणी नं०-3

दैनिक मंहगाई भत्ते की गणना करते समय निकटतम उच्च रूपये में पूर्णांक में बदला जायेगा।

टिप्पणी नं०-4

दैनिक न्यूनतम वेतन की दरों में साप्ताहिक अवकाश का वेतन भी सम्मिलित है, जिसके लिए अलग से वेतन देने की आवश्यकता नहीं है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के
उपराज्यपाल के आदेशानुसार तथा उनके नाम पर



(पीयूष शर्मा)

संयुक्त सचिव (श्रम),
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित:-

1. उप-सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, दिल्ली को आज के असाधारण राजपत्र भाग-4 में प्रकाशनार्थ (दो प्रतियां)
2. सचिव, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली ।
3. प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल, रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार
4. प्रधान सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार
5. सचिव, माननीय मंत्री(शिक्षा, परिवहन, गुरुद्वारा चुनाव व प्रशासन), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
6. सचिव, माननीय मंत्री (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, रोजगार, राजस्व, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
7. सचिव, माननीय मंत्री (विद्युत, खाद्य एवं संभरण, विकास), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
8. सचिव, माननीय मंत्री (समाज कल्याण, महिला एवं बाल विभाग, भाषा), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
9. सचिव, माननीय मंत्री (लोक निर्माण विभाग, अनु.जा./जन जा. कल्याण विभाग, शहरी विकास, भूमि एवं भवन), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
10. सचिव, माननीय मंत्री (उद्योग, श्रम, चुनाव), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
11. सचिव, दिल्ली विधान सभा, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार, माननीय अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के सूचनार्थ
12. मुख्य सचिव के विशेष कार्य अधिकारी, रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार, प्लेयर्स बिल्डिंग, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली
13. प्रधान सचिव (श्रम), द्वितीय तल, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली
14. श्रम आयुक्त, 5 शाम नाथ मार्ग, दिल्ली
15. दिल्ली सरकार के सभी विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ ।
16. मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय), भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, दिल्ली ।
17. सचिव श्रम - हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान और यू0टी0, चंडीगढ़ ।
18. महासचिव, भा0म0संघ0 ईटक, सीटू, एटक, एच0एम0एस0 ।
19. महासचिव, सी0आई0आई0,फिक्की, पी0एच0डी0सी0सी0आई0, एसोचैम, इस अनुरोध के साथ कि इस आदेश की प्रति स्थानीय नियोजकों के संगठनों को इस निर्देश के साथ प्रेषित करें कि सभी संस्थान अपने यहाँ कार्यरत श्रमिकों को सशोधित दरों के आधार पर भुगतान करें । परिपत्रों की एक प्रति इस कार्यालय को भी प्रेषित करने का कष्ट करें ।
20. सभी जिला संयुक्त एवं उप-श्रमायुक्तों को दस अतिरिक्त प्रतियाँ, ट्रेड यूनियन और नियोक्ता संघों में वितरण के लिए ।

21. उप-सचिव (वित्त) रा0रा0 क्षेत्र, दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि वे रा0रा0 क्षेत्र दिल्ली सरकार के कार्यालयों में नियोजित कामगारों को दी जाने वाली मजदूरी से संबंधित निर्देश जारी करें ।
22. क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय), श्रम मंत्रालय, बी-ब्लॉक, कर्जन रोड बैरेक, के0जी0मार्ग, नई दिल्ली ।
23. उप-निदेशक, न्यूनतम मजदूरी, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली
24. संयुक्त निदेशक, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, श्रम ब्यूरो, एस0सी0ओ0, 28-31, सैक्टर-17(ए), चंडीगढ़-160017
25. सहायक निदेशक (योजना), श्रम विभाग, दिल्ली को सांख्यिकी व वेबसाईट में शामिल करने के लिए तथा विधानसभा के पटल पर रखने के लिए ।
26. पुस्तकालयाध्यक्ष, श्रमायुक्त कार्यालय, 5-शामनाथ मार्ग, दिल्ली-110054
27. गार्ड फाईल ।

संयुक्त सचिव (श्रम)

दिल्ली राजपत्र के असाधारण भाग-4 में प्रकाशनार्थ
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
(श्रम विभाग)
'अधिसूचना'

संख्या एफ. 12 (24)(142)/11/न्यू0 वे0/श्रम/2042

दिनांक:- 26/07/2011

संख्या: एफ. 12 (24)/142/11/न्यू0 वे0/श्रम/ भारत सरकार के भूतपूर्व प्रदेश मंत्रालय (मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटस) की अधिसूचना सं0 104-जे, दिनांक 24 अगस्त 1950 व गृहमंत्रालय की अधिसूचना सं.0 एस0ओ0 530 (एफ 2/9/66-यू0टी0एल0) दिनांक 6 फरवरी 1967 के साथ पठित न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 5 की उपधारा (2) के द्वारा और उन्हें इस संबंध में समर्थ बनाने वाली अन्य समस्त शक्तियों एवं प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के उपराज्यपाल उपरोक्त अधिनियम की धारा 5(1) के अन्तर्गत गठित समिति व सरकार की सिफारिशों पर विचार करने के उपरांत **कृषि का व्यवसाय** के अनुसूचित व्यवसाय में अधिसूचना संख्या एफ 12 (24)/92/11/न्यू0 वे0/श्रम/145 दिनांक 15 फरवरी 1994 द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन की दरों को निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार सहर्ष पुनरीक्षित करते हैं।

यह अधिसूचना दिनांक 01 अप्रैल 2011 से लागू होगी और इस तिथि से अधिसूचना संख्या एफ 12 (24)/92/11/न्यू0 वे0/श्रम/145 दिनांक 15 फरवरी 1994 रद्द मानी जायेगी

अनुसूची
कृषि का व्यवसाय

कर्मचारियों की श्रेणी	न्यूनतम वेतन की दरें	
	प्रतिमाह (रू0)	प्रतिदिन (रू0)
अकुशल गहाने, बरसाने, पौधे लगाने, बोनने और अन्य विविध कार्य पर लगाए गए कामगार व बेलदार मजदूरी तथ अन्य अदक्ष कर्मचारी	6422.00	247.00
अर्द्धकुशल हल जोतने के लिए लगाये गये कामगार	7098.00	273.00
कुशल ट्रैक्टर ड्राइवर, पम्प ऑपरेटर	7826.00	301.00

जैसा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में प्रथा है कि वेतन सामान्यतः आंशिक या पूर्ण रूप से सामग्री में दी जाती है:

- क- आंशिक भुगतान सामग्री के रूप में यदि भोजन है तो किसी भी श्रेणी के मजदूर के वेतन से 10/- रू0 प्रतिदिन या 300/- रू. प्रतिमाह तक न्यूनतम वेतन से काट लिए जाएंगे।
- ख- भोजन में पूरे दिन के लिए पर्याप्त भोजन होना चाहिए।

टिप्पणी नं0-1

मजदूरी की न्यूनतम दरें जो निर्धारित की जा रही हैं वे अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबद्ध है। मजदूरी की वर्तमान दरें जो सूचकांक 171.33 के आधार पर निश्चित की गईं

हैं वे जुलाई से दिसम्बर-2010 की अवधि के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत पर आधारित (आधार वर्ष 2001 = 100) हैं। समायोजन की दर अकुशल के लिए रुपया 1.35 प्रति अंक, अर्धकुशल के लिए रुपया 1.50 प्रति अंक, कुशल के लिए रुपया 1.65 प्रति अंक, नान मैट्रीकुलैट्स के लिए रुपया 1.50 प्रति अंक, मैट्रीकुलैट्स किन्तु गैर स्नातक के लिए रुपया 1.65 प्रति अंक और स्नातक और उसके उपर के लिए रुपया 1.80 प्रति अंक होगा। प्रत्येक वर्ष समायोजन छःमाही आधार पर किया जायेगा जो प्रत्येक वर्ष प्रथम अप्रैल एवं प्रथम अक्टूबर में होगा जो कि पिछले वर्ष के जुलाई से दिसम्बर एवं इस वर्ष जनवरी से जून कमशः के औसत सूचकांक को ध्यान में रखकर किया जायेगा।

टिप्पणी नं०-2

अब नियत की जा रही मजदूरी की न्यूनतम दरें सहलग्नता के परिणामस्वरूप इन दरों से कम नहीं होंगी।

टिप्पणी नं०-3

दैनिक मंहगाई भत्ते की गणना करते समय निकटतम उच्च रूपये में पूर्णांक में बदला जायेगा।

टिप्पणी नं०-4

दैनिक न्यूनतम वेतन की दरों में साप्ताहिक अवकाश का वेतन भी सम्मिलित है, जिसके लिए अलग से वेतन देने की आवश्यकता नहीं है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के
उपराज्यपाल के आदेशानुसार तथा उनके नाम पर

(पीयूष शर्मा)

संयुक्त सचिव (श्रम),
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

संख्या एफ. 12 (24)(142)/11/न्यू0 वे0/श्रम/

दिनांक.....

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित:-

1. उप-सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, दिल्ली को आज के असाधारण राजपत्र भाग-4 में प्रकाशनार्थ (दो प्रतियां)
2. सचिव, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली।
3. प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल, रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार
4. प्रधान सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार

5. सचिव, माननीय मंत्री(शिक्षा, परिवहन, गुरुद्वारा चुनाव व प्रशासन), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
6. सचिव, माननीय मंत्री (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, रोजगार, राजस्व, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
7. सचिव, माननीय मंत्री (विद्युत, खाद्य एवं संभरण, विकास), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
8. सचिव, माननीय मंत्री (समाज कल्याण, महिला एवं बाल विभाग, भाषा), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
9. सचिव, माननीय मंत्री (लोक निर्माण विभाग, अनु.जा./जन जा. कल्याण विभाग, शहरी विकास, भूमि एवं भवन), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
10. सचिव, माननीय मंत्री (उद्योग, श्रम, चुनाव), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
11. सचिव, दिल्ली विधान सभा, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार, माननीय अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के सूचनार्थ
12. मुख्य सचिव के विशेष कार्य अधिकारी, रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार, प्लेयर्स बिल्डिंग, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली
13. प्रधान सचिव (श्रम), द्वितीय तल, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली
14. श्रम आयुक्त, 5 शाम नाथ मार्ग, दिल्ली
15. दिल्ली सरकार के सभी विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ ।
16. मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय), भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, दिल्ली ।
17. सचिव श्रम – हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान और यू0टी0, चंडीगढ़ ।
18. महासचिव, भा0म0संघ0 ईटक, सीटू, एटक, एच0एम0एस0 ।
19. महासचिव, सी0आई0आई0,फिक्की, पी0एच0डी0सी0सी0आई0, एसोचैम, इस अनुरोध के साथ कि इस आदेश की प्रति स्थानीय नियोजकों के संगठनों को इस निर्देश के साथ प्रेषित करें कि सभी संस्थान अपने यहाँ कार्यरत श्रमिकों को सशोधित दरों के आधार पर भुगतान करें । परिपत्रों की एक प्रति इस कार्यालय को भी प्रेषित करने का कष्ट करें ।
20. सभी जिला संयुक्त एवं उप-श्रमायुक्तों को दस अतिरिक्त प्रतियाँ, ट्रेड यूनियन और नियोक्ता संघों में वितरण के लिए ।
21. उप-सचिव (वित्त) रा0रा0 क्षेत्र, दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि वे रा0रा0 क्षेत्र दिल्ली सरकार के कार्यालयों में नियोजित कामगारों को दी जाने वाली मजदूरी से संबंधित निर्देश जारी करें ।
22. क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय), श्रम मंत्रालय, बी-ब्लॉक, कर्जन रोड बैरेक, के0जी0मार्ग, नई दिल्ली ।
23. उप-निदेशक, न्यूनतम मजदूरी, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली

24. संयुक्त निदेशक, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, श्रम ब्यूरो, एस0सी0ओ0, 28-31, सैक्टर-17(ए), चंडीगढ-160017
25. सहायक निदेशक (योजना), श्रम विभाग, दिल्ली को सांख्यिकी व वेबसाईट में शामिल करने के लिए तथा विधानसभा के पटल पर रखने के लिए ।
26. पुस्तकालयाध्यक्ष, श्रमायुक्त कार्यालय, 5-शामनाथ मार्ग, दिल्ली-110054
27. गार्ड फाईल ।

संयुक्त सचिव (श्रम)

**दिल्ली राजपत्र के असाधारण भाग-4 में प्रकाशनार्थ
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
(श्रम विभाग)
'अधिसूचना'**

संख्या एफ. 12 (25)(142)/11/न्यू0 वे0/श्रम/2043

दिनांक:- 26/07/2011

संख्या: एफ. 12 (25)/142/11/न्यू0 वे0/श्रम/ भारत सरकार के भूतपूर्व प्रदेश मंत्रालय (मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटस) की अधिसूचना सं0 104-जे, दिनांक 24 अगस्त 1950 व गृहमंत्रालय की अधिसूचना सं.0 एस0ओ0 530 (एफ 2/9/66-यू0टी0एल0) दिनांक 6 फरवरी 1967 के साथ पठित न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 5 की उपधारा (2) के द्वारा और उन्हें इस संबंध में समर्थ बनाने वाली अन्य समस्त शक्तियों एवं प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के उपराज्यपाल उपरोक्त अधिनियम की धारा 5(1) के अन्तर्गत गठित समिति व सरकार की सिफारिशों पर विचार करने के उपरांत **ए-बेकरी कन्फैक्शनरी एंड डेरी प्रोडक्ट्स, बी- फूट प्रिजरवेशन अर्थात प्रोसैसिंग एंड केनिंग ऑफ मीट फूट एंड वैजीटेबल, सी- नैचुरल एंड सिंथेटिक एरियाटिड सीरप्स, डी-फूट जूसेस, ई-मैन्यूफैक्चरिंग ऑफ एरियाटिड ड्रिंक्स का व्यवसाय के अनुसूचित व्यवसाय में अधिसूचना संख्या एफ 12 (25)/92/न्यू0 वे0/श्रम/146 दिनांक 15 फरवरी 1994 द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन की दरों को निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार सहर्ष पुनरीक्षित करते हैं।**

यह अधिसूचना दिनांक 01 अप्रैल 2011 से लागू होगी और इस तिथि से अधिसूचना संख्या एफ 12 (25)/92/न्यू0 वे0/श्रम/146 दिनांक 15 फरवरी 1994 रद्द मानी जायेगी

अनुसूची

ए-बेकरी कन्फैक्शनरी एंड डेरी प्रोडक्ट्स, बी- फूट प्रिजरवेशन अर्थात प्रोसैसिंग एंड केनिंग ऑफ मीट फूट एंड वैजीटेबल, सी- नैचुरल एंड सिंथेटिक एरियाटिड सीरप्स, डी-फूट जूसेस, ई-मैन्यूफैक्चरिंग ऑफ एरियाटिड ड्रिंक्स का व्यवसाय

कर्मचारियों की श्रेणी	न्यूनतम वेतन की दरें	
	प्रतिमाह (रू0)	प्रतिदिन (रू0)
अकुशल 1. हैल्पर, 2. पीयन, 3. चौकीदार, 4. स्वीपर, 5. लोडर, 6. बॉटल वाशर, 7. पैकर 8. अन्य अदक्ष कर्मचारी	6422.00	247.00
अर्द्धकुशल 1. लाईट इंस्पेक्टर, 2. सहायक ऑटोमेकेनिक 3. सहायक कारपेंटर, 4. सहायक वेल्डर 5. सहायक फिटर, 6. सहायक पेंटर 7. टायरमैन, 8. बायलर अटेंडेंट 9. वाटर ट्रीटीट आपरेटर 10. विधि रैम आपरेटर, 11. लुब्रीकेटर 12. भट्टीमैन ग्रेड-2, 13. मशीनमैन ग्रेड-2 14. अन्य अर्द्धदक्ष कर्मचारी	7098.00	273.00
कुशल	7826.00	301.00

1. ऑटोमेकेनिक, 2. मैकेनिक, 3. वैल्डर 4. कारपेंटर, 5. फिटर, 6. इलैक्ट्रीशियन 7. ऑटो इलैक्ट्रीशियन 8. आपरेटर 9. बॉटर वाशर आपरेटर, 10. केस पैकर आपरेटर 11. फोल्ड आपरेटर, 12. ड्राईवर, 13. चैकर 14. बायलर आपरेटर, 15. डियोमेटिक आपरेटर 16. हैंटर / टर्नर, 17. फोरमैन, 18. सुपरवाइजर 19. पेंटर, 20 कैमिस्ट, 21. मैकेनिकल इलैक्ट्रीशियन 22. मशीनमैन, 23.मिस्त्री 24. अन्य दक्ष कर्मचारी		
लिपिक वर्गीय तथा अतकनीकी स्टाफ		
1. दसवीं कक्षा अनुत्तीर्ण	7098.00	273.00
2. दसवीं कक्षा उत्तीर्ण तथा अस्नातक	7826.00	301.00
3. स्नातक तथा इससे उपर	8502.00	327.00

टिप्पणी नं०-1

मजदूरी की न्यूनतम दरें जो निर्धारित की जा रही हैं वे अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबद्ध है। मजदूरी की वर्तमान दरें जो सूचकांक 171.33 के आधार पर निश्चित की गई हैं वे जुलाई से दिसम्बर-2010 की अवधि के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत पर आधारित (आधार वर्ष 2001 = 100) हैं। समायोजन की दर अकुशल के लिए रुपया 1.35 प्रति अंक, अर्धकुशल के लिए रुपया 1.50 प्रति अंक, कुशल के लिए रुपया 1.65 प्रति अंक, नान मैट्रीकुलैट्स के लिए रुपया 1.50 प्रति अंक, मैट्रीकुलैट्स किन्तु गैर स्नातक के लिए रुपया 1.65 प्रति अंक और स्नातक और उसके उपर के लिए रुपया 1.80 प्रति अंक होगा। प्रत्येक वर्ष समायोजन छःमाही आधार पर किया जायेगा जो प्रत्येक वर्ष प्रथम अप्रैल एवं प्रथम अक्टूबर में होगा जो कि पिछले वर्ष के जुलाई से दिसम्बर एवं इस वर्ष जनवरी से जून क्रमशः के औसत सूचकांक को ध्यान में रखकर किया जायेगा।

टिप्पणी नं०-2

अब नियत की जा रही मजदूरी की न्यूनतम दरें सहलग्नता के परिणामस्वरूप इन दरों से कम नहीं होंगी।

टिप्पणी नं०-3

दैनिक मंहगाई भत्ते की गणना करते समय निकटतम उच्च रूपये में पूर्णांक में बदला जायेगा।

टिप्पणी नं०-4

दैनिक न्यूनतम वेतन की दरों में साप्ताहिक अवकाश का वेतन भी सम्मिलित है, जिसके लिए अलग से वेतन देने की आवश्यकता नहीं है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के
उपराज्यपाल के आदेशानुसार तथा उनके नाम पर

पी शर्मा

(पीयूष शर्मा)

संयुक्त सचिव (श्रम),
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
दिनांक.....

संख्या एफ. 12 (25)(142)/11/न्यू0 वे0/श्रम/

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित:-

1. उप-सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, दिल्ली को आज के असाधारण राजपत्र भाग-4 में प्रकाशनार्थ (दो प्रतियां)
2. सचिव, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली ।
3. प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल, रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार
4. प्रधान सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार
5. सचिव, माननीय मंत्री(शिक्षा, परिवहन, गुरुद्वारा चुनाव व प्रशासन), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
6. सचिव, माननीय मंत्री (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, रोजगार, राजस्व, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
7. सचिव, माननीय मंत्री (विद्युत, खाद्य एवं संभरण, विकास), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
8. सचिव, माननीय मंत्री (समाज कल्याण, महिला एवं बाल विभाग, भाषा), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
9. सचिव, माननीय मंत्री (लोक निर्माण विभाग, अनु.जा./जन जा. कल्याण विभाग, शहरी विकास, भूमि एवं भवन), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
10. सचिव, माननीय मंत्री (उद्योग, श्रम, चुनाव), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
11. सचिव, दिल्ली विधान सभा, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार, माननीय अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के सूचनार्थ
12. मुख्य सचिव के विशेष कार्य अधिकारी, रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार, प्लेयर्स बिल्डिंग, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली
13. प्रधान सचिव (श्रम), द्वितीय तल, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली
14. श्रम आयुक्त, 5 शाम नाथ मार्ग, दिल्ली
15. दिल्ली सरकार के सभी विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ ।
16. मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय), भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, दिल्ली ।
17. सचिव श्रम - हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान और यू0टी0, चंडीगढ़ ।
18. महासचिव, भा0म0संघ0 ईटक, सीटू, एटक, एच0एम0एस0 ।

19. महासचिव, सी0आई0आई0,फिक्की, पी0एच0डी0सी0सी0आई0, एसोचैम, इस अनुरोध के साथ कि इस आदेश की प्रति स्थानीय नियोजकों के संगठनों को इस निर्देश के साथ प्रेषित करें कि सभी संस्थान अपने यहाँ कार्यरत श्रमिकों को सशोधित दरों के आधार पर भुगतान करें । परिपत्रों की एक प्रति इस कार्यालय को भी प्रेषित करने का कष्ट करें ।
20. सभी जिला संयुक्त एवं उप-श्रमायुक्तों को दस अतिरिक्त प्रतियाँ, ट्रेड यूनियन और नियोक्ता संघों में वितरण के लिए ।
21. उप-सचिव (वित्त) रा0रा0 क्षेत्र, दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि वे रा0रा0 क्षेत्र दिल्ली सरकार के कार्यालयों में नियोजित कामगारों को दी जाने वाली मजदूरी से संबंधित निर्देश जारी करें ।
22. क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय), श्रम मंत्रालय, बी-ब्लॉक, कर्जन रोड बैरेक, के0जी0मार्ग, नई दिल्ली ।
23. उप-निदेशक, न्यूनतम मजदूरी, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली
24. संयुक्त निदेशक, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, श्रम ब्यूरो, एस0सी0ओ0, 28-31, सैक्टर-17(ए), चंडीगढ़-160017
25. सहायक निदेशक (योजना), श्रम विभाग, दिल्ली को सांख्यिकी व वेबसाईट में शामिल करने के लिए तथा विधानसभा के पटल पर रखने के लिए ।
26. पुस्तकालयाध्यक्ष, श्रमायुक्त कार्यालय, 5-शामनाथ मार्ग, दिल्ली-110054
27. गार्ड फाईल ।

संयुक्त सचिव (श्रम)

**दिल्ली राजपत्र के असाधारण भाग-4 में प्रकाशनार्थ
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
(श्रम विभाग)
'अधिसूचना'**

संख्या एफ. 12 (26)(142)/11/न्यू वे0/श्रम/2044

दिनांक:- 26/07/2011

संख्या: एफ. 12 (26/142/11/न्यू वे0/श्रम/ भारत सरकार के भूतपूर्व प्रदेश मंत्रालय (मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटस) की अधिसूचना सं० 104-जे, दिनांक 24 अगस्त 1950 व गृहमंत्रालय की अधिसूचना सं० एस०ओ० 530 (एफ 2/9/66-यू०टी०एल०) दिनांक 6 फरवरी 1967 के साथ पठित न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 5 की उपधारा (2) के द्वारा और उन्हें इस संबंध में समर्थ बनाने वाली अन्य समस्त शक्तियों एवं प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के उपराज्यपाल उपरोक्त अधिनियम की धारा 5(1) के अन्तर्गत गठित समिति व सरकार की सिफारिशों पर विचार करने के उपरांत **एम्प्लॉयमेंट इन ए मैनुफैक्चरिंग एण्ड असैम्बलिंग ऑफ रेडियोज एण्ड टेजीविजन ट्रांसमिटिंग एंड रिसेविंग सैटस इन्क्लूडिंग ट्रांजिस्टर्स रेडियोज सैन्स साउंड प्रोड्यूसिंग एण्ड रिकार्डिंग इक्वीपमेंट इन्क्लूडिंग टेपरिकार्डर्स मैनुफैक्चरिंग एंड असैम्बलिंग ऑफ इलैक्ट्रिक एपरेटस, सप्लाइनिंग एण्ड पेपर एक्सेसरीज जो कि लैम्पस बल्बस, ट्यूब, साकिटस, स्पीकर, फैंस, इन्सुलेटर (पोर्सलिन कन्डक्टर्स, आयरन्स व क्लीनर्स के अतिरिक्त) (सी) मैनुफैक्चरिंग एंड असैम्बलिंग ऑफ इलैक्ट्रॉनिक कम्पोनेंटस एंड एक्ससरीज जो कि किसी अन्य स्थान पर वर्णित नहीं है** के अनुसूचित व्यवसाय में अधिसूचना संख्या एफ 12 (26)/92/न्यू वे0/श्रम/147 दिनांक 15 फरवरी 1994 द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन की दरों को निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार सहर्ष पुनरीक्षित करते हैं।

यह अधिसूचना दिनांक 01 अप्रैल 2011 से लागू होगी और इस तिथि से अधिसूचना संख्या एफ 12 (26)/92/न्यू वे0/श्रम/147 दिनांक 15 फरवरी 1994 रद्द मानी जायेगी

अनुसूची

एम्प्लॉयमेंट इन ए मैनुफैक्चरिंग एण्ड असैम्बलिंग ऑफ रेडियोज एण्ड टेजीविजन ट्रांसमिटिंग एंड रिसेविंग सैटस इन्क्लूडिंग ट्रांजिस्टर्स रेडियोज सैन्स साउंड प्रोड्यूसिंग एण्ड रिकार्डिंग इक्वीपमेंट इन्क्लूडिंग टेपरिकार्डर्स मैनुफैक्चरिंग एंड असैम्बलिंग ऑफ इलैक्ट्रिक एपरेटस, सप्लाइनिंग एण्ड पेपर एक्सेसरीज जो कि लैम्पस बल्बस, ट्यूब, साकिटस, स्पीकर, फैंस, इन्सुलेटर (पोर्सलिन कन्डक्टर्स, आयरन्स व क्लीनर्स के अतिरिक्त) (सी) मैनुफैक्चरिंग एंड असैम्बलिंग ऑफ इलैक्ट्रॉनिक कम्पोनेंटस एंड एक्ससरीज जो कि किसी अन्य स्थान पर वर्णित नहीं है ।

कर्मचारियों की श्रेणी	न्यूनतम वेतन की दरें	
	प्रतिमाह (रु०)	प्रतिदिन (रु०)
अकुशल 1. हैल्पर, 2. पीयन, 3. चौकीदार, 4. स्वीपर, 5. वाटरमैन, 6. पैकर, 7. माली, 8. फ्लोर सहायक 9. क्लीनर, 10. करलिंग, 11. अन्य अदक्ष कर्मचारी	6422.00	247.00
अर्द्धकुशल 1. वायरमैन, 2. चैसिस फिटर, 3. सहायक डाईफिटर 4. सहायक फिटर, 5. सहायक टर्नर 6. सहायक डिजाईनर, 7. सहायक केबीनेट फिटर, 8. कवायल वाइन्डर, 9. ट्रांसफार्मर वाइन्डर	7098.00	273.00

10. डेकोरेटर, 11. फाईलमैन 12. मोल्डर ग्रेड-2, 13. डिलमैन, 14. सोल्डरमैन 15. स्टैपिंग (हैण्ड ऑपरेटर), 16. पेपर कटिंग हाथ से 17. कन्ट्रोल पैनल, 18. केन फिटर 19. सहायक टैक्नीशियन, 20. स्टोरकीपर 21. सहायक पेंटर, 22. सहायक कारपेंटर 23. अन्य अर्द्धदक्ष कर्मचारी		
कुशल 1. हैंड वायरमैन, 2. टर्नर, 3. प्रिंटर, 4. इंजिनियर, 5. डाईफिटर, 6. फिटर, 7. डिजाईनर, 8. कैबिनेट फिटर, 9. वैफर, 10. मोल्डर/मशीनमैन, 11. सुपरवाइजर, 12. फोरमैन, 13. फोरमैन, 14. ड्राईवर, 15. टैस्टर, 16. टेलीफोन ऑपरेटर, 17. मैकेनिक 18. इलैक्ट्रीशियन, 19. वाइन्डर, 20. एक्प्रिगनेशन प्लांट आपरेटर, 21. एक्सपॉसी प्लांट आपरेटर 22. असेम्बलर, 23. कोलमैन, 24. टैक्नीशियन 25. पेंटर, 26. कारपेंटर, 27. शेपरमैन 28. अन्य दक्ष कर्मचारी	7826.00	301.00
लिपिक वर्गीय तथा अतकनीकी पर्यवेक्षक स्टाफ		
1. दसवीं कक्षा अनुत्तीर्ण	7098.00	273.00
2. दसवीं कक्षा उत्तीर्ण तथा अस्नातक	7826.00	301.00
3. स्नातक तथा इससे उपर	8502.00	327.00

टिप्पणी नं०-1

मजदूरी की न्यूनतम दरें जो निर्धारित की जा रही हैं वे अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबद्ध हैं। मजदूरी की वर्तमान दरें जो सूचकांक 171.33 के आधार पर निश्चित की गई हैं वे जुलाई से दिसम्बर-2010 की अवधि के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत पर आधारित (आधार वर्ष 2001 = 100) हैं। समायोजन की दर अकुशल के लिए रुपया 1.35 प्रति अंक, अर्धकुशल के लिए रुपया 1.50 प्रति अंक, कुशल के लिए रुपया 1.65 प्रति अंक, नान मैट्रीकुलैट्स के लिए रुपया 1.50 प्रति अंक, मैट्रीकुलैट्स किन्तु गैर स्नातक के लिए रुपया 1.65 प्रति अंक और स्नातक और उसके उपर के लिए रुपया 1.80 प्रति अंक होगा। प्रत्येक वर्ष समायोजन छःमाही आधार पर किया जायेगा जो प्रत्येक वर्ष प्रथम अप्रैल एवं प्रथम अक्टूबर में होगा जो कि पिछले वर्ष के जुलाई से दिसम्बर एवं इस वर्ष जनवरी से जून क्रमशः के औसत सूचकांक को ध्यान में रखकर किया जायेगा।

टिप्पणी नं०-2

अब नियत की जा रही मजदूरी की न्यूनतम दरें सहलग्नता के परिणामस्वरूप इन दरों से कम नहीं होंगी।


टिप्पणी नं०-3

दैनिक मंहगाई भत्ते की गणना करते समय निकटतम उच्च रूपये में पूर्णांक में बदला जायेगा।

टिप्पणी नं०-4

दैनिक न्यूनतम वेतन की दरों में साप्ताहिक अवकाश का वेतन भी सम्मिलित है, जिसके लिए अलग से वेतन देने की आवश्यकता नहीं है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के
उपराज्यपाल के आदेशानुसार तथा उनके नाम पर



(पीयूष शर्मा)

संयुक्त सचिव (श्रम),
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

संख्या एफ. 12 (26)(142)/11/न्यू0 वे0/श्रम/

दिनांक.....

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित:-

1. उप-सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, दिल्ली को आज के असाधारण राजपत्र भाग-4 में प्रकाशनार्थ (दो प्रतियां)
2. सचिव, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली।
3. प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल, रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार
4. प्रधान सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार
5. सचिव, माननीय मंत्री(शिक्षा, परिवहन, गुरुद्वारा चुनाव व प्रशासन), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
6. सचिव, माननीय मंत्री (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, रोजगार, राजस्व, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
7. सचिव, माननीय मंत्री (विद्युत, खाद्य एवं संभरण, विकास), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
8. सचिव, माननीय मंत्री (समाज कल्याण, महिला एवं बाल विभाग, भाषा), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
9. सचिव, माननीय मंत्री (लोक निर्माण विभाग, अनु.जा./जन जा. कल्याण विभाग, शहरी विकास, भूमि एवं भवन), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
10. सचिव, माननीय मंत्री (उद्योग, श्रम, चुनाव), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
11. सचिव, दिल्ली विधान सभा, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार, माननीय अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के सूचनार्थ

12. मुख्य सचिव के विशेष कार्य अधिकारी, रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार, प्लेयर्स बिल्डिंग, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली
13. प्रधान सचिव (श्रम), द्वितीय तल, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली
14. श्रम आयुक्त, 5 शाम नाथ मार्ग, दिल्ली
15. दिल्ली सरकार के सभी विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ ।
16. मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय), भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, दिल्ली ।
17. सचिव श्रम – हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान और यूटी0, चंडीगढ़ ।
18. महासचिव, भा0म0संघ0 ईटक, सीटू, एटक, एच0एम0एस0 ।
19. महासचिव, सी0आई0आई0,फिक्की, पी0एच0डी0सी0सी0आई0, एसोचैम, इस अनुरोध के साथ कि इस आदेश की प्रति स्थानीय नियोजकों के संगठनों को इस निर्देश के साथ प्रेषित करें कि सभी संस्थान अपने यहाँ कार्यरत श्रमिकों को सशोधित दरों के आधार पर भुगतान करें । परिपत्रों की एक प्रति इस कार्यालय को भी प्रेषित करने का कष्ट करें ।
20. सभी जिला संयुक्त एवं उप-श्रमायुक्तों को दस अतिरिक्त प्रतियाँ, ट्रेड यूनियन और नियोक्ता संघों में वितरण के लिए ।
21. उप-सचिव (वित्त) रा0रा0 क्षेत्र, दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि वे रा0रा0 क्षेत्र दिल्ली सरकार के कार्यालयों में नियोजित कामगारों को दी जाने वाली मजदूरी से संबंधित निर्देश जारी करें ।
22. क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय), श्रम मंत्रालय, बी-ब्लॉक, कर्जन रोड बैरेक, के0जी0मार्ग, नई दिल्ली ।
23. उप-निदेशक, न्यूनतम मजदूरी, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली
24. संयुक्त निदेशक, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, श्रम ब्यूरो, एस0सी0ओ0, 28-31, सैक्टर-17(ए), चंडीगढ़-160017
25. सहायक निदेशक (योजना), श्रम विभाग, दिल्ली को सांख्यिकी व वेबसाईट में शामिल करने के लिए तथा विधानसभा के पटल पर रखने के लिए ।
26. पुस्तकालयाध्यक्ष, श्रमायुक्त कार्यालय, 5-शामनाथ मार्ग, दिल्ली-110054
27. गार्ड फाईल ।

संयुक्त सचिव (श्रम)

**दिल्ली राजपत्र के असाधारण भाग-4 में प्रकाशनार्थ
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
(श्रम विभाग)
'अधिसूचना'**

संख्या एफ. 12 (27)(142)/11/न्यू वे0/श्रम/2045

दिनांक:- 26/07/2011

संख्या: एफ. 12 (27)/142/11/न्यू वे0/श्रम/ भारत सरकार के भूतपूर्व प्रदेश मंत्रालय (मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटस) की अधिसूचना सं० 104-जे, दिनांक 24 अगस्त 1950 व गृहमंत्रालय की अधिसूचना सं० एस०ओ० 530 (एफ 2/9/66-यू०टी०एल०) दिनांक 6 फरवरी 1967 के साथ पठित न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 5 की उपधारा (2) के द्वारा और उन्हें इस संबंध में समर्थ बनाने वाली अन्य समस्त शक्तियों एवं प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के उपराज्यपाल उपरोक्त अधिनियम की धारा 5(1) के अन्तर्गत गठित समिति व सरकार की सिफारिशों पर विचार करने के उपरांत **सभी कारखानों का व्यवसाय जो अन्य अनुसूचित व्यवसायों के अंतर्गत नहीं आते हैं** के अनुसूचित व्यवसाय में अधिसूचना संख्या एफ 12 (27)/92/न्यू वे0/श्रम/148 दिनांक 15 फरवरी 1994 द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन की दरों को निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार सहर्ष पुनरीक्षित करते हैं।

यह अधिसूचना दिनांक 01 अप्रैल 2011 से लागू होगी और इस तिथि से अधिसूचना संख्या एफ 12 (27)/92/न्यू वे0/श्रम/148 दिनांक 15 फरवरी 1994 रद्द मानी जायेगी

**अनुसूची
सभी कारखानों का व्यवसाय जो अन्य अनुसूचित व्यवसायों के अंतर्गत नहीं आते हैं**

कर्मचारियों की श्रेणी	न्यूनतम वेतन की दरें	
	प्रतिमाह (रु०)	प्रतिदिन (रु०)
अकुशल 1. लेबर, 2. स्किन क्लीनर, 3. स्किन सालटर 4. फायरमैन, 5. चपरासी, 6. हैल्पर, 7. पैकर 8. वाचमैन, 9. चौकीदार, 10. गार्डनर्स, 11. ड्रेसमेकर्स, 12. हार्डिंग टनल, 13. स्वीपर 14. स्टैम्पिंग, 15. मार्किटिंग, 16. पंचिंग, 17. फोल्डिंग, 18. स्लेपिंग, 19. वैडिंग 20. क्लीनिंग, 21. सिमेन्ट्री, 22. स्ट्रैचर, 23. मोलिंगमैन, 24. बॉबिंग गिल बॉक्स 25. हैल्पर 26. अन्य अदक्ष कर्मचारी	6422.00	247.00
अर्द्धकुशल 1. किनारी वाला एंड गिस्तु, 2. मशीनमैन ग्रेड-2, 3. सहायक मिस्ट्री, 4. पी.वी.सी. वैल्डर 5. सहायक मशीनमैन, 6. स्पोर्टिंग फिटर 7. जूनियर आपरेटर्स/सहायक आपरेटर्स 8. सहायक बाडी फिटर, 9. सहायक मोल्डर 10. बायलर अटेंडेंट/बायलरमैन 11. बैस्टोरीसीपन एटेंडेंट, 12. फिटर (शू मेकिंग)	7098.00	273.00

13. सहायक मैकेनिक, 14. सहायक मशीन आपरेटर्स 15. बीम सेटर, 16. वीवर, 17. झीमर 18. लैवोरेट्री कैमिस्ट, 19. मीटिंग, 20. कटिंग 21. स्काईगमैन, 22. ब्राराशर, 23. वाशर 24. सेवर, 25. बफर 26. अन्य अर्धदक्ष कर्मचारी चाहे जो भी नाम से पुकारा जाये।		
कुशल 1. ग्लास ब्लोअर, 2. ग्राइडिंग मैन, 3. मिस्ट्री, 4. मैसन, 5. मशीनमैन ग्रेड-1, 6. इलैक्ट्रोप्लेटर 7. टर्नर, 8. पालिशमैन, 9. बफिंग मशीन 10. कटर, 11. टेलर, 12. आपरेटर, 13. ड्राईवर 14. मोल्डर, 15. ब्लोईंग मैन, 16. ग्रेजुएन मैन 17. बॉडी बिल्डर, 18. आर्टिस्ट, 19. डाईमेकर 20. चीफ कैमिस्ट, 21. लैथमैन, 22. शेपररमैन, 23. कैंन्डी प्लांट अटेंडेंट, 24. फिजर आपरेटर्स, 25. रेफ्रीजेरेशन मैकेनिक, 26. बफर, 27. ब्लचर्स,, 28. लासटर्स, 29. फिनिशर्स एण्ड स्टीचर्स, 30. शू मेकर्स, 31. इंजीनियर, 32. टैक्नीयिन, 33. फोरमैन, 34. इलैक्ट्रीशियन ग्रेड-2, 35. मैकेनिक, 36. वायरमैन, 37. कैंडलमैन 38. सुपरवाईजर, 39. डिजाईनर कटिंग 40. स्पिनिंग मेकर, 41. अपर स्वीडिंग, 42. मशीन आपरेटर 43. अन्य दक्ष कर्मचारी	7826.00	301.00
लिपिक वर्गीय तथा अतकनीकी स्टाफ		
1. दसवीं कक्षा अनुत्तीर्ण	7098.00	273.00
2. दसवीं कक्षा उत्तीर्ण तथा अस्नातक	7826.00	301.00
3. स्नातक तथा इससे उपर	8502.00	327.00

टिप्पणी नं०-1

मजदूरी की न्यूनतम दरें जो निर्धारित की जा रही हैं वे अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबद्ध है। मजदूरी की वर्तमान दरें जो सूचकांक 171.33 के आधार पर निश्चित की गई हैं वे जुलाई से दिसम्बर-2010 की अवधि के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत पर आधारित (आधार वर्ष 2001 = 100) हैं। समायोजन की दर अकुशल के लिए रुपया 1.35 प्रति अंक, अर्धकुशल के लिए रुपया 1.50 प्रति अंक, कुशल के लिए रुपया 1.65 प्रति अंक, नान मैट्रीकुलैट्स के लिए रुपया 1.50 प्रति अंक, मैट्रीकुलैट्स किन्तु गैर स्नातक के लिए रुपया 1.65 प्रति अंक और स्नातक और उसके उपर के लिए रुपया 1.80 प्रति अंक होगा। प्रत्येक वर्ष समायोजन छ:माही

आधार पर किया जायेगा जो प्रत्येक वर्ष प्रथम अप्रैल एवं प्रथम अक्टूबर में होगा जो कि पिछले वर्ष के जुलाई से दिसम्बर एवं इस वर्ष जनवरी से जून क्रमशः के औसत सूचकांक को ध्यान में रखकर किया जायेगा।

टिप्पणी नं०-2

अब नियत की जा रही मजदूरी की न्यूनतम दरें सहलग्नता के परिणामस्वरूप इन दरों से कम नहीं होंगी।


टिप्पणी नं०-3

दैनिक मंहगाई भत्ते की गणना करते समय निकटतम उच्च रूपये में पूर्णांक में बदला जायेगा।

टिप्पणी नं०-4

दैनिक न्यूनतम वेतन की दरों में साप्ताहिक अवकाश का वेतन भी सम्मिलित है, जिसके लिए अलग से वेतन देने की आवश्यकता नहीं है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के
उपराज्यपाल के आदेशानुसार तथा उनके नाम पर



(पीयूष शर्मा)

संयुक्त सचिव (श्रम),
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

संख्या एफ. 12 (27)(142)/11/न्यू0 वे0/श्रम/

दिनांक.....

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित:-

1. उप-सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, दिल्ली को आज के असाधारण राजपत्र भाग-4 में प्रकाशनार्थ (दो प्रतियां)
2. सचिव, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली ।
3. प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल, रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार
4. प्रधान सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार
5. सचिव, माननीय मंत्री(शिक्षा, परिवहन, गुरुद्वारा चुनाव व प्रशासन), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
6. सचिव, माननीय मंत्री (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, रोजगार, राजस्व, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार

7. सचिव, माननीय मंत्री (विद्युत, खाद्य एवं संभरण, विकास), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
8. सचिव, माननीय मंत्री (समाज कल्याण, महिला एवं बाल विभाग, भाषा), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
9. सचिव, माननीय मंत्री (लोक निर्माण विभाग, अनु.जा./जन जा. कल्याण विभाग, शहरी विकास, भूमि एवं भवन), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
10. सचिव, माननीय मंत्री (उद्योग, श्रम, चुनाव), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
11. सचिव, दिल्ली विधान सभा, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार, माननीय अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के सूचनार्थ
12. मुख्य सचिव के विशेष कार्य अधिकारी, रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार, प्लेयर्स बिल्डिंग, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली
13. प्रधान सचिव (श्रम), द्वितीय तल, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली
14. श्रम आयुक्त, 5 शाम नाथ मार्ग, दिल्ली
15. दिल्ली सरकार के सभी विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ ।
16. मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय), भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, दिल्ली ।
17. सचिव श्रम – हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान और यू0टी0, चंडीगढ़ ।
18. महासचिव, भा0म0संघ0 ईंटक, सीटू, एटक, एच0एम0एस0 ।
19. महासचिव, सी0आई0आई0,फिक्की, पी0एच0डी0सी0सी0आई0, एसोचैम, इस अनुरोध के साथ कि इस आदेश की प्रति स्थानीय नियोजकों के संगठनों को इस निर्देश के साथ प्रेषित करें कि सभी संस्थान अपने यहाँ कार्यरत श्रमिकों को सशोधित दरों के आधार पर भुगतान करें । परिपत्रों की एक प्रति इस कार्यालय को भी प्रेषित करने का कष्ट करें ।
20. सभी जिला संयुक्त एवं उप-श्रमायुक्तों को दस अतिरिक्त प्रतियाँ, ट्रेड यूनियन और नियोक्ता संघों में वितरण के लिए ।
21. उप-सचिव (वित्त) रा0रा0 क्षेत्र, दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि वे रा0रा0 क्षेत्र दिल्ली सरकार के कार्यालयों में नियोजित कामगारों को दी जाने वाली मजदूरी से संबंधित निर्देश जारी करें ।
22. क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय), श्रम मंत्रालय, बी-ब्लॉक, कर्जन रोड बैरेक, के0जी0मार्ग, नई दिल्ली ।
23. उप-निदेशक, न्यूनतम मजदूरी, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली
24. संयुक्त निदेशक, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, श्रम ब्यूरो, एस0सी0ओ0, 28-31, सैक्टर-17(ए), चंडीगढ़-160017
25. सहायक निदेशक (योजना), श्रम विभाग, दिल्ली को सांख्यिकी व वेबसाईट में शामिल करने के लिए तथा विधानसभा के पटल पर रखने के लिए ।

26. पुस्तकालयाध्यक्ष, श्रमायुक्त कार्यालय, 5-शामनाथ मार्ग, दिल्ली-110054
27. गार्ड फाईल ।

संयुक्त सचिव (श्रम)

दिल्ली राजपत्र के असाधारण भाग-4 में प्रकाशनार्थ
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
(श्रम विभाग)
'अधिसूचना'

संख्या एफ. 12 (28)(142)/11/न्यू वे0/श्रम/.2046

दिनांक:- 26/07/2011

संख्या: एफ. 12 (28)/142/11/न्यू वे0/श्रम/ भारत सरकार के भूतपूर्व प्रदेश मंत्रालय (मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटस) की अधिसूचना सं० 104-जे, दिनांक 24 अगस्त 1950 व गृहमंत्रालय की अधिसूचना सं० एस०ओ० 530 (एफ 2/9/66-यू०टी०एल०) दिनांक 6 फरवरी 1967 के साथ पठित न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 5 की उपधारा (2) के द्वारा और उन्हें इस संबंध में समर्थ बनाने वाली अन्य समस्त शक्तियों एवं प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के उपराज्यपाल उपरोक्त अधिनियम की धारा 5(1) के अन्तर्गत गठित समिति व सरकार की सिफारिशों पर विचार करने के उपरांत **अस्पतालों व नर्सिंग होम जो कि सरकार अथवा स्थानीय निकायों द्वारा संचालित नहीं हैं** के अनुसूचित व्यवसाय में अधिसूचना संख्या एफ 12 (28)/92/न्यू वे0/श्रम/149 दिनांक 15 फरवरी 1994 द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन की दरों को निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार सहर्ष पुनरीक्षित करते हैं।

यह अधिसूचना दिनांक 01 अप्रैल 2011 से लागू होगी और इस तिथि से अधिसूचना संख्या एफ 12 (28)/92/न्यू वे0/श्रम/149 दिनांक 15 फरवरी 1994 रद्द मानी जायेगी

अनुसूची

हस्पतालों व नर्सिंग होम जो कि सरकार अथवा स्थानीय निकायों द्वारा संचालित नहीं हैं

कर्मचारियों की श्रेणी	न्यूनतम वेतन की दरें	
	प्रतिमाह (रु०)	प्रतिदिन (रु०)
अकुशल 1. चपरासी, 2. बियार्स, 3. मेंट्स, 4. खिदमतगार 5. मसालची, 6. चौकीदार, 7. स्वीपर, 8. नर्सिंग अर्दली, 9. फराश, 10. सेनिटरी गार्ड 11. स्टेचर कम क्लीनर, 12. क्लीनर्स 13. स्ट्रैचर बियरर 14. अन्य अदक्ष कर्मचारी	6422.00	247.00
अर्द्धकुशल 1. ड्रैसर्स, 2. लेबोरेट्री अटेंडेंटस, 3. सी.एस.एस.डी. अटेंडेंटस, 4. डार्क रूम अटेंडेंट, 5. सीनियर वार्ड ओडरलिस 6. एनिमल अटेंडेंटस 7. अन्य अर्धकुशल कर्मचारी	7098.00	273.00
कुशल 1. होम सिस्टर, 2. थिएटर सिस्टर, 3. नर्सिंग सिस्टर, 4. पब्लिक हैल्थ सिस्टर, 5. वार्ड सिस्टर, 6. थियेटर सिस्टर 7. पब्लिक हैल्थ नर्स, 8. असिस्टेंट होम सिस्टर, 9. स्टॉफ नर्स, 10. हैल्थ विजिटर्स 11. मैडिकल सोशल वर्क्स, 12. डाईटिशियन	7826.00	301.00

13. सीनियर फिजियोथैरापिस्ट		
14. सीनियर ओकोपेशनल थैरापिस्ट		
15. कन्टैक्ट लैस टैक्नीशियन		
16. सीनियर टैक्नीकल असिस्टेंट (न्यूक्लीयर)		
17. सीनियर टैक्नीकल असिस्टेंट (रिस0)		
18. सीनियर टैक्नीकल असिस्टेंट		
19. सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट (डयल)		
20. सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट (एडलोस)	7826.00	301.00
21. सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट (एड्जोकाइन)		
22. बीमोमाईक्रोस्कोपिक टैक्नीशियन		
23. टयूटर रेडियोलोजी		
24. थियेटर सुपरवाइजर		
25. टैक्नीकल सुपरवाइजर (लैब)		
26. सीनियर फोटोग्राफर		
27. टैक्नीकल सुपरवाइजर (लैब)		
28. फिजियो थैरापिस्ट		
29. ओकोपेशन थैरापिस्ट		
30. असिस्टेंट चीफ होस्पिटल फारमासिस्ट		
31. टैक्नीकल असिस्टेंट (रेडियोलोजी)		
32. टैक्नीकल असिस्टेंट (सी.एस.एस.डी.)		
33. टैक्नीकल असिस्टेंट (बायोकौमिस्ट्री)		
34. टैक्नीकल असिस्टेंट (डायलिसिस)		
35. टैक्नीकल असिस्टेंट (कन्टैक्स लैस)		
36. टैक्नीकल असिस्टेंट (बी.बैंक)		
37. टैक्नीकल असिस्टेंट (एन्सथेसिया)		
38. टैक्नीकल असिस्टेंट (अलार्जी क्लिनिक)		
39. टैक्नीकल असिस्टेंट (लाईफ सेविंग)		
40. स्टेटिस्टिकल असिस्टेंट		
41. असिस्टेंट डाईटीशियन		
42. इलैक्ट्रिशियन		
43. वर्कशाप सुपरवाइजर		
44. रेडियोग्राफर (सीनियर)		
45. थियेटर टैक्नीशियन		
46. ई.सी.जी. टैक्नीशियन,		
47. टैक्नीशियन		
48. सीनियर फार्माशिष्ट		
49. सिलेक्शन ग्रेड फार्माशिष्ट		
50. फार्माशिष्ट		
51. लैब टैक्नीशियन		
52. डेंटल हाईजिनिष्ट		
53. डेंटल मैकेनिक		
54. सेनेटरी इंस्पेक्टर		
55. सी.सी.यू. असिस्टेंट		
56. अरबन लेबरसी असिस्टेंट		

57. टेलिफोन मानीटर 58. आरटिस्ट 59. कुक्स, 60. टेलर्स, 61. कुक्स (हैड) 62. अन्य दक्ष कर्मचारी		
लिपिक वर्गीय स्टाफ		
1दसवीं कक्षा अनुत्तीर्ण	7098	273
2. दसवीं कक्षा उत्तीर्ण तथा अस्नातक	7826.00	301.00
3. स्नातक तथा इससे उपर	8502.00	327.00

टिप्पणी नं०-1

मजदूरी की न्यूनतम दरें जो निर्धारित की जा रही हैं वे अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबद्ध हैं। मजदूरी की वर्तमान दरें जो सूचकांक 171.33 के आधार पर निश्चित की गई हैं वे जुलाई से दिसम्बर-2010 की अवधि के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत पर आधारित (आधार वर्ष 2001 = 100) हैं। समायोजन की दर अकुशल के लिए रुपया 1.35 प्रति अंक, अर्धकुशल के लिए रुपया 1.50 प्रति अंक, कुशल के लिए रुपया 1.65 प्रति अंक, नान मैट्रीकुलैट्स के लिए रुपया 1.50 प्रति अंक, मैट्रीकुलैट्स किन्तु गैर स्नातक के लिए रुपया 1.65 प्रति अंक और स्नातक और उसके उपर के लिए रुपया 1.80 प्रति अंक होगा। प्रत्येक वर्ष समायोजन छःमाही आधार पर किया जायेगा जो प्रत्येक वर्ष प्रथम अप्रैल एवं प्रथम अक्टूबर में होगा जो कि पिछले वर्ष के जुलाई से दिसम्बर एवं इस वर्ष जनवरी से जून क्रमशः के औसत सूचकांक को ध्यान में रखकर किया जायेगा।

टिप्पणी नं०-2

अब नियत की जा रही मजदूरी की न्यूनतम दरें सहलग्नता के परिणामस्वरूप इन दरों से कम नहीं होंगी।


टिप्पणी नं०-3

दैनिक मंहगाई भत्ते की गणना करते समय निकटतम उच्च रूपये में पूर्णांक में बदला जायेगा।

टिप्पणी नं०-4

दैनिक न्यूनतम वेतन की दरों में साप्ताहिक अवकाश का वेतन भी सम्मिलित है, जिसके लिए अलग से वेतन देने की आवश्यकता नहीं है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के
उपराज्यपाल के आदेशानुसार तथा उनके नाम पर



(पीयूष शर्मा)

संयुक्त सचिव (श्रम),
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

संख्या एफ. 12 (28)(142)/11/न्यू0 वे0/श्रम/.....

दिनांक.....

.....

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित:-

1. उप-सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, दिल्ली को आज के असाधारण राजपत्र भाग-4 में प्रकाशनार्थ (दो प्रतियां)
2. सचिव, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली।
3. प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल, रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार

4. प्रधान सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार
5. सचिव, माननीय मंत्री(शिक्षा, परिवहन, गुरुद्वारा चुनाव व प्रशासन), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
6. सचिव, माननीय मंत्री (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, रोजगार, राजस्व, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
7. सचिव, माननीय मंत्री (विद्युत, खाद्य एवं संभरण, विकास), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
8. सचिव, माननीय मंत्री (समाज कल्याण, महिला एवं बाल विभाग, भाषा), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
9. सचिव, माननीय मंत्री (लोक निर्माण विभाग, अनु.जा./जन जा. कल्याण विभाग, शहरी विकास, भूमि एवं भवन), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
10. सचिव, माननीय मंत्री (उद्योग, श्रम, चुनाव), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
11. सचिव, दिल्ली विधान सभा, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार, माननीय अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के सूचनार्थ
12. मुख्य सचिव के विशेष कार्य अधिकारी, रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार, प्लेयर्स बिल्डिंग, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली
13. प्रधान सचिव (श्रम), द्वितीय तल, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली
14. श्रम आयुक्त, 5 शाम नाथ मार्ग, दिल्ली
15. दिल्ली सरकार के सभी विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ ।
16. मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय), भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, दिल्ली ।
17. सचिव श्रम – हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान और यू0टी0, चंडीगढ़ ।
18. महासचिव, भा0म0संघ0 ईटक, सीटू, एटक, एच0एम0एस0 ।
19. महासचिव, सी0आई0आई0,फिक्की, पी0एच0डी0सी0सी0आई0, एसोचैम, इस अनुरोध के साथ कि इस आदेश की प्रति स्थानीय नियोजकों के संगठनों को इस निर्देश के साथ प्रेषित करें कि सभी संस्थान अपने यहाँ कार्यरत श्रमिकों को सशोधित दरों के आधार पर भुगतान करें । परिपत्रों की एक प्रति इस कार्यालय को भी प्रेषित करने का कष्ट करें ।
20. सभी जिला संयुक्त एवं उप-श्रमायुक्तों को दस अतिरिक्त प्रतियाँ, ट्रेड यूनियन और नियोक्ता संघों में वितरण के लिए ।
21. उप-सचिव (वित्त) रा0रा0 क्षेत्र, दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि वे रा0रा0 क्षेत्र दिल्ली सरकार के कार्यालयों में नियोजित कामगारों को दी जाने वाली मजदूरी से संबंधित निर्देश जारी करें ।
22. क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय), श्रम मंत्रालय, बी-ब्लॉक, कर्जन रोड बैरेक, के0जी0मार्ग, नई दिल्ली ।

23. उप-निदेशक, न्यूनतम मजदूरी, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली
24. संयुक्त निदेशक, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, श्रम ब्यूरो, एस0सी0ओ0, 28-31, सैक्टर-17(ए), चंडीगढ़-160017
25. सहायक निदेशक (योजना), श्रम विभाग, दिल्ली को सांख्यिकी व वेबसाईट में शामिल करने के लिए तथा विधानसभा के पटल पर रखने के लिए ।
26. पुस्तकालयाध्यक्ष, श्रमायुक्त कार्यालय, 5-शामनाथ मार्ग, दिल्ली-110054
27. गार्ड फाईल ।

संयुक्त सचिव (श्रम)

**दिल्ली राजपत्र के असाधारण भाग-4 में प्रकाशनार्थ
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
(श्रम विभाग)
'अधिसूचना'**

संख्या एफ. 12 (29)(142)/11/न्यू वे0/श्रम/.2047

दिनांक:- 26/07/2011

संख्या:एफ. 12 (29)/142/11/न्यू वे0/श्रम/ भारत सरकार के भूतपूर्व प्रदेश मंत्रालय (मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटस) की अधिसूचना सं० 104-जे, दिनांक 24 अगस्त 1950 व गृहमंत्रालय की अधिसूचना सं० एस०ओ० 530 (एफ 2/9/66-यू०टी०एल०) दिनांक 6 फरवरी 1967 के साथ पठित न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 5 की उपधारा (2) के द्वारा और उन्हें इस संबंध में समर्थ बनाने वाली अन्य समस्त शक्तियों एवं प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के उपराज्यपाल उपरोक्त अधिनियम की धारा 5(1) के अन्तर्गत गठित समिति व सरकार की सिफारिशों पर विचार करने के उपरांत **निजी गैरमान्य शिक्षण संस्थाएं** के अनुसूचित व्यवसाय में अधिसूचना संख्या एफ. 12 (29)/92/न्यू वे0/श्रम/150 दिनांक 15 फरवरी 1994 द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन की दरों को निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार सहर्ष पुनरीक्षित करते हैं।

यह अधिसूचना दिनांक 01 अप्रैल 2011 से लागू होगी और इस तिथि से अधिसूचना संख्या एफ 12 (29)/92/न्यू वे0/श्रम/150 दिनांक 15 फरवरी 1994 रद्द मानी जायेगी

**अनुसूची
निजी गैरमान्य शिक्षण संस्थाएं**

कर्मचारियों की श्रेणी	न्यूनतम वेतन की दरें	
	प्रतिमाह (रू०)	प्रतिदिन (रू०)
अकुशल 1. पीयन, 2. चौकीदार, 3. स्वीपर, 4. वाटरमैन 5. क्लीनर, 6. फराश, 7. आया, 8. अन्य अदक्ष कर्मचारी चाहे किसी नाम से पुकारा जाये	6422.00	247.00
अर्द्धकुशल 1. बस कंडक्टर, 2. असिस्टेंट इलैक्ट्रीशियन 3. असिस्टेंट पलम्बर, 4. असिस्टेंट मिस्ट्री 5. कारपेंटर, 6. अन्य अर्द्धदक्ष कर्मचारी चाहे किसी नाम से पुकारा जाये।	7098.00	273.00
कुशल 1. लाइब्रेरियन, 2. लेबोरेट्री असिस्टेंट 3. ड्राईवर्स, 4. फिजीकल इंस्ट्रक्टर, 5. इलैक्ट्रीशियन 6. पलम्बर, 7. कारपेंटर, 8. अन्य दक्ष कर्मचारी चाहे किसी नाम से पुकारा जाये	7826.00	301.00
लिपिक वर्गीय तथा अतकनीकी स्टाफ		
1. दसवीं कक्षा अनुत्तीर्ण	7098.00	273.00
2. दसवीं कक्षा उत्तीर्ण तथा अस्नातक	7826.00	301.00

3. स्नातक तथा इससे उपर	8502.00	327.00
------------------------	---------	--------

टिप्पणी नं0-1

मजदूरी की न्यूनतम दरें जो निर्धारित की जा रही हैं वे अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबद्ध हैं। मजदूरी की वर्तमान दरें जो सूचकांक 171.33 के आधार पर निश्चित की गई हैं वे जुलाई से दिसम्बर-2010 की अवधि के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत पर आधारित (आधार वर्ष 2001 = 100) हैं। समायोजन की दर अकशल के लिए रुपया 1.35 प्रति अंक, अर्धकुशल के लिए रुपया 1.50 प्रति अंक, कुशल के लिए रुपया 1.65 प्रति अंक, नान मैट्रीकुलैट्स के लिए रुपया 1.50 प्रति अंक, मैट्रीकुलैट्स किन्तु गैर स्नातक के लिए रुपया 1.65 प्रति अंक और स्नातक और उसके उपर के लिए रुपया 1.80 प्रति अंक होगा। प्रत्येक वर्ष समायोजन छःमाही आधार पर किया जायेगा जो प्रत्येक वर्ष प्रथम अप्रैल एवं प्रथम अक्टूबर में होगा जो कि पिछले वर्ष के जुलाई से दिसम्बर एवं इस वर्ष जनवरी से जून क्रमशः के औसत सूचकांक को ध्यान में रखकर किया जायेगा।

टिप्पणी नं0-2

अब नियत की जा रही मजदूरी की न्यूनतम दरें सहलग्नता के परिणामस्वरूप इन दरों से कम नहीं होंगी।


टिप्पणी नं0-3

दैनिक मंहगाई भत्ते की गणना करते समय निकटतम उच्च रूपये में पूर्णांक में बदला जायेगा।

टिप्पणी नं0-4

दैनिक न्यूनतम वेतन की दरों में साप्ताहिक अवकाश का वेतन भी सम्मिलित है, जिसके लिए अलग से वेतन देने की आवश्यकता नहीं है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के
उपराज्यपाल के आदेशानुसार तथा उनके नाम पर



(पीयूष शर्मा)

संयुक्त सचिव (श्रम),
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

संख्या एफ. 12 (29)(142)/11/न्यू0 वे0/श्रम/.....

दिनांक.....

.....

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित:-

1. उप-सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, दिल्ली को आज के असाधारण राजपत्र भाग-4 में प्रकाशनार्थ (दो प्रतियां)
2. सचिव, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली ।
3. प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल, रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार
4. प्रधान सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार
5. सचिव, माननीय मंत्री(शिक्षा, परिवहन, गुरुद्वारा चुनाव व प्रशासन), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
6. सचिव, माननीय मंत्री (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, रोजगार, राजस्व, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
7. सचिव, माननीय मंत्री (विद्युत, खाद्य एवं संभरण, विकास), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
8. सचिव, माननीय मंत्री (समाज कल्याण, महिला एवं बाल विभाग, भाषा), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
9. सचिव, माननीय मंत्री (लोक निर्माण विभाग, अनु.जा./जन जा. कल्याण विभाग, शहरी विकास, भूमि एवं भवन), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
10. सचिव, माननीय मंत्री (उद्योग, श्रम, चुनाव), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
11. सचिव, दिल्ली विधान सभा, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार, माननीय अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के सूचनार्थ
12. मुख्य सचिव के विशेष कार्य अधिकारी, रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार, प्लेयर्स बिल्डिंग, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली
13. प्रधान सचिव (श्रम), द्वितीय तल, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली
14. श्रम आयुक्त, 5 शाम नाथ मार्ग, दिल्ली
15. दिल्ली सरकार के सभी विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ ।
16. मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय), भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, दिल्ली ।
17. सचिव श्रम – हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान और यू0टी0, चंडीगढ़ ।
18. महासचिव, भा0म0संघ0 ईंटक, सीटू, एटक, एच0एम0एस0 ।
19. महासचिव, सी0आई0आई0,फिक्की, पी0एच0डी0सी0सी0आई0, एसोचैम, इस अनुरोध के साथ कि इस आदेश की प्रति स्थानीय नियोजकों के संगठनों को इस निर्देश के साथ प्रेषित करें कि सभी संस्थान अपने यहाँ कार्यरत श्रमिकों को सशोधित दरों के आधार पर भुगतान करें । परिपत्रों की एक प्रति इस कार्यालय को भी प्रेषित करने का कष्ट करें ।
20. सभी जिला संयुक्त एवं उप-श्रमायुक्तों को दस अतिरिक्त प्रतियाँ, ट्रेड यूनियन और नियोक्ता संघों में वितरण के लिए ।

21. उप-सचिव (वित्त) रा0रा0 क्षेत्र, दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि वे रा0रा0 क्षेत्र दिल्ली सरकार के कार्यालयों में नियोजित कामगारों को दी जाने वाली मजदूरी से संबंधित निर्देश जारी करें ।
22. क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय), श्रम मंत्रालय, बी-ब्लॉक, कर्जन रोड बैरेक, के0जी0मार्ग, नई दिल्ली ।
23. उप-निदेशक, न्यूनतम मजदूरी, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली
24. संयुक्त निदेशक, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, श्रम ब्यूरो, एस0सी0ओ0, 28-31, सैक्टर-17(ए), चंडीगढ़-160017
25. सहायक निदेशक (योजना), श्रम विभाग, दिल्ली को सांख्यिकी व वेबसाईट में शामिल करने के लिए तथा विधानसभा के पटल पर रखने के लिए ।
26. पुस्तकालयाध्यक्ष, श्रमायुक्त कार्यालय, 5-शामनाथ मार्ग, दिल्ली-110054
27. गार्ड फाईल ।

संयुक्त सचिव (श्रम)